



सत्यमेव जयते

विनियोग लेखे

2022-23



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



हिमाचल प्रदेश सरकार

विनियोग लेखे

2022-23

हिमाचल प्रदेश सरकार

(i)

विनियोग लेखे
2022- 23
विषय-सूची

	पृष्ठ
भूमिका	(iii)
विनियोग लेखों का सारांश	(v-xvii)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट	(xix-xxi)
अनुदान/विनियोग का नाम और संख्या	
1. विधान सभा	.. 1-3
2. राज्यपाल और मंत्री-परिषद	.. 4-6
3. न्याय प्रशासन	.. 7-11
4. सामान्य प्रशासन	.. 12-18
5. भू-राजस्व और जिला प्रशासन	.. 19-27
6. आबकारी और कराधान	.. 28-30
7. पुलिस और सम्बद्ध संगठन	.. 31-36
8. शिक्षा	.. 37-49
9. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	.. 50-64
10. लोक निर्माण कार्य-सड़कें, पुल तथा भवन	.. 65-77
11. कृषि	.. 78-86
12. उद्यान	.. 87-92
13. सिंचाई, जलापूर्ति तथा स्वच्छता	.. 93-115
14. पशु पालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य	.. 116-121
15. योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	.. 122-129
16. वन और वन्य जीवन	.. 130-140
17. निर्वाचन	.. 141-143
18. उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	.. 144-148
19. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	.. 149-170
20. ग्रामीण विकास	.. 171-177
21. सहकारिता	.. 178-179
22. खाद्य और नागरिक आपूर्ति	.. 180-183
23. विद्युत विकास	.. 184-186
24. मुद्रण और लेखन सामग्री	.. 187-188
25. सड़क और जल परिवहन	.. 189-192
26. पर्यटन और नागर विमानन	.. 193-196
27. श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण	.. 197-203
28. शहरी विकास, नगर और ग्राम योजना तथा आवास	.. 204-211
29. वित्त	.. 212-224
30. विविध सामान्य सेवाएं	.. 225-229
31. जनजातीय विकास	.. 230-313
32. अनुसूचित जाति उप-योजना	.. 314-379
परिशिष्ट	
वर्ष 2022-23 के लेखाओं में व्यय में कमी के रूप में समायोजित वसूलियों के अनुमानों और वास्तविकताओं के अंकड़ों का अनुदानवार विवरण	.. 380

(iii)

भूमिका

हिमाचल प्रदेश सरकार के वर्ष 2022-23 के विनियोग लेखाओं के इस संकलन में 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखे प्रस्तुत किये गए हैं। लेखाओं की व्ययित राशियों की तुलना भारत के संविधान की धारा 204 व 205 के अर्न्तगत पारित विनियोग अधिनियमों में संलग्न अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों से की गई है।

इन लेखाओं में:-

'मूल' का तात्पर्य मूल अनुदान या विनियोजन से है।

'पूरक' का तात्पर्य पूरक अनुदान या विनियोजन से है।

'पुनर्वि0' का तात्पर्य किसी सक्षम - प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत पुनर्विनियोजनों, धन -वापसियों या अभ्यर्पणों से है।

प्रभारित विनियोजन और व्यय को इटालिक में दर्शाया गया है।

हिमाचल प्रदेश विधानमंडल की लोक लेखा समिति के पत्र संख्या VS-PAC(A.G.) 7-6/1998 विधान सभा दिनांक 13 मई 2016 द्वारा निम्नलिखित मानकों को अनुमोदित किया गया, जिन्हें विनियोजन लेखे की टिप्पणियों में अपनाया गया है।

बचत

दत्तमत प्रावधान

बचत ₹ 20 लाख से अधिक या प्रावधान का 20 प्रतिशत जो भी अधिक हो, के लिए टिप्पणियाँ की जानी चाहिए।

प्रभारित विनियोजन

यदि बचत ₹ 8 लाख से अधिक या प्रावधान का 20 प्रतिशत जो भी अधिक हो, के लिए टिप्पणियाँ की जानी चाहिए।

आधिक्य

दत्तमत प्रावधान

यदि आधिक्य ₹ 15 लाख या प्रावधान का 20 प्रतिशत जो भी कम हो, के लिए टिप्पणियाँ की जानी चाहिए।

प्रभारित विनियोजन

यदि आधिक्य ₹ 6 लाख या प्रावधान का 20 प्रतिशत जो भी कम हो, के लिए टिप्पणियाँ की जानी चाहिए।

विनियोग लेखाओं का सारांश

अनुदान /विनियोजन की संख्या एवं नाम		कुल अनुदान/ विनियोजन	
		राजस्व	पूँजीगत
1		2	3
(₹ हजार में)			
1-	विधान सभा-		
	दत्तमत	45,42,93	4,46,23
	प्रभारित	1,26,51	..
2-	राज्यपाल और मंत्री-परिषद-		
	दत्तमत	21,88,15	..
	प्रभारित	8,96,13	..
3-	न्याय प्रशासन-		
	दत्तमत	2,58,54,19	22,52,56
	प्रभारित	65,54,43	..
4-	सामान्य प्रशासन-		
	दत्तमत	2,96,01,78	9,23,01
	प्रभारित	15,08,62	..
5-	भू-राजस्व और जिला प्रशासन-		
	दत्तमत	20,32,47,41	62,36,16
	प्रभारित
6-	आबकारी और कराधान-		
	दत्तमत	1,41,76,55	4,00,00
	प्रभारित
7-	पुलिस और सम्बद्ध संगठन-		
	दत्तमत	16,74,33,90	66,18,69
	प्रभारित
8-	शिक्षा-		
	दत्तमत	78,91,89,92	1,64,40,29
	प्रभारित	22,78	..
9-	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण-		
	दत्तमत	29,47,95,00	3,28,68,39
	प्रभारित	4,78	..
10-	लोक निर्माण कार्य- सड़कें, पुल तथा भवन-		
	दत्तमत	34,32,63,77	16,13,71,41
	प्रभारित

लेखे

का सारांश

व्यय		कुल अनुदान/ विनियोजन के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिक्य	
राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
4	5	6	7	8	9
(₹ हजार में)					
44,37,23	4,36,23	1,05,70	10,00
1,19,77	..	6,74
21,68,57	..	19,58
8,59,44	..	36,69
2,27,76,97	10,80,30	30,77,22	11,72,26
60,31,06	..	5,23,37
2,95,10,56	8,16,98	91,22	1,06,03
13,63,91	..	1,44,71
17,57,30,48	72,63,76	2,75,16,93	10,27,60
					(10,27,59,700)
..
1,28,71,53	4,00,00	13,05,02
..
16,50,04,13	92,00,84	24,29,77	25,82,15
					(25,82,14,574)
..
77,70,30,39	1,63,78,67	1,21,59,53	61,62
42,78	20,00	..
				(20,00,000)	
27,40,41,83	4,85,86,42	2,07,53,17	1,57,18,03
					(1,57,18,03,145)
4,78
28,79,86,57	15,50,56,69	5,52,77,20	63,14,72
..

अनुदान /विनियोजन की संख्या एवं नाम		कुल अनुदान/ विनियोजन	
		राजस्व	पूंजीगत
1		2	3
(₹ हजार में)			
11-	कृषि-		
	दत्तमत	4,54,23,59	65,17,95
	प्रभारित
12-	उद्यान-		
	दत्तमत	5,97,19,37	7,43,12
	प्रभारित
13-	सिंचाई, जलापूर्ति तथा स्वच्छता-		
	दत्तमत	27,03,33,13	7,96,24,91
	प्रभारित	11,53	22,47,59
14-	पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य-		
	दत्तमत	4,50,32,27	13,62,05
	प्रभारित
15-	योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना-		
	दत्तमत	79,97,39	4,93,74,00
	प्रभारित
16-	वन और वन्य जीवन-		
	दत्तमत	8,09,28,59	11,97,50
	प्रभारित	31,76	..
17-	निर्वाचन-		
	दत्तमत	1,02,87,32	75,00
	प्रभारित
18-	उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी-		
	दत्तमत	2,21,26,36	1,85,47,00
	प्रभारित
19-	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता-		
	दत्तमत	15,23,99,01	64,10,57
	प्रभारित
20-	ग्रामीण विकास-		
	दत्तमत	17,71,87,78	15,16,44
	प्रभारित	6,15	..

लेखे

का सारांश

व्यय		कुल अनुदान/ विनियोजन के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिक्य	
राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
4	5	6	7	8	9
(₹ हजार में)					
3,97,79,67	65,00,34	56,43,92	17,61
..
5,96,10,26	9,66,61	1,09,11	2,23,49
					(2,23,49,267)
..
26,96,80,54	7,26,64,01	6,52,59	69,60,90
9,92	22,47,60	1,61	1
					(1,276)
4,53,40,81	12,69,38	..	92,67	3,08,54	..
				(3,08,53,938)	
..
60,31,51	3,25,14,89	19,65,88	1,68,59,11
..
7,20,21,31	10,20,89	89,07,28	1,76,61
31,38	..	38
1,05,57,30	75,00	2,69,98	..
				(2,69,97,672)	
..
2,25,17,58	1,87,32,99	3,91,22	1,85,99
				(3,91,22,878)	(1,85,98,571)
..
14,59,56,43	1,68,57	64,42,58	62,42,00
..
16,51,86,07	15,51,18	1,20,01,71	34,74
					(34,74,140)
6,15

अनुदान /विनियोजन की संख्या एवं नाम		कुल अनुदान/ विनियोजन	
		राजस्व	पूंजीगत
1	2	3	
(₹ हजार में)			
21- सहकारिता-			
दत्तमत	45,40,34	1,99	
प्रभारित	
22- खाद्य और नागरिक आपूर्ति-			
दत्तमत	2,66,98,69	9,00	
प्रभारित	
23- विद्युत विकास-			
दत्तमत	7,35,47,42	1,09,73,00	
प्रभारित	
24- मुद्रण और लेखन सामग्री-			
दत्तमत	39,83,82	1,30,00	
प्रभारित	
25- सड़क और जल परिवहन-			
दत्तमत	4,16,85,30	3,02,17,99	
प्रभारित	
26- पर्यटन और नागर विमानन-			
दत्तमत	27,97,48	5,81,26,00	
प्रभारित	..	16,02	
27- श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण-			
दत्तमत	4,44,12,25	76,63,95	
प्रभारित	
28- शहरी विकास, नगर और ग्राम योजना तथा आवास-			
दत्तमत	7,58,18,49	2,39,07,00	
प्रभारित	..	1,62,19	
29- वित्त-			
दत्तमत	91,98,87,64	22,39,23	
प्रभारित	51,04,64,12	1,13,48,95,30	

लेखे

का सारांश

व्यय		कुल अनुदान/ विनियोजन के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिक्य	
राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
4	5	6	7	8	9
(₹ हजार में)					
45,33,83	5,27,23	6,51	5,25,24
					(5,25,24,000)
..
3,32,06,54	8,00	..	1,00	65,07,85	..
				(65,07,85,490)	
..
7,31,62,17	1,46,49,35	3,85,25	36,76,35
					(36,76,35,000)
..
39,45,13	1,22,43	38,69	7,57
..
4,17,00,30	3,63,54,54	15,00	61,36,55
				(14,99,380)	(61,36,55,000)
..
24,67,12	86,14,57	3,30,36	4,95,11,43
..	16,02
4,23,87,34	82,94,00	20,24,91	6,30,05
					(6,30,05,754)
..
8,33,59,62	1,73,51,31	..	65,55,69	75,41,13	..
				(75,41,13,479)	
..	1,62,19
94,00,76,83	15,83,12	..	6,56,11	2,01,89,19	..
				(2,01,89,18,637)	
48,28,69,15	1,01,35,79,24	2,75,94,97	12,13,16,06

अनुदान /विनियोजन की संख्या एवं नाम		कुल अनुदान/ विनियोजन	
		राजस्व	पूंजीगत
1		2	3
(₹ हजार में)			
30-	विविध सामान्य सेवाएं-		
	दत्तमत	1,45,74,67	43,96,84
	प्रभारित
31-	जनजातीय विकास-		
	दत्तमत	17,45,40,28	5,39,62,58
	प्रभारित
32-	अनुसूचित जाति उप योजना		
	दत्तमत	26,17,78,94	14,18,15,06
	प्रभारित
	जोड़		
	दत्तमत	4,38,99,93,73	72,63,67,92
	प्रभारित	51,96,26,81	1,13,73,21,10
	सकल जोड़	4,90,96,20,54	1,86,36,89,02

लेखे

का सारांश

व्यय		कुल अनुदान/ विनियोजन के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिक्य	
राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
4	5	6	7	8	9
(₹ हजार में)					
1,46,59,69	45,43,12	85,02	1,46,28
				(85,01,905)	(1,46,28,245)
..
15,38,46,85	3,86,49,73	2,06,93,43	1,53,12,85
..
24,23,88,79	10,96,36,83	1,93,90,15	3,21,78,23
..
4,22,39,73,95	61,50,17,98	20,13,27,71	14,22,36,41	3,53,07,93	3,08,86,47
				(3,53,07,93,379)	(3,08,86,47,396)
49,13,38,34	1,01,60,05,05	2,83,08,47	12,13,16,06	20,00	1
				(20,00,000)	(1,276)
4,71,53,12,29	1,63,10,23,03	22,96,36,18	26,35,52,47	3,53,27,93	3,08,86,48
				(3,53,27,93,379)	(3,08,86,48,672)

विनियोग लेखे
विनियोग लेखाओं का सारांश
(क्रमशः)

वर्ष 2022-23 में आकस्मिक निधि से कोई अग्रिम नहीं लिया गया। 31 मार्च 2023 के अन्त तक गत वर्षों की कोई भी राशी आकस्मिक निधि से वसूल करने को शेष नहीं है।

निम्नलिखित दत्तमत अनुदान में आधिक्य का नियमन अपेक्षित है:-

राजस्व प्रवर्ग

- 14- पशु पालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य
- 17- निर्वाचन
- 18- उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी
- 22- खाद्य और नागरिक आपूर्ति
- 25- सड़क और जल परिवहन
- 28- शहरी विकास, नगर और ग्राम योजना तथा आवास
- 29- वित्त
- 30- विविध सामान्य सेवाएं

पूंजीगत प्रवर्ग

- 05- भू-राजस्व और जिला प्रशासन
- 07- पुलिस और सम्बद्ध संगठन
- 09- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण
- 12- उद्यान
- 18- उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी
- 20- ग्रामीण विकास
- 21- सहकारिता
- 23- विद्युत विकास
- 25- सड़क और जल परिवहन
- 27- श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण
- 30- विविध सामान्य सेवाएं

निम्नलिखित अनुदानों में भी प्रभारित विनियोजन के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है:-

राजस्व प्रवर्ग

- 08- शिक्षा

पूंजीगत प्रवर्ग

- 13- सिंचाई, जलापूर्ति तथा स्वच्छता

विनियोग लेखे
विनियोग लेखाओं का सारांश
(क्रमशः)

चूंकि अनुदान एवं प्रभारित विनियोजन व्यय हेतु अपेक्षित सकल राशियों के प्रति होती है, अतः उनके सम्मुख दर्शाए गए व्यय के आंकड़ों में यह वसूलियां (परिशिष्ट पृष्ठ संख्या 380) सम्मिलित नहीं होती हैं, जिन्हें लेखाओं में व्यय से कम करके समायोजित किया जाता है। शुद्ध व्यय के आंकड़े वित्त लेखाओं में दर्शाए गए हैं।

वर्ष 2022-23 के दौरान चौदह अनुदान संख्या (अनुदान संख्या-4, 5, 7, 8, 09, 11, 12, 13,15, 18, 25, 28, 31 और 32) के अंतर्गत ₹ 92,23,53,026 का व्यय बिना बजट प्रावधान के हुआ। इसमें से ₹ 91,51,65,909 वर्ष 2022-23 में आपत्ति पुस्तका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा पांच अनुदानों (अनुदान संख्या-07, 09, 29, 31 और 32) में ₹ 43,49,55,368 (दत्तमत प्रवर्ग में ₹ 4,57,57,368 तथा प्रभारित प्रवर्ग में ₹ 38,91,98,000) का प्रावधान किया गया। जबकि निधियों को मूल/पूरक बजट अनुमानों से प्राप्त किया जाना चाहिए। बजट प्रावधान के बिना पुनर्विनियोजन करना अनुचित एवं हिमाचल प्रदेश के बजट में नियमावली के पैरा 12.5 में निहित प्रावधान का उल्लंघन था।

टिप्पणी:-

(i) वर्ष 2019-20 के लिए उप-वाउचर और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने के कारण "ओबी उचंत" के अंतर्गत ₹ 1,90,00,43 हजार की बकाया राशि में से ₹ 1,57,50,70 हजार (₹ 1,25,10,24 हजार राजस्व प्रवर्ग तथा ₹ 32,40,46 हजार पूंजीगत प्रवर्ग के अंतर्गत) का वर्ष 2022-23 में सम्बंधित विभागों द्वारा अनुपालना प्रस्तुत करने के कारण समायोजन किया गया।

(ii) वर्ष 2020-21 के लिए उप-वाउचर और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने के कारण "ओबी उचंत" के अंतर्गत ₹ 2,12,64,35 हजार (₹ 64,69,58 हजार राजस्व प्रवर्ग तथा ₹ 1,47,94,77 हजार पूंजीगत प्रवर्ग के अंतर्गत) का वर्ष 2022-23 में सम्बंधित विभागों द्वारा अनुपालना प्रस्तुत करने के कारण समायोजन किया गया।

(iii) वर्ष 2021-22 में ₹ 78,73,79 हजार की राशि प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) की पुस्तकों में "ओबी उचंत" के अंतर्गत उप-वाउचर तथा अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने के कारण रखा गया था। इसमें से ₹ 78,45,71 हजार (₹ 74,19,79 हजार राजस्व प्रवर्ग तथा ₹ 4,25,92 हजार पूंजीगत प्रवर्ग के अंतर्गत) का वर्ष 2022-23 में सम्बंधित विभागों द्वारा अनुपालना प्रस्तुत करने के कारण समायोजन किया गया।

(iv) वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 19,50 हजार (₹ 19,50 हजार का पूंजीगत व्यय) प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) की पुस्तकों में "ओबी उचंत" के अंतर्गत बजट में योजना के अधिसूचित किये बिना किये गये व्यय के कारण रखा गया था।

(xvii)

विनियोग लेखे
विनियोग लेखाओं का सारांश
(समाप्त)

वर्ष 2022-23 के विनियोग लेखाओं के अनुसार कुल व्यय तथा उस वर्ष के वित्त लेखाओं में दर्शाए गए कुल व्यय का समाधान नीचे दर्शाया गया है:-

	प्रभारित		दत्तमत	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
	(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
विनियोग लेखाओं के अनुसार कुल व्यय	49,13,38,34	1,01,60,05,05	4,22,39,73,95	61,50,17,98
घटाएं-परिशिष्ट में दर्शाई गई कुल वसूलियां	27,27,86,38	34,97,49
शुद्ध जोड़ जैसा कि वित्त लेखाओं की विवरणी संख्या-11 में दर्शाया गया है।	49,13,38,34	1,01,60,05,05	3,95,11,87,57	61,15,20,49

उपरोक्त वसूलियों के विवरण परिशिष्ट पृष्ठ संख्या 380 पर दिये गये हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

हिमाचल प्रदेश सरकार के विनियोजन लेखाओं की लेखापरीक्षा

अभिमत

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के विनियोग लेखे, वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखाओं को संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अंतर्गत पारित विनियोग अधिनियमों से जुड़ी अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में प्रस्तुत करते हैं। वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों और संवितरण के लेखों के साथ वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाले वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे अलग से प्रस्तुत किए जाते हैं।

मेरे अधिकारियों द्वारा अपेक्षित और प्राप्त की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की परीक्षण लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, मेरे अभिमत में, विनियोग लेखे इस संकलन में टिप्पणियों के साथ पठित, 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखों को, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों से जुड़ी अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करते हैं।

इन खातों की लेखापरीक्षा के साथ-साथ वर्ष या पूर्व के वर्षों के दौरान किए गए लेखापरीक्षा से उत्पन्न टिप्पणियां 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए अलग से प्रस्तुत की जा रही हिमाचल प्रदेश सरकार पर मेरी वित्तीय, अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में निहित हैं।

अभिमत के लिए आधार

लेखापरीक्षा का संचालन सीएजी के लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया गया है। ये मानक यह अपेक्षा करते हैं कि हम इस आशय का तर्क संगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना तैयार करके उसका निष्पादन करें कि लेखे वस्तुपूरक अशुद्ध विवरण से मुक्त हैं। एक लेखापरीक्षा में, परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित साक्ष्यों की जांच शामिल है। हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य मेरे अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करते हैं।

प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं की तैयारी का उत्तरदायित्व

राज्य सरकार राज्य विधानमंडल से बजट का प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है। राज्य सरकार और वे जो बजट के निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं जैसे हिमाचल प्रदेश सरकार के कोषागार, कार्यालय और विभाग, प्रारंभिक और अनुषंगी खातों की तैयारी और शुद्धता के साथ-साथ लागू विधियों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार लेनदेन की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं।

इसके अलावा, वे विनियोग लेखाओं के संकलन और तैयारी के लिए हिमाचल प्रदेश के प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) के कार्यालय को प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं और उससे संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं।

वार्षिक लेखाओं के संकलन का उत्तरदायित्व

मेरे नियंत्रणाधीन कार्यरत हिमाचल प्रदेश के प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) का कार्यालय राज्य सरकार के वार्षिक लेखों के संकलन एवं तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। यह नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार है।

वार्षिक लेखा वाउचरों, चालानों और कोषागारों, कार्यालयों और हिमाचल प्रदेश सरकार के विभाग और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरण और प्रारंभिक एवं अनुषंगी लेखाओं से संकलित किया गया है।

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा के उत्तरदायित्व

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से ऐसी लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर इन लेखाओं पर अभिमत व्यक्त करने के लिए की जाती है।

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) और प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) के कार्यालय अलग-अलग संवर्ग, अलग रिपोर्टिंग लाइन और प्रबंधन संरचना के साथ स्वतंत्र संगठन हैं।

मामले का महत्व

मैं, निम्नलिखित पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ:

वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 622.14 करोड़ के अधिक व्यय का अनुदान/विनियोजन से अधिक राशि का संवितरण हुआ था। यद्यपि ₹ 10,600.64 करोड़ का प्राधिकृत अनुदान/विनियोजन से अधिक संवितरण वर्ष 2014-15 से वर्ष 2021-22 तक राज्य विधानसभा से नियमितिकरण होना अभी शेष है।

'मामले के महत्व' खंड के कारण विनियोग लेखाओं पर मेरे अभिमत संशोधित नहीं हुए।

दिनांक: 04/दिसंबर/2023

स्थान: नई दिल्ली



(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-1-विधान सभा

(शीर्ष- 2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमण्डल, 2216-आवास तथा 7610-सरकारी कर्मचारी आदि को ऋण)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	43,16,41			
		45,42,93	44,37,23	(-)1,05,70
पूरक	2,26,52			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
प्रभारित				
मूल	1,22,51			
		1,26,51	1,19,77	(-)6,74
पूरक	4,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	3,05,00			
		4,46,23	4,36,23	(-)10,00
पूरक	1,41,23			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 105.70 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में प्राप्त ₹ 226.52 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ तथा विभाग द्वारा वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

राजस्व प्रवर्ग

- (ii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	-----------------------------------	-----------------------

2011- संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल-

02- राज्य/संघ क्षेत्र विधान मंडल-

101- विधान सभा-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-1 (क्रमशः)

03- हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदस्य-

(i)	मूल	1,788.29			
	पूरक	10.00	1,723.29	1,643.33	(-)79.96
	पुनर्वि०	(-)75.00			

₹ 79.96 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 75.00 लाख की कमी विधानसभा सदस्यों द्वारा स्वयं आयकर भुगतान के कारण हुई जोकि बिजली, टेलीफोन और पानी के बिलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 79.96 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

(iii) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाखों में)	

2011- संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल-

02- राज्य/संघ क्षेत्र विधान मंडल-

101- विधान सभा-

04- पूर्व सदस्यों को मुफ्त यात्रा सुविधा-

मूल	12.84			
पूरक	20.85	48.84	48.83	(-)0.01
पुनर्वि०	15.15			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 15.15 लाख का आवर्धन यात्रा पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

103- विधानमंडल सचिवालय-

01- विधानमंडल सचिवालय के कर्मचारी-

मूल	1,901.83			
पूरक	71.67	2,033.35	2,008.15	(-)25.20
पुनर्वि०	59.85			

₹ 25.20 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 59.85 लाख का आवर्धन टेलीफोन, बिजली और पानी के बिलों की अधिक प्राप्ति, बाह्य स्रोत सेवाओं, आतिथ्य, पेट्रोल, तेल, स्नेहकों और वाहनों की मरम्मत पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की प्राप्ति न होने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 25.20 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-1 (समाप्त)

पूँजीगत प्रवर्ग

(iv) दत्तमत्त अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
7610- सरकारी कर्मचारियों को ऋण-			
202- मोटर वाहन की खरीद के लिए अग्रिम-			
06- पूर्व विधायकों को वाहन खरीदने के लिए ऋण-			
मूल	10.00		
		38.49	
पूरक	28.49	28.49	(-)10.00

₹ 10.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या-2 -राज्यपाल और मंत्री परिषद

शीर्ष- 2012-राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक, 2013-मंत्री परिषद तथा 2216-आवास)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य(+) बचत(-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	16,83,85			
		21,88,15	21,68,57	(-)19,58
पूरक	5,04,30			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
प्रभारित				
मूल	8,72,38			
		8,96,13	8,59,44	(-)36,69
पूरक	23,75			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				4,00

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 19.58 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में प्राप्त ₹ 504.30 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ तथा विभाग द्वारा वर्ष के दौरान कोई राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 36.69 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में प्राप्त ₹ 23.75 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा तथा ₹ 4.00 का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2016- आवास-			
05- साधारण पूल आवास-			
800- अन्य व्यय-			
01- निर्माण-			
मूल	75.23		
		225.32	190.69
पूरक	150.00		(-)34.63

₹ 34.63 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 2 (क्रमशः)

(iv) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य(+) बचत(-)
2013- मंत्री परिषद-			
101- मंत्रियों/उप मंत्रियों का वेतन-			
01- मंत्रियों तथा उप मंत्रियों का वेतन-			
मूल	1,132.51		
		1,242.12	(+)19.61
पूरक	90.00		

₹ 1,242.12 लाख के कुल व्यय में से ₹ 130.85 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

105- मंत्रियों की ऐच्छिक निधि-			
02- अन्य उद्देश्यों के लिए-			
मूल	9.00		
		23.00	(+)7.00
पूरक	7.00		

₹ 23.00 लाख के कुल व्यय में से ₹ 7.00 लाख का व्यय वर्ष 2021-22 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

(v) प्रभारित विनियोजन में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2012- राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ क्षेत्र के प्रशासक-			
03- राज्यपाल, संघ क्षेत्रों के प्रशासक-			
090- सचिवालय-			
01- राज्यपाल सचिवालय के कर्मचारी वर्ग-			
(i) मूल	485.09		
पूरक	14.50	492.59	(-)18.41
पुनर्वि०	(-)7.00		
103- घरेलु स्थापना-			
01- राज्यपाल की घरेलु स्थापना-			
(ii) मूल	293.59		
पूरक	9.25	300.84	(-)13.72
पुनर्वि०	(-)2.00		

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 32.13 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतिक्षित थे (जुलाई 2023)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 2 (समाप्त)

800- अन्य व्यय-

06- मरम्मत-

मूल 5.00

1.50

1.48

(-)0.02

पुनर्वि० (-)3.50

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 3.50 लाख की कमी मरम्मत कार्यों पर कम निष्पादन के कारण हुई।

(vi) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-
शीर्ष कुल वास्तविक आधिक्य(+)
विनियोजन व्यय बचत(-)
(₹ लाखों में)

2012- राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ क्षेत्र के प्रशासक-

03- राज्यपाल/संघ क्षेत्रों के प्रशासक-

105- चिकित्सा सुविधाएं-

01- राज्यपाल, उनके परिवार और कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं-

मूल 0.58

3.58

3.46

(-)0.12

पुनर्वि० 3.00

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 3.00 लाख की वृद्धि चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुई।

108- यात्रा व्यय-

01- राज्यपाल तथा उनकी स्थापना के लिए यात्रा व्यय-

मूल 12.00

14.60

14.35

(-)0.25

पुनर्वि० 2.60

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन ₹ 2.60 लाख का आवर्धन यात्रा व्यय बिलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

800- अन्य व्यय-

03- विद्युत-

मूल 9.00

11.00

11.00

..

पुनर्वि० 2.00

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 2.00 लाख का आवर्धन बिजली बिलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-3- न्याय प्रशासन

(शीर्ष- 2014-न्याय प्रशासन, 2059-लोक निर्माण कार्य, 2062-सतर्कता, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2216-आवास तथा 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	2,01,28,06			
		2,58,54,19	2,27,76,97	(-)30,77,22
पूरक	57,26,13			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				
				5,55,06
प्रभारित				
मूल	58,09,56			
		65,54,43	60,31,06	(-)5,23,37
पूरक	7,44.87			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				
				4,75,00
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	11,90,00			
		22,52,56	10,80,30	(-)11,72,26
पूरक	10,62,56			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				
				..

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 3,077.22 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में प्राप्त ₹ 5,726.13 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ तथा ₹ 555.06 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 523.37 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में प्राप्त ₹ 744.87 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ तथा ₹ 475.00 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (iii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,172.26 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से, मार्च 2023 में प्राप्त ₹ 1,062.56 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा मूल अनुदान भी सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा और वर्ष के दौरान विभाग द्वारा कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-3- (क्रमशः)

राजस्व प्रवर्ग

(iv)	दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)	
2014-	न्याय प्रशासन-			
102-	उच्च न्यायालय-			
05-	ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना (फेज-II)-			
	मूल	0.01		
		132.01	111.65	(-)20.36
	पूरक	132.00		
	₹ 20.36 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।			
105-	सिविल और सेशन न्यायालय-			
01-	सिविल तथा सत्र न्यायालय स्थापना-			
	मूल	14,903.07		
	पूरक	3,629.94	18,008.02	16,113.40
	पुनर्वि०	(-)524.99		(-)1,894.62
	₹ 1,894.62 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 524.99 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताएँ पूरी न होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।			
	₹ 1,894.62 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।			
114-	विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउंसल)-			
01-	महाधिवक्ता-			
(i)	मूल	1,325.28		
		1,420.32	1,203.42	(-)216.90
	पूरक	95.04		
02-	अन्य विधि अधिकारी-			
(ii)	मूल	2,395.66		
	पूरक	398.86	2,792.52	2,609.14
	पुनर्वि०	(-)2.00		(-)183.38
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 400.28 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।			
03-	राज्य न्यायायिक अकादमी पर व्यय-			
	मूल	279.86		
	पूरक	48.91	300.71	300.71
	पुनर्वि०	(-)28.06		..
	मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 28.06 लाख की कमी टेलीफोन, बिजली और पानी के बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-3- (क्रमशः)

2059- लोक निर्माण कार्य-

01- कार्यालय भवन-

053- रखरखाव तथा मरम्मत-

38- उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय भवनों का रखरखाव-

(i) मूल 122.21

407.47

308.90

(-)98.57

पूरक 285.26

2216- आवास-

05- सामान्य पूल आवास-

053- मरम्मत और रखरखाव-

01- अन्य रखरखाव व्यय-

(ii) मूल 40.58

183.44

81.31

(-)102.13

पूरक 142.86

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 200.70 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

(v) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	-----------------------------------	-----------------------

2014- न्याय प्रशासन-

119- कानूनी सहायता सेवाएँ-

01- हिमाचल प्रदेश राज्य विधि सेवाएँ प्राधिकरण-

मूल 637.52

719.01

754.55

(+35.54)

पूरक 81.49

₹ 35.54 लाख की अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

(vi) प्रभारित विनियोजन में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	--------------	-----------------------------------	-----------------------

2014- न्याय प्रशासन-

102- उच्च न्यायालय-

01- उच्च न्यायालय स्थापना-

मूल 5,526.73

पूरक 716.59

5,768.32

5,756.92

(-)11.40

पुनर्वि0 (-)475.00

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा विनियोजन में ₹ 475.00 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताएं पूरी न होने के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-3- (क्रमशः)

2062-	सतर्कता-				
103-	लोकायुक्त/उप-लोकायुक्त-				
01-	लोकायुक्त-				
	मूल	282.83			
			311.11	274.14	(-)36.97
	पूरक	28.28			

₹ 36.97 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

पूंजीगत प्रवर्ग

(vii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
4059-	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-		
01-	कार्यालय भवन-		
051-	निर्माण आवास-		
15-	न्यायपालिका के आधारभूत संरचना का उन्नयन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना		
	मूल	1.00	
	पुनर्वि०	(-)1.00	

मार्च 2023 में ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।

31-	राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय-			
	मूल	660.00		
			1,660.00	554.07
	पूरक	1,000.00		(-)1,105.93

₹ 1,105.93 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

36-	वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र -			
	मूल	13.00		
	पूरक	62.56	92.31	40.25
	पूरक	16.75		(-)52.06

₹ 52.06 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 16.75 लाख का आवर्धन विवाद समाधान केन्द्र के निर्माण के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 52.06 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-3-(समाप्त)

42- फास्ट ट्रेक विशेष अदालतें (पोक्सो)-
मूल 1.00

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2023 में ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या-4-सामान्य प्रशासन

(शीर्ष- 2051-लोक सेवा आयोग, 2052- सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 2053- जिला प्रशासन, 2059- लोक निर्माण-कार्य, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2075- विविध सामान्य सेवाएं, 2216- आवास, 2235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, 2251- सचिवालय -सामाजिक सेवाएं, 3425- अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 3435- पारिस्थितिकी विज्ञान और पर्यावरण, 3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 4059-लोक निर्माण कार्य और पूंजीगत परिव्यय, 4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

	कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	2,37,53,50		
		2,96,01,78	
पूरक	58,48,28		
		2,95,10,56	
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित			(-)91,22
			..
प्रभारित			
मूल	15,08,62		
		15,08,62	
पूरक	..		
		13,63,91	
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			(-)1,44,71
पूंजीगत प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	9,23,00		
		9,23,01	
पूरक	1		
		8,16,98	
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			(-)1,06,03
			1,31,35

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 91.22 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में प्राप्त ₹ 5,848.28 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ तथा वर्ष के दौरान विभाग द्वारा कोई राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 144.71 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 2.85 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-4 (क्रमशः)

- (iii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 106.03 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 131.35 लाख का अभ्यर्पण अनुचित सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

(iv)	दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-			आधिक्य (+)
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	(₹ लाखों में)	बचत (-)
2052- सचिवालय-सामान्य सेवाएं-				
090- सचिवालय-				
01- मुख्य सचिवालय-				
(i) मूल	6,208.50			
पूरक	221.48	6,429.38	6,270.81	(-)158.57
पुनर्वि०	(-)0.60			
02- राजस्व विभाग-				
(ii) मूल	777.73	777.73	738.83	(-)38.90
03- आबकारी एवं कराधान विभाग-				
(iii) मूल	124.24			
		149.24	126.92	(-)22.32
पूरक	25.00			
05- लोक निर्माण विभाग-				
(iv) मूल	621.23	621.23	569.48	(-)51.75
06- वित्त विभाग-				
(v) मूल	1,050.20	1,050.20	945.46	(-)104.74
2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं-				
115- अतिथिगृह, सरकारी छात्रावास इत्यादि-				
01- आतिथ्य संगठन-				
(vi) मूल	120.61			
		2,117.23	1,990.32	(-)126.91
पूरक	1,996.62			
2216- आवास-				
05- साधारण पूल आवास-				
053- मरम्मत एवं रखरखाव-				
01- अन्य रखरखाव व्यय-				
(vii) मूल	2,400.00			
		2,412.00	2,007.53	(-)404.47
पूरक	12.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-4 (क्रमशः)

2235-	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-				
60-	अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-				
200-	अन्य कार्यक्रम-				
05-	हिमाचल प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी कल्याण कोष-				
(viii)	मूल	800.93	800.93	609.52	(-)191.41
08-	स्वतंत्रता सेनानियों की कन्याओं/प्रपोत्रियों के विवाह हेतु सहायता-				
(ix)	मूल	13.00	13.00	5.46	(-)7.54
09-	मृतक स्वतंत्रता सेनानियों के अंतिम संस्कार हेतु अनुग्रहित अनुदान-				
(x)	मूल	4.00	4.00	2.70	(-)1.30
	उपरोक्त दस मामलों में ₹1,107.91 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
3425-	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान-				
60-	अन्य-				
001-	निदेशन तथा प्रशासन-				
02-	पर्यावरण एवं वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी विभाग-				
	मूल	691.00			
			520.29	439.10	(-)81.19
	पुनर्वि०	(-)170.71			
	₹ 81.19 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 170.71 लाख की कमी प्रस्ताव कम मिलने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 81.19 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
3451-	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं-				
090-	सचिवालय-				
02-	उद्यान विभाग-				
(i)	मूल	156.18	156.18	130.90	(-)25.28
03-	सहकारिता विभाग-				
(ii)	मूल	151.59	151.59	127.06	(-)24.53
06-	वन फार्म एवं पर्यावरण संरक्षण विभाग-				
(iii)	मूल	349.93	349.93	310.14	(-)39.79
08-	परिवहन तथा पर्यटन विभाग-				
(iv)	मूल	143.92	143.92	116.44	(-)27.48
10-	योजना विभाग-				
(v)	मूल	127.33	127.33	94.49	(-)32.84
	उपरोक्त पाँच मामलों में ₹ 149.92 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-4 (क्रमशः)

(v) उपरोक्त बचत निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-				
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)	
2051- लोक सेवा आयोग-				
103- कर्मचारी चयन आयोग-				
01- हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग-				
मूल	806.38			
पूरक	82.63	1,066.88	1,038.75	(-)28.13
पुनर्वि०	177.87			
₹ 28.13 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 177.87 लाख का आवर्धन विभिन्न लिखित परीक्षाओं के आयोजन के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।				
₹ 28.13 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
2053- जिला प्रशासन-				
094- अन्य प्रतिष्ठान-				
06- हिमाचल दिवस के समारोह पर व्यय-				
मूल	50.00			
		408.87	401.60	(-)7.27
पुनर्वि०	358.87			
मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 358.87 लाख का आवर्धन माननीय प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान किराए पर ली गई हिमाचल सड़क परिवहन निगम की बसों के भुगतान पर अधिक व्यय के कारण हुआ।				
800- अन्य व्यय-				
01- हिमाचल दिवस, गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस समारोह पर व्यय-				
मूल	141.97	(+)141.97
₹ 141.97 लाख का समस्त व्यय वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।				
05- 50वें राज्यत्व दिवस का उत्सव-				
मूल	0.01			
पूरक	2,019.94	2,116.69	2,168.09	(+)51.40
पुनर्वि०	96.74			
₹ 51.40 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 96.74 लाख का आवर्धन 50वें राज्यत्व दिवस के समारोह पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।				
₹ 51.40 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-4 (क्रमशः)

2059- लोक निर्माण कार्य-

01- कार्यालय भवन-

053- रखरखाव तथा मरम्मत-

22- सैनिक कल्याण विभाग भवनों पर रखरखाव व्यय-

मूल	3.82			
पूरक	8.77	14.82	14.82	..
पुनर्वि०	2.23			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.23 लाख का आवर्धन मरम्मत/रखरखाव के कार्यों के अधिक निष्पादन होने के कारण हुआ।

28- हिमाचल प्रदेश आवासीय आयुक्त नई दिल्ली के भवनों के रखरखाव पर व्यय-

मूल	9.16			
पूरक	23.15	42.75	42.75	..
पुनर्वि०	10.44			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10.44 लाख का आवर्धन हिमाचल भवन नई दिल्ली की मरम्मत/रखरखाव पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

2075- विविध सामान्य सेवाएं-

800- अन्य व्यय-

03- वीरता पुरस्कार-

..	..	250.00	(+)250.00	
----	----	--------	-----------	--

₹ 250.00 लाख का समस्त व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

04- मृतक/विकलांग रक्षा कर्मियों के परिवारों को सहायता-

मूल	150.00			
		335.00	704.20	(+)369.20
पूरक	185.00			

₹ 704.20 लाख के कुल व्यय में से ₹ 371.70 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

14- अन्य उद्देश्यों के लिए हेलिकॉप्टर सेवाएं-

मूल	1,700.00			
		1,244.44	1,806.66	(+)562.22
पुनर्वि०	(-)455.56			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 455.56 लाख की कमी मासिक एयरलिफ्टिंग बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

₹ 1,806.66 लाख के कुल व्यय में से ₹ 562.22 लाख का व्यय वर्ष 2020-21 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-4 (क्रमशः)

(vi) प्रभारित विनियोजन में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2051- लोक सेवा आयोग-			
102- राज्य लोक सेवा आयोग-			
01- राज्य लोक सेवा आयोग- मूल	1,508.62		
		1,363.91	(-)141.86
पुनर्वि०	(-)2.85		

₹ 141.86 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

पूंजीगत प्रवर्ग

(vii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय-			
01- सरकारी आवासीय भवन-			
106- सरकारी पूल आवास-			
19- सरकारी पूल आवासीय भवनों का निर्माण- मूल	856.00		
		635.16	(-)64.84
पुनर्वि०	(-)156.00		

₹ 64.84 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹156.00 लाख की कमी कार्यों में कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 64.84 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

(viii) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-			
02- सामाजिक कल्याण-			
800- अन्य व्यय-			
03- धर्मशाला में युद्ध स्मारक संग्रहालय- पूरक	0.01		
		120.44	(+)94.78
पुनर्वि०	25.65		

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-4 (समाप्त)

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 25.65 लाख का आवर्धन युद्ध स्मारक/संग्रहालय के निर्माण के कारण हुआ।

₹ 120.44 लाख के कुल व्यय में से ₹ 94.78 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-5-भू-राजस्व और जिला प्रशासन

(शीर्ष- 2029-भू-राजस्व, 2030- स्टाम्प तथा पंजीकरण, 2053- जिला प्रशासन, 2055-पुलिस, 2059- लोक निर्माण-कार्य, 2216- आवास, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत, 2401- फसल कृषि कर्म, 2506- भूमि सुधार, 2702- लघु सिंचाई, 3454- जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 4059- लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	13,60,46,56			
		20,32,47,41	17,57,30,48	(-)2,75,16,93
पूरक	6,72,00,85			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	13,68,00			
		62,36,16	72,63,76	(+)10,27,60
पूरक	48,68,16			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 10,27,59,700 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 27,516.93 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में प्राप्त ₹ 67,200.85 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ तथा वर्ष के दौरान विभाग द्वारा कोई राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (iii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,027.60 लाख की दृष्टि से मार्च 2023 में प्राप्त ₹ 4,868.16 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (iv) दत्तमत अनुदान में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-
- | शीर्ष | कुल अनुदान | वास्तविक व्यय
(₹ लाखों में) | आधिक्य (+)
बचत (-) |
|-------|------------|--------------------------------|-----------------------|
|-------|------------|--------------------------------|-----------------------|

2029- भू-राजस्व-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-5 (क्रमशः)

102-	सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य-				
02-	वन बन्दोबस्त तथा सीमांकन-				
(i)	मूल	782.27			
			782.18	761.70	(-)20.48
	पुनर्वि०	(-)0.09			
2030-	स्टाम्प तथा पंजीकरण-				
01-	स्टाम्प न्यायिक-				
102-	स्टाम्प बिक्री पर व्यय-				
01-	स्टाम्प विक्रताओं के माध्यम से स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय-				
(ii)	मूल	18.50	18.50	14.33	(-)4.17
02-	स्टाम्प न्यायिकेत्तर-				
101-	टिकटों का मूल्य-				
01-	सैंट्रल स्टोर नासिक-				
(iii)	मूल	256.89	256.89	38.29	(-)218.60
102-	स्टाम्प बिक्री पर व्यय-				
02-	नोटोरियल टिकटों की बिक्री-				
(iv)	मूल	15.50	15.50	10.94	(-)4.56
03-	राजस्व टिकटों की बिक्री-				
(v)	मूल	7.50	7.50	5.66	(-)1.84
2053-	जिला प्रशासन-				
093-	जिला स्थापनाएं-				
01-	सामान्य स्थापना-				
(vi)	मूल	17,046.50			
	पूरक	1,403.70	18,463.35	18,251.07	(-)212.28
	पुनर्वि०	13.15			
03-	वक्फ न्याय प्राधिकरण पर व्यय-				
(vii)	मूल	35.43	35.43	23.76	(-)11.67
04-	भू-अर्जन कर्मचारी वर्ग-				
(viii)	मूल	147.82	147.82	126.17	(-)21.65

क्रम संख्या (vi) पर ₹ 18,251.07 लाख के कुल व्यय में से ₹ 7.16 लाख का व्यय वर्ष 2021-22 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ। उपरोक्त आठ मामलों में ₹ 495.25 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

800- अन्य व्यय-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-5 (क्रमशः)

04-	शिमला सड़क उपयोगकर्ताओं और पैदल यात्री सुविधा निधि के लिए योगदान- मूल	1.00
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	मार्च 2023 में ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।				
2055-	पुलिस-				
108-	राज्य मुख्यालय पुलिस-				
06-	हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल-				
(i)	मूल	184.61			
			1,268.96	1,170.86	(-)98.10
	पूरक	1,084.35			
2216-	आवास-				
05-	साधारण पूल आवास-				
053-	मरम्मत एवं रखरखाव-				
01-	अन्य रखरखाव व्यय-				
(ii)	मूल	154.53	154.53	118.00	(-)36.53
2235-	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण-				
01-	पुनर्वास-				
202-	अन्य पुनर्वास योजनाएँ-				
01-	विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास-				
(iii)	मूल	95.18			
	पूरक	2.11	94.29	71.24	(-)23.05
	पुनर्वि०	(-)3.00			
	उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 157.68 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
2245-	प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत-				
02-	बाढ़, चक्रवात आदि-				
101-	अनुग्राहिक राहत-				
01-	नकद सहायता-				
	मूल	5,020.00			
			2,557.60	1,292.92	(-)1,264.68
	पुनर्वि०	(-)2,462.40			
	₹ 1,264.68 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से, मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,462.40 लाख की कमी प्राकृतिक आपदाओं पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 1,264.68 की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-5 (क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
(i)	पूरक	2,114.00	2,114.00	783.53	(-)1,330.47
104-	चारा आपूर्ति-				
01-	चारे के वितरण पर व्यय-				
(ii)	पूरक	95.00	95.00	25.00	(-)70.00
उपरोक्त दो मामलों में ₹ 1,400.47 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।					
111-	शोक संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान-				
01-	अनुग्रहपूर्वक अनुदान-				
	मूल	3,200.00			
	पूरक	300.00	3,574.59	2,485.31	(-)1,089.28
	पुनर्वि०	74.59			
₹ 1,089.28 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 74.59 लाख का आवर्धन अनुग्रह राशि पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।					
₹ 1,089.28 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।					
02-	राज्य विशेष आपदा के कारण मृत्यु-				
	मूल	4,700.00			
	पूरक	995.83	5,957.00	4,616.54	(-)1,340.46
	पुनर्वि०	261.17			
₹ 1,340.46 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 261.17 लाख का आवर्धन मृत व्यक्तियों के परिजनों को अनुग्रह राशि पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।					
₹ 1,340.46 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।					
केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
	पूरक	200.00	200.00	139.50	(-)60.50
₹ 60.50 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।					
113-	घरों की मरम्मत एवं पुनःस्थापना हेतु अनुदान-				
01-	घरों की मरम्मत/निर्माण पर व्यय-				
	मूल	2,500.00			
			2,292.81	1,025.05	(-)1,267.76
	पुनर्वि०	(-)207.19			
₹ 1,267.76 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 207.19 लाख की कमी राष्ट्रीय आपदाओं के तहत क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत के दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।					
₹ 1,267.76 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।					

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-5 (क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

पूरक	180.00	180.00	72.28	(-)107.72
------	--------	--------	-------	-----------

₹ 107.72 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

114- कृषि आदानों की खरीद के लिए किसानों को सहायता-

01- कृषि आदानों की खरीद के लिए व्यय-

मूल	200.00			
-----	--------	--	--	--

		100.00	100.00	
--	--	--------	--------	--

			100.00	
--	--	--	--------	--

				..
--	--	--	--	----

पुनर्वि० (-)100.00

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 100.00 लाख की कमी कृषि आदानों की खरीद के दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

05- राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि-

101- रिजर्व फंड एवं जमा लेखा के लिए स्थानांतरण-

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि-

01- राज्य आपदा राहत कोष को स्थानांतरण-

मूल	47,600.00			
-----	-----------	--	--	--

		47,160.00		
--	--	-----------	--	--

			38,080.00	
--	--	--	-----------	--

				(-)9,080.00
--	--	--	--	-------------

पुनर्वि० (-)440.00

₹ 9,080.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 440.00 लाख की कमी नवीन उपशीर्ष राज्य आपदा शमन निधि में धनराशि स्थानांतरित किए जाने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 34,240.00 लाख का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ।

₹ 9,080.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

08- राज्य आपदा शमन कोष-

101- आपदा न्यूनीकरण-

01- राज्य आपदा शमन निधि-

पूरक	9,080.00			
------	----------	--	--	--

		18,600.00		
--	--	-----------	--	--

			4,875.75	
--	--	--	----------	--

				(-)13,724.25
--	--	--	--	--------------

पुनर्वि० 9,520.00

₹ 13,724.25 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9,520.00 लाख का आवर्धन केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार शमन कोष के लिए लिए 20 प्रतिशत निधि प्रदान करने के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 13,724.25 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

797- विशेष आरक्षित निधियों और जमा

खातों में स्थानान्तरण-

01- राज्य आपदा शमन कोष स्थानांतरण-

पूरक	9,080.00			
------	----------	--	--	--

		9,520.00		
--	--	----------	--	--

			9,080.00	
--	--	--	----------	--

				(-)440.00
--	--	--	--	-----------

पुनर्वि० 440.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-5 (क्रमशः)

₹ 440.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 440.00 लाख का आवर्धन राज्य आपदा शमन कोष में धनराशि स्थानांतरित किए जाने के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 440.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

80- सामान्य-

102- प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, आपदाग्रस्त क्षेत्रों में आकस्मिक योजनाएँ-
01- प्राकृतिक आपदा पर व्यय, आपदाग्रस्त क्षेत्रों में आकस्मिक योजनाएँ-
मूल 9,520.00

पुनर्वि० (-)9,520.00

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,520.00 लाख का समस्त प्रावधान राज्य आपदा शमन कोष के लिए खोले गए अलग खाते में धनराशि स्थानांतरित करने के कारण कम कर दिया गया।

2506- भूमि सुधार-

102- चकबन्दी-

01- मुख्यालय स्थापना-

(i) मूल 194.97

195.17

127.41

(-)67.76

पूरक 0.20

02- जिला स्थापना-

(ii) मूल 173.76

173.76

58.54

(-)115.22

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 182.98 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

(v) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	-----------------------

2029- भू-राजस्व-

102- सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य-

03- बंदोबस्त अधिकारी शिमला स्थापना-

(i) मूल 2,062.01

पूरक 16.21

2,078.31

2,140.05

(+)61.74

पुनर्वि० 0.09

04- बंदोबस्त अधिकारी कांगड़ा-स्थापना

(ii) मूल 1,906.46

1,906.46

2,076.79

(+)170.33

103- भू-अभिलेख-

02- जिला स्थापना प्रभार-

(iii) मूल 12,430.17

13,982.17

14,105.18

(+)123.01

पुनर्वि० 1,552.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-5 (क्रमशः)

2030-	स्टाम्प तथा पंजीकरण				
02-	स्टाम्प -गैर-न्यायिक-				
102-	टिकटों की बिक्री पर व्यय-				
01-	स्टाम्प विक्रेताओं के माध्यम से स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय-				
(iv)	मूल	126.00	126.00	183.46	(+)57.46
	क्रम संख्या (iii) में ₹ 14,105.18 लाख के कुल व्यय में से ₹ 38.29 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।				
	उपरोक्त चार मामलों में ₹ 412.54 लाख की अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
2245-	प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत-				
02-	बाढ़, चक्रवात आदि-				
106-	क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों की मरम्मत और पुनर्स्थापन-				
01-	सड़कों और पुलों की मरम्मत-				
	मूल	8,000.00			
	पूरक	1,000.00	10,635.00	10,629.85	(-)5.15
	पुनर्वि०	1,635.00			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,635.00 लाख का आवर्धन प्राकृतिक आपदाओं पर अधिक व्यय के कारण हुआ।				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	पूरक	9,520.00	9,520.00	10,366.11	(+)846.11
	₹ 846.11 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
109-	क्षतिग्रस्त जलापूर्ति, जल निकासी तथा मल निकासी एवं पुनर्स्थापन-				
01-	पेयजल तथा सीवरेज योजनाओं पर हुए नुकसान की मरम्मत पर व्यय-				
	मूल	4,500.00			
	पूरक	1,800.00	6,950.00	6,949.14	(-)0.86
	पुनर्वि०	650.00			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 650.00 लाख का आवर्धन प्राकृतिक आपदाओं पर अधिक व्यय के कारण हुआ।				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	पूरक	6,900.00	6,900.00	7,424.41	(+)524.41
	₹ 524.41 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
193-	स्थानीय निकायों तथा गैर सरकारी संस्थाओं को अनुदान-				
01-	स्थानीय निकायों तथा गैर सरकारी संस्थाओं को सहायता-				
	मूल	5,000.00			
			5,148.83	5,120.62	(-)28.21
	पुनर्वि०	148.83			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-5 (क्रमशः)

₹ 28.21 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 148.83 लाख का आवर्धन प्राकृतिक आपदा के कारण आधारभूत संरचना की मरम्मत पर अधिक व्यय हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 48,750.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

₹ 28.21 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

80-	सामान्य-				
103-	राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि				
	से राज्यों को सहायता-				
01-	राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि से व्यय-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	0.01			
			20,000.00	21,426.00	(+)1,426.00
	पूरक	19,999.99			

₹ 1,426.00 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

पूंजीगत प्रवर्ग

(vi) दत्तमत अनुदान में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-			
01- कार्यालय भवन-			
051- सामान्य पूल आवास का निर्माण-			
30- निर्माण-			
(i)	..	90.57	(+)90.57
33- तहसील/उप-तहसील भवन-			
(ii)	..	37.03	(+)37.03

₹ 127.60 लाख का समस्त व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

80-	सामान्य-				
051-	निर्माण-				
05-	संयुक्त कार्यालय भवन एवं लघु सचिवालय-				
	मूल	677.00			
			4,879.34	5,779.34	(+)900.00
	पूरक	4,202.34			

₹ 900.00 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

विनियोग लेखे अनुदान संख्या-5 (समाप्त)

(vii) आपदा राहत निधि

तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने अधिसूचना संख्या न0 रेव (डी.एम.सी.) (एफ) 4-2/2000-VII दिनांक 21/02/2011 के द्वारा भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार से अंशदान प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य आपदा प्रबंधन निधि एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन निधि का गठन किया ताकि प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, ओलावृष्टि, चक्रवात, आग लगने और सूखा इत्यादि पर राहत प्रदान की जा सके। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निधि में क्रमशः 90:10 के अनुपात में अंशदान दिया जायेगा।

तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केन्द्र सरकार से निधि हेतु अंशदान को लोक लेखा के शीर्ष 8121- सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां, 122- राज्य आपदा राहत निधि के अंतर्गत वर्गीकृत किया जायेगा ताकि राज्य आपदा प्रबंधन निधि में अन्य घटकों से प्राप्त आय को अलग से दर्शाया जा सके। इस प्रकार यह निधि राज्य सरकार के अन्य संस्थानों के खण्ड का हिस्सा नहीं है। निधि में अन्य प्राधिकार से किसी भी प्रकार का अग्रिम शेष भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट विधि से रखा जाता है। मुख्य सचिव के राज्य स्तरीय समिति का पदेन अध्यक्ष होने के नाते द्वारा संचालन किया जाता है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष में समिति द्वारा संस्तुत राशि की प्राप्ति को मुख्य शीर्ष 2245- प्राकृतिक विपत्ति के लिए राहत, 05-राज्य आपदा राहत निधि, 101- आरक्षित निधियों और जमा लेखों को अन्तरण आपदा राहत निधि से मुख्य शीर्ष 8121-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां, 122-राज्य आपदा राहत निधि और 8235-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां, 125-राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि में स्थानान्तरण द्वारा सुनिश्चित करती है। 1 अप्रैल 2022 को निधि में जमा अथ शेष ₹ 5,011.25 लाख (₹ 4,979.04 लाख राज्य आपदा प्रबंधन निधि और ₹ 32.21 लाख राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन निधि) था। वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 38,080.00 लाख (भारत सरकार से ₹ 34,240.00 लाख तथा ₹ 3,840.00 लाख हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार से) की राशि राज्य आपदा निधि तथा ₹ 9,080.00 लाख की राशि (भारत सरकार से ₹ 8,180.00 लाख एवं ₹ 900.00 लाख हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार से) और ₹ 21,426.00 लाख की राशि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन निधि में प्राप्त हुई। इस प्रकार यह निधि बढ़ कर ₹ 73,597.25 लाख हो गई। इस वर्ष ₹ 62,241.59 लाख (₹ 37,504.14 लाख राज्य आपदा प्रबंधन निधि से, ₹ 4,875.75 लाख राज्य आपदा शमन निधि से एवं ₹ 19,861.70 लाख राष्ट्रीय आपदा निधि से) का व्यय हुआ है। मार्च 2023 के अन्त में निधि में ₹ 11,355.66 लाख जमा रहे (विस्तृत विवरण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के वर्ष 2022-23 के वित्त लेखों की विवरणी संख्या 21 में दर्शाया गया है)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-6- आबकारी और कराधान

(शीर्ष- 2039-राज्य उत्पाद शुल्क, 2040- विक्रय एवं व्यापार आदि पर कर, 2043- राज्य वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत संग्रहण प्रभार, 2045- वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क, 2059- लोक निर्माण-कार्य, 2216- आवास, 2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 3604- स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन, 4047- अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	1,02,35,90			
		1,41,76,55	1,28,71,53	(-)13,05,02
पूरक	39,40,65			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				
..				
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	4,00,00			
		4,00,00	4,00,00	..
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				
..				

टिप्पणियां तथा अभियुक्तियां

(i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,305.02 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में प्राप्त ₹ 3,940.65 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ तथा वर्ष के दौरान विभाग द्वारा कोई राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

राजस्व प्रवर्ग

(ii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2043- राज्य वस्तु एवं सेवाकर के अंतर्गत संग्रहण प्रभार-			
101- संग्रहण प्रभार-			
02- राजस्व वृद्धि एवं क्षमता संवर्धन परियोजना-			
मूल	200.00	200.00	..
			(-)200.00

₹ 200.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-6 (क्रमशः)

2045-	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क-				
104-	संग्रहण प्रभार माल तथा यात्रियों पर कर-				
02-	जिला स्थापना-				
	मूल	5,093.08			
	पूरक	506.00	5,579.77	5,573.05	(-)6.72
	पुनर्वि०	(-)19.31			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹19.31 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण और कर्मचारियों द्वारा कम दौरे के कारण हुई।				
3604-	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-				
107-	स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर-				
01-	स्थानीय शहरी निकायों को सहायता अनुदान-				
(i)	मूल	463.33			
			896.35	285.68	(-)610.67
	पूरक	4.33.02			
02-	पंचायतों/ग्रामीण निकायों को सहायता अनुदान-				
(ii)	मूल	600.00			
			971.36	323.56	(-)647.80
	पूरक	371.36			
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 1,258.47 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
(iii)	उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-				
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
			(₹ लाखों में)		
2040-	विक्रय एवं व्यापार इत्यादि पर कर-				
101-	संग्रहण प्रभार-				
01-	मुख्यालय एवं श्रेत्रीय कर्मचारी-				
	मूल	285.48			
	पूरक	699.27	984.72	1,104.23	(+)119.51
	पुनर्वि०	(-)0.03			
	₹ 119.51 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
03-	गोवंश रक्षा के लिए पशुपालन विभाग को सहायता-				
	मूल	1,030.07			
	पूरक	153.58	1,205.81	1,205.81	..
	पुनर्वि०	22.16			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-6 (समाप्त)

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 22.16 लाख का आवर्धन शराब की बिक्री से उपकर के अधिक संग्रह के कारण हुआ।

2045- वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क-

104- संग्रहण प्रभार माल तथा यात्रियों पर कर-

01- मुख्यालय स्थापना-

मूल	799.05			
पूरक	117.47	914.51	964.53	(+)50.02
पुनर्वि०	(-)2.01			

₹ 50.02 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-7- पुलिस और सम्बद्ध संगठन

(शीर्ष- 2055-पुलिस, 2056-जेल, 2059-लोक निर्माण कार्य, 2062-सतर्कता, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2216-आवास, 2250-अन्य सामाजिक सेवाएं, 4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय, 4059-लोक निर्माण-कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय)

	कुल अनुदान/	वास्तविक	आधिक्य (+)
		व्यय	बचत (-)
		(₹ हजारों में)	
राजस्व प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	16,14,37,53		
		16,74,33,90	(-)24,29,77
पूरक	59,96,37		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			1,78
पूंजीगत प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	66,04,00		
		66,18,69	(+)25,82,15
पूरक	14,69		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 25,82,14,574 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 2,429.77 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में प्राप्त ₹ 5,996.37 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ तथा ₹ 1.78 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (iii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 2,582.15 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में प्राप्त ₹14.69 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (iv) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-
- | शीर्ष | कुल अनुदान | वास्तविक | आधिक्य (+) |
|-------|------------|---------------|------------|
| | | व्यय | बचत (-) |
| | | (₹ लाखों में) | |

2055- पुलिस-
001- दिशा एवं प्रशासन-
01- निदेशालय-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-7- (क्रमशः)

	मूल	2,010.88			
	पूरक	487.60	2,513.28	2,407.29	(-)105.99
	पुनर्वि०	14.80			
	₹ 105.99 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 14.80 लाख का आवर्धन वाहनों की मरम्मत/रखरखाव शुल्क की दरों में वृद्धि तथा अधिवक्ता को भुगतान पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।				
	₹ 105.99 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
101-	आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता-				
01-	अपराध अन्वेषण-				
	मूल	5,794.31			
	पूरक	201.90	6,020.13	5,978.60	(-)41.53
	पुनर्वि०	23.92			
	₹ 41.53 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 23.92 लाख का आवर्धन बाह्य स्रोत कर्मचारियों की अधिक व्यवस्तता और वाहनों पर नए मेटल डिटेक्टर तथा जैमर स्थापित करने पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।				
	₹ 41.53 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
108-	राज्य मुख्यालय पुलिस-				
02-	अन्य सरकारी संस्थाओं के लिए पुलिस-				
	मूल	3,927.41			
	पूरक	4.00	3,712.51	3,663.08	(-)49.43
	पुनर्वि०	(-)218.90			
	₹ 49.43 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 218.90 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 49.43 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
05-	भारतीय रिजर्व वाहिनी-				
	मूल	33,239.54			
	पूरक	186.57	33,468.74	32,271.22	(-)1,197.52
	पुनर्वि०	42.63			
	₹ 1,197.52 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 42.63 लाख का आवर्धन वर्दी की खरीद पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि दैनिक वेतनभोगियों की कम व्यवस्तता के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।				
	₹ 1,197.52 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
109-	जिला पुलिस-				
01-	जिला कार्यकारिणी फोर्स-				
	मूल	74,647.91			
	पूरक	43.48	73,224.84	72,344.29	(-)880.55
	पुनर्वि०	(-)1,466.55			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-7- (क्रमशः)

₹ 880.55 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,466.55 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि पेट्रोल, तेल, स्नेहकों, वाहनों की मरम्मत की दर में वृद्धि, विधानसभा चुनाव पर अधिक व्यय, बिजली, टेलीफोन, पानी के बिलों की अधिक प्राप्ति और पुलिस कर्मियों को पुरस्कार के भुगतान पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 880.55 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

111-	रेलवे पुलिस-				
01-	अपराध पुलिस-				
	मूल	534.72			
	पूरक	0.05	481.25	479.73	(-)1.52
	पुनर्वि०	(-)53.52			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 53.52 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

114-	बेतार तथा कम्प्यूटर-				
01-	पुलिस रेडियो कर्मचारी वर्ग-				
	मूल	2,866.27			
	पूरक	32.02	2,955.12	2,788.36	(-)166.76
	पुनर्वि०	56.83			

₹ 166.76 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 56.83 लाख का आवर्धन संचार उपकरणों की मरम्मत और खरीद पर अधिक व्यय तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

₹ 166.76 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

115-	पुलिस बल का आधुनिकीकरण-				
02-	जिला कार्यकारिणी फोर्स-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना-				
	मूल	2.83			
			7.23	2.83	(-)4.40
	पुनर्वि०	4.40			

₹ 4.40 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4.40 लाख का आवर्धन उपकरणों की खरीद पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 4.40 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

02-	सुरक्षा संबंधी व्यय-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना-				
	मूल	280.00			
			256.68	256.12	(-)0.56
	पुनर्वि०	(-)23.32			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-7- (क्रमशः)

	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 23.32 लाख की कमी टेलीफोन, पानी, बिजली बिल की कम प्राप्ति तथा बाहरी स्रोत के वाहनों, पेट्रोल, तेल, स्नेहक और मरम्मत पर कम खर्च के कारण हुई।			
2056-	जेल-			
001-	निदेशन तथा प्रशासन-			
01-	मुख्यालय कर्मचारी वर्ग-			
	मूल	258.69		
	पूरक	0.31	205.59	205.50
	पुनर्वि०	(-)53.41		(-)0.09
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 53.41 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।			
2059-	लोक निर्माण कार्य-			
01-	कार्यालय भवन-			
053-	रखरखाव एवं मरम्मत-			
47-	अग्निशमन सेवा विभाग भवनों की मरम्मत और रखरखाव पर व्यय-			
	मूल	6.76		
			8.76	6.99
	पूरक	2.00		(-)1.77
	₹ 1.77 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।			
(v)	उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-			
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
				(₹ लाखों में)
2055-	पुलिस-			
003-	शिक्षण एवं प्रशिक्षण			
01-	पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र-			
	मूल	2,120.03		
	पूरक	44.68	2,185.63	2,174.04
	पुनर्वि०	20.92		(-)11.59
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 20.92 लाख का आवर्धन टेलीफोन, पानी, बिजली के बिलों की अधिक प्राप्ति, पेट्रोल की दर में वृद्धि, वाहनों की मरम्मत/रखरखाव, यात्रा व्यय और चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।			
108-	राज्य मुख्यालय पुलिस-			
01-	राज्य रिजर्व पुलिस-			
	मूल	9,864.70		
	पूरक	19.85	9,901.49	9,899.95
	पुनर्वि०	16.94		(-)1.54
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 16.94 लाख का आवर्धन पेट्रोल की दर में बढ़ोतरी तथा वाहनों की मरम्मत/रखरखाव प्रभागों में वृद्धि के कारण हुआ जोकि चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-7- (क्रमशः)

109-	जिला पुलिस-				
02-	पंचायत चौकीदारों/गृह रक्षकों पर व्यय (समन सेवाओं हेतु)-				
	मूल	379.50			
			504.50	504.36	(-)0.14
	पुनर्वि०	125.00			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 125.00 लाख का आवर्धन वारंट/समन के लिए भुगतान पर अधिक व्यय के कारण हुआ।				
03-	पुलिस के साथ कानून व्यवस्था हेतु तैनात गृह रक्षकों पर व्यय-				
	मूल	6,947.08			
	पूरक	465.00	8,878.69	8,862.42	(-)16.27
	पुनर्वि०	1,466.61			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,466.61 लाख का आवर्धन पुलिस में तैनात गृह रक्षक स्वयं सेवकों के वेतन भुगतान पर अधिक व्यय और विधानसभा चुनाव के लिए यात्रा व्यय की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।				
04-	निर्भया निधि के अंतर्गत महिला हेल्प डेस्क- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
		88.64	(-)88.64
	₹ 88.64 लाख का समस्त व्यय वर्ष 2020-21 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ। जबकि ₹ 237.50 लाख का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ।				
2056-	जेल-				
101-	जेल-				
01-	जेलों की स्थापना-				
	मूल	3,542.71			
	पूरक	398.82	3,993.80	4,001.02	(+)7.22
	पुनर्वि०	52.27			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 52.27 लाख का आवर्धन खाद्य सामग्री, दवा, वर्दी की खरीद पर अधिक व्यय के कारण हुई जोकि गृह रक्षकों की कम नियुक्ति तथा टेलीफोन, पानी और बिजली के बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।				
	₹ 4,001.02 लाख के कुल व्यय में से ₹ 10.48 लाख का व्यय वर्ष 2021-22 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।				
पूँजीगत प्रवर्ग					
(vi)	दत्तमत प्रावधान में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-				
	शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
				(₹ लाखों में)	
4055-	पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय-				
207-	राज्य पुलिस-				
03-	तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण-				
	पुनर्वि०	36.74	36.74	420.88	(+)384.14

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-7- (समाप्त)

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 36.74 लाख का आवर्धन मशीनरी एवं उपकरणों की खरीद पर अधिक व्यय होने के कारण अपर्याप्त सिद्ध हुआ। मूल/अनुपूरक बजट अनुमानों द्वारा निधियाँ प्राप्त करना आवश्यक था। पुनर्विनियोजन बिना बजट प्रावधान करना अनुचित था तथा हिमाचल प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा 12.5 का उल्लंघन था।

₹ 420.88 लाख के कुल व्यय में से ₹ 384.14 लाख का व्यय वर्ष 2020-21 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

211-	पुलिस आवास-				
03-	पुलिस बलों का आधुनिकीकरण-				
	मूल	3,237.00			
	पूरक	14.69	3,291.95	5,344.34	(+)2,052.39
	पुनर्वि०	40.26			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 40.26 लाख का आवर्धन पुलिस चौकी के निर्माण के कारण हुआ।

₹ 5,344.34 लाख के कुल व्यय में से ₹ 2,052.39 लाख का व्यय वर्ष 2020-21 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

	मूल	704.00			
			702.00	816.00	(+)114.00
	पुनर्वि०	(-)2.00			

₹ 816.00 लाख के कुल व्यय में से ₹ 114.00 लाख का व्यय वर्ष 2020-21 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

(vii) उपरोक्त आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय-			
211-			
05-			
राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं का निर्माण-			
मूल	271.82		
		196.82	228.47
पुनर्वि०	(-)75.00		(+)31.65

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 75.00 लाख की कमी मशीनरी एवं उपकरणों की कम खरीद के कारण हुई।

₹ 228.47 लाख के कुल व्यय में से ₹ 33.00 लाख का व्यय वर्ष 2020-21 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 शिक्षा

(शीर्ष- 2059- लोक निर्माण-कार्य, 2202-सामान्य शिक्षा, 2205-कला एवं संस्कृति, 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय तथा 6202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए ऋण)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	74,51,77,37			
		78,91,89,92	77,70,30,39	(-)1,21,59,53
पूरक	4,40,12,55			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				2,42,27,30
प्रभारित				
मूल	..			
		22,78	42,78	(+)20.00
पूरक	22,78			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	87,38,01			
		1,64,40,29	1,63,78,67	(-)61,62
पूरक	77,02,28			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 20,00,000 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 12,159.53 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में प्राप्त ₹ 44,012.55 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ तथा ₹ 24,227.30 का अभ्यर्पण अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (iii) राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 20.00 के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2023 में प्राप्त ₹ 22.78 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (iv) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 61.62 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में प्राप्त ₹ 7,702.28 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ तथा वर्ष के दौरान विभाग द्वारा कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)

राजस्व प्रवर्ग

(v) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	-----------------------

2059- लोक निर्माण काय-

01- कार्यालय भवन-

053- रखरखाव तथा मरम्मत-

70- प्राथमिक पाठशालाओं के भवनों
का रखरखाव-

मूल	1,498.35	1,498.35	1,475.54	(-)22.81
-----	----------	----------	----------	----------

₹ 22.81 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

2202- सामान्य शिक्षा-

01- प्रारम्भिक शिक्षा-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशालय-

मूल	2,410.03			
पूरक	8.91	2,288.47	2,299.54	(+)11.07
पुनर्वि०	(-)130.47			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 130.47 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और टेलीफोन, पानी, बिजली बिलों पर कम व्यय के कारण हुई जोकि प्रतियोगिता के आयोजन पर हुए अधिक व्यय से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

₹ 2,299.54 लाख में से ₹ 11.63 लाख का व्यय वर्ष 2021-22 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

101- राजकीय प्राथमिक विद्यालय-

01- शिक्षा पर व्यय-

मूल	1,84,208.40			
पूरक	90.00	1,79,152.17	1,79,124.37	(-)27.80
पुनर्वि०	(-)5,146.23			

₹ 27.80 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5,146.23 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, दैनिक वेतन भोगियों के नियमितिकरण तथा यात्रा व्यय दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि मल्टी टास्क कर्मचारियों की नियुक्ति पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 27.80 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

11- उर्दू तथा पंजाबी अध्यापकों पर व्यय-

मूल	40.00			
		20.59	20.59	..
पुनर्वि०	(-)19.41			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 19.41 लाख की कमी उर्दू तथा पंजाबी शिक्षकों की सेवाओं के नियमितीकरण के कारण हुई।

12-	अटल वर्दी योजना-				
	मूल	2,230.00			
			4.26	4.26	..
	पुनर्वि०	(-)2,225.74			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,225.74 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताएँ पूरी न होने के कारण हुई।				
14-	स्वस्थ बचपन-				
(i)	मूल	220.00			
		
	पुनर्वि०	(-)220.00			
16-	डिजिटल शिक्षा-				
(ii)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 221.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा संहितागत औपचारिकताएँ पूरी न होने के कारण कम कर दिया गया।				
17-	अभिभावक शिक्षक संघ के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा हेतु सहायता अनुदान-				
	मूल	500.00			
			354.32	354.31	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)145.68			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 145.68 लाख की कमी अभिभावक शिक्षक संघ के तहत शिक्षकों के नियमितीकरण के कारण हुई।				
18-	विद्यालय प्रबंधन समिति को अनुदान सहायता-				
	मूल	1,708.35			
			1,581.17	1,580.97	(-)0.20
	पुनर्वि०	(-)127.18			
	मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 127.18 लाख की कमी स्कूल प्रबंधक समिति के अंतर्गत अध्यापकों की छुटियों के वेतन की कटौती के कारण हुई।				
102-	गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को सहायता-				
03-	निजी पाठशालाओं में कमजोर वर्ग के छात्रों की फीस की प्रतिपूर्ति-				
	मूल	61.00			
			15.75	15.75	..
	पुनर्वि०	(-)45.25			
	मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 45.25 लाख की कमी शुल्क प्रतिपूर्ति मामलों की प्राप्ति के कारण हुई।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)

104-	निरीक्षण-				
01-	जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी-				
	मूल	2,265.18			
	पूरक	10.02	2,103.11	2,092.99	(-)10.12
	पुनर्वि०	(-)172.09			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 172.09 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, पानी, टेलीफोन तथा बिजली के बिलों पर कम व्यय के कारण हुई।				
02-	खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी-				
	मूल	7,404.87			
	पूरक	56.39	7,269.01	7,257.27	(-)11.74
	पुनर्वि०	(-)192.25			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 192.25 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के कारण हुई।				
105-	अनौपचारिक शिक्षा-				
01-	न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम-				
(i)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 2.00 लाख के समस्त प्रावधान को भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने तथा केन्द्र के हिस्से की प्राप्ति नहीं हुई और इसलिए राज्य का हिस्सा भी अप्रयुक्त रहा।				
107-	अध्यापक प्रशिक्षण-				
04-	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों पर व्यय-				
	मूल	2,586.31			
			2,510.23	2,494.98	(-)15.25
	पुनर्वि०	(-)76.08			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 76.08 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
109-	छात्रवृत्तियां तथा प्रोत्साहन-				
03-	टॉप 100 छात्रवृत्ति योजना-				
	मूल	200.00			
			138.70	138.70	..
	पुनर्वि०	(-)61.30			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 61.30 लाख की कमी छात्रवृत्ति के लिए छात्रों की कम पात्रता/नामांकन के कारण हुई।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)

111-	सर्व शिक्षा अभियान-				
04-	समग्र शिक्षा अभियान-				
(i)	मूल	2,890.00			
			1,580.52	1,580.52	..
	पुनर्वि०	(-)1,309.48			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	28,541.00			
			14,224.67	14,224.67	..
	पुनर्वि०	(-)14,316.33			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 15,625.81 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति तथा केन्द्रीय हिस्से की कम प्राप्ति के कारण राज्य का हिस्सा अभ्यर्पित किय जाने के कारण हुई।				
112-	प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण संबंधी				
	सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम-				
01-	मध्याह्न भोजन-				
	मूल	4,182.00			
			3,962.89	3,962.89	..
	पुनर्वि०	(-)219.11			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 219.11 लाख की कमी मिड डे मिल के तहत कुक कम हेल्पर की कम नियुक्ति और भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	8,837.00			
			6,400.81	6,400.81	..
	पुनर्वि०	(-)2,436.19			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,436.19 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि किचन शेड पर अधिक व्यय करने के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।				
02-	माध्यमिक शिक्षा-				
001-	निदेशन तथा प्रशासन-				
01-	निदेशालय-				
	मूल	2,373.00			
	पूरक	25.00	2,233.10	2,220.23	(-)12.87
	पुनर्वि०	(-)164.90			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 164.90 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
109-	राजकीय माध्यमिक विद्यालय-				
14-	माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा पर व्यय-				
(i)	पूरक	5.17	5.17	2.42	(-)2.75

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)

20-	विद्यालय प्रबंधन समितियाँ सहायता अनुदान-				
(ii)	मूल	1,102.50	1,102.50	1,079.38	(-)23.12
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 25.87 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
22-	अटल विद्यालय वर्दी योजना-				
(i)	मूल	987.00			
	पुनर्वि०	(-)987.00
37-	स्वर्ण जयंती डिजिटल पहल/विधार्थी अनुशिक्षण योजना-				
(ii)	मूल	329.00			
	पुनर्वि०	(-)329.00
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1,316.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताएँ पूरी न करने के कारण कम कर दिया गया।				
03-	विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-				
103-	राजकीय कॉलेज तथा संस्थान-				
07-	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान-				
	मूल	138.00			
	पूरक	16.55	150.15	12.14	(-)138.01
	पुनर्वि०	(-)4.40			
	₹ 138.01 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	1,244.00	1,244.00	..	(-)1,244.00
	₹ 1,244.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
11-	बैचलर ऑफ वोकेशनल प्रोग्राम-				
	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण कम कर दिया गया।				
13-	अभिभावक शिक्षक संघ के तहत शासकीय महाविद्यालयों को सहायता अनुदान -				
	मूल	52.50			
	पुनर्वि०	(-)40.00	12.50	12.06	(-)0.44
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 40.00 लाख की कमी अध्यापक संघ के अंतर्गत अध्यापकों को नियमितिकरण करने के कारण हुई।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)

104-	गैर सरकारी कॉलेजों तथा संस्थानों को सहायता-				
01-	निजी महाविद्यालयों को सहायता-				
	मूल	1,942.50			
			1,368.76	1,342.54	(-)26.22

पुनर्वि० (-)573.74

₹ 26.22 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 573.74 लाख की कमी कॉलेजों से सहायता अनुदान प्राप्त न होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 26.22 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

04-	प्रौढ़ शिक्षा-				
103-	ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम-				
05-	साक्षर भारत योजनाएं-				
(i)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
200-	अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम-				
03-	पढ़ना लिखना अभियान-				
(iii)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iv)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			

उपरोक्त चार मामलों में ₹ 4.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2023 में भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया तथा केन्द्र का हिस्सा प्राप्त न होने के कारण राज्य का हिस्सा अप्रयुक्त रह गया।

05-	भाषा विकास-				
103-	संस्कृत शिक्षा-				
04-	गैर सरकार संस्कृत पाठशाला-				
	मूल	3.00			
		
	पुनर्वि०	(-)3.00			

₹ 3.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2023 में निजी महाविद्यालयों के अधिग्रहण के कारण व्यय न होने के कारण अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)

80-	सामान्य-				
004-	अनुसंधान-				
03-	राज्य शिक्षा अनुसंधान परिषद एवं प्रशिक्षण, सोलन-				
	मूल	369.91			
	पूरक	1.33	319.82	339.09	(+)19.27
	पुनर्वि०	(-)51.42			
	₹ 19.27 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 51.42 की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अत्यधिक सिद्ध हुई।				
	₹ 19.27 लाख की अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
107-	छात्रवृत्तियाँ-				
20-	आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	245.00			
		
	पुनर्वि०	(-)245.00			
	मार्च 2023 में ₹ 245.00 लाख का समस्त प्रावधान प्रधानमंत्री यशस्वी योजना स्कीम का विलय होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया है।				
22-	स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना-				
	मूल	329.00			
		
	पुनर्वि०	(-)329.00			
	मार्च 2023 में ₹ 329.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताएँ पूरी न होने के कारण अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया।				
800-	अन्य व्यय-				
01-	राष्ट्रीय कैडेट कोर सामान्य स्थापना-				
	मूल	606.42			
	पूरक	37.10	646.04	620.38	(-)25.66
	पुनर्वि०	2.52			
	₹ 25.66 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
	₹ 620.38 लाख के कुल व्यय में से ₹ 21.47 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।				
08-	सैनिक स्कूलों पर व्यय-				
	मूल	126.90			
			100.00	120.00	(+)20.00
	पुनर्वि०	(-)26.90			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान ₹ 26.90 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण हुई।				
	₹ 120.00 लाख के कुल व्यय में से ₹ 20.00 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)

2205- कला एवं संस्कृति-

105- सार्वजनिक पुस्तकालय-

01- राज्य एवं जिला पुस्तकालय-

मूल 623.59

पूरक 18.67

पुनर्वि० (-)25.19

617.07

607.12

(-)9.95

मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 25.19 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

(vi) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुए आधिव्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिव्य (+) बचत (-)
-------	------------	-----------------------------------	-----------------------

2202- सामान्य शिक्षा-

01- प्रारंभिक शिक्षा-

101- सरकारी प्राथमिक विद्यालय-

03- पूर्व- माध्यमिक विद्यालय-

मूल 1,49,099.38

पूरक 13,387.52

पुनर्वि० 370.66

1,62,857.56

1,62,784.72

(-)72.84

₹ 72.84 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 370.66 लाख का आवर्धन मल्टी टास्क कर्मचारियों की नई नियुक्तियों और चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि विधार्थियों की छात्रवृत्ति की कम पात्रता तथा यात्रा व्यय बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 72.84 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

113- समग्र शिक्षा-

01- राज्य को पढ़ाई लिखाई और परिणाम का सशक्तिकरण (स्टार प्रोजेक्ट)-

मूल 1.00

पूरक 590.56

पुनर्वि० 723.43

1,314.99

1,314.99

..

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 723.43 लाख का आवर्धन केन्द्रीय हिस्से के अनुपात में राज्य का हिस्सा अधिक जारी करने के कारण हुआ।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 1.00

पूरक 8,943.62

पुनर्वि० 2,890.27

11,834.89

11,834.89

..

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,890.27 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 11,834.89 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)

800-	अन्य व्यय-				
01-	माध्याह्न भोजन-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	104.78		(+)104.78

₹ 104.78 लाख का समस्त व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

02-	माध्यमिक शिक्षा-				
101-	निरीक्षण-				
01-	निरीक्षणालय-				
	मूल	2,192.71			
	पूरक	41.00	2,231.37	2,335.53	(+)104.16
	पुनर्वि०	(-)2.34			

₹ 104.16 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

109-	राजकीय माध्यमिक विद्यालय-				
01-	माध्यमिक पाठशालाएँ-				
	मूल	2,60,698.73			
	पूरक	13,940.87	2,75,804.93	2,79,284.73	(+)3,479.80
	पुनर्वि०	1,165.33			

₹ 3,479.80 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,165.33 लाख का आर्वधन वेतनमानों में संशोधन और बकाया के भुगतान तथा छात्रों से छात्रवृत्ति के मामलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि बाह्य स्रोत सेवाओं, कम संलग्न और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कम संचालन के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 2,79,284.73 लाख के कुल व्यय में से ₹ 170.00 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

₹ 3,479.80 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

15-	श्रीनिवास रामानुजन छात्र डिजिटल योजना-				
	मूल	1,645.00			
			4,891.43	6,536.43	(+)1,645.00
	पूरक	3,246.43			

₹ 1,645.00 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

24-	वर्तमान सूचना संचार प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं का उन्नयन/रखरखाव अन्य प्रयोगशाला सुविधाएँ-				
	मूल	329.00	329.00	3,538.95	(+)3,209.95

₹ 3,538.95 लाख के कुल व्यय में से ₹ 3,209.95 लाख का व्यय वर्ष 2021-22 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

27-	मेघा प्रोत्साहन योजना-				
	40.98		(+)40.98

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)

₹ 40.98 लाख का समस्त व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

30- खेल से स्वास्थ्य योजना-
मूल 132.00 132.00 652.76 (+)520.76

₹ 652.76 लाख के कुल व्यय में से ₹ 532.58 लाख का व्यय वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

32- उत्कृष्ट विद्यालय योजना-
मूल 1,974.00 1,974.00 2,020.05 (+)46.05

₹ 2,020.05 लाख के कुल व्यय में से ₹ 63.96 लाख का व्यय वर्ष 2020-21 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

33- मुख्यमंत्री डिजिटल डिवाइस योजना-
.. .. 1,455.00 (+)1,455.00

₹ 1,455.00 लाख का समस्त व्यय वर्ष 2021-22 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

03- विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा-

103- सरकारी महाविद्यालय एवं संस्थान-

01- सरकारी महाविद्यालय-

मूल 37,529.41
पूरक 3,182.93 40,628.80 41,680.96 (+)1,052.16
पुनर्वि० (-)83.54

₹ 1,052.16 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 83.54 लाख की कमी लाभार्थियों/कॉलेजों से मामलों/मांग की कम प्राप्ति तथा कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कम आयोजन के कारण हुई जोकि अवास्तविक सिद्ध हुई।

₹ 1,052.16 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

08- फाइन आर्ट कॉलेज का उद्घाटन-

मूल 227.83
पूरक 44.04 271.85 287.43 (+)15.58
पुनर्वि० (-)0.02

₹ 15.58 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

09- खेल से स्वास्थ्य योजना-

मूल 50.00 50.00 376.06 (+)326.06

₹ 376.06 लाख के कुल व्यय में से ₹ 220.83 लाख का व्यय वर्ष 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

₹ 326.06 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

10- सरकारी कॉलेजों में सी०वी० रमन वर्चुअल पाठशाला-

मूल 33.00 33.00 213.00 (+)180.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)

₹ 213.00 लाख के कुल व्यय में से ₹ 180.00 लाख का व्यय वर्ष 2020-21 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

05- भाषा विकास-

103- संस्कृत शिक्षा-

01- संस्कृत पाठशालाओं का आधुनिकीकरण-

मूल	678.78			
पूरक	19.90	694.68	714.43	(+)19.75
पुनर्वि०	(-)4.00			

₹ 19.75 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

80- सामान्य-

107- छात्रवृत्तियां-

08- अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना-

मूल	66.00	66.00	566.00	(+)500.00
-----	-------	-------	--------	-----------

₹ 566.00 लाख के कुल व्यय में से ₹ 500.00 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	600.00			
		739.08	1,429.83	(+)690.75
पुनर्वि०	139.08			

मार्च 2023 में विनियोजन द्वारा प्रावधान में 139.08 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 1,537.39 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

₹ 1,429.83 लाख के कुल व्यय में से ₹ 690.75 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

09- अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना-

मूल	135.00			
पूरक	6.55	171.55	171.55	..
पुनर्वि०	30.00			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 30.00 लाख का आवर्धन राज्य के हिस्से के तहत केन्द्रीय हिस्से के अनुपात में अधिक व्यय के कारण हुआ।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	135.00			
		236.55	236.55	..
पुनर्वि०	101.55			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 101.55 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

18- कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना-

मूल	247.00	247.00	459.00	(+)212.00
-----	--------	--------	--------	-----------

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (समाप्त)

₹ 459.00 लाख के कुल व्यय में से ₹ 212.00 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

19-	मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना-				
	मूल	71.00			
			141.15	201.15	(+)60.00
	पुनर्वि०	70.15			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 70.15 लाख का आवर्धन छात्रवृत्ति मामलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

₹ 201.15 लाख के कुल व्यय में से ₹ 60.00 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

(vii) प्रभारित विनियोजन में आधिक्य मुख्यतः से निम्नवत् शीर्ष के अंतर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2202- सामान्य शिक्षा-			
01- प्रारम्भिक शिक्षा-			
101- सरकारी प्राथमिक विद्यालय-			
03- पूर्व-माध्यमिक विद्यालय-			
	..	20.00	(+)20.00

₹ 20.00 लाख का समस्त व्यय बिना बजट प्रावधान के किया गया; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

पूँजीगत प्रवर्ग

(viii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
4202- शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-			
01- सामान्य शिक्षा-			
201- प्राथमिक शिक्षा-			
01- भवन-			
मूल	850.00	850.00	788.38
			(-)61.62

₹ 61.62 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या-9- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2211-परिवार कल्याण, 2216-आवास, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण तथा 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	24,94,15,67			
		29,47,95,00	27,40,41,83	(-)2,07,53,17
पूरक	4,53,79,33			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				35,53,90
प्रभारित				
मूल	..			
		4,78	4,78	..
पूरक	4,78			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	90,42,00			
		3,28,68,39	4,85,86,42	(+)1,57,18,03
पूरक	2,38,26,39			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,57,18,03,145 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।
- राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 20,753.17 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में प्राप्त ₹ 45,379.33 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ तथा ₹ 3,553.90 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 15,718.03 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2023 में प्राप्त ₹ 23,826.39 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

राजस्व प्रवर्ग

(iv) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2059- लोक निर्माण कार्य-			
01- कार्यालय भवन-			
053- रखरखाव और मरम्मत-			
36- चिकित्सा महाविद्यालय के भवनों का रखरखाव-			
मूल	918.00	918.00	890.70
			(-)27.30
₹ 27.30 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।			
49- स्वास्थ्य विभाग भवनों का रखरखाव-			
मूल	1,300.00		
		1,100.00	1,100.00
पुनर्वि०	(-)200.00		..
मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 200.00 लाख की कमी रखरखाव कार्यों के कम क्रियान्वयन के कारण हुआ।			
54- केन्द्रीय विभाग भवन का रखरखाव-			
मूल	0.01		
		1.51	0.48
पूरक	1.50		(-)1.03
₹ 1.03 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।			
2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-			
01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं- पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-			
001- निदेशन तथा प्रशासन-			
01- निदेशालय-			
मूल	2,313.06		
पूरक	1.00	1,911.42	1,893.84
पुनर्वि०	(-)402.64		(-)17.58
मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 402.64 लाख की कमी रिक्त पदों के न भरने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।			
02- जिला स्थापना-			
मूल	1,453.46		
		1,485.64	1,402.92
पुनर्वि०	32.18		(-)82.72

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

₹ 82.72 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 32.18 लाख का आवर्धन वेतनमान में संशोधन और बकाया भुगतान के कारण हुआ जोकि प्रस्तावों की कम प्राप्ति तथा रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ तथा अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 82.72 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

110- अस्पताल तथा औषधालय-

03- शहरी स्वास्थ्य-

मूल	29,679.53			
पूरक	859.02	30,999.95	29,649.66	(-)1,350.29
पुनर्वि०	461.40			

₹ 1,350.29 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 461.40 लाख का आवर्धन वेतनमान में संशोधन और बकाया भुगतान के कारण हुआ जोकि रिक्त पदों को न भरने, मशीनरी, उपकरण, सामग्री और आपूर्ति की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 29,649.66 लाख के कुल व्यय से ₹ 14.70 लाख का व्यय वर्ष 2020-21 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

₹ 1,350.29 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

07- जैव चिकित्सा अपशिष्ट-

मूल	1,100.00	1,100.00	921.10	(-)178.90
-----	----------	----------	--------	-----------

₹ 921.10 लाख के कुल व्यय में से ₹ 20.17 लाख का व्यय वर्ष 2021-22 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

₹ 178.90 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-पाश्चात्य
चिकित्सा पद्धति-

110- अस्पताल तथा औषधालय-

01- ग्रामीण स्वास्थ्य-

मूल	52,042.26			
	53.21	47,144.53	45,936.56	(-)1,207.97
पुनर्वि०	(-)4,950.94			

₹ 1,207.97 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹4,950.94 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, मशीनरी, उपकरण की कम खरीद तथा दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण के कारण हुई जोकि बाह्य स्रोत सेवाओं की अधिक नियुक्तियों के कारण हुई आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 45,936.56 लाख के कुल व्यय में से ₹ 74.06 लाख का व्यय वर्ष 2021-22 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

₹ 1,207.97 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

04- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं- अन्य दवा प्रणालियाँ-

103- यूनानी-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

01-	यूनानी औषधालय-				
	मूल	57.14			
			33.06	33.05	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)24.08			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 24.08 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

05-	चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-				
101-	आयुर्वेद-				
05-	राष्ट्रीय आयुष मिशन-				
	मूल	56.00			
			41.67	38.28	(-)3.39
	पुनर्वि०	(-)14.33			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 14.33 लाख की कमी पूंजीगत शीर्ष के तहत निधियों की अधिक आवश्यकता के कारण हुई।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

	मूल	503.00			
	पूरक	0.25	395.00	344.48	(-)50.52
	पुनर्वि०	(-)108.25			

मार्च 2023 में ₹ 50.52 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 108.25 लाख की कमी पूंजीगत शीर्ष के तहत निधियों की अधिक आवश्यकता के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 3,080.58 लाख का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ।

₹ 50.52 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

105-	पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-				
09-	कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग एवं स्ट्रोक की				
	रोकथाम नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम-				
(i)	मूल	2.00			
		
	पुनर्वि०	(-)2.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	2.00			
		
	पुनर्वि०	(-)2.00			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया तथा राज्य का हिस्सा भी अप्रयुक्त रहा।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

11-	इंटर-म्यूरल अनुसन्धान निधि-				
	मूल	100.00			
		
	पुनर्वि०	(-)100.00			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख का समस्त प्रावधान प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण कम कर दिया गया।				
13-	डॉ० राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर-				
(i)	मूल	5,170.66			
	पूरक	2,195.70	7,366.35	6,913.10	(-)453.25
	पुनर्वि०	(-)0.01			
14-	पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चम्बा-				
(ii)	मूल	4,476.63			
	पूरक	624.86	5,085.81	5,029.26	(-)56.55
	पुनर्वि०	(-)15.68			
	क्रम संख्या (i) में ₹ 6,913.10 लाख के कुल व्यय में से ₹ 52.75 लाख का व्यय तथा क्रम संख्या (ii) में ₹ 5,029.26 लाख के कुल व्यय में से ₹ 4.85 लाख का व्यय क्रमशः वर्ष 2020-21 और 2021-22 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ। उपरोक्त दो मामलों में ₹ 509.80 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
16-	राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित सरकारी अस्पतालों में ट्रॉमा केयर सुविधाएं विकसित करने के लिए क्षमता विकास-				
(i)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
17-	डॉ० राजेन्द्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में क्षेत्रीय जराचिकित्सा केन्द्र-केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iii)	मूल	2.00			
		
	पुनर्वि०	(-)2.00			
	उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया और इसलिए राज्य का हिस्सा भी अप्रयुक्त रहा।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

20- अटल इंस्टीस्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी-

मूल	2,505.00			
पूरक	45.00	2,471.95	2,305.13	(-)166.82
पुनर्वि०	(-)78.05			

₹ 166.82 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 78.05 लाख की कमी प्रस्ताव प्राप्त न होने, कार्यालय सामग्री, पेट्रोल, तेल, स्नेहकों, वाहनों की मरम्मत पर कम व्यय तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 166.82 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

06- सार्वजनिक स्वास्थ्य-

101- रोगों का निवारण तथा नियंत्रण-

02- क्षय रोग अस्पताल-

मूल	1,078.35			
पूरक	41.50	999.34	978.23	(-)21.11
पुनर्वि०	(-)120.51			

₹ 21.11 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 120.51 लाख की कमी केमिकल, किट व अन्य वस्तुओं की मांग की कम प्राप्ति, टेलीफोन, पानी और बिजली बिलों, सामग्री तथा आपूर्ति पर कम व्यय होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 21.11 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

05- मानसिक चिकित्सा एवं पुनर्वास चिकित्सालय-

मूल	387.29			
पूरक	28.00	377.18	376.25	(-)0.93
पुनर्वि०	(-)38.11			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 38.11 लाख की कमी टेलीफोन, पानी और बिजली बिलों पर कम व्यय, संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण और रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

21- राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(i) मूल	1.00			
	
पुनर्वि०	(-)1.00			

23- अभिघात केन्द्रों पर व्यय-

(ii) मूल	1.00			
	
पुनर्वि०	(-)1.00			

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(iii) मूल	1.00			
	
पुनर्वि०	(-)1.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

102-	खाद्य अपमिश्रण का निवारण-				
02-	खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र का सुदृढीकरण-				
	पूरक	71.70	71.70	20.46	(-)51.24

₹ 51.24 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

200-	अन्य प्रणाली-				
04-	मुख्यमंत्री निरोग योजना-				
	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण कम कर दिया गया।

05-	मुख्यमंत्री आर्शीवाद योजना-				
	मूल	987.00			
	पुनर्वि०	(-)300.00	687.00	535.50	(-)151.50

₹ 151.50 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 300.00 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 535.50 लाख के कुल व्यय में से ₹ 84.60 लाख का व्यय वर्ष 2021-22 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

₹ 151.50 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

06-	निशुल्क दवाईयां-				
	मूल	1,087.00			
	पुनर्वि०	(-)750.00	3,37.00	2,93.11	(-)43.89

₹ 43.89 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 750.00 लाख की भारी कमी लाभार्थियों प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 293.11 लाख के कुल व्यय में से ₹ 10.35 लाख का व्यय वर्ष 2021-22 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

₹ 43.89 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

10-	संपूर्ण स्वास्थ्य योजना-				
	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया गया।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

12-	सम्मान योजना-				
	मूल	66.00			
			3.00	1.20	(-)1.80
	पुनर्वि०	(-)63.00			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 63.00 लाख की सारभूत कमी लाभार्थियों से प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
2211-	परिवार कल्याण-				
001-	निदेशन तथा प्रशासन-				
01-	राज्य मुख्यालय-				
	मूल	9.52			
			7.00	7.00	..
	पुनर्वि०	(-)2.52			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2.52 लाख की कमी टेलीफोन, पानी तथा बिजली के बिलों पर कम व्यय के कारण हुई।				
06-	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत बुनियादी ढांचे का रखरखाव- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	2,068.00			
	पूरक	800.00	2,368.00	1,892.19	(-)475.81
	पुनर्वि०	(-)500.00			
	₹ 475.81 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 500.00 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 2,001.66 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।				
	₹ 475.81 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
101-	ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं-				
01-	ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार कल्याण केन्द्र-				
(i)	मूल	9,473.57			
			9,597.57	9,029.94	(-)567.63
	पूरक	124.00			
102-	शहरी परिवार कल्याण सेवाएं-				
01-	शहरी क्षेत्रों में परिवार कल्याण केन्द्र-				
(ii)	मूल	1,009.17	1,009.17	903.33	(-)105.84
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 673.47 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
200-	अन्य सेवाएं तथा पूर्तियाँ-				
02-	इन्दिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना-				
	मूल	79.00			
			35.00	31.20	(-)3.80
	पुनर्वि०	(-)44.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 44.00 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति और विविध मदों पर कम व्यय के कारण हुई।

03- पंचायतों को उत्कृष्ट महिला जन्म दर अनुपात हेतु अतिरिक्त विकास अनुदान-

(i) मूल 50.00 50.00 40.00 (-)10.00

05- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रावधान-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल 28,946.00 28,946.00 16,351.00 (-)12,595.00

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 12,605.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)। जबिक क्रम संख्या (ii) में ₹ 1,904.00 लाख का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ।

06- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना-

(i) मूल 1.00

पुनर्वि० (-)1.00

08- राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा-

(ii) मूल 1.00

पुनर्वि० (-)1.00

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(iii) मूल 1.00

पुनर्वि० (-)1.00

10- हेल्थ केयर वर्कर्स तथा फ्रंट लाईन वर्कर्स का कोविड-19 टीकाकरण-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(iv) मूल 1.00

पुनर्वि० (-)1.00

उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया तथा इसलिए राज्य का हिस्सा भी अप्रयुक्त रहा।

11- राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन-

मूल 11.00

पुनर्वि० (-)11.00

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 11.00 लाख का समस्त प्रावधान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में योजना के विलय के कारण कम कर दिया गया।

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

200-	अन्य कार्यक्रम-				
10-	स्वतन्त्रता सैनानियों को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति-				
	मूल	15.79			
			5.56	4.08	(-)1.48
	पुनर्वि०	(-)10.23			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 10.23 लाख की कमी चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

(v) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ लाखों में)			

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-

01-	शहरी स्वास्थ्य सेवाएं- पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-				
200-	अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ-				
01-	दंत चिकित्सालय (शहरी)-				
	मूल	5,641.07			
	पूरक	660.10	6,302.67	6,337.53	(+)34.86
	पुनर्वि०	1.50			

₹ 6,337.53 लाख के कुल व्यय में से ₹ 11.40 लाख का व्यय वर्ष 2020-21 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

₹ 34.86 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई, 2023)।

02-	शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-चिकित्सा की अन्य प्रणालियाँ-				
001-	दिशा एवं प्रशासन-				
02-	जिला स्थापना-				
	मूल	8,431.18			
			8,812.04	8,810.81	(-)1.23
	पुनर्वि०	380.86			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 380.86 लाख का आवर्धन वेतनमान में संशोधन और बकाया के भुगतान तथा किराये के बिलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

101-	आयुर्वेद-				
01-	आयुर्वेद अस्पताल-				
	मूल	1,133.38			
			1,234.59	1,234.50	(-)0.09
	पुनर्वि०	101.21			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 101.21 लाख का आवर्धन वेतनमान में संशोधन और बकाया भुगतान तथा सामग्री की अधिक खरीद के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

04-	ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ- चिकित्सा की अन्य प्रणालियाँ-				
101-	आयुर्वेद-				
01-	आयुर्वेदिक अस्पताल-				
	मूल	310.24			
	पूरक	14.84	359.73	359.69	(-)0.04
	पुनर्वि०	34.65			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 34.65 लाख का आवर्धन वेतनमान में संशोधन और बकाया भुगतान के कारण हुआ।				
05-	चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान-				
101-	आयुर्वेद-				
01-	आयुर्वेदिक कॉलेज-				
	मूल	1,665.24			
	पूरक	4.00	1,843.66	1,843.21	(-)0.45
	पुनर्वि०	174.42			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 174.42 लाख का आवर्धन छात्रों को बढ़ी हुई दर पर बजीफा के भुगतान तथा अधिक बाह्य स्रोत सेवाओं को किराये पर लेने के कारण हुआ जोकि रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।				
105-	पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-				
01-	इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, शिमला-				
	मूल	22,238.85			
	पूरक	748.74	23,381.91	23,365.89	(-)16.02
	पुनर्वि०	394.32			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 394.32 लाख का आवर्धन वेतनमान में संशोधन और बकाया भुगतान, करों के भुगतान पर अधिक व्यय तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।				
	₹ 23,365.89 लाख के कुल व्यय में से ₹ 24.50 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।				
04-	दंत चिकित्सा कॉलेज-				
	मूल	2,322.02			
	पूरक	22.46	2,344.47	2,432.64	(+)88.17
	पुनर्वि०	(-)0.01			
	₹ 88.17 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
06-	डॉ० राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा-				
	मूल	14,485.12			
	पूरक	792.96	16,455.93	16,459.01	(+)3.08
	पुनर्वि०	1,177.85			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,177.85 लाख का आवर्धन मुख्यतः वेतनमान में संशोधन तथा बकाया भुगतान के कारण हुआ।				
	₹ 16,459.01 लाख के कुल व्यय में से ₹ 4.53 लाख का व्यय वर्ष 2021-22 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

07- सरकारी मेडिकल कॉलेज का उन्नयन-

पुनर्वि०	3.90	3.90	3.90	..
----------	------	------	------	----

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा बिना प्रावधान के ₹ 3.90 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों के अनुपात में राज्यांश जारी करने के कारण हुआ। निधियों को मूल/अनुपूरक बजट अनुमानों द्वारा प्राप्त करना आवश्यक था। बिना प्रावधान के पुनर्विनियोजन अनुचित था तथा हिमाचल प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा 12.5 का उल्लंघन था।

12- डॉ यंशवंत सिंह परमार सरकारी मेडिकल कॉलेज नाहन-

मूल	5,520.21			
		5,788.99	5,718.29	(-)70.70
पुनर्वि०	268.78			

₹ 70.70 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 268.78 लाख का आवर्धन वजीफा के भुगतान पर अधिक व्यय, वेतनमान का संशोधन और बकाया भुगतान तथा किराए के भुगतान पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि कार्यालय सामग्री की आपूर्ति, पानी, बिजली बिलों पर कम व्यय तथा संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹ 70.70 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

15- लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा
महाविद्यालय एवं अस्पताल नैर चौक-

मूल	7,471.99			
पूरक	2,090.16	9,650.62	9,690.68	(+)40.06
पुनर्वि०	88.47			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 88.47 लाख का आवर्धन वजीफा, बिजली बिलों के भुगतान पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि सामग्री की खरीद पर कम खर्च के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

₹ 9,690.68 लाख के कुल व्यय में से ₹ 41.12 लाख का व्यय वर्ष 2021-22 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

06- लोक स्वास्थ्य-

101- रोगों की रोकथाम और नियंत्रण-

21- राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम-

मूल	698.00	698.00	1,121.10	(+)423.10
-----	--------	--------	----------	------------

₹ 1,121.10 लाख के कुल व्यय में से ₹ 498.00 लाख का व्यय वर्ष 2020-21 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

2211- परिवार कल्याण-

200- अन्य सेवाएं तथा आपूर्तियां-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

05-	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रावधान-				
	मूल	5,448.00			
	पूरक	1,334.67	7,118.46	7,118.46	..
	पुनर्वि०	335.79			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 335.79 लाख का आवर्धन भारत सरकार से प्राप्त निधियों के अनुपात में राज्य का हिस्सा जारी करने के कारण हुआ।

2216- आवास-

05-	साधारण पूल आवास-				
053-	रखरखाव एवं मरम्मत-				
01-	अन्य रखरखाव व्यय-				
	मूल	10.68			
			210.68	210.68	..
	पुनर्वि०	200.00			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 200.00 लाख का आवर्धन मरम्मत/रखरखाव कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ।

पूंजीगत प्रवर्ग

(vi) दत्तमत अनुदान में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत शीर्ष के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	-----------------------

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-

03-	चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-			
105-	पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-			
01-	चिकित्सा महाविद्यालय-			
	मूल	1,186.00		
	पूरक	1,084.50	2,314.50	2,310.25
	पुनर्वि०	44.00		(-)4.25

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 44.00 लाख का आवर्धन सीटी स्कैन मशीन की खरीद पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

06- हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण-

(i)	मूल	263.00			
			7,763.00	18,924.90	(+)11,161.90
	पूरक	7,500.00			

07- चंबा में मेडिकल कॉलेज का निर्माण-

(ii)	मूल	659.00			
	पूरक	6,000.00	6,658.00	11,477.08	(+)4,819.08
	पुनर्वि०	(-)1.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

क्रम संख्या (ii) में ₹ 11,477.08 लाख के कुल व्यय में से ₹ 13.90 लाख का व्यय वर्ष 2020-21 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 15,980.98 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

13- सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन-

.. .. 41.82 (+)41.82

₹ 41.82 लाख का व्यय बिना बजट प्रावधान के किया गया; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

(vii) उपरोक्त आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ लाखों में)			

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-

01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-

110- अस्पताल और औषधालय-

01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-

मूल 1,174.93

2,950.50

2,894.50

(-)56.00

पूरक 1,775.57

₹ 56.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

03- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-

105- पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-

01- चिकित्सा महाविद्यालय-

मूल 1.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

02- दन्त चिकित्सा महाविद्यालय-

मूल 37.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)37.00

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 37.00 लाख की कमी मशीनरी और उपकरणों की खरीद पर व्यय न होने के कारण हुई।

03- डॉ० राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(i) मूल 1.00

..

..

..

पूरक (-)1.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9 (समाप्त)

05-	नाहन में नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00			
07-	चंबा में मेडिकल कॉलेज का निर्माण- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iii)	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00			
उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।					
11-	अटल इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटीज-				
	मूल	658.00			
			1,307.44	1,051.36	(-)256.08
	पूरक	649.44			
₹ 256.08 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।					

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या-10- लोक निर्माण कार्य- सड़कें, पुल तथा भवन

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2216-आवास, 3054-सड़क तथा पुल, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय तथा 5054-सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	34,32,63,74			
		34,32,63,77	28,79,86,57	(-)5,52,77,20
पूरक	3			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				83,67,41
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	12,94,54,00			
		16,13,71,41	15,50,56,69	(-)63,14,72
पूरक	3,19,17,41			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 55,277.20 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 8,367.41 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 6,314.72 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में प्राप्त ₹ 31,917.41 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ तथा वर्ष के दौरान विभाग द्वारा कोई राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

राजस्व प्रवर्ग

- दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	-----------------------------------	-----------------------

2059- लोक निर्माण कार्य-

80- सामान्य-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 10 (क्रमशः)

01-	निदेशन-				
	मूल	1,827.52			
			1,675.15	1,565.22	(-)109.93
	पुनर्वि०	(-)152.37			
	₹ 109.93 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 152.37 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अत्यधिक सिद्ध हुई।				
	₹ 109.93 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
051-	निर्माण-				
01-	सरकारी गैर आवासीय भवन-				
(i)	मूल	157.50	157.50	118.23	(-)39.27
052-	उपकरण तथा औजार-				
02-	मरम्मत तथा कैरिज-				
(ii)	मूल	48.77	48.77	9.36	(-)39.41
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 78.68 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
053-	रखरखाव तथा मरम्मत-				
03-	निष्पादन-				
	मूल	14,173.75			
			14,291.62	13,794.51	(-)497.11
	पुनर्वि०	117.87			
	₹ 497.11 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 117.87 लाख का आवर्धन मजदूरी की दरों में संशोधन, किराया दावों तथा स्थानांतरण व्यय बिलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि यात्रा व्यय कम होने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।				
	₹ 497.11 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
04-	गैर आवासीय भवनों के रखरखाव पर व्यय-				
	मूल	3,577.75			
			3,631.49	3,106.29	(-)525.20
	पुनर्वि०	53.74			
	₹ 525.20 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 53.74 लाख का आवर्धन मजदूरी की दरों में संशोधन के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।				
	₹ 3,106.29 लाख के कुल व्यय में से ₹ 75.45 लाख का व्यय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के कारण हुआ।				
	₹ 525.20 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
05-	कार्यभारित कर्मचारियों को नियमित स्थापना में बदलना-				
	मूल	11,025.77			
			10,073.13	9,330.14	(-)742.99
	पुनर्वि०	(-)952.64			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 10 (क्रमशः)

₹ 742.99 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 952.64 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 742.99 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

06-	वसूलियों के समायोजन के लिए रखरखाव का प्रावधान-				
	मूल	11,025.77			
			10,084.13	7,911.15	(-)2,172.98
	पुनर्वि०	(-)941.64			

₹ 2,172.98 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 941.64 लाख की कमी वसूली के समायोजन के लिए रखरखाव पर कम व्यय होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 2,172.98 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

104-	पट्टा शुल्क-				
01-	पट्टा शुल्क-				
(i)	मूल	15.97	15.97	11.97	(-)4.00
799-	उचंत-				
01-	स्टॉक-				
(ii)	मूल	11,880.00	11,880.00	5,098.81	(-)6,781.19
02-	स्टॉक निर्माण-				
(iii)	मूल	5,280.00	5,280.00	5,031.23	(-)248.77

क्रम संख्या (ii) में ₹ 5,098.81 लाख के कुल व्यय में से ₹ 122.09 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 7,033.96 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

2216- आवास-

05-	सामान्य पूल निवास-				
053-	रखरखाव तथा मरम्मत-				
01-	अन्य रखरखाव व्यय-				
(i)	मूल	1,191.60	1,191.60	917.13	(-)274.47

3054- सड़कें तथा पुल-

01-	राष्ट्रीय राजमार्ग-				
337-	सड़क निर्माण कार्य-				
01-	राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव-				
(ii)	मूल	679.72	679.72	649.85	(-)29.87

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 304.34 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

04-	जिला और अन्य सड़कें-				
105-	रखरखाव तथा मरम्मत-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 10 (क्रमशः)

02- अन्य रखरखाव व्यय सड़क निर्माण कार्य-

मूल	32,643.40			
पूरक	0.01	32,982.23	29,817.91	(-)3,164.32
पुनर्वि०	338.82			

₹ 3,164.32 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 338.82 लाख का आवर्धन मजदूरी की दरों में संशोधन तथा मुआवजे के अधिक मामलों की प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 29,817.91 लाख के कुल व्यय में से ₹ 40.00 लाख का व्यय वर्ष 2019-201 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

₹ 3,164.32 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

06- वसूलियों के समायोजन हेतु रखरखाव का प्रावधान-

मूल	69,673.84			
		67,220.60	48,787.36	(-)18,433.24
पुनर्वि०	(-)2,453.24			

₹ 18,433.24 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,453.24 लाख की कमी वसूली के समायोजन के लिए रखरखाव पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 18,433.24 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

07- कार्यभारित कर्मचारियों को नियमित स्थापना में बदलना-

मूल	69,673.84			
		67,206.60	61,957.19	(-)5,249.41
पुनर्वि०	(-)2,467.24			

₹ 5,249.41 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,467.24 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 5,249.41 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

13- उपकरण तथा औजार एवं अन्य रखरखाव पर व्यय-

मूल	595.74			
		627.34	461.23	(-)166.11
पुनर्वि०	31.60			

₹ 166.11 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 31.60 लाख का आवर्धन मजदूरी की दरों में संशोधन के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 166.11 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

14- पुल तथा अन्य रखरखाव पर व्यय-

(i) मूल	1,645.33	1,645.33	1,094.63	(-)550.70
---------	----------	----------	----------	-----------

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 10 (क्रमशः)

16-	उपकरण तथा औजार के रखरखाव पर व्यय-				
(ii)	मूल	310.03	310.03	232.68	(-)77.35
18-	पुलों के रखरखाव पर व्यय-				
(iii)	मूल	975.89	975.89	525.53	(-)450.36
	उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 1,078.41 लाख की सारभूत अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
20-	वसूलियों के समायोजन हेतु रखरखाव का प्रावधान-				
	मूल	29,999.32			
			28,475.53	18,992.90	(-)9,482.63
	पुनर्वि०	(-)1,523.79			
	₹ 9,482.63 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,523.79 लाख की कमी वसूली के समायोजन के लिए रखरखाव पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 9,482.63 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
21-	कार्यभारित कर्मचारियों को नियमित स्थापना में बदलना- मशीनरी एवं उपकरण-				
(i)	मूल	8,975.96			
			8,322.92	7,790.21	(-)532.71
	पुनर्वि०	(-)653.04			
22-	कार्यभारित कर्मचारियों को नियमित स्थापना में बदलना कामगार सेतु-				
(ii)	मूल	8,710.66			
			7,963.14	7,505.39	(-)457.75
	पुनर्वि०	(-)747.52			
23-	कार्यभारित कर्मचारियों को नियमित स्थापना में बदलना कामगार सड़क निर्माण कार्य-				
(iii)	मूल	12,312.70			
			12,101.57	11,274.12	(-)827.45
	पुनर्वि०	(-)211.13			
	उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 1,817.91 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,611.69 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 1,817.91 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
27-	माननीय मुख्यमंत्री के अधीन स्वतन्त्र गुणवत्ता नियंत्रण जाँच उड़ान दस्ता-				
(i)	मूल	281.01			
			278.00	5.60	(-)272.40
	पुनर्वि०	(-)3.01			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 10 (क्रमशः)

28-	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का रख-रखाव-				
(ii)	मूल	5,000.00	5,000.00	3,750.00	(-)1,250.00
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 1,522.40 की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
29-	स्वर्ण जयंती ग्राम सड़क रखरखाव-				
	मूल	1,000.00			
	पुनर्वि०	(-)1,000.00			
	₹ 1,000.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न होने के कारण कम कर दिया गया।				
337-	सड़क निर्माण कार्य-				
05-	ग्रामीण सड़कें-				
(i)	मूल	210.00	210.00	157.50	(-)52.50
06-	आउटपुट प्रदर्शन आधारित रखरखाव अनुबंध-				
(ii)	मूल	2,718.87	2,718.87	1,647.10	(-)1,071.77
80-	सामान्य-				
001-	निदेशन तथा प्रशासन-				
01-	निदेशन तथा पर्यवेक्षण-				
(iii)	मूल	5,619.73	5,617.07	5,307.22	(-)309.85
	पुनर्वि०	(-)2.66			
004-	अनुसंधान एवं विकास-				
01-	बह्यः स्रोतों द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी-				
(iv)	मूल	55.00	55.00	14.93	(-)40.07
	उपरोक्त चार मामलों में ₹ 1,474.19 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
(iv)	उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुईः-				
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)	
			(₹ लाखों में)		
2059-	लोक निर्माण कार्य-				
80-	सामान्य-				
051-	निर्माण-				
03-	शिमला/धर्मशाला में विधानसभा भवन-				
	मूल	10.50	60.50	56.30	(-)4.20
	पुनर्वि०	50.00			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 50.00 लाख का आवर्धन हिमाचल प्रदेश विधानसभा भवनों की मरम्मत तथा रखरखाव पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 10 (क्रमशः)

799-	उच्चत-				
03-	विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-				
	मूल	6,050.00	6,050.00	12,422.87	(+)6,372.87

₹ 12,422.87 लाख के कुल व्यय में से ₹ 749.62 लाख का व्यय वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 की आपत्ति पुस्तिका के उच्चत के समयोजन के कारण हुआ।

₹ 6,372.87 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

3054- सड़कें तथा पुल-

04-	जिला और अन्य सड़कें-				
105-	मरम्मत तथा रखरखाव-				
09-	भारतीय के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्त प्रशासनिक और आकस्मिक शुल्क निधि-				
	मूल	0.03			
			151.74	111.40	(-)40.34
	पुनर्वि०	151.71			

₹ 40.34 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 151.71 लाख का आवर्धन बाह्य स्रोत सेवाओं, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के तहत कर्मचारियों के वेतन का भुगतान तथा एकल उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर की खरीद के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 40.34 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

15-	अन्य रखरखाव व्यय-सड़क निर्माण कार्य-				
	मूल	4,489.22			
	पूरक	0.01	5,639.22	6,141.17	(+)501.95
	पुनर्वि०	1,149.99			

₹ 501.95 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,149.99 लाख का आवर्धन बहुकार्य कार्यकर्ता को मानदेय के भुगतान तथा नगरपालिका समिति डलहौजी की सड़कों का रखरखाव के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 501.95 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

17-	सड़कों के रख-रखाव पर व्यय-				
	मूल	2,537.34			
			2,748.17	3,100.74	(+)352.57
	पुनर्वि०	210.83			

₹ 352.57 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 210.83 लाख का आवर्धन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अस्फाल्ट के भुगतान पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 352.57 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 10 (क्रमशः)

19- निष्पादन-

मूल	17,592.66			
पूरक	0.01	18,175.85	17,950.62	(-)225.23
पुनर्वि०	583.18			

₹ 225.23 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 583.18 लाख का आवर्धन बाह्य स्रोत कर्मचारियों के वेतन की दर में संशोधन, वेतनमान में संशोधन तथा बकाया के भुगतान के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 225.23 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

पूँजीगत प्रवर्ग

(v) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	-----------------------

4216- आवास पर पूँजीगत परिव्यय-

01- सरकारी आवासीय भवन-

106- सामान्य पूल आवास-

01- विभिन्न जिलों में आवासीय भवनों का निर्माण-

मूल	848.00	848.00	592.72	(-)255.28
-----	--------	--------	--------	-----------

₹ 255.28 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-

04- जिला तथा अन्य सड़कें-

101- सेतु-

01- पुलों का निर्माण-

(i) मूल 4,086.00

		6,285.70	4,833.47	(-)1,452.23
--	--	----------	----------	-------------

पूरक 2,199.70

₹ 4,833.47 लाख के कुल व्यय में से ₹ 10.23 लाख का व्यय वर्ष 2020-21 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समयोजन के कारण हुआ।

₹ 1,452.23 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

337- सड़क निर्माण कार्य-

02- ग्रामीण सड़कों का निर्माण-

मूल 21,306.00

		28,912.12	25,642.59	(-)3,269.53
--	--	-----------	-----------	-------------

पूरक 7,606.12

₹ 25,642.59 लाख के कुल व्यय में से ₹ 557.26 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समयोजन के कारण हुआ।

₹ 3,269.53 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 10 (क्रमशः)

06-	प्रतिपूरक पौधारोपण (वन भूमि की लागत और निवल वर्तमान मूल्य का भुगतान- मूल	1,316.00			
			1,816.00	1,697.46	(-)118.54
	पूरक	500.00			
	₹ 1,697.46 लाख के कुल व्यय में से ₹ 55.87 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समयोजन के कारण हुआ।				
	₹ 118.54 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
08-	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कार्य में वृद्धि- मूल	658.00	658.00	493.50	(-)164.50
	₹ 164.50 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
10-	ब्लैक स्पॉट्स का सुधार- मूल	2,942.00			
			2,192.79	2,235.50	(+)42.71
	पुनर्वि०	(-)749.21			
	₹ 42.71 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 749.21 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अत्यधिक सिद्ध हुई।				
	₹ 42.71 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
11-	मुख्यमंत्री सड़क योजना- (i) मूल	2,632.00	2,632.00	2,279.21	(-)352.79
15-	विवाचन मामलों के लिए भुगतान (सड़कें एवं पुल)- (ii) मूल	150.00			
			4,791.17	4,743.39	(-)47.78
	पूरक	4,641.17			
17-	प्रमुख जिला एवं अन्य के अंतर्गत उपकरण एवं औजार की खरीद- (iii) मूल	124.00	124.00	92.98	(-)31.02
18-	प्रमुख जिला एवं अन्य सड़कों का निर्माण- (iv) मूल	200.00	200.00	100.04	(-)99.96
20-	केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत सड़कों का निर्माण- (v) मूल	7,239.00			
			16,799.15	16,419.22	(-)379.93
	पूरक	9,560.15			
	क्रम संख्या में (i) में ₹ 2,279.21 लाख के कुल व्यय में से ₹ 55.53 लाख का व्यय वर्ष 2020-21 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।				
	उपरोक्त पाँच मामलों में ₹ 911.48 लाख की सारभूत अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 10 (क्रमशः)

26-	सड़कों और पुलों का डिजाइन/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के लिए परामर्श-				
	मूल	263.00			
			..	197.25	(+)197.25

पुनर्वि० (-)263.00

₹ 197.25 लाख के बिना प्रावधान व्यय की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 263.00 लाख के समस्त प्रावधान को कार्यों के निष्पादन न होने के कारण कम कर दिया गया जोकि अनुचित सिद्ध हुआ।

₹ 197.25 लाख का व्यय बिना प्रावधान के किया गया; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

80- सामान्य-

800- अन्य व्यय-

03- सड़क किनारे सुविधा /वृक्षारोपण-

मूल	526.00	526.00	354.03	(-)171.97
-----	--------	--------	--------	-----------

₹ 171.97 की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

(vi) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-
शीर्ष कुल अनुदान वास्तविक व्यय आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ लाखों में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-

01- कार्यालय भवन-

051- निर्माण-

07- लोक निर्माण-

मूल	1,334.00			
पूरक	128.45	2,420.42	2,050.34	(-)370.08
पुनर्वि०	957.97			

₹ 370.08 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 957.97 लाख का आवर्धन आर्मडेल चरण-III हिमाचल प्रदेश सचिवालय के चल रहे कार्यों पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 370.08 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

80- सामान्य-

051- निर्माण-

03- विश्राम/सर्किट भवनों का निर्माण-

मूल	654.00			
पूरक	2,057.82	2,778.95	2,803.85	(+)24.90
पुनर्वि०	67.13			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 67.13 लाख का आवर्धन विश्राम गृह/सर्किट हाउस के निर्माण के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 10 (क्रमशः)

₹ 2,803.85 लाख के कुल व्यय में से ₹ 20.00 लाख का व्यय वर्ष 2021-22 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-

04- जिला तथा अन्य सड़कें-

337- सड़क निर्माण कार्य-

19- राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास
बैंक के अंतर्गत सड़क निर्माण-

मूल 37,380.00

37,367.11

37,519.26

(+)152.15

पुनर्वि0 (-)12.89

₹ 37,519 लाख के कुल व्यय में से ₹ 136.06 लाख का व्यय वर्ष 2021-22 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

₹ 152.15 लाख की अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 10 (क्रमशः)

(vii) उच्चंत लेन देन-

इस अनुदान के अंतर्गत लघु-शीर्ष 'उच्चंत' के अंतर्गत लेखांकित किए गए व्यय में ₹ 22,553.01 लाख (₹ 22,553.01 लाख राजस्व प्रवर्ग में तथा पूंजीगत प्रवर्ग में ₹ 0.00 लाख) सम्मिलित है।

यह शीर्ष अंतिम लेखा शीर्ष नहीं है बल्कि यह उन कुछ अंतरिम लेन देनों के समायोजन के लिए है जिनके संबंध में लेनदेन को पूर्ण तथा अंतिम रूप से लेखांकित मानने के पूर्व आगामी अदायगी या मूल्य का समायोजन आवश्यक है। तदानुसार इस शीर्ष के अंतर्गत लेन-देनों को, यदि उन्हें अंतिम लेखा शीर्ष के अंतर्गत समायोजित नहीं किया जाता है तो, उसे वर्षानुवर्ष आगे ले जाया जाता है।

उच्चंत शीर्ष के तीन उप-खंड है:-

- (1) स्कन्ध
- (2) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम तथा
- (3) कार्यशाला उच्चंत।

इन प्रत्येक उपखंडों के अंतर्गत लेनदेनों के स्वरूप तथा उनके लेखांकन का वर्णन निम्न प्रकार से है:-

(i) स्कन्ध:-

इस शीर्ष को ऐसी सामग्री के मूल्य को डेबिट किया जाता है जिसे किसी विशेष कार्य हेतु नहीं बल्कि मंडलों के सामान्य उपयोग के लिए प्राप्त किया गया हो। इसमें निर्माण कार्यों की जारी की गई सामग्री अथवा अन्य मंडलों को अंतरित अथवा अन्यथा निपटाई गई सामग्री के मूल्य से क्रेडिट किया जाता है। अतः यह उप शीर्ष स्टॉक में पड़ी सामग्री तथा विनिर्माण से संबंधित असमायोजित प्रभारों, यदि कोई हो, के मूल्य के संदर्भ में डेबिट बकाया दर्शाएगा।

(ii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम:-

यह उप-शीर्ष, क्रेडिट पर बेचे गए स्टॉक, निक्षेप-निर्माण कार्यों पर प्राप्त निक्षेपों से अधिक किए गए व्यय, भंडार, जो अभी प्राप्त नहीं हुए हैं, हेतु की गई अदायगी, अपलेखित न किए गए रोकड या भंडारों की क्षति तथा सरकारी कर्मचारियों आदि से वसूल की जाने वाली राशि से संबंधित मूल्य के संदर्भ डेबिटों के समायोजन के लिए है। इस प्रकार डेबिट-शेष, वसूली योग्य राशि को दर्शाता है।

(iii) कार्यशाला उच्चंत:-

इस उप-शीर्ष को, विभागीय कार्यशालाओं में कार्यों या अन्य संचालनों पर किए गए सभी प्रभारों को डेबिट किया जाता है। कार्य की पूर्णता पर, उस कार्य से संबद्ध प्रभारों को जो इस उप-शीर्ष को डेबिट किए गए हों, को वसूली अथवा संबंधित अंतिम शीर्ष को अंतरण द्वारा समाशोधित किया जाता है। इस प्रकार इस शीर्ष के अंतर्गत डेबिट-शेष अपूर्ण कार्यों/संचालनों या कार्यों पर किए गए व्यय आदि से संबद्ध प्रभारों, जो वसूल या समायोजित नहीं किए गए हैं, को दर्शाता है।

विभिन्न उप-शीर्षों के अधीन अथ तथा अन्त शेषों सहित, वर्ष 2022-23 के दौरान इस अनुदान के अन्तर्गत लेखाबद्ध किए गए 'उच्चंत' लेनदेनों का विश्लेषण, निम्नवत् दिया जाता है:-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 10 (समाप्त)

शीर्ष	01 अप्रैल 2022 को प्रारम्भिक शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)	डैबिट (₹ लाखों में)	क्रेडिट	31 मार्च 2023 को अन्त शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)
राजस्व प्रवर्ग				
2059- लोक निर्माण कार्य				
80- सामान्य-				
799- उच्चत-				
01- स्कन्ध-	(-)22,342.37	5,098.81	5,616.23	(-)22,859.79*
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(+)5,313.45	5,031.23	2,223.72	(+)8,120.96
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(+)58,711.55	12,422.97	10,304.23	(+)60,830.29
04- कार्यशाला उच्चत-	(+)0.07	0.00	0.00	(+)0.07
कुल 2059	(+)41,682.70	22,553.01	18,144.18	(+)46,091.53
कुल राजस्व प्रवर्ग	(+)41,682.70	22,553.01	18,144.18	(+)46,091.53
पूंजीगत प्रवर्ग				
5054- सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय-				
03- राजकीय उच्च मार्ग-				
799- उच्चत-				
01- स्कन्ध-	(-)15.03	0.00	0.00	(-)15.03*
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(-)16.87	0.00	0.00	(-)16.87*
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(-)22.98	0.00	0.00	(-)22.98*
04- कार्यशाला उच्चत-	(-)199.52	0.00	0.00	(-)199.52*
कुल 5054	(-)254.40	0.00	0.00	(-)254.40*
कुल पूंजीगत प्रवर्ग-	(-)254.40	0.00	0.00	(-)254.40*
कुल माँग का जोड़-	(+)41,428.37	22,553.01	18,144.18	(+)45,837.13

* ऋणात्मक शेषों के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-11- कृषि

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2216-आवास, 2401-फसल कृषि-कर्म, 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 2403-पशु पालन, 2407-बागान, 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 2435-अन्य कृषि कार्यक्रम, 2810-नई तथा नवीकरण ऊर्जा, 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4402-मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	4,10,09,45			
		4,54,23,59	3,97,79,67	(-)56,43,92
पूरक	44,14,14			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				55,87,89
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	65,17,95			
		65,17,95	65,00,34	(-)17,61
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				1,17,19

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 5,643.92 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में प्राप्त ₹ 4,414.14 लाख का अनूपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा तथा ₹ 5,587.89 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 17.61 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 117.19 लाख का अभ्यर्पण अनुचित सिद्ध हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-11- (क्रमशः)

राजस्व प्रवर्ग

(iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2401- फसल- कृषि-कर्म-			
001- निदेशन तथा प्रशासन-			
01- निदेशालय-			
मूल	1,287.87		
		1,245.73	
			1,245.21
			(-)0.52
पुनर्वि०	(-)42.14		
मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 42.14 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।			
102- खाद्यान्न फसलें -			
01- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना -			
(i) मूल	182.00		
	
			..
पुनर्वि०	(-)182.00		
केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
(ii) मूल	1,641.00		
	
			..
पुनर्वि०	(-)1,641.00		
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1,823.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया और इसलिए राज्य का हिस्सा भी अप्रयुक्त रहा। जबकि उपरोक्त क्रमांक संख्या (ii) पर भारत सरकार से ₹ 1,248.34 लाख को अनुदान प्राप्त हुआ था।			
02- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-			
(i) मूल	59.00		
		23.67	
			23.66
			(-)0.01
पुनर्वि०	(-)35.33		
केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
(ii) मूल	533.00		
		212.97	
			212.97
			..
पुनर्वि०	(-)320.03		
103- बीज -			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-11- (क्रमशः)

11-	सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन-				
(iii)	मूल	58.00			
			15.36	15.36	..
	पुनर्वि०	(-)42.64			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iv)	मूल	826.00			
			138.20	138.20	..
	पुनर्वि०	(-)687.80			
	उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,085.80 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई और इसलिए राज्य का हिस्सा भी अप्रयुक्त रहा।				
105-	खाद तथा उर्वरक-				
04-	भू-विज्ञान एवं उर्वरक-				
(i)	मूल	440.74			
			335.29	333.44	(-)1.85
	पुनर्वि०	(-)105.45			
07-	गुणनियन्त्रक प्राप्ति का विकास (उर्वरक नियंत्रण प्रयोगशाला)-				
(ii)	मूल	72.94			
			42.29	42.63	(+)0.34
	पुनर्वि०	(-)30.65			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान ₹ 136.10 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
108-	वाणिज्यिक फसलें -				
15-	परम्परागत कृषि विकास योजना				
(i)	मूल	65.00			
	पुनर्वि०	(-)65.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	942.00			
	पुनर्वि०	(-)942.00			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1,007.00 लाख का समस्त प्रावधान विविध बिलों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				
109-	विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-				
25-	सामान्य कृषि विस्तार/प्रशिक्षण-				
	मूल	2,775.12			
			2,572.19	2,571.87	(-)0.32
	पुनर्वि०	(-)202.93			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-11- (क्रमशः)

मार्च 2023 में पुनर्वियोजना/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 202.93 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

27-	नेशनल मिशन आन एक्सटेंशन एंड टेक्नालॉजी				
(i)	मूल	164.00			
			119.02	119.01	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)44.98			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	1,474.00			
			1,071.04	1,081.09	(+)10.05
	पुनर्वि०	(-)402.96			
31-	कृषि मेकेनाइजेशन पर उप मिशन				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iii)	मूल	1,835.00			
			1,228.80	1,228.80	..
	पुनर्वि०	(-)606.20			
	उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2023 में पुनर्वियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,054.14 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई और इसलिए राज्य का हिस्सा भी अप्रयुक्त रहा।				
32-	राष्ट्रीय बम्बू मिशन-				
(i)	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया और इसलिए राज्य का हिस्सा भी अप्रयुक्त रहा।				
34-	मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता पर उप मिशन-				
(i)	मूल	20.00			
			2.17	2.17	..
	पुनर्वि०	(-)17.83			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	219.00			
			19.54	19.54	..
	पुनर्वि०	(-)199.46			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-11- (क्रमशः)

111-	कृषि अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी-				
01-	कृषि सांख्यिकी अनुभाग (सांमयिक रिपोर्टिंग योजना)-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iii)	मूल	65.00			
			34.80	34.78	(-)0.02
	पुनर्वि०	(-)30.20			
	उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2023 में पुनर्वियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 247.49 लाख की कमी मुख्यतः भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई और इसलिए राज्य का हिस्सा आनुपातिक रूप से जारी कर दिया गया।				
02-	निदान नमूना सर्वेक्षण एवं अध्ययन (फसल सांख्यिकी में सुधार)-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	50.00			
			38.62	38.60	(-)0.02
	पुनर्वि०	(-)11.38			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कमी ₹ 11.38 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति और यात्रा पर कम व्यय के कारण हुई।				
115-	छोटे उपांतक किसानों तथा कृषि श्रम की योजना-				
01-	छोटे किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना-				
	मूल	26.00			
			7.80	4.80	(-)3.00
	पुनर्वि०	(-)18.20			
	मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 18.20 लाख की कमी किसानों से हानि संबंधी दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
02-	कृषि कोष-				
	मूल	329.00			
			3.00	3.00	..
	पुनर्वि०	(-)326.00			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 326.00 लाख की कमी निधियों की कम आवश्यकता के कारण हुई।				
2402-	भू तथा जल संरक्षण-				
102-	मृदा संरक्षण-				
55-	जल से कृषि को बल योजना-				
	मूल	987.00			
			1,645.00	987.00	(-)658.00
	पुनर्वि०	658.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-11- (क्रमशः)

₹ 658.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 658.00 लाख की आवर्धन योजना के अंतर्गत स्वीकृत गतिविधियों के लिए निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 658.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

56- प्रवाह सिंचाई योजना-

मूल	1,645.00			
		987.00	1,644.40	(-)657.40
पुनर्वि०	(-)658.00			

₹ 657.40 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 658.00 लाख की कमी निधियों की कम आवश्यकता के कारण हुई जोकि अनुचित सिद्ध हुई।

₹ 657.40 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

103- भूमि सुधार तथा विकास-

01- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-

मूल	66.00			
पूरक	66.00	146.50	80.50	(-)66.00
पुनर्वि०	14.50			

₹ 66.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 14.50 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 66.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	592.00			
पूरक	594.00	724.50	724.50	..
पुनर्वि०	(-)461.50			

मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 461.50 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 767.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

2435- अन्य कृषि कार्यक्रम-

01- विपणन तथा गुणवत्ता नियंत्रण-

190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता-

01- विपणन बोर्ड को मार्केटिंग बोर्ड के निर्माण हेतु सहायता अनुदान-

मूल	1.00			
	
पुनर्वि०	(-)1.00			

मार्च 2023 में ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान पुनर्विनियोजन द्वारा समाप्त कर दिया गया; जिसके कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2023)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-11- (क्रमशः)

2810- नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा-

103- शहरी, औद्योगिक और वाणिज्यिक अनुप्रयोगों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा-

01- गोबर गैस संयंत्र की स्थापना-

मूल 601.30

520.09

520.06

(-)0.03

पुनर्वि० (-)81.21

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 81.21 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

(iv) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	-----------------------

2401- फसल- कृषि-कर्म-

103- बीज-

01- बीजों का वितरण-

मूल 1,131.26

पूरक 4.00

1,326.89

1,326.85

(-)0.04

पुनर्वि० 191.63

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 191.63 लाख का आवर्धन छठे वेतन आयोग के बकाया भुगतान, बिजली, पानी और टेलीफोन बिलों के निपटान के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ।

109- विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-

30- बीज और उपजाऊ सामग्री पर उपलाभ-

(i) मूल 30.00

117.70

117.70

..

पुनर्वि० 87.70

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल 467.00

771.62

771.62

..

पुनर्वि० 304.62

31- कृषि में केनाईजेशन पर उप मिशन-

(iii) मूल 100.00

136.53

136.53

..

पुनर्वि० 36.53

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 428.85 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-11- (क्रमशः)

110-	फसल बीमा-				
01-	फसल बीमा स्कीम-				
	मूल	658.00			
	पूरक	4.28	808.00	808.00	..
	पुनर्वि०	145.72			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 145.72 लाख का आवर्धन फसल बीमा की प्रीमियम सब्सिडी के भुगतान के लिए धन की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ।

2407-	बागान-				
01-	चाय-				
016-	पुनर्रोपण के लिए आर्थिक सहायता-				
01-	हिमाचल प्रदेश में चाय का विकास-				
	मूल	97.37			
	पूरक	0.01	129.93	137.72	(+)7.79
	पुनर्वि०	32.55			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 32.55 लाख का आवर्धन बिजली, पानी और टेलीफोन बिलों पर अधिक व्यय, छोटे वेतन आयोग के बकाया का भुगतान और दैनिक वेतनभोगियों के नियमितीकरण के कारण हुआ।

पूंजीगत प्रवर्ग

(v)	दत्तमत्त अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत शीर्ष के अंतर्गत हुई:-			
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाखों में)	

4401-	फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-			
105-	खाद तथा उर्वरक-			
01-	खादों का क्रय-			
	मूल	17.19		
	पुनर्वि०	(-)17.19		

मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 17.19 लाख का समस्त प्रावधान किसानों से उर्वरक की मांग की कम प्राप्ति के कारण कम कर दिया गया।

107-	वनस्पति संरक्षण-			
01-	पौध संरक्षण औजार का क्रय-			
	मूल	226.52		
			126.52	126.52
	पुनर्वि०	(-)100.00		..

मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 100.00 लाख की कमी पौध संरक्षण उपकरणों की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-11- (समाप्त)

(vi) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत शीर्षों के अंतर्गत हुए आधिव्यय से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिव्यय (+) बचत (-)
4401- फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-			
103- बीज-			
01- अभिवृद्धि बीजों का क्रय-			
मूल	3,997.58	3,997.58	4,023.20
			(+25.62)

₹ 4,023.20 लाख के कुल व्यय में से ₹ 25.62 का व्यय वर्ष 2020-21 की आपत्ति के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

4402- मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय-

102- मृदा संरक्षण-			
03- सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के माध्यम से प्रभावी सिंचाई-			
	73.95
			(+73.95)

₹ 73.95 लाख का समस्त व्यय वर्ष 2020-21 और 2021-22 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 12 - उद्यान

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2216-आवास, 2401-फसल कृषि-कर्म, 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 4401- फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय तथा 6401- फसल कृषि-कर्म के लिए ऋण)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	3,76,26,06			
		5,97,19,37	5,96,10,26	(-)1,09,11
पूरक	2,20,93,31			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				82,47
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	7,43,12			
		7,43,12	9,66,61	(+)2,23,49
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				76,15

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 2,23,49,267 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 109.11 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में प्राप्त ₹ 22,093.31 लाख की अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ तथा ₹ 82.47 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (iii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 223.49 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से ₹ 76.15 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (iv) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	-----------------------------------	-----------------------

2401- फसल कृषि-कर्म-

119- बागवानी तथा वनस्पति फसलें-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 12 (क्रमशः)

01-	निदेशालय-				
	मूल	1,131.26			
			1,109.97	1,104.42	(-)5.55
	पुनर्वि०	(-)21.29			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 21.29 लाख की कमी चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति तथा रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
02-	जिला एवं अधिनस्थ कर्मचारी-				
	मूल	2,895.33			
			2,866.33	2,850.59	(-)15.74
	पुनर्वि०	(-)29.00			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 29.00 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा यात्रा व्यय दावों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई।				
04-	वनस्पति संरक्षण योजना-				
	मूल	665.00			
			172.40	172.39	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)492.60			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 492.60 लाख की सारभूत कमी अभ्यर्थियों से मामलों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई।				
05-	उद्यान विकास-				
	मूल	6,875.62			
			6,761.40	6,736.55	(-)24.85
	पुनर्वि०	(-)114.22			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 114.22 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा यात्रा व्यय दावों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई। ₹ 6,736.55 लाख के कुल व्यय में से ₹ 15.00 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपूर्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।				
	₹ 24.85 लाख के अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
18-	कृषक प्रशिक्षण-				
	मूल	30.00			
	पूरक	0.01	20.00	19.62	(-)0.38
	पुनर्वि०	(-)10.01			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 10.01 लाख की कमी निधियों की आवश्यकता न होने के कारण हुई जोकि प्रशिक्षण शिवरों के आयोजन के लिए अधिक निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुए आधिक्य से अशतः प्रतिसंतुलित हुई।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 12 (क्रमशः)

35-	उद्यान अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	40.00			
			28.56	28.51	(-)0.05
	पुनर्वि०	(-)11.44			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 11.44 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
56-	उद्यान एकीकृत विकास मिशन-				
	मूल	599.00			
			225.23	149.41	(-)75.82
	पूरक	(-)373.77			
	₹ 75.82 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 373.77 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 75.82 लाख के अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
62-	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-				
(i)	मूल	366.00			
		
	पुनर्वि०	(-)366.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	594.00			
		
	पुनर्वि०	(-)594.00			
76-	कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन -				
(iii)	मूल	86.00			
		
	पुनर्वि०	(-)86.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iv)	मूल	647.00			
		
	पुनर्वि०	(-)647.00			
78-	राष्ट्रीय बाँस मिशन-				
(v)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 12 (क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(vi) मूल 1.00

पुनर्वि० (-)1.00

उपरोक्त छः मामलों में मार्च 2023 में ₹ 1,695.00 लाख के समस्त प्रावधान को भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति तथा राज्य की हिस्सेदारी अप्रयुक्त रहने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया। जबकि भारत सरकार से क्रम संख्या (ii) पर ₹ 419.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

79- एंटी हेल मेट संरचना-

(i) मूल 840.00

पुनर्वि० (-)840.00

82- स्वर्ण जयंती समृद्ध बागवान-

(ii) मूल 375.00

पुनर्वि० (-)375.00

मार्च 2023 में ₹ 1,215.00 लाख का समस्त प्रावधान को योजना की दिशानिर्देश को अंतिम स्वरूप न देने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।

(v) उपरोक्त बचत निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	-----------------------

2401- फसल कृषि-कर्म-

119- बागवानी तथा वनस्पति फसलें-

22- उद्यानिक विपणन नियंत्रण-

मूल 1,084.00

पूरक 1,228.60

पुनर्वि० 1,625.53

3,938.13

3,938.06

(-)0.07

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,625.53 लाख का आवर्धन लंबित देनदारियों के निपटाने के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता के होने के कारण हुआ।

51- सेब तथा आम की फसल के लिए मौसम आधारित बीमा-

मूल 1,974.00

2,686.13

2,648.85

(-)37.28

पुनर्वि० 712.13

₹ 37.28 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 712.13 लाख का आवर्धन बीमा के भुगतान के लिए अधिक निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 12 (क्रमशः)

₹ 37.28 लाख के अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

56- उद्यान एकीकृत विकास मिशन-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	1,185.00			
		1,242.50	1,242.50	..
पुनर्वि०	57.50			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 57.50 लाख की आवर्धन भारत सरकार से अधिक निधियों की प्राप्ति के कारण हुआ।

69- मुख्यमंत्री ग्रीन हाउस नवीनकरण योजना-
पूरक

	0.01			
		50.71	50.71	..
पुनर्वि०	50.70			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 50.70 लाख का सारभूत आवर्धन बागवान/किसानों से उपदान मामलों के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता होने के कारण हुआ।

72- हिमाचल पुष्प क्रांति योजना-

मूल	822.00	822.00	955.09	(+)133.09
-----	--------	--------	--------	-----------

₹ 955.09 लाख के कुल व्यय में से ₹ 133.09 लाख का व्यय वर्ष 2020-21 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

74- एंटी हेल नेट पर उपदान-

मूल	1,352.00			
		2,192.00	2,192.00	..
पुनर्वि०	840.00			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 840.00 लाख का सारभूत आवर्धन लाभार्थियों से उपदान मामलों की अधिक प्राप्ति होने के कारण हुआ।

77- हिमाचल उपोष्णकटिबंधीय बागवानी सिंचाई और मूल्य संवर्धन परियोजना-

मूल	659.00			
		1,253.00	1,253.00	..
पुनर्वि०	594.00			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 594.00 लाख का सारभूत आवर्धन बाह्य-संपर्क सहायता प्राप्त परियोजना को निधियों की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 12 (समाप्त)

पूंजीगत प्रवर्ग

(vi) दत्तमत अनुदान में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
4401- फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-			
119- बागवानी तथा साग भाजी फसलें-			
02- पौध संरक्षण औजारों की खरीद-			
मूल	593.10		
		516.95	816.61
			(+299.66)
पुनर्वि०	(-)76.15		

मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 76.15 लाख की कमी पौध संरक्षण औजारों की कम खरीद होने के कारण हुई। ₹ 816.61 लाख के कुल व्यय में से ₹ 299.67 लाख का व्यय वर्ष 2020-21 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या -13-सिंचाई, जलापूर्ति तथा स्वच्छता

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2215-जलापूर्ति तथा सफाई, 2216- आवास, 2700-मुख्य सिंचाई, 2701- मध्यम सिंचाई, 2702-लघु सिंचाई, 2711-बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास, 4215-जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय, 4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4705-कमांड क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	26,81,86,41			
		27,03,33,13	26,96,80,54	(-)6,52,59
पूरक	21,46,72			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				16,91,56
प्रभारित				
मूल	..			
		11,53	9,92	(-)1,61
पूरक	11,53			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	5,37,17,00			
		7,96,24,91	7,26,64,01	(-)69,60,90
पूरक	2,59,07,91			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				8,19,18
प्रभारित				
मूल	..			
		22,47,59	22,47,60	(+)1
पूरक	22,47,59			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) पूंजीगत प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 1,276 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 652.59 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में प्राप्त ₹ 2,146.72 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ तथा ₹ 1,691.56 लाख का अभ्यर्पण अत्याधिक सिद्ध हुआ।
- (iii) राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 1.61 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में प्राप्त ₹ 11.53 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ तथा वर्ष के दौरान विभाग द्वारा कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (iv) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 6,960.90 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में प्राप्त ₹ 25,907.91 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ तथा ₹ 819.18 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (v) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2215- जलापूर्ति तथा सफाई-			
01- जलापूर्ति-			
005- सर्वेक्षण तथा जांच पड़ताल-			
01- सर्वेक्षण तथा अन्वेक्षण खण्ड-			
(i) मूल	455.02		
	452.24	432.08	(-)20.16
पुनर्वि०	(-)2.78		
02- आउटसोर्सिंग द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का निर्माण-			
(ii) मूल	57.75	40.64	(-)17.11
उपरोक्त दो मामलों में ₹ 37.27 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।			
101- शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम-			
02- विभिन्न जिलों में शहरी जलापूर्ति योजनाओं का रखरखाव तथा मरम्मत-			
मूल	27,919.41		
	27,878.85	27,636.55	(-)242.30
पुनर्वि०	(-)40.56		

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

₹ 242.30 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 40.56 लाख की कमी चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, रिक्त पदों को न भरने तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन न करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 242.30 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

05- दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन तथा सामग्री हेतु व्यय-

मूल	2,919.11	2,919.11	2,600.24	(-)318.87
-----	----------	----------	----------	-----------

₹ 2,600.24 लाख के कुल व्यय में से ₹ 7.58 लाख का व्यय वर्ष 2020-21 के आपत्ति पुस्तिका के उच्चत के समायोजन के कारण हुआ।

₹ 318.87 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

102- ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम-

03- ग्रामीण जलापूर्ति योजना का रखरखाव एवं मरम्मत-

मूल	66,231.20			
पूरक	1,883.45	67,879.91	64,375.91	(-)3,504.00
पुनर्वि०	(-)234.74			

₹ 3,504.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 234.74 लाख की कमी, रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन न होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 3,504.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

12- वसूलियों के समायोजन करने हेतु रखरखाव में प्रावधान-

(i) मूल 41,618.58 41,618.58 28,747.77 (-)12,870.81

799- उच्चंत

02- स्टॉक निर्माता-

(ii) मूल 651.00 651.00 535.98 (-)115.02

02- मलजल तथा सफाई-

105- सफाई सेवाएं-

02- रखरखाव एवं मरम्मत-

(iii) मूल 56.40 56.40 40.67 (-)15.73

2216- आवास-

05- सामान्य पूल आवास-

053- रखरखाव तथा मरम्मत-

01- अन्य रखरखाव व्यय-

(iv) मूल 6.08 6.08 4.65 (-)1.43

2700- मुख्य सिंचाई-

01- शाहनहर परियोजना (गैस-वाणिज्यिक)-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

799-	उच्चंत-				
01-	स्टॉक-				
(v)	मूल	358.05	358.05	1.25	(-)356.80
02-	स्टॉक निर्माण-				
(vi)	मूल	260.40	260.40	7.83	(-)252.57
	उपरोक्त छः मामलों में ₹ 13,612.36 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
03-	सार्वजनिक कार्य विविध अग्रिम-				
	मूल	187.17	187.17	..	(-)187.17
	₹ 187.17 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
2701-	मध्यम सिंचाई-				
11-	गिरी बाटा परियोजना (गैर-वाणिज्यिक)-				
001-	निदेशन तथा प्रशासन-				
01-	स्थापना पर व्यय-				
	मूल	22.01			
			16.60	16.60	..
	पुनर्वि०	(-)5.41			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में 5.41 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
799-	उच्चंत-				
01-	स्टॉक-				
(i)	मूल	4.24	4.24	..	(-)4.24
02-	स्टॉक निर्माण-				
(ii)	मूल	1.41	1.41	..	(-)1.41
03-	विविध लोक निर्माण अग्रिम-				
(iii)	मूल	1.41	1.41	..	(-)1.41
12-	बल्ह घाटी परियोजना (गैर-वाणिज्यिक)-				
799-	उच्चंत-				
01-	स्टॉक-				
(iv)	मूल	4.24	4.24	..	(-)4.24
02-	स्टॉक निर्माण-				
(v)	मूल	1.41	1.41	..	(-)1.41
03-	विविध लोक निर्माण अग्रिम-				
(vi)	मूल	2.83	2.83	..	(-)2.83

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

उपरोक्त छः मामलों में ₹ 15.54 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

13-	भाबोर साहिब परियोजना (गैर वाणिज्यिक)-				
001-	निदेशन तथा प्रशासन-				
01-	स्थापना पर व्यय-				
	मूल	19.73			
			6.29	7.71	(+)1.42
	पुनर्वि०	(-)13.44			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 13.44 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

15-	चंगर क्षेत्र सिंचाई परियोजना (गैर-वाणिज्यिक)-				
001-	निदेशन तथा प्रशासन-				
01-	स्थापना पर व्यय-				
	मूल	69.78			
			47.42	46.30	(-)1.12
	पुनर्वि०	(-)22.36			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 22.36 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

799-	उच्चंत-				
01-	स्टॉक-				
(i)	मूल	28.30	28.30	..	(-)28.30
02-	स्टॉक निर्माण-				
(ii)	मूल	5.66	5.66	..	(-)5.66
03-	विविध लोक निर्माण अग्रिम-				
(iii)	मूल	2.13	2.13	..	(-)2.13

16-	बहाव सिंचाई परियोजना सिधाटा (गैर-वाणिज्यिक)-				
799-	उच्चंत-				
01-	स्टॉक-				
(iv)	मूल	120.29	120.29	..	(-)120.29
02-	स्टॉक निर्माण-				
(v)	मूल	21.23	21.23	..	(-)21.23
03-	विविध लोक निर्माण अग्रिम-				
(vi)	मूल	49.53	49.53	..	(-)49.53

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

उपरोक्त छः मामलों में मार्च 2023 में ₹ 227.14 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

20-	फिनासिंह परियोजना (गैर-वाणिज्यिक)-				
799-	उच्चंत-				
02-	स्टॉक निर्माण-				
	मूल	70.76	70.76	18.23	(-)52.53

₹ 52.53 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

03-	विविध लोक निर्माण अग्रिम-				
(i)	मूल	45.29	45.29	..	(-)45.29

21-	हल्ली सुरंग बटांते मध्यम सिंचाई परियोजना (गैर-वाणिज्यिक)-				
799-	उच्चंत-				
01-	स्टॉक-				
(ii)	मूल	70.76	70.76	..	(-)70.76
02-	स्टॉक निर्माण-				
(iii)	मूल	14.15	14.15	..	(-)14.15
03-	विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-				
(iv)	मूल	6.37	6.37	..	(-) 6.37

उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2023 में ₹ 136.57 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

2702-	लघु सिंचाई-				
01-	सतही जल-				
799-	उच्चंत-				
02-	स्टॉक निर्माण-				
(i)	मूल	566.08	566.08	131.17	(-)434.91
80-	सामान्य-				
001-	निदेशन तथा प्रशासन-				
01-	स्थापना पर व्यय-				
(ii)	मूल	8,738.96			
	पूरक	1.69	8,722.71	8,628.19	(-)94.52
	पुनर्वि०	(-)17.94			

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 529.43 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

02-	कार्य प्रभारित कर्मचारियों नियमित प्रतिष्ठानों में परिवर्तित-			
-----	---	--	--	--

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

मूल	28,319.45				
		26,970.97	25,141.61	(-)1,829.36	
पुनर्वि०	(-)1,348.48				
<p>₹ 1,829.36 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,348.48 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।</p> <p>₹ 1,829.36 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।</p>					
06-	वसूली के समायोजन हेतु रखरखाव प्रावधान-				
(i)	मूल	28,319.44	28,319.44	20,162.30	(-)8,157.14
07-	दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के वेतन तथा सामग्री हेतु व्यय-				
(ii)	मूल	1,866.87			
			1,881.13	1,541.32	(-)339.81
	पूरक	14.26			
<p>क्रम संख्या (ii) में ₹ 1,541.32 लाख के कुल व्यय में से ₹17.55 लाख का व्यय वर्ष 2020-21 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।</p> <p>उपरोक्त दो मामलों में ₹ 8,496.95 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।</p>					
2711-	बाढ़ नियन्त्रण तथा जल निकासी-				
01-	बाढ़ नियन्त्रण-				
001-	निदेशन तथा प्रशासन-				
01-	निदेशन-				
	मूल	409.83			
			113.45	105.26	(-)8.19
	पुनर्वि०	(-)296.38			
<p>मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 296.38 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।</p>					
103-	सिविल निर्माण कार्य-				
01-	स्वान परियोजना का व्यापक रखरखाव-				
(i)	मूल	111.25			
			109.25	88.77	(-)20.48
	पुनर्वि०	(-)2.00			
799-	उच्चंत-				
01-	स्टॉक-				
(ii)	मूल	488.24	488.24	1.26	(-)486.98

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

02-	स्टॉक निर्माण-				
(iii)	मूल	113.93	113.93	52.80	(-)61.13
03-	विविध लोक निर्माण अग्रिम-				
(iv)	मूल	97.65	97.65	5.00	(-)92.65
	उपरोक्त चार मामलों में ₹ 661.24 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
(vi)	उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अर्न्तगत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-				
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
			(₹ लाखों में)		
2215-	जलापूर्ति तथा सफाई-				
01-	जलापूर्ति-				
001-	निदेशन तथा प्रशासन-				
01-	निदेशन-				
	मूल	3,310.72			
	पूरक	117.19	3,521.54	3,439.32	(-)82.22
	पुनर्वि०	93.63			
	₹ 82.22 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 93.63 लाख का आवर्धन वेतन आयोग के बकाया के भुगतान के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।				
	₹ 82.22 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
02-	निष्पादन-				
	मूल	12,324.98			
	पूरक	12.36	12,498.25	12,426.42	(-)71.83
	पुनर्वि०	160.91			
	₹ 71.83 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 160.91 लाख का आवर्धन वेतन आयोग के बकाया के भुगतान के कारण हुआ जोकि रिक्त पदों को न भरने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई कमी से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई तथा अत्यधिक सिद्ध हुआ।				
	₹ 71.83 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
101-	शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम-				
04-	वसूली के समायोजन हेतु रखरखाव प्रावधान-				
	मूल	11,271.41	11,271.41	12,290.10	(+)1,018.69
	₹ 1,018.69 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

102-	ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम-				
13-	दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन तथा सामग्री पर व्यय-				
	मूल	5,029.79			
			5,047.92	5,134.88	(+)86.96
	पूरक	18.13			

₹ 5,134.88 लाख के कुल व्यय में से ₹ 168.39 लाख का व्यय वर्ष 2020-21 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

799-	उच्चंत-				
01-	उच्चंत स्टॉक पर व्यय-				
	मूल	7,324.00	7,324.00	23,357.59	(+)16,033.59

₹ 23,357.59 लाख के कुल व्यय में से ₹ 331.02 लाख का व्यय वर्ष 2020-21 के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

₹ 16,033.59 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

03-	विविध लोक निर्माण अग्रिम-				
	मूल	6,673.06	6,673.06	18,872.41	(+)12,199.35

₹ 12,199.35 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

2700- मुख्य सिंचाई-

01-	शाहनहर परियोजना (गैर-वाणिज्यिक)-				
001-	निदेशन तथा प्रशासन-				
01-	स्थापन पर व्यय-				
	मूल	986.53			
			1,017.87	1,016.58	(-)1.29
	पुनर्वि0	31.34			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 31.34 लाख का आवर्धन वेतन आयोग के बकाया के भुगतान के कारण हुआ जोकि चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई कमी से अशतः प्रतिसंतुलित हुई।

2701- मध्यम सिंचाई-

20-	फिना सिंह परियोजना (गैर-वाणिज्यिक)-				
799-	उच्चंत-				
01-	स्टॉक-				
(i)	मूल	283.04	283.04	540.54	(+)257.50

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

2702- लघु सिंचाई-

01- सतही जल-

799- उचंत-

01- स्टॉक-

(ii) मूल 2,122.81 2,122.81 3,496.53 (+)1,373.72

03- विविध लोक निर्माण अग्रिम-

(iii) मूल 424.56 424.56 542.20 (+)117.64

उपरोक्त तीन मामलों में ₹1,748.86 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

(vii) प्रभारित विनियोजन में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	--------------	--------------------------------	-----------------------

2700- मुख्य सिंचाई-

01- शाहनहर परियोजना (गैर-वाणिज्यिक)-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- स्थापना पर व्यय-

पूरक 7.85 7.85 6.24 (-)1.61

₹ 1.61 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

पूंजीगत प्रवर्ग

(viii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	-----------------------

4215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय-

01- जलापूर्ति-

101- शहरी जलापूर्ति-

01- विभिन्न जिलों में शहरी जल आपूर्ति योजनाएं-

मूल 3,366.00 3,366.00 2,799.23 (-)566.77

₹ 2,799.23 लाख के कुल व्यय में से ₹ 9.74 लाख का व्यय वर्ष 2020-21 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

₹ 566.77 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

102- ग्रामीण जल आपूर्ति-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

25-	बाह्य सहायता प्राप्त परियाजनाओं के अन्तर्गत मल निकासी योजना-				
	मूल	1.00	(-) 1.00
	₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
28-	विभिन्न जलापूर्ति योजना के लिए ऊर्जा कुशल पंपों का स्थानांतरण-				
(i)	मूल	1.00
	पुनर्वि०	(-) 1.00			
02-	मल निकासी तथा सफाई-				
102-	ग्रामीण सफाई सेवाएं-				
04-	ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मल निकासी योजनाएं-				
(ii)	मूल	1.00
	पुनर्वि०	(-) 1.00			
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2.00 लाख के समस्त प्रावधान को मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया; जिसके कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2023)।				
106-	मल निकासी सेवाएं-				
03-	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अन्तर्गत ग्रामीण मल निकासी योजनाएं-				
	मूल	750.00			
			650.32	187.62	(-) 462.70
	पुनर्वि०	(-) 99.68			
	₹ 462.70 लाख की सारभूत अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 99.68 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 462.70 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
4701-	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-				
20-	फिना सिंह परियोजना (गैर-वाणिज्यिक)-				
800-	अन्य व्यय-				
02-	अन्य व्यय-				
	मूल	723.00			
	पूरक	500.00	1,222.00	946.51	(-) 275.49
	पुनर्वि०	(-) 1.00			
	₹ 275.49 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
मूल	1.00			
	
पुनर्वि०	(-)1.00			
मार्च 2023 में ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया; जिसके कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2023)।				
23-	कौन्सिल झरेरा मंडुप परियोजना (गैर-वाणिज्यिक)-			
800-	अन्य व्यय-			
01-	कौन्सिल झरेरा मंडुप परियोजना पर व्यय-			
(i)	मूल	1.00		
		
		
पुनर्वि०	(-)1.00			
केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	1.00		
		
		
पुनर्वि०	(-)1.00			
24-	पारचू खड्ड परियोजना पर वर्षा जल संग्रहण (गैर-वाणिज्यिक)-			
800-	अन्य व्यय-			
01-	पारचू खड्ड के बाएँ और दाएँ किनारों पर वर्षा जल संग्रहण संरचना का निर्माण-			
(iii)	मूल	1.00		
		
		
पुनर्वि०	(-)1.00			
केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iv)	मूल	1.00		
		
		
पुनर्वि०	(-)1.00			
25-	सुककाहार मध्यम सिंचाई परियोजना (गैर-वाणिज्यिक)-			
800-	अन्य व्यय-			
01-	जिला कांगड़ा में मध्यम सिंचाई परियोजना, सुककाहार का निर्माण-			
(v)	मूल	1.00		
		
		
पुनर्वि०	(-)1.00			
केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(vi)	मूल	1.00		
		
		
पुनर्वि०	(-)1.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

26-	मध्यम सिंचाई परियोजना प्रीणी (गैर-वाणिज्यिक)-				
800-	अन्य व्यय-				
01-	जिला कुल्लू में मध्यम सिंचाई परियोजना प्रीणी का निर्माण-				
(vii)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(viii)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
27-	मध्यम सिंचाई परियोजना ज्वालामुखी-				
800-	अन्य व्यय-				
01-	मध्यम सिंचाई परियोजना ज्वालामुखी जिला कांगड़ा-				
(ix)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(x)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	उपरोक्त दस मामलों में मार्च 2023 में ₹ 10.00 लाख के समस्त प्रावधान को अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया; जिसके कारणों को सूचित नहीं किया गया (जुलाई 2023)।				
4702-	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-				
101-	सतही जल-				
01-	विभिन्न जिलों में लिफ्ट सिंचाई योजनाएं-				
(i)	मूल	368.00	368.00	301.48	(-)66.52
02-	विभिन्न जिलों में जल प्रवाह सिंचाई योजनाएं-				
(ii)	मूल	184.00	184.00	146.15	(-)37.85
	उपरोक्त दो मामलों में 104.37 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
03-	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में उठाऊ सिंचाई योजना-				
	मूल	6,396.00			
			5,946.00	6,286.89	(+)340.89
	पुनर्वि०	(-)450.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

₹ 340.89 लाख की अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 450.00 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अत्यधिक सिद्ध हुई।
₹ 6,286.89 लाख के कुल व्यय में से ₹ 49.75 लाख का व्यय वर्ष 2020-21 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।
₹ 340.89 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

06-	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम) के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में उठाऊ सिंचाई योजनाएं-				
(i)	मूल	568.20			
			627.40	317.16	(-)310.24
	पूरक	59.20			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	4,831.20	4,831.20	2,319.67	(-)2,511.53
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2,821.77 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)। जबकि क्रम संख्या (ii) में भारत सरकार से ₹ 3,734.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।				
07-	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में जल प्रवाह सिंचाई स्कीम-				
(i)	मूल	378.80			
			150.55	..	(-)150.55
	पुनर्वि०	(-)228.25			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	3,220.80			
			1,166.51	..	(-)1,166.51
	पुनर्वि०	(-)2,054.29			
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 1,317.06 लाख का समस्त प्रावधान के अप्रयुक्त रहने की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,282.54 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति तथा केन्द्रीय हिस्सेदारी की कम प्राप्ति से राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रहने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। जबकि क्रम संख्या (ii) में ₹ 3,734.00 लाख का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ। उपरोक्त दो मामलों में ₹ 1,317.06 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
09-	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अन्तर्गत वर्षा जल संग्रहण-				
	मूल	658.10			
			420.10	420.10	..
	पुनर्वि०	(-)238.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 238.00 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई।

102-	भूजल-				
03-	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक				
	के तहत विभिन्न जिलों में ट्यूबवेल योजनाएँ-				
	मूल	3,996.90			
			3,692.34	3,188.60	(-)503.74
	पुनर्वि०	(-)304.56			

₹ 503.74 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 304.56 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 3,188.60 लाख के कुल व्यय में से ₹ 28.29 लाख का व्यय वर्ष 2020-21 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

₹ 503.74 लाख के अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

4705- कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय-

313-	लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत कमान क्षेत्र का विकास-				
01-	लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत कमान क्षेत्र का विकास-				
	मूल	5,401.00			
			5,400.00	4,178.77	(-)1,221.23
	पुनर्वि०	(-)1.00			

₹ 4,178.77 लाख के कुल व्यय में से ₹ 350.15 लाख का व्यय वर्ष 2020-21 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

₹ 1,221.23 लाख के अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-) 1.00			

मार्च 2023 में ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

4711- बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-

01-	बाढ़ नियन्त्रण-				
103-	सिविल निर्माण कार्य-				
01-	बाढ़ नियंत्रण कार्य-				
(i)	मूल	400.00			
			500.00	417.61	(-)82.39
	पूरक	100.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

02-	ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि/राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अंतर्गत बाढ़ नियंत्रण कार्य -				
(ii)	मूल	783.00	783.00	703.11	(-)79.89
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 162.28 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
03-	बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के तहत मंडी और हमीरपुर जिले में बरशवाड से जाहू तक सीरखड्ड का तटीकरण -				
(i)	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में ₹ 2.00 लाख के समस्त प्रावधान को अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया जिसके कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2023)।				
(ix)	उपरोक्त बचत निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से प्रतिसंतुलित हुई:-				
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)	
			(₹ लाखों में)		
4215-	जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय-				
01-	जलापूर्ति-				
102-	ग्रामीण जलापूर्ति-				
01-	विभिन्न जिलों में ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाएँ-				
	मूल	1,901.00			
			2,735.96	3,072.89	(+)336.93
	पूरक	834.96			
	₹ 3,072.89 लाख के कुल व्यय में से ₹ 697.42 लाख का व्यय वर्ष 2020-21 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।				
16-	ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि/राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक-				
	मूल	13,500.00			
			13,804.56	13,989.37	(+)184.81
	पुनर्वि०	304.56			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 304.56 लाख का आवर्धन चल रहे विभिन्न कार्यों के लिए अधिक निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

₹ 13,989.37 लाख के कुल व्यय में से ₹ 221.93 लाख का व्यय वर्ष 2020-21 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

23- जल जीवन मिशन-

मूल	4,936.00			
	7,446.54	14,665.08	14,665.68	(+)0.60
पुनर्वि०	2,282.54			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,282.54 लाख का आवर्धन केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ।

4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-

101- सतही जल-

12- पर्वतधारा-

मूल	1.00	1.00	114.28	(+)113.28
-----	------	------	--------	-----------

₹ 114.28 लाख का समस्त व्यय वर्ष 2020-21 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

102- भू-जल-

01- विभिन्न जिलों में ट्यूबवेल योजनाएं-

मूल	123.00	123.00	166.34	(+)43.34
-----	--------	--------	--------	----------

₹ 43.34 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-

01- बाढ़ नियंत्रण-

800- अन्य व्यय-

01- बाढ़ नियंत्रण कार्यों पर व्यय-

(i)	30.51	(+)30.51
-----	----	----	-------	----------

05- ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि/राष्ट्रीय ग्रामीण कृषि तथा विकास बैंक के अंतर्गत बाढ़ नियंत्रण कार्यों पर व्यय-

(ii)	5.98	(+)5.98
------	----	----	------	---------

23- रेणुका बांध के लिए बीज धन-

(iii)	250.00	(+)250.00
-------	----	----	--------	-----------

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 286.49 लाख का समस्त व्यय वर्ष 2020-21 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

- (x) उच्चंत लेन-देन
- (i) इस अनुदान के अन्तर्गत सम्मिलित व्यय ₹ 47,562.79 लाख में (राजस्व प्रवर्ग के अन्तर्गत ₹ 47,562.79 लाख और पूंजीगत प्रवर्ग के अंतर्गत ₹ 0.00 लाख) 'उच्चंत' लघु शीर्ष के अन्तर्गत लेखाबद्ध किए गये हैं।
- (ii) उच्चंत लेन-देनों के स्वरूप का वर्णन अनुदान संख्या-10 लोक निर्माण कार्य- सड़कें, पुल तथा भवन के अन्तर्गत पैरा संख्या- (vii) में किया गया है।
- (iii) इस अनुदान के अन्तर्गत वर्ष 2022-23 के दौरान लेखाबद्ध किए गए 'उच्चंत' लेन-देनों का विश्लेषण विभिन्न उप शीर्षों के अन्तर्गत प्रारम्भिक एवं अंतिम शेषों सहित नीचे दिया गया है:-

शीर्ष	01 अप्रैल 2022 को प्रारम्भिक शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)	डैबिट	क्रेडिट	31 मार्च 2023 को अन्त शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)
राजस्व प्रवर्ग				
2215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता-				
01- जलापूर्ति-				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-	(+)721.58	23,357.59	19,655.24	(+)4,423.93
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(+)2,898.61	535.98	248.64	(+)3,185.95
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(+)58,500.99	18,872.41	13,186.39	(+)64,187.01
कुल योग 2215-	(+)62,121.18	42,765.98	33,090.27	(+)71,796.89
2700-मुख्य सिंचाई-				
01- शाह नहर परियोजना (गैस-वाणिज्यिक)-				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-	(+)579.24	1.25	0.00	(+)580.49
02- स्कन्ध- विनिर्माण-	(+)58.23	7.83	0.00	(+)66.06
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(-)30.44	0.00	0.00	(-)30.44*
कुल योग 2700-	(+)607.03	9.08	0.00	(+)616.11

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

शीर्ष	01 अप्रैल 2022	डैबिट	क्रेडिट	31 मार्च 2023
	को प्रारम्भिक शेष			को अन्त शेष
	डैबिट (+)			डैबिट (+)
	क्रेडिट (-)		(₹ लाखों में)	क्रेडिट (-)
2701- मध्यम सिंचाई-				
11- गिरी बाटा परियोजना (गैर-वाणिज्यिक)-				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध -	(-)0.61	0.00	0.00	(-)0.61*
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(-)8.41	0.00	0.00	(-)8.41*
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(+)35.11	0.00	0.00	(+)35.11
कुल योग- 2701-11	+26.09	0.00	0.00	(+)26.09
15- चंगर क्षेत्र सिंचाई परियोजना (गैर-वाणिज्यिक)-				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-	(-)0.54	0.00	0.00	(-)0.54*
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(-)2.42	0.00	0.00	(-)2.42*
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(+)5.93	0.00	0.00	(+)5.93
कुल- 2701-15-	(+)2.97	0.00	0.00	(+)2.97
16- प्रवाह सिंचाई परियोजना सिधाता (गैर-वाणिज्यिक)-				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-	(+)2.09	0.00	0.00	(+)2.09
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(+)1.75	0.00	0.00	(+)1.75
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(-)3.93	0.00	0.00	(-)3.93*
कुल-2701-16-	(-)0.09	0.00	0.00	(-)0.09*
20- फीना सिंह परियोजना नहर परियोजना (गैर-वाणिज्यिक)-				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-	(+)478.64	540.54	274.06	(+)745.12
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(+)91.56	18.23	0.00	(+)109.79
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	906.33	0.00	0.00	(+)906.33
कुल- 2701-20-	(+)1,476.53	558.77	274.06	(+)1,761.24

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

शीर्ष	01 अप्रैल 2022 को प्रारम्भिक शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)	डैबिट (₹ लाखों में)	क्रेडिट	31 मार्च 2023 को अन्त शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)
21- हल्दी सुनराग बंटान्टा मध्यम सिंचाई परियोजना (गैर-वाणिज्यिक)-				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-	0.00	0.00	0.00	(+)0.00
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(+)2.01	0.00	0.00	(+)2.01
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(-)0.01	0.00	0.00	(-)0.01*
कुल-2701-21-	(+)2.00	0.00	0.00	(+)2.00
80- सामान्य-				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-	(+)185.80	0.00	0.00	(+)185.80
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(-)26.20	0.00	0.00	(-)26.20*
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(+)124.24	0.00	0.00	(+)124.24
कुल-2701-80-	(+)283.84	0.00	0.00	(+)283.84
कुल 2701-	(+)1,791.34	558.77	274.06	(+)2,076.05
2702- लघु सिंचाई-				
01- सतही जल-				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-	(-)1,317.25	3,496.53	3,239.70	(-)1,059.77*
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(+)261.64	131.17	53.42	(+)339.39
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(-)88.02	542.20	429.51	(-)24.67*
कुल 2702-01-	(-)1,143.63	4,169.90	3,721.98	(-)695.71*
80- सामान्य-				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-	(-)628.73	0.00	0.00	(-)6,28.73*
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(+)553.79	0.00	0.00	(+)553.79
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(+)315.57	0.00	0.00	(+)315.57
कुल 2702-80-	(+)240.63	0.00	0.00	(+)240.63
कुल 2702-	(-)903	4,169.90	3,721.98	(-)455.08*

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

शीर्ष	01 अप्रैल 2022 को प्रारम्भिक शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)	डैबिट	क्रेडिट	31 मार्च 2023 को अन्त शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)
		(₹ लाखों में)		
2711-बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास-				
01- बाढ़ नियंत्रण-				
799- उच्चत-				
01- स्कन्ध-	(+)6,742.54	1.26	557.11	(+)6,186.69
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(+)653.07	52.8	0.00	(+)705.87
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(+)2,976.43	5.00	0.00	(+)2,981.43
कुल 2711-	(+)10,372.04	59.06	557.11	(+)9,873.99
कुल राजस्व प्रवर्ग-	(+)73,988.59	47,562.79	37,643.42	(+)83,907.96
पूँजीगत प्रवर्ग-				
4215- जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय-				
01- जलापूर्ति-				
799- उच्चत-				
01- स्कन्ध-	(+)30.71	0.00	0.00	(+)30.71
कुल 4215-	(+)30.71	0.00	0.00	(+)30.71
4700- मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-				
01- शाहनहर परियोजना (गैर -वाणिज्यिक)-				
799- उच्चत-				
01- स्कन्ध-	(+)38.42	0.00	0.00	(+)38.42
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(+)37.54	0.00	0.00	(+)37.54
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(+)96.89	0.00	0.00	(+)96.89
कुल 4700-	(+)172.85	0.00	0.00	(+)172.85
4701- मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-				
01- मध्यम सिंचाई पर व्यय-				
799- उच्चत-				
01- स्कन्ध-	(-)0.15	0.00	0.00	(-)0.15*
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(+)10.82	0.00	0.00	(+)10.82
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(+)13.54	0.00	0.00	(+)13.54
कुल 4701-01-	(+)24.21	0.00	0.00	(+)24.21

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

शीर्ष	01 अप्रैल 2022 को प्रारम्भिक शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)	डैबिट	क्रेडिट	31 मार्च 2023 को अन्त शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)
		(₹ लाखों में)		
15- चंगर क्षेत्र परियोजना (गेर वाणिज्यिक)-				
799- उच्चत-				
01- स्कन्ध-	(+)83.49	0.00	0.00	(+)83.49
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(+)2.98	0.00	0.00	(+)2.98
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(-)2.72	0.00	0.00	(-)2.72*
कुल-4701-15-	(+)83.75	0.00	0.00	(+)83.75
16- प्रवाह सिंचाई परियोजना सिधाता (गैर-वाणिज्यिक)-				
799- उच्चत-				
01- स्कन्ध	(+)68.54	0.00	0.00	(+)68.54
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(-)14.71	0.00	0.00	(-)14.71*
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(+)32.91	0.00	0.00	(+)32.91
कुल-4701-16-	(+)86.74	0.00	0.00	(+)86.74
80- सामान्य-				
799- उच्चत-				
01- स्कन्ध-	(-)132.94	0.00	0.00	(-)132.94*
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(-)0.83	0.00	0.00	(-)0.83*
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(+)155.24	0.00	0.00	(+)155.24
कुल-योग 4701-80-	(+)21.47	0.00	0.00	(+)21.47
कुल- 4701-	(+)216.17	0.00	0.00	(+)216.17

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (समाप्त)

शीर्ष	01 अप्रैल 2022 को प्रारम्भिक शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)	डैबिट	क्रेडिट	31 मार्च 2023 को अन्त शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)
		(₹ लाख में)		
4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-	(-)608.15	0.00	0.00	(-)608.15*
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(-)12.72	0.00	0.00	(-)12.72*
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(+564.43	0.00	0.00	(+564.43
कुल 4702-	(-)56.44	0.00	0.00	(-)56.44*
4711- बाढ़ नियन्त्रण पर पूंजीगत परिव्यय-				
01- बाढ़ नियन्त्रण-				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-	(-)8.77	0.00	0.00	(-)8.77*
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(+9.98	0.00	0.00	(+9.98
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(+27.88	0.00	0.00	(+27.88
कुल 4711-	(+)29.09	0.00	0.00	(+)29.09
कुल-पूंजीगत प्रवर्ग	(+)392.38	0.00	0.00	(+)392.38
कुल मांग	(+)74,380.97	47,562.79	37,643.42	(+)84,300.34

टिप्पणी: * ऋणात्मक शेषों के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या- 14-पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2216-आवास, 2403-पशु पालन, 2404-दुग्ध विकास, 2405-मत्स्य पालन, 4403-पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4405-मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	4,18,51,68			
		4,50,32,27	4,53,40,81	(+)3,08,54
पूरक	31,80,59			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				5,76,47
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	13,28,09			
		13,62,05	12,69,38	(-)92,67
पूरक	33,96			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				1,32,65

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 3,08,53,938 के अंतिम आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।
- राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 308.54 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2023 में प्राप्त ₹ 3,180.59 लाख का अनूपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ तथा ₹ 576.47 लाख अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।
- पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 92.67 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में प्राप्त ₹ 33.96 लाख का अनूपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा और ₹ 132.65 लाख का अभ्यर्पण भी अत्यधिक सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- दत्तमत अनुदान में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	-----------------------------------	-----------------------

2403- पशु पालन-

102- पशु तथा भैंस विकास-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 14-(क्रमशः)

18-	गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को पशु चारा उपदान-				
	मूल	280.44			
			280.42	680.40	(+)399.98
	पुनर्वि०	(-)0.02			
	₹ 680.40 लाख के कुल व्यय में से ₹ 400.00 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।				
103-	कुक्कुट विकास-				
09-	5000 ब्रॉयलर योजना-				
	मूल	329.00	329.00	607.68	(+)278.68
	₹ 607.68 लाख के कुल व्यय में से ₹ 279.00 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।				
104-	भेड़ तथा उज्र विकास-				
10-	गरीबी रेखा से नीचे कृषकों हेतु बकरी पालन योजना -				
	मूल	40.00	40.00	240.00	(+)200.00
	₹ 240.00 लाख के कुल व्यय में से ₹ 200.00 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।				
106-	अन्य पशुधन विकास-				
10-	भेड़ एवं बकरी पालन को प्रोत्साहन				
	मूल	100.00			
			200.00	266.00	(+)66.00
	पूरक	100.00			
	₹ 266.00 लाख के कुल व्यय में से ₹ 66.00 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।				
2404-	दुग्ध विकास-				
191-	सहकारी समितियों और अन्य निकायों को सहायता-				
05-	दुग्ध सहकारी समितियों को मालभाड़ा उपदान-				
	मूल	90.00	90.00	122.59	(+)32.59
	₹ 122.59 लाख के कुल व्यय में से ₹ 32.59 लाख का व्यय वर्ष 2021-22 की आपति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।				
(v)	उपरोक्त आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ:-				
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
			(₹ लाखों में)		
2403-	पशुपालन-				
101-	पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य-				
01-	अस्पताल तथा औषधालय-				
	मूल	30,357.69			
	पूरक	2,491.87	32,453.25	32,456.19	(+)2.94
	पुनर्वि०	(-) 396.31			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 14-(क्रमशः)

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 396.31 लाख की कमी मुख्यतः ग्राम पंचायतों में पशु चिकित्सा सहायक के रिक्त पदों के न भरने के कारण हुई।

06-	जीरो महामारी उन्मूलन कार्यक्रम पर राष्ट्रीय परियोजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00
10-	पशु रोग नियन्त्रण के लिए राज्य को सहायता-				
(ii)	मूल	7.26			
	पुनर्वि०	(-)7.26
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iii)	मूल	22.00			
	पुनर्वि०	(-)22.00
11-	राष्ट्रीय पशु रोग सूचना प्रणाली- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iv)	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00
13-	पेस्ट डेस पेटिट्स रूमिनेंट्स नियंत्रण कार्यक्रम-				
(v)	मूल	1.30			
	पुनर्वि०	(-)1.30
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(vi)	मूल	7.00			
	पुनर्वि०	(-)7.00
102-	पशु तथा भैंस विकास-				
13-	पशु गणना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(vii)	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00
16-	गोजातीय प्रजनन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(viii)	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 14-(क्रमशः)

उपरोक्त आठ मामलों में मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 41.56 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण समाप्त कर दिया गया।

104-	भेड तथा ऊज विकास-				
04-	भेड एवं ऊज विकास पर व्यय-				
	मूल	540.76			
			479.71	451.12	(-)28.59
	पुनर्वि०	(-)61.05			
	₹ 28.59 लाख की अन्तिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 61.05 लाख की कमी रिक्त पदों के न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 28.59 लाख की अन्तिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
11-	हिमाचल प्रदेश ऊजा महासंघ को सहायता अनुदान-				
(i)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण समाप्त कर दिया गया।				
106-	अन्य पशुधन विकास-				
08-	गौशालाओं का उन्नयन-				
	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
	₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतिक्षित थे (जुलाई 2023)।				
12-	राष्ट्रीय पशुधन मिशन-				
(i)	मूल	3.00			
		
	पुनर्वि०	(-)3.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	2.00			
		
	पुनर्वि०	(-)2.00			
109-	विस्तार तथा प्रशिक्षण-				
02-	पशु चिकित्सा परिषद को सहायता अनुदान-				
(iii)	मूल	13.00			
		
	पुनर्वि०	(-)13.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 14-(क्रमशः)

	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iv)	मूल	13.00			
		
	पुनर्वि०	(-)13.00			
2404-	दुग्ध विकास-				
109-	विस्तार तथा प्रशिक्षण-				
02-	डेयरी उद्यमी विकास योजना के अन्तर्गत उपदान-				
(v)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
191-	सहकारी समितियों और अन्य निकायों को सहायता-				
03-	एकीकृत दुग्ध विकास परियोजना-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(vi)	मूल	3.00			
		
	पुनर्वि०	(-)3.00			
	उपरोक्त छः मामलों में मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 35.00 लाख के समस्त प्रावधान को भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया गया।				
2405-	मछली पालन-				
101-	अंतर्देशीय मत्स्य पालन-				
03-	मत्स्य क्रीडा का विकास एवं रखरखाव-				
	मूल	150.00			
			129.90	129.98	(-)0.02
	पुनर्वि०	(-)20.10			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 20.10 लाख की कमी मुख्यतः मछलियों के भोजन पर कम व्यय के कारण हुई।				
09-	ट्राउट पशुधन बीमा-				
	मूल	5.00			
			0.25	0.25	..
	पुनर्वि०	(-)4.75			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4.75 लाख की कमी ट्राउट मच्छवारों के बीमा दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
121-	मच्छुआरों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ -				
01-	मच्छुआरों के लिए जोखिम निधि-				
	मूल	3.00			
		
	पुनर्वि०	(-)3.00			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3.00 लाख के समस्त प्रावधान को मत्स्य पालन के दावे प्राप्त न होने के कारण कम किया गया।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 14-(समाप्त)

पूजीगत प्रवर्ग

(vi) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-				
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)	
		(₹ लाखों में)		
4403- पशुपालन पर पूजीगत परिव्यय-				
101- पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य-				
01- भवन कार्यक्रम-				
केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
मूल	1.00			
पुनर्वि०	(-)1.00			
मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम किया गया ।				
4405- मछली पालन पर पूजीगत परिव्यय-				
101- अंतर्देशीय मछली पालन-				
02- भवन-				
मूल	173.81			
		52.27	52.25	(-)0.02
पुनर्वि०	(-)121.54			
मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 121.54 लाख की कमी निर्माण कार्यो पर कम व्यय होने के कारण हुई।				
07- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना-				
केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
मूल	1.00			
पुनर्वि०	(-)1.00			
मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण कम किया गया ।				
(vii) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-				
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)	
		(₹ लाखों में)		
4403- पशुपालन पर पूजीगत परिव्यय-				
101- पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य-				
01- भवन कार्यक्रम-				
मूल	987.00			
पूरक	33.96	1,021.95	1,061.95	(+)40.00
पुनर्वि०	0.99			
₹ 1,061.95 लाख के कुल व्यय में से ₹ 40.00 लाख का व्यय वर्ष 2021-22 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।				

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या-15 - योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना

(शीर्ष- 2202-सामान्य शिक्षा, 2210-चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य, 2216-आवास, 2401-फसल पालन, 2402-मृदा एवं जल संरक्षण, 2403-पशु-पालन, 2406-वानिकी एवं वन्य जीवन, 2851-ग्राम एवं लघु उद्योग, 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवायें, 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 4210-चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4215-जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय, 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय, 4401- फसल पालन पर पूंजीगत परिव्यय, 4402- मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय, 4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय, 4406- वानिकी तथा वन्य जीवों पर पूंजीगत परिव्यय, 4702-अल्प सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय, 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा 5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिव्यय (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	79,97,38		
		79,97,39	(-)19,65,88
पूरक	1		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			8,30,12
पूंजीगत प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	4,93,74,00		
		4,93,74,00	(-)1,68,59,11
पूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			80,80,00

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,965.88 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में ₹ 830.12 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 16,859.11 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में ₹ 8,080.00 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-15 (क्रमशः)

राजस्व प्रवर्ग

(iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-
शीर्ष

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2202- सामान्य शिक्षा-			
01- प्रारम्भिक शिक्षा-			
101- राजकीय प्राथमिक विद्यालय-			
12- अटल वर्दी योजना-			
मूल	612.00		
	
पुनर्वि०	(-)612.00		
मार्च 2023 में ₹ 612.00 लाख के समस्त प्रावधान को अभ्यर्पण द्वारा वर्दीयों पर खर्च न होने तथा संहितागत औपचारिकतयों को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।			
112- प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत पौषाहार-			
01- मध्यांतर भोजन-			
मूल	200.00		
		80.00	80.00
पुनर्वि०	(-)120.00		..
मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 120.00 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं पूरा न होने के कारण हुई।			
2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-			
03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-			
पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-			
101- स्वास्थ्य उप-केन्द्र-			
01- स्वास्थ्य उप-केन्द्र-			
(i) मूल	1,395.25		
		1,349.22	1,261.78
पुनर्वि०	(-)46.03		(-)87.44
₹ 87.44 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 46.03 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, सामाग्री की देखरेख पर कम व्यय होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।			
₹ 87.44 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतिक्रित थे (जुलाई 2023)।			
103- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-15 (क्रमशः)

01-	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र -				
(i)	मूल	392.66			
			385.51	345.55	(-)39.96
	पुनर्वि०	(-)7.15			
104-	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-				
01-	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-				
(ii)	मूल	37.36			
			34.21	24.75	(-)9.46
	पुनर्वि०	(-)3.15			
110-	अस्पताल तथा औषधालय-				
01-	ग्रामीण स्वास्थ्य-				
(iii)	मूल	3.50	3.50	1.22	(-)2.28
	उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 51.70 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
06-	लोक स्वास्थ्य-				
101-	रोगों का निवारण तथा नियन्त्रण-				
01-	मलेरिया रोधी संगठन-				
	मूल	4.20			
			2.45	1.45	(-)1.00
	पुनर्वि०	(-)1.75			
	₹ 1.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.75 लाख की कमी चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की प्राप्ति न होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 1.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
13-	बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना-				
	(न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम)-				
	मूल	140.36			
			108.00	94.07	(-)13.93
	पुनर्वि०	(-)32.36			
	मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 32.36 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
3451-	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं-				
101-	नीति आयोग-				
01-	मुख्यालय-				
(i)	मूल	962.00			
			950.00	590.93	(-) 359.07
	पुनर्वि०	(-)12.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-15 (क्रमशः)

02-	जिले-				
(ii)	मूल	685.00			
	पूरक		697.75	528.17	(-)169.58
	पुनर्वि०	12.75			

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 528.65 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

18-	तेरहवें वित्त आयोग के अंतर्गत जिला अभिनव निधि-				
	मूल	300.00	300.00	..	(-)300.00

₹ 300.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

20-	राज्य अभिनव निधि-				
(i)	मूल	150.00	150.00	4.88	(-)145.12

21-	सत्त विकास हेतु लक्ष्य-				
(ii)	मूल	60.00	60.00	0.05	(-)59.95

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 205.07 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

(iv)	उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-			
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाखों में)	

2210-	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-				
04-	ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-				
	पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-				
101-	आयुर्वेद-				
02-	आयुर्वेदिक औषधालय -				
	मूल	1,440.20			
			1,436.69	1,503.76	(+)67.07
	पुनर्वि०	(-)3.51			

₹ 67.07 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

2216-	आवास-				
07-	अन्य आवास-				
053-	मुरम्मत एवं रखरखाव-				
02-	जिला योजना कर्मचारियों के आवासीय भवनों का रखरखाव-				
	पूरक	0.01			
			5.94	5.94	..
	पुनर्वि०	5.93			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-15 (क्रमशः)

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5.93 लाख का आवर्धन भवनों के रखरखाव पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

पूजीगत प्रवर्ग

(v) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूजीगत परिव्यय-			
01- सामान्य शिक्षा-			
201- प्रारम्भिक शिक्षा-			
07- भवनों का निर्माण-			
(i) मूल 1,000.00	854.45	854.33	(-)0.12
पुनर्वि० (-)145.55			
4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूजीगत परिव्यय-			
02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-			
103- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-			
01- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (निर्माण कार्य)-			
(ii) मूल 900.00	339.48	339.48	..
पुनर्वि० (-)560.52			
4215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूजीगत परिव्यय-			
01- जलापूर्ति-			
102- ग्रामीण जलापूर्ति-			
01- विभिन्न जिलों में ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएं-			
(iii) मूल 1,600.00	1,503.71	1,503.71	..
पुनर्वि० (-)96.29			
उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2023 में ₹ 802.36 लाख की कमी निर्माण के कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।			
4216- आवास पर पूजीगत परिव्यय-			
01- सरकारी आवासीय भवन-			
700- अन्य आवास-			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-15 (क्रमशः)

15-	जिला योजना अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए सरकारी आवास का निर्माण-				
	मूल	80.00	80.00	..	(-)80.00

₹ 80.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा, जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

4401- फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-

119-	बागवानी एवं सब्जी फसलें-				
03-	उद्यानिकी विभाग के भवन-				
(i)	मूल	90.00			
			60.43	60.43	..
	पुनर्वि०	(-)29.57			

800- अन्य व्यय-

01-	कृषि विभाग के भवन-				
(ii)	मूल	60.00			
			31.88	31.88	..
	पुनर्वि०	(-)28.12			

4403- पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-

101-	पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य-				
01-	भवन कार्यक्रम-				
(iii)	मूल	55.00			
			41.40	41.40	..
	पुनर्वि०	(-)13.60			

4406- वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय-

01-	वानिकी-				
101-	वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण				
01-	वानिकी-				
(iv)	मूल	95.00			
			49.99	49.99	..
	पुनर्वि०	(-)45.01			

4851- ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-

102-	लघु उद्योग-				
09-	ग्राम तथा लघु उद्योग				
(v)	मूल	60.00			
			17.00	17.00	..
	पुनर्वि०	(-)43.00			

उपरोक्त पाँच मामलों में मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 159.30 की कमी निर्माण के कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-15 (क्रमशः)

5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-

115- बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वित्तीय सहायता-

01- विकेन्द्रीयकृत नियोजन क्षेत्र-

मूल 19,674.00

11,594.00

8,063.64

(-)3,530.36

पुनर्वि० (-)8,080.00

₹ 3,530.36 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 8,080.00 लाख की कमी मुख्य कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 3,530.36 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतिक्षित थे (जुलाई 2023)।

02- विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि योजना-

(i) मूल 14,400.00 14,400.00 9,886.12 (-)4,513.88

03- स्थानीय जिला नियोजन/विकास में जन सहयोग-

(ii) मूल 5,500.00 5,500.00 3,876.52 (-)1,623.48

04- मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना-

(iii) मूल 810.00 810.00 589.66 (-)220.34

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 6,357.70 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतिक्षित थे। (जुलाई 2023)।

(vi) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ लाखों में)			

4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-

101- सतही जल-

01- विभिन्न जिलों में उठाऊ सिंचाई योजनाएं-

मूल 60.00

80.68

80.68

..

पुनर्वि० 20.68

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 20.68 लाख का आवर्धन निर्माण के लिए अधिक प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण हुआ।

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-

04- जिला तथा अन्य सड़कें-

337- सड़क निर्माण कार्य-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-15 (समाप्त)

27-	सड़कें एवं पुल- मूल	4,000.00			
			4,940.91	4,049.91	(-)891.00
	पुनर्वि०	940.91			

₹ 891.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 940.91 लाख का आर्वधन निर्माण हेतु अधिक प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 891.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतिक्षित थे (जुलाई 2023)।

800-	अन्य व्यय-				
06-	पिछड़े क्षेत्रों की सड़कें-				
(i)	531.45		(+)531.45
5475-	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-				
800-	अन्य व्यय-				
01-	विकेन्द्रीयकृत नियोजन क्षेत्र-				
(ii)	523.27		(+)523.27
02-	विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि योजना-				
(iii)	780.10		(+)780.10
03-	स्थानीय जिला नियोजन/विकास में जन सहयोग-				
(iv)	245.26		(+)245.26

₹ 2,080.08 लाख का समस्त व्यय वर्ष 2019-20 की आपति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-16- वन और वन्य जीवन

(शीर्ष- 2059- लोक निर्माण कार्य, 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 2406-वानिकी एवं वन्य प्राणी, 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4406-वानिकी तथा जंगली पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	7,60,69,80			
		8,09,28,59	7,20,21,31	(-)89,07,28
पूरक	48,58,79			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				77,95,05
प्रभारित				
मूल	..			
		31,76	31,38	(-)38
पूरक	31,76			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	10,22,00			
		11,97,50	10,20,89	(-)1,76,61
पूरक	1,75,50			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				87,96

टिप्पणियां तथा अभ्यक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 8,907.28 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में प्राप्त ₹ 4,858.79 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा तथा ₹ 7,795.05 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 176.61 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में प्राप्त ₹ 175.50 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा तथा ₹ 87.96 लाख अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-16 (क्रमशः)

राजस्व प्रवर्ग

(iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2402- भू तथा जल संरक्षण-			
109- विस्तार तथा प्रशिक्षण-			
20- भू संरक्षण में प्रशिक्षण (वन विभाग)-			
मूल	15.33		
		0.50	0.50
पुनर्वि०	(-)14.83		..
मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 14.83 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।			
2406- वानिकी तथा वन्य जीवन -			
01- वानिकी-			
001- निदेशन तथा प्रशासन-			
02- परिमण्डल/मण्डलीय स्थापना-			
मूल	36,431.49		
पूरक	315.58	36,408.46	36,310.67
पुनर्वि०	(-)338.60		(-)97.79
₹ 97.79 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 338.60 लाख की कमी चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, रिक्त पदों को न भरने, और यात्रा पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।			
₹ 97.79 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।			
070- संचार तथा भवन-			
01- भवनों सडकों तथा रास्तों का रखरखाव -			
मूल	1,285.00		
		1,246.87	1,234.59
पुनर्वि०	(-)38.13		(-)12.28
मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 38.13 लाख की कमी रखरखावों के निष्पादन पर कम खर्च के कारण हुई।			
101- वन संरक्षण, विकास और संपोषण-			
01- वनों की समेकन और सीमांकन -			
मूल	148.00		
		41.03	32.98
पुनर्वि०	(-)106.97		(-)8.05

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-16 (क्रमशः)

मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 106.97 लाख की कमी वार्षिक योजना परिव्यय में क्षेत्रीय पदाधिकारियों से मांग की कम प्राप्तियों के कारण हुई।

02- वन पुर्नोत्पादन-

मूल	39.73
-----	-------	----	----	----

पुनर्वि० (-)39.73

मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 39.73 लाख का समस्त प्रावधान में कमी वार्षिक योजना परिव्यय में क्षेत्रीय पदाधिकारियों से मांग की कम प्राप्तियों के कारण हुई।

03- एकीकृत वन सुरक्षा योजना-

मूल	30.00	12.59	12.59	..
-----	-------	-------	-------	----

पुनर्वि० (-)17.41

मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 17.41 लाख की कमी केन्द्रीय हिस्से की राशी के अनुपात में राज्य का हिस्सा जारी न होने के कारण हुई।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	268.00	113.29	113.29	..
-----	--------	--------	--------	----

पुनर्वि० (-)154.71

मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 154.71 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 113.29 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

04- प्रबन्धादि योजना संस्थान-

मूल	75.00	29.04	26.24	(-)2.80
-----	-------	-------	-------	---------

पुनर्वि० (-)45.96

मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 45.96 लाख की कमी पेड़ों की गणना के कार्य के निष्पादन और पेड़ों की गणना, मौटाई और उंचाई के लिए उपकरणों की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई।

08- हिमाचल प्रदेश वन इको सिस्टम जलवायु पूर्णिंग परियोजना।

(बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना)-

मूल	3,941.00	3,446.03	3,400.89	(-)45.14
-----	----------	----------	----------	----------

पुनर्वि० (-)494.97

₹ 45.14 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 494.97 लाख की कमी रिक्त पदों के न भरने, किराये दर व कर पर परियोजना से सम्बन्धित प्रतिविधियों के विज्ञापन, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों, यात्रा, पानी विद्युत एवं टेलीफोन बिलों पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-16 (क्रमशः)

₹ 45.14 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

102-	सामाजिक एवं कृषि वानिकी-				
34-	राज्य वन विकास अभिक्रम द्वारा राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम का कार्यान्वयन-				
(i)	मूल	31.00			
	पुनर्वि०	(-)31.00
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	299.00			
	पुनर्वि०	(-)299.00
35-	स्थायी कृषि पर राष्ट्रीय मिशन के अन्तर्गत कृषि-वानिकी मिशन-				
(iii)	मूल	7.00			
	पुनर्वि०	(-)7.00
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iv)	मूल	66.00			
	पुनर्वि०	(-)66.00
	उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 403.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण हुई इसलिए राज्य की हिस्से को जारी नहीं किया जा सका।				
37-	स्रोत स्थिरता और जलवायु अनुकूल वर्षा सिंचित कृषि के लिए एकीकृत विकास परियोजना-				
	मूल	5,064.00			
	पूरक	3,000.00	7,899.01	7,861.16	(-)37.85
	पुनर्वि०	(-)164.99			
	₹ 37.85 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 164.99 लाख की कमी रिक्त पदों के न भरने, पेट्रोल, तेल, स्नेहक, किराया दर और करों पर कम व्यय के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 37.85 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
39-	प्रायोगिक सिल्वि कल्चरल फेलिंग-				
	मूल	441.00			
			57.36	57.36	..
	पुनर्वि०	(-)383.64			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-16 (क्रमशः)

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 383.64 लाख की कमी सीमा स्तम्भों, चैक बांधों व दिवारों के लघु कार्यों के निष्पादन, कार्यशालाओं और सेमिनारों के आयोजन, सिल्वीकल्चरल फेंलिंग के लिए सामग्री प्रापण और सलाहकारों की नियुक्ती पर कम व्यय के कारण हुई।				
40-	अतिरिक्त वनवर्धन संचालन-			
	मूल	224.00		
			80.41	80.41
	पुनर्वि०	(-143.59)		..
मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 143.59 लाख की कमी कार्यों के निष्पादन, सामग्री की खरीद और कार्यशालाओं और संगोष्ठियों के आयोजन पर कम व्यय के कारण हुई।				
42-	हरित भारत के लिए राष्ट्रीय अभियान-			
(i)	मूल	125.00		
			7.90	7.90
	पुनर्वि०	(-117.10)		..
केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	1,124.00		
			72.00	72.00
	पुनर्वि०	(-1,052.00)		..
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,169.10 लाख की कमी भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया इसलिए राज्य सरकार का हिस्सा इसी अनुपात जारी किया गया।				
43-	विभागीय राज्य वानिकी कार्यक्रम-			
	मूल	2,320.00		
			2,235.61	2,210.96
	पुनर्वि०	(-84.39)		(-24.65)
₹ 24.65 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 84.39 लाख की कमी वृक्षारोपण गतिविधियों के रखखाव के निष्पादन, लघुकार्यों, सामग्री की खरीद और कार्यशालाओं, सेमिनारों व जागरूकता शिविरों पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
₹ 24.65 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
44-	सामूदायिक राज्य वानिकी कार्यक्रम-			
	मूल	1,050.00		
			454.15	438.52
	पुनर्वि०	(-595.85)		(-15.63)
मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 595.85 लाख की कमी वृक्षारोपण व वितरण, क्रेटवायट संरचनाओं, बाढ लगाने के कार्य के निष्पादन, सामग्री की खरीद पर कम व्यय और क्षेत्रीय कार्यालयों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-16 (क्रमशः)

45-	नगर वन योजना-				
(i)	मूल	5.00			
	पुनर्वि०	(-)5.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 6.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया और इसलिए राज्य का हिस्सा/मांग भी जारी नहीं किया जा सका।				
105-	वन उत्पाद -				
01-	सरकारी एजेंसी के माध्यम से लकड़ी तथा अन्य पदार्थ ले जाना-				
	मूल	69.36			
			54.00	50.76	(-)3.24
	पुनर्वि०	(-)15.36			
	मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 15.36 लाख की कमी कवाड़/बचाव चिहनीकरण से सम्बन्धित कार्यों के निष्पादन पर कम व्यय के कारण हुई।				
02-	ग्राहकों तथा उपभोक्ताओं द्वारा लकड़ी तथा अन्य पदार्थ ले जाना-				
	मूल	22.48			
			10.00	9.06	(-)0.94
	पुनर्वि०	(-)12.48			
	मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 12.48 लाख की कमी मुख्यतः लकड़ी के ढेरो के चिहनीकरण व परिवहन पर कम व्यय के कारण हुई।				
07-	चीड़ की पत्तियों का जंगलों से सकलन तथा इस पर आधारित उद्योगों में निवेश हेतु उपदान-				
	मूल	187.00			
	पुनर्वि०	(-)187.00			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 187.00 लाख के समस्त प्रावधान को लाभार्थियों से कम प्रस्ताव, लाभार्थियों को कम सब्सिडी जारी करने और संगोष्ठियों व जागरूकता शिविरों के कम आयोजनों के कारण कम कर दिया गया।				
02-	पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-				
110-	वन्य जीव परिरक्षण-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-16 (क्रमशः)

10-	राष्ट्रीय उद्यानों एवं शरणस्थलों के विकास हेतु सहायता-				
(i)	मूल	45.00			
			6.85	6.85	..
	पुनर्वि०	(-38.15)			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	435.00			
			61.64	61.64	..
	पुनर्वि०	(-373.36)			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 411.51 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति और इसलिए राज्य का हिस्से को इसी अनुपात में जारी करने के कारण हुई। जबकि क्रम संख्या (ii) में ₹ 102.51 लाख का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ।				
04-	वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास-				
103-	राज्य क्षतिपूरक वनारोपण-				
01-	प्रतिपूरक वनीकरण-				
	मूल	1,900.00			
			1,875.87	1,847.33	(-)28.54
	पुनर्वि०	(-)24.13			
	₹ 28.54 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 24.13 लाख की कमी कंटीले तारों की कम खरीद और रखरखाव गतिविधियों के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 28.54 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
02-	जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना-				
	मूल	2,100.00			
			1,857.32	1,814.63	(-)42.69
	पुनर्वि०	(-)242.68			
	₹ 42.69 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 242.68 लाख की कमी सामग्री की कम खरीद, लघु कार्यों, किराये के वाहनों, मशीनरी की खरीद और रखरखाव की गतिविधियों के निष्पादन पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 42.69 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
03-	एकीकृत वन्य जीवन प्रबंधन योजना-				
	मूल	1,700.00			
			1,416.74	1,322.95	(-)93.79
	पुनर्वि०	(-)283.26			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-16 (क्रमशः)

₹ 93.79 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 283.26 लाख की कमी ऐंट इटरज व ऐंट पोचरज की तैनाती पर कम व्यय, जागरूकता शिविरों व उपकरणों की खरीद, परामर्श सेवाओं को किराये पर लेने और श्रेत्रीय कार्यालयों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 93.79 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

04- वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य-

मूल	8,000.00			
		5,256.61	4,636.63	(-)619.98
पुनर्वि०	(-)2,743.39			

₹ 619.98 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,743.39 लाख की कमी लघु कार्यों पर कम व्यय, प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन और मशीनरी की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 619.98 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

05- व्याज-

मूल	300.00			
		86.56	79.64	(-)6.92
पुनर्वि०	(-)213.44			

मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 213.44 लाख की कमी प्रशिक्षण कार्यक्रम पर कम व्यय, जागरूकता शिविर, बाह्य स्रोत सेवाओं, किराया, दर व कर, पेट्रोल, किराये के वाहनों, आतिथ्य और मनोरंजन पर कम व्यय के कारण हुई।

06- अन्य-

मूल	1.50			
		0.22	0.22	..
पुनर्वि०	(-)1.28			

मार्च 2023 में अभ्यर्पण के द्वारा प्रावधान में ₹ 1.28 लाख की कमी सामग्री की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई।

(iv) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाखों में)

2402- भू तथा जल संरक्षण-

102- मृदा संरक्षण-

12- सुरक्षात्मक वनीकरण "मृदा संरक्षण और प्रदर्शन (वन विभाग)"-

(i) मूल	650.00			
		1,042.01	1,036.03	(-)5.98
पुनर्वि०	392.01			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-16 (क्रमशः)

2406- वानिकी और वन्य जीवन-

02- पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-

110- वन्य जीव परिरक्षण-

01- वन्य प्राणी-

(ii) मूल 1,376.00

1,523.17

1,504.70

(-)18.47

पुनर्वि० 147.17

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 539.18 लाख का आवर्धन वेतनमान तथा मांगों के संशोधन के कारण हुआ।

111- चिडियाघर-

01- हिमालयन प्राणी उप वन विकास-

मूल 461.00

491.77

468.41

(-)23.36

पुनर्वि० 30.77

₹ 23.36 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में प्रावधान में ₹ 30.77 लाख का आवर्धन वेतनमान के संशोधन के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 23.36 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

पूंजीगत प्रवर्ग

(v) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष

कुल अनुदान

वास्तविक

व्यय

आधिक्य (+)

बचत (-)

(₹ लाखों में)

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय-

01- सरकारी आवासीय भवन-

700- अन्य आवास-

10- वानिकी के अंतर्गत भवन निर्माण-

मूल 300.00

267.53

283.22

(+)15.69

पुनर्वि० (-)32.47

मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 32.47 लाख की कमी सहितांगत औपचारिकतायें पूरी न होने के कारण हुई।

₹ 283.22 लाख के कुल व्यय में से ₹ 27.87 लाख का व्यय आपत्ति पुस्तिका के उचत के समायोजन के कारण हुआ।

4406- वानिकी तथा वन्य जीवन**पर पूंजीगत परिव्यय-**

01- वानिकी-

070- संचार तथा भवन-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-16 (क्रमशः)

01-	सडकें तथा पुल-				
	मूल	200.00			
			154.12	133.64	(-)20.48
	पुनर्वि०	(-)45.88			

₹ 20.48 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 45.88 लाख की कमी संहितागत औपचारकताओं को पूरा न होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 20.48 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

02-	भवन-				
	मूल	500.00			
	पूरक	175.50	672.99	589.14	(-)83.85
	पुनर्वि०	(-)2.51			

₹ 83.85 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

02- पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन-

110- वन्य जीवन-

03- वन्य जीवन-

	मूल	11.00			
			5.00	5.00	..
	पुनर्वि०	(-)6.00			

मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 6.00 लाख की कमी संहितागत औपचारकताएं को पूरी न होने के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-16 (समाप्त)

(vi) राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष (SCAF)

प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम 2016 (2016 का 38) की धारा 4 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस अधिनियम के प्रायोजनों के लिए राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि की स्थापना की गई। यह निधि राज्य सरकार के नियन्त्रण में होगा तथा 2 जुलाई 2009 के दिशा निर्देशों की अनुपालना में निधि का नियंत्रण राज्य में गठित राज्य प्राधिकरण जिसे राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबन्धक एवं योजना प्राधिकरण नाम के नियन्त्रण में होगा। प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम 2016 की धारा 3(4) में दिये गये प्रावधानों के अनुसार उपयोग कर्ता अभिकरण/एजेंसी से प्राप्त दस प्रतिशत की राशि जिसे सीधे प्रति वर्ष राज्य निधि में जमा किया जायेगा और राष्ट्रीय निधि में स्थानान्तरित किया जायेगा।

हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के अधिनियम 2016 के अनुसार मुख्य शीर्ष 8121-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि का गठन किया गया। भारत सरकार द्वारा 08/2019 से 03/2021 तक ₹ 1,66,072.19 लाख राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण निधि से राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि में स्थानान्तरित किया गया। 1 अप्रैल 2022 तक राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि में ₹ 1,60,811.08 लाख कुल अथ शेष था। वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार द्वारा मुख्य शीर्ष 8121- सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां, 129-राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि के अन्तर्गत ₹ 171.44 लाख (₹ 170.62 लाख CAMPA के अप्रयुक्त राशि पर ब्याज के रूप में और उपयोग कर्ता अभिकरण/एजेंसी से ₹ 0.82 लाख) प्राप्त हुये। वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिपूरक वनीकरण की विभिन्न गतिविधियों पर ₹ 9,701.40 लाख व्यय किये गये। राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2022 को अथ शेष पर कुल प्राप्त ब्याज की राशि ₹ 5,387.17 लाख जमा किये है। 31 मार्च 2023 को राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि में ₹ 1,56,668.29 लाख है। कोष के संचालन के विस्तृत विवरण के लिए वर्ष 2022-23 के वित्त लेखों के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 8121- सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां, 129-राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि की विवरणी क्रमांक 21 का अवलोकन करें।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 17- निर्वाचन

(शीर्ष- 2015-निर्वाचन, 2059-लोक निर्माण कार्य, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं और 4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	83,52,70			
		1,02,87,32	1,05,57,30	(+)2,69,98
पूरक	19,34,62			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				1,91,18
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	75,00			
		75,00	75,00	..
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 2,69,97,672 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 269.68 लाख की अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2023 में प्राप्त ₹ 1,934.62 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त और ₹ 191.18 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (iii) दत्तमत अनुदान में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2015- निर्वाचन -			
103- मतदाता सूचियों का निर्माण और मुद्रण-			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-17 (क्रमशः)

01- विधानसभा -

मूल	850.00			
पूरक	328.00	1,157.73	1,531.48	(+)373.75
पुनर्वि०	(-)20.27			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 20.27 लाख की कमी कार्यालय सामग्री स्टेशनरी की वस्तुओं तथा मतदाता सूचियों के बनाने एवं प्रकाशन पर कम व्यय के कारण हुई।

₹ 1,531.48 लाख के कुल व्यय में से ₹ 425.93 लाख को व्यय वर्ष 2019-20 की आपति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

105- संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार-

01- संसदीय-

मूल	0.11			
पूरक	297.81	272.76	517.86	(+)245.10
पुनर्वि०	(-)25.16			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 25.16 लाख की कमी बाह्य स्रोत के वाहनों के रखरखाव पर कम व्यय के कारण हुई।

₹ 517.86 लाख के कुल व्यय में से ₹ 245.32 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

(iv) उपरोक्त आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाखों में)	

2015- निर्वाचन -

102- निर्वाचन अधिकारी-

01- मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं कर्मचारी-

मूल	2,073.10			
पूरक	127.08	2,177.60	2,173.76	(-)3.84
पुनर्वि०	(-)22.58			

मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 22.58 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा फोटो मतदाता सूची के विपेश संक्षिप्त पुनर्निक्षण पर कम व्यय के कारण हुई।

106- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल के चुनावों के संचालन के लिए प्रभार-

01- विधानसभा चुनाव-

मूल	5,000.00			
पूरक	773.74	5,672.25	5,642.49	(-)29.76
पुनर्वि०	(-)101.49			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-17 (समाप्त)

₹ 29.76 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 101.49 लाख की कमी यात्रा तथा सामग्री की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई जोकि विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनावी सामग्री पर अधिक व्यय होने के कारण हुए आधिक्य से प्रतिसन्तुलित हुई जोकि अर्पयाप्त सिद्ध हुई।

₹ 29.76 लाख के अंतिम बचत के कारण प्रतिक्षित थे (जुलाई 2023)।

108-	मतदाताओं को फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी करना-				
01-	मतदाताओं को फोटो युक्त पहचान पत्र जारी करना-				
	मूल	200.00			
	पूरक	18.38	196.85	196.84	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)21.53			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 21.53 लाख की कमी सामग्री की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई।

109-	पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार-				
01-	पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार-				
	मूल	50.54			
			440.14	323.03	(+)117.11
	पूरक	389.60			

₹ 117.11 लाख के अंतिम बचत के कारण प्रतिक्षित थे (जुलाई 2023)।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 18- उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी

(शीर्ष- 2057-आपूर्ति तथा निपटान, 2059-लोक निर्माण कार्य, 2216-आवास, 2851- ग्रामीण तथा लघु उद्योग, 2852-उद्योग, 2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	1,40,25,08			
		2,21,26,36	2,25,17,58	(+)3,91,22
पूरक	81,01,28			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				
				5,54,73
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	32,75,00			
		1,85,47,00	1,87,32,99	(+)1,85,99
पूरक	1,52,72,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				
				10,00

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 3,91,22,878 के आधिक्य के नियमन अपेक्षित है।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,85,98,571 के आधिक्य के नियमन अपेक्षित है।
- (iii) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 391.23 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2023 में प्राप्त ₹ 8,101.28 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ तथा ₹ 554.73 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।
- (iv) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 185.99 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2023 में प्राप्त ₹ 15,272.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ तथा ₹ 10.00 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (v) दत्तमत अनुदान में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	-----------------------------------	-----------------------

2852- उद्योग-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 18 (क्रमशः)

80-	सामान्य-				
800-	अन्य व्यय-				
02-	निवेश स्कीम को बढ़ावा-				
	1,024.48	(+)	1,024.48

₹ 1,024.48 लाख का समस्त व्यय वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

(vi) उपरोक्त आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अंतर्गत हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	-----------------------

2057-	आपूर्ति एवं निपटान-				
101-	खरीद-				
01-	भण्डार क्रय संगठन की स्थापना-				
	मूल	180.69			
			151.03		
	पुनर्वि०	(-)29.66			(-)0.06

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 29.66 लाख की कमी रिक्त पदों के न भरने के कारण हुई।

2216-	आवास-				
05-	सामान्य पूल निवास-				
053-	रखरखाव तथा मरम्मत-				
01-	अन्य रखरखाव व्यय-				
	मूल	4.08	4.08	1.50	(-)2.58

₹ 2.58 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

2851-	ग्रामीण तथा लघु उद्योग-				
102-	लघु उद्योग-				
10-	औद्योगिक विकास एवं प्रशिक्षण-				
	मूल	30.00			
			19.96	19.85	(-)0.11
	पुनर्वि०	(-)10.04			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 10.04 लाख की कमी कार्यशालाओं/संगोष्ठियों के आयोजन पर कम व्यय के कारण हुई।

19-	सूचना एवं प्रौद्योगिकी और ई-गवर्नेंस-				
	मूल	1,720.00			
			1,210.39	1,210.39	..
	पुनर्वि०	(-)509.61			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 18 (क्रमशः)

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 509.61 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, सरकारी बैठकों का कम आयोजन, संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने, बिजली बिलों की कम प्राप्ति, प्रशिक्षण कार्यक्रम का कम आयोजन तथा वाहनों की मरम्मत पर कम खर्च होने के कारण हुई।

23- आपदा संकट न्यूनीकरण-
मूल 1.00

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं देने के कारण कम कर दिया गया।

30- राष्ट्रीय बॉस मिशन-
(i) मूल 1.00

पुनर्वि० (-)1.00

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल 1.00

पुनर्वि० (-)1.00

103- हथकरघा उद्योग-

22- हथकरघा तथा हस्तकला के लिए एकीकृत योजना-

(iii) मूल 1.00

पुनर्वि० (-)1.00

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3.00 लाख का समस्त प्रावधान लाभार्थियों से मांग प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया गया।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 1.00

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2023 में ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा भारत सरकार द्वारा निधियों को सीधे लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरित करने के कारण कम कर दिया गया।

26- मुख्यमंत्री दस्तकार साहित्य योजना-

मूल 10.00

7.23

7.23

(-)0.01

पुनर्वि० (-)2.77

मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2.77 लाख की कमी लाभार्थियों से मांग की कम प्राप्ति के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 18 (क्रमशः)

27- हथकरघा एवं हस्तशिल्प का सामुहिक विकास-

(i) मूल 1.00

पुनर्वि० (-)1.00

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल 1.00

पुनर्वि० (-)1.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹2.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार द्वारा निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

107- रेशम उत्पादन उद्योग-

01- रेशम उद्योग का विकास-

(i) मूल 825.13

पूरक 41.89 865.48 841.24 (-)24.24

पुनर्वि० (-)1.54

111- बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार योजना-

01- मुख्यमंत्री स्वालम्बन योजना-

(ii) मूल 3,479.00

पूरक 4,491.76 7,979.00 7,948.38 (-)30.62

पुनर्वि० 8.24

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 54.86 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

पूंजीगत प्रवर्ग

(vii) दत्तमत अनुदान में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अंतर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाखों में)	

4851- ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-

800- अन्य व्यय-

01- औद्योगिक क्षेत्र के भवनों का निर्माण-

.. .. 196.08 (+)196.08

₹ 196.08 लाख का समस्त व्यय वर्ष 2020-21 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

(viii) उपरोक्त आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अंतर्गत हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाखों में)	

4851- ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 18 (समाप्त)

102-	लघु उद्योग-				
10-	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए क्लस्टर विकास कार्यक्रम-				
	मूल	10.00			
		
	पुनर्वि०	(-)10.00			
	मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 10.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण कम कर दिया गया।				
11-	विभिन्न औद्योगिक पार्कों की स्थापना-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	75.00			
		
	पुनर्वि०	(-)75.00			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 75.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार द्वारा राशि का सीधे कार्यान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित करने के कारण कम कर दिया गया।				

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 19- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2236-पोषण, 4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय तथा 6225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए ऋण)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	13,49,29,02		
		15,23,99,01	(-)64,42,58
पूरक	1,74,69,99		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			7,20,38
पूंजीगत प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	5,28,00		
		64,10,57	(-)62,42,00
पूरक	58,82,57		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			1,27,00

टिप्पणियां तथा अभ्यक्तियां

- राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 6,442.58 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में प्राप्त ₹ 17,469.99 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ और ₹ 720.38 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 6,242.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में प्राप्त ₹ 5,882.57 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा और ₹ 127.00 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	-----------------------

2059- लोक निर्माण-कार्य-

01- कार्यालय भवन-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

053-	रखरखाव तथा मरम्मत-				
67-	सरकारी आंगनबाड़ी केन्द्रों की मरम्मत-				
(i)	मूल	2.00	(-)2.00
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	33.00	(-)33.00
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 35.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
2225-	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण-				
03-	पिछड़े वर्गों का कल्याण-				
102-	आर्थिक विकास-				
01-	अन्य पिछड़ा वर्गों का आर्थिक विकास-				
	मूल	35.00			
			20.33	20.33	..
	पुनर्वि०	(-)14.67			
	मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 14.67 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
02-	गुज्जर, लब्बाना, गद्दी जातियों के कल्याण हेतु गठित बोर्ड-				
	मूल	20.00			
	पूरक	0.01	8.97	8.69	(-)0.28
	पुनर्वि०	(-)11.04			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 11.04 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति तथा बैठकों के कम आयोजन के कारण हुई।				
04-	कंप्यूटर अनुप्रयोग प्रशिक्षण-				
	मूल	270.00			
			129.80	129.30	(-)0.50
	पुनर्वि०	(-)140.20			
	मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 140.20 लाख की कमी कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स पर कम व्यय के कारण हुई।				
80-	सामान्य-				
190-	सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता-				
01-	अल्पसंख्यक विकास निगम को सहायता अनुदान-				
	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान लाभार्थियों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण कम कर दिया गया।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

01- पुर्नवास-

202- अन्य पुनर्वास योजनाएं-

02- कुष्ठ रोगियों का पुनर्वास-

मूल 183.00

142.45

142.45

..

पुनर्वि० (-)40.55

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 40.55 लाख की कमी लाभार्थियों से आवेदनों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

05- शराब और नशीली दवाओं के लिए रोकथाम योजना-

मूल 6.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)6.00

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 6.00 लाख का समस्त प्रावधान केन्द्रीय भाग/हिस्से की प्राप्ति न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

06- मानसिक रोगी उपचारित हेतु पुर्नवास योजना-

मूल 100.00

70.88

70.87

(-)0.01

पुनर्वि० (-)29.12

मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 29.12 लाख की कमी विकलांगों से विवाह अनुदान के लिए प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

02- समाज कल्याण-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशालय-

मूल 186.73

120.66

131.50

(+)10.84

पुनर्वि० (-)66.07

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 66.07 लाख की कमी रिक्त पदों के न भरने के कारण हुई।

101- विकलांगों का कल्याण-

03- विकलांगों का उत्थान-

मूल 453.00

पूरक 50.00

474.03

450.85

(-)23.18

पुनर्वि० (-)28.97

₹ 23.18 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 28.97 लाख की कमी लाभार्थियों से कम आवेदन प्राप्त होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 23.18 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	1.00			
-----	------	--	--	--

पुनर्वि०	(-)1.00			
----------	---------	--	--	--

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

07- विशेष योग्यता वाले बच्चों के लिए संस्थान-

मूल	186.89			
-----	--------	--	--	--

पूरक	15.60	180.06	191.36	(+)11.30
------	-------	--------	--------	----------

पुनर्वि०	(-)22.43			
----------	----------	--	--	--

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 22.43 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण के कारण हुई।

102- बाल कल्याण-

01- राज्य समाजिक कल्याण सलाहकार बोर्ड को सहायता-

मूल	78.75			
-----	-------	--	--	--

55.19

55.19

..

पुनर्वि०	(-)23.56			
----------	----------	--	--	--

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 23.56 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

03- शिशु गृह-

मूल	330.00			
-----	--------	--	--	--

329.99

279.85

(-)50.14

पुनर्वि०	(-)0.01			
----------	---------	--	--	--

₹ 50.14 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

05- एकीकृत शिशु कल्याण सेवाएं-

मूल	3,223.01			
-----	----------	--	--	--

पूरक	2,722.00	6,148.79	5,633.17	(-)515.62
------	----------	----------	----------	-----------

पुनर्वि०	203.78			
----------	--------	--	--	--

₹ 515.62 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 203.78 लाख का आवधन यात्रा, पानी, बिजली, किराया और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि रिक्त पदों के न भरने और भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति से हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 515.62 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	20,549.00			
-----	-----------	--	--	--

15,760.50

15,760.49

(-)0.01

पुनर्वि०	(-)4,788.50			
----------	-------------	--	--	--

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,788.50 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, एकल नौडल एजेंसी के कार्यान्वयन, सामग्री/वस्तुओं की खरीद पर कम व्यय और अन्य योजनाओं पर व्यय के कारण हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 27,741.80 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

24-	लड़कियों की शादी के लिए अनुदान-				
	मूल	1,972.00			
			1,495.74	1,255.19	(-)240.55
	पुनर्वि०	(-)476.26			

₹ 240.55 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 476.26 लाख की कमी लाभार्थियों से कम आवेदन प्राप्त होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 240.55 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

103-	महिला कल्याण-				
05-	राज्य महिला आयोग-				
(i)	मूल	110.42	110.42	83.16	(-)27.26
17-	मुख्यमंत्री कन्यादान योजना-				
(ii)	मूल	792.00			
			793.64	755.85	(-)37.79
	पुनर्वि०	1.64			

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 65.05 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

18-	विधवा पुनर्विवाह योजना-				
	मूल	46.00			
			59.80	42.90	(-)16.90
	पुनर्वि०	13.80			

₹ 16.90 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 13.80 लाख का आवर्धन लाभार्थियों से अधिक आवेदन प्राप्त होने के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 16.90 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

19-	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	888.00			
			276.24	97.57	(-)178.67
	पुनर्वि०	(-)611.76			

₹ 178.67 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 611.76 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा सीधे निलम्बलेख खातों में हस्तांतरित करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 178.67 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

21-	महिला शक्ति केन्द्र-				
	मूल	55.00			
			54.42	32.94	(-)21.48
	पुनर्वि०	(-)0.58			
	₹ 21.48 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	5.00	5.00	..	(-)5.00
	₹ 5.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
22-	पोषण अभियान-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	651.00			
	पूरक	0.01	518.22	516.13	(-)2.09
	पुनर्वि०	(-)132.79			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 132.79 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, जागरूकता कार्यक्रमों के कम आयोजन, बिजली, जल प्रभार, वाहनों की मरम्मत और इंधन पर कम व्यय के कारण हुई जोकि विज्ञापन पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।				
24-	स्वाधार गृह योजना-				
(i)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	11.00	11.00	..	(-)11.00
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 12.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
26-	वो दिन-				
	मूल	200.00			
			146.00	142.63	(-)3.37
	पुनर्वि०	(-)54.00			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 54.00 लाख की कमी जागरूकता गतिविधियों के आयोजन पर कम व्यय के कारण हुई।				
104-	वृद्ध अशक्त और निराश्रितों का कल्याण-				
01-	मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष हेतु अनुदान-				
	पूरक	3,367.90			
			4,100.00	..	(-)4,100.00
	पुनर्वि०	732.10			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

₹ 4,100.00 लाख के समस्त प्रावधान के अप्रयुक्त रहने की दृष्टी से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 732.10 लाख का आर्वधन योजनाओं के कार्यान्वयन के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 4,100.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

107-	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता-				
02-	अन्य एच्छिक संस्थाओं को अनुदान-				
	मूल	282.00			
			216.53	216.53	..
	पुनर्वि०	(-)65.47			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 65.47 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
04-	परिवार सहायता-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	400.00			
			314.00	314.00	..
	पुनर्वि०	(-)86.00			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 86.00 लाख की कमी लाभार्थियों से कम आवेदन प्राप्त होने के कारण हुई।				
09-	वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				
200-	अन्य कार्यक्रम-				
01-	दक्षता को बढ़ावा देकर रोजगार, बाह्य स्रोत द्वारा रोजगार प्रतिभूति-				
	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को योजना के अंतर्गत कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण कम कर दिया गया।				
60-	अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-				
102-	सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अन्तर्गत पेंशन-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

06-	सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अन्तर्गत ट्रांसजेंडर्स को पेंशन-				
	मूल	15.00			
			1.18	1.17	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)13.82			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 13.82 लाख की कमी आवेदनों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई।				
104-	निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना-				
	सरकारी भविष्य निधि-				
01-	जमा से जुड़ी बीमा योजना के अन्तर्गत देय राशि-				
	मूल	220.00	220.00	133.80	(-)86.20
	₹ 86.20 लाख की अंतिम बचत अनुमान से कम मामले प्राप्त होने के कारण हुई।				
200-	अन्य कार्यक्रम-				
12-	सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को अनुग्रहित भुगतान-				
	मूल	600.00			
			650.00	554.08	(-)95.92
	पूरक	50.00			
	₹ 95.92 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
15-	बेकसूर मोटर दुर्घटना की प्रतिपूर्ति-				
	मूल	100.00			
		
	पुनर्वि०	(-)100.00			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 100.00 लाख का समस्त प्रावधान लाभार्थियों से मांग की प्राप्ति ना होने के कारण कम कर दिया गया।				
800-	अन्य व्यय-				
06-	वित्त विभाग के पास आरक्षित निधि के पेंशनर-				
	मूल	5,761.00			
		
	पुनर्वि०	(-)5,761.00			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,761.00 लाख का समस्त प्रावधान विभिन्न विभागों को आरक्षित निधि के वितरण होने के कारण कम किया गया।				
53-	आतिथ्य सरकार संगठन के पेंशनर-				
	मूल	2.60			
			1.60	1.32	(-)0.28
	पुनर्वि०	(-)1.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.00 लाख की कमी चिकित्सा आपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

77- निदेशालय ऊर्जा के पेंशनर-
(i) मूल 1.74 1.74 .. (-)1.74

92- हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक प्राधिकरण के पेंशनभोगी-

(ii) मूल 1.50 1.50 .. (-)1.50

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में ₹ 3.24 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

2236- पोषण-

02- पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण-

101- विशेष पोषण कार्यक्रम-

05- पोषाहार स्कीम-

(i) मूल 520.00
400.86 400.86 ..

पुनर्वि० (-)119.14

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल 4,679.00
3,637.76 3,637.76 ..

पुनर्वि० (-)1,041.24

उपरोक्त दो मामलों को मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,160.38 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति और केन्द्रीय हिस्से के अनुपात में राज्य का हिस्सा जारी होने के कारण हुई।

(iv) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	-----------------------------------	-----------------------

**2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,
पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण-**

01- अनुसूचित जातियों का कल्याण-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशालय-

मूल 456.02
444.17 461.97 (+)17.80

पुनर्वि० (-)11.85

₹ 461.97 लाख के कुल व्यय में से ₹ 37.62 लाख का व्यय वर्ष 2021-22 के आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

02-	जिला कर्मचारी वर्ग-				
	मूल	1,432.96			
	पूरक	10.00	1,485.11	1,467.91	(-)17.20
	पुनर्वि०	42.15			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 42.15 लाख का आवर्धन वेतनमानों के संशोधन तथा वेतन की बकाया राशी के भुगतान के कारण हुआ जोकि दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण, सामग्री की खरीद पर कम व्यय तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति से हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

02-	अनुसूचित जातियों का कल्याण-				
283-	आवास-				
01-	गैर जनजातिय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए स्वर्ण जयन्ती आश्रय योजना-				
	मूल	150.00	150.00	181.20	(+)31.20

₹ 181.20 लाख के कुल व्यय में से ₹ 31.20 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

02-	सामाजिक कल्याण-				
102-	बाल कल्याण-				
11-	आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायकों को मानदेय-				
	मूल	6,997.00			
			11,070.08	10,668.30	(-)401.78
	पुनर्वि०	4,073.08			

₹ 401.78 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,073.08 लाख का आवर्धन मानदेय की दरों के संशोधन के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 401.78 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

13-	बेटी है अनमोल-				
	मूल	915.00			
			976.26	1,160.31	(+)184.05
	पुनर्वि०	61.26			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 61.26 लाख का आवर्धन जन्म उपरान्त अनुदान की दर में वृद्धि और पहली से स्नातक कक्षा तक की छात्रवृत्ति की दर में संशोधन के कारण हुआ।

₹ 1,160.31 लाख के कुल व्यय में से ₹ 210.00 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

15-	एकीकृत शिशु संरक्षण योजना के अंतर्गत शहरी तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों में आवास एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित शिशु घर-				
	मूल	124.00			
	पूरक	252.00	527.38	417.96	(-) 109.42
	पुनर्वि०	151.38			

₹ 109.42 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 151.38 लाख का आवर्धन केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी को जारी करने के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹109.42 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

	मूल	1,244.00			
			2,573.55	2,573.84	(+) 0.29
	पुनर्वि०	1,329.55			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,329.55 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

18-	बाल संरक्षण राज्य आयोग-				
-----	-------------------------	--	--	--	--

	मूल	34.80			
			57.30	57.30	..
	पुनर्वि०	22.50			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 22.50 लाख का आवर्धन कर्मचारियों के नियमितीकरण, यात्रा, पेट्रोल और किराये के वाहनों पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

20-	बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं-				
-----	-------------------------	--	--	--	--

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

	पूरक	0.01			
			119.24	119.24	..
	पुनर्वि०	119.23			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 119.23 लाख का आवर्धन भारत सरकार से अधिक धनराशि प्राप्त होने के कारण हुआ।

103-	महिला कल्याण-				
------	---------------	--	--	--	--

15-	मदर टेरेसा मातृ आश्रय संबल योजना-				
-----	-----------------------------------	--	--	--	--

	मूल	658.00			
			864.72	861.03	(-) 3.69
	पुनर्वि०	206.72			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 206.72 लाख का आवर्धन लाभार्थियों से अधिक आवेदन प्राप्त होने के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

19-	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना-				
	मूल	99.00			
			88.61	125.33	(+)36.72
	पुनर्वि०	(-)10.39			
	₹ 125.33 लाख के कुल व्यय में से ₹ 36.72 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।				
28-	वन स्टॉप सेंटर-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	पूरक	0.04			
			2.53	2.58	(+)0.03
	पुनर्वि०	2.49			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2.49 लाख का आवर्धन भारत सरकार से अधिक धनराशि प्राप्त होने के कारण हुआ।				
32-	महिला सशक्तिकरण केन्द्र-				
(i)	पूरक	0.05			
			17.45	17.43	(-)0.02
	पुनर्वि०	17.40			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	पूरक	0.05			
			156.85	156.83	(-)0.02
	पुनर्वि०	156.80			
33-	मातृत्व लाभ कार्यक्रम-				
(iii)	पूरक	0.01			
			29.92	29.92	..
	पुनर्वि०	29.91			
	उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 204.11 लाख का आवर्धन भारत सरकार से अधिक धनराशि प्राप्त होने और केंद्रीय भाग के अनुपात में राज्य का भाग जारी होने के कारण हुआ जबकि भारत सरकार से क्रम संख्या (ii) उपरोक्त में भारत सरकार से ₹ 345.25 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।				
107-	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता-				
03-	हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को सहायता-				
	मूल	5.00			
			15.00	15.00	..
	पुनर्वि०	10.00			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10.00 लाख का आवर्धन लोक अदालत और जागरूकता शिविरों पर अधिक व्यय के कारण हुआ।				
60-	अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-				
102-	सामाजिक सुरक्षा योजना के अधीन पैशन-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

04-	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना-				
	मूल	7,406.00			
	पूरक	865.99	8,313.08	8,313.08	..
	पुनर्वि०	41.09			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 41.09 लाख का आवर्धन पेंशन मामलों की अधिक प्राप्ति और पेंशन मामलों के संशोधन के कारण हुआ जोकि डाक विभाग से मांग की कम प्राप्ति के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।				
105-	सरकारी कर्मचारी बीमा योजना-				
02-	सरकारी कर्मचारियों के लिए सूचक समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना-				
	मूल	190.00	190.00	322.41	(+)132.41
	₹ 132.41 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
800-	अन्य व्यय-				
03-	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के पेंशनर-				
(i)	मूल	305.81			
			705.81	700.82	(-)4.99
	पुनर्वि०	400.00			
04-	आर्थिक और सांख्यिकी विभाग के पेंशनर-				
(ii)	मूल	17.47			
			31.47	31.47	..
	पुनर्वि०	14.00			
05-	कोष एवं लेखा विभाग के पेंशनर-				
(iii)	मूल	43.67			
			103.67	103.44	(-)0.23
	पुनर्वि०	60.00			
07-	मत्स्य विभाग के पेंशनर-				
(iv)	मूल	8.73			
			22.23	22.23	..
	पुनर्वि०	13.50			
09-	सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता के पेंशनर-				
(v)	मूल	14.86			
			24.60	24.58	(+)0.02
	पुनर्वि०	9.74			
10-	नगर एवं ग्राम योजना विभाग के पेंशनर-				
(vi)	मूल	6.11			
			11.11	11.10	(-)0.01
	पुनर्वि०	5.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

11-	तकनीकी शिक्षा विभाग के पेंशनर-				
(vii)	मूल	38.45			
			78.60	78.20	(-)0.40
	पुनर्वि०	40.15			
12-	कृषि विभाग के पेंशनर-				
(viii)	मूल	104.84			
			304.84	304.74	(-)0.10
	पुनर्वि०	200.00			
13-	मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग के पेंशनर-				
(ix)	मूल	12.22			
			27.72	27.72	..
	पुनर्वि०	15.50			
14-	उद्यानप विभाग के पेंशनर-				
(x)	मूल	31.46			
			201.46	200.79	(-)0.67
	पुनर्वि०	170.00			
15-	पशुपालन विभाग के पेंशनर-				
(xi)	मूल	104.84			
			224.84	224.76	(-)0.08
	पुनर्वि०	120.00			
16-	उद्योग विभाग के पेंशनर-				
(xii)	मूल	27.95			
			82.95	81.28	(-)1.67
	पुनर्वि०	55.00			
17-	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के पेंशनर-				
(xiii)	मूल	31.46			
			61.46	61.45	(-)0.01
	पुनर्वि०	30.00			
18-	परिवहन विभाग के पेंशनर-				
(xiv)	मूल	61.15			
			91.15	90.89	(-)0.26
	पुनर्वि०	30.00			
19-	उपभोक्ता फॉर्म के पेंशनर-				
(xv)	मूल	0.18			
			3.68	3.68	..
	पुनर्वि०	3.50			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

20-	कारागार विभाग के पेंशनर-				
(xvi)	मूल	10.49			
			20.99	20.99	..
	पुनर्वि०	10.50			
21-	गृह रक्षा विभाग के पेंशनर-				
(xvii)	मूल	13.98			
			51.98	51.93	(-)0.05
	पुनर्वि०	38.00			
22-	सैनिक कल्याण विभाग के पेंशनर-				
(xviii)	मूल	0.87			
			2.07	2.04	(-)0.03
	पुनर्वि०	1.20			
23-	लोक संपर्क विभाग के पेंशनर-				
(xix)	मूल	26.21			
			52.21	52.07	(-)0.14
	पुनर्वि०	26.00			
24-	हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान के पेंशनर-				
(xx)	मूल	1.74			
			6.24	5.74	(-)0.50
	पुनर्वि०	4.50			
26-	ग्रामीण विकास विभाग के पेंशनर-				
(xxi)	मूल	78.63			
			110.63	104.33	(-)6.30
	पुनर्वि०	32.00			
27-	सचिवालय प्रशासन विभाग के पेंशनर-				
(xxii)	मूल	174.75			
			304.75	304.71	(-)0.04
	पुनर्वि०	130.00			
28-	हिमाचल प्रदेश आवासीय आयुक्त, नई दिल्ली के पेंशनर-				
(xxiii)	मूल	2.61			
			18.11	18.08	(-)0.03
	पुनर्वि०	15.50			
29-	पंचायती राज विभाग के पेंशनर-				
(xxiv)	मूल	34.94			
			55.94	53.48	(-)2.46
	पुनर्वि०	21.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

30-	भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग के पेंशनर-				
(xxv)	मूल	2.78			
			14.53	14.53	..
	पुनर्वि०	11.75			
31-	पुलिस विभाग के पेंशनर-				
(xxvi)	मूल	262.13			
			612.13	611.91	(-)0.22
	पुनर्वि०	350.00			
32-	विधानसभा के पेंशनर-				
(xxvii)	मूल	89.25			
			114.25	114.25	..
	पुनर्वि०	25.00			
	उपरोक्त सत्ताईस मामलों में मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,831.84 लाख का आवर्धन चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।				
33-	माध्यमिक उच्चतर शिक्षा विभाग के पेंशनर-				
	मूल	655.35			
			1,405.35	1,338.38	(-)66.97
	पुनर्वि०	750.00			
	₹ 66.97 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 750.00 लाख का आवर्धन चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।				
	₹ 66.97 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
34-	आयुर्वेद विभाग के पेंशनर-				
(i)	मूल	34.94			
			145.94	145.93	(-)0.01
	पुनर्वि०	111.00			
35-	स्वास्थ्य विभाग के पेंशनर-				
(ii)	मूल	306.99			
			657.99	650.34	(-)7.65
	पुनर्वि०	351.00			
36-	निर्वाचन विभाग के पेंशनर-				
(iii)	मूल	5.76			
			19.26	19.02	(-)0.24
	पुनर्वि०	13.50			
37-	राज्यपाल सचिवालय के पेंशनर-				
(iv)	मूल	6.11			
			11.61	11.61	..
	पुनर्वि०	5.50			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

38-	उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों के पेंशनर-				
(v)	मूल	78.63			
			208.63	208.63	..
	पुनर्वि०	130.00			
39-	लोक सेवा आयोग के पेंशनर-				
(vi)	मूल	6.97			
			24.97	24.96	(-)0.01
	पुनर्वि०	18.00			
40-	भू-अभिलेख विभाग के पेंशनर-				
(vii)	मूल	62.02			
			128.04	127.04	(-)1.00
	पुनर्वि०	66.02			
42-	श्रम एवं रोजगार विभाग के पेंशनर-				
(viii)	मूल	22.70			
			42.70	42.41	(-)0.29
	पुनर्वि०	20.00			
43-	स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के पेंशनर-				
(ix)	मूल	1.74			
			20.24	20.23	(-)0.01
	पुनर्वि०	18.50			
44-	भू एकत्रीकरण के पेंशनर-				
(x)	मूल	12.22			
			24.85	24.85	..
	पुनर्वि०	12.63			
46-	बंदोबस्त अधिकारी, धर्मशाला स्थित कांगड़ा के पेंशनर-				
(xi)	मूल	8.74			
			27.85	27.76	(-)0.09
	पुनर्वि०	19.11			
47-	अग्निशमन विभाग के पेंशनर-				
(xii)	मूल	5.23			
			44.73	44.47	(-)0.26
	पुनर्वि०	39.50			
48-	अभियोजन विभाग के पेंशनर-				
(xiii)	मूल	19.22			
			26.22	26.22	..
	पुनर्वि०	7.00			
49-	आबकारी एवं कराधान विभाग के पेंशनर-				
(xiv)	मूल	34.94			
			106.86	106.18	(-)0.68
	पुनर्वि०	71.92			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 19-(क्रमशः)

50-	सहकारिता विभाग के पेंशनर-				
(xv)	मूल	61.15			
			97.00	96.97	(-)0.03
	पुनर्वि०	35.85			
	उपरोक्त पन्द्रह मामलों में मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 919.53 लाख का आवर्धन चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।				
58-	आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के पेंशनर-				
	मूल	0.87			
			6.36	2.34	(-)4.02
	पुनर्वि०	5.49			
	₹ 4.02 लाख की अंतिम बचत की दृष्टी से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5.49 लाख का आवर्धन चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।				
	₹ 4.02 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
59-	लोकायुक्त के पेंशनर-				
(i)	मूल	0.87			
			2.40	2.40	..
	पुनर्वि०	1.53			
60-	महाधिवक्ता के पेंशनर-				
(ii)	मूल	1.74			
			8.74	8.74	..
	पुनर्वि०	7.00			
61-	पर्वतारोहण संस्थान मनाली के पेंशनर-				
(iii)	मूल	0.35			
			2.16	2.15	(-)0.01
	पुनर्वि०	1.81			
62-	खेल एवं युवा सेवाओं विभाग के पेंशनर-				
(iv)	मूल	1.41			
			4.91	4.89	(-)0.02
	पुनर्वि०	3.50			
63-	जनजातीय विकास के पेंशनर-				
(v)	मूल	0.35			
			2.85	2.85	..
	पुनर्वि०	2.50			
64-	राहत एवं पुनर्वास विभाग के पेंशनर-				
(vi)	मूल	0.18			
			1.33	1.26	(-)0.07
	पुनर्वि०	1.15			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

65-	बंदोबस्त अधिकारी, शिमला के पेंशनर-				
(vii)	मूल	8.74			
			34.43	34.42	(-)0.01
	पुनर्वि०	25.69			
66-	लघु बचत संगठन के पेंशनर-				
(viii)	मूल	0.87			
			3.37	3.37	..
	पुनर्वि०	2.50			
67-	योजना विभाग के पेंशनर-				
(ix)	मूल	1.74			
			23.74	23.14	(-)0.60
	पुनर्वि०	22.00			
68-	सामान्य प्रशासन विभाग के पेंशनर-				
(x)	मूल	8.74			
			11.17	11.16	(-)0.01
	पुनर्वि०	2.43			
69-	राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो के पेंशनर-				
(xi)	मूल	20.97			
			33.97	33.97	..
	पुनर्वि०	13.00			
70-	राज्य निर्वाचन आयोग के पेंशनर-				
(xii)	मूल	0.54			
			6.54	6.53	(-)0.01
	पुनर्वि०	6.00			
71-	वन विभाग के पेंशनर-				
(xiii)	मूल	262.13			
			404.13	398.32	(-)5.81
	पुनर्वि०	142.00			
73-	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के पेंशनर-				
(xiv)	मूल	576.68			
			1,816.68	1,804.67	(-)12.01
	पुनर्वि०	1,240.00			
78-	लोक निर्माण विभाग के पेंशनर-				
(xv)	मूल	314.56			
			814.56	803.15	(-)11.41
	पुनर्वि०	500.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 19-(क्रमशः)

81-	न्यायिक अकादमी के पेंशनर-				
(xvi)	मूल	0.87			
			6.37	6.37	..
	पुनर्वि०	5.50			
83-	राजस्व विभाग-				
(xvii)	मूल	111.50			
			311.23	306.23	(-)5.00
	पुनर्वि०	199.73			
84-	मुख्य विद्युत निरीक्षक विभाग के पेंशनर-				
(xviii)	मूल	0.87			
			2.37	2.36	(-)0.01
	पुनर्वि०	1.50			
86-	महिला एवं बाल विकास विभाग के पेंशनर-				
(xix)	मूल	8.74			
			55.23	52.45	(-)2.78
	पुनर्वि०	46.49			
87-	विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण विकास विभाग के पेंशनर-				
(xx)	मूल	0.50			
			2.00	2.00	..
	पुनर्वि०	1.50			
88-	हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड के पेंशनर-				
(xxi)	मूल	0.23			
			15.33	15.33	..
	पुनर्वि०	15.10			
89-	राज्य सूचना आयोग के पेंशनर-				
(xxii)	मूल	0.87			
			2.12	2.12	..
	पुनर्वि०	1.25			
90-	स्वास्थ्य सुरक्षा और विनियमन के पेंशनर-				
(xxiii)	मूल	4.00			
			5.00	5.00	..
	पुनर्वि०	1.00			
94-	फॉरेंसिक विज्ञान निदेशालय के पेंशनर-				
(xxiv)	मूल	0.56			
			2.25	2.08	(-)0.17
	पुनर्वि०	1.69			

उपरोक्त चौबीस मामलों में मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,244.87 लाख का आवर्धन चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 19-(क्रमशः)

पूंजीगत प्रवर्ग

(v) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई :-	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
---	------------	--------------------------------	-----------------------

4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-

03- पिछड़े वर्गों का कल्याण-

190- सार्वजनिक क्षेत्रों तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-

01- हिमाचल पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों एवं महिला पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम में निवेश-

मूल 250.00

125.00

125.00

..

पुनर्वि० (-)125.00

मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 125.00 लाख की कमी लाभार्थियों से प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

277- शिक्षा-

02- अन्य पिछड़ा वर्ग के बालक/बालिकाओं के लिए छात्रावास का निर्माण-

(i) मूल 3.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)3.00
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल 1.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)1.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 4.00 लाख के समस्त प्रावधान को प्रस्तावों के कम प्राप्ति के कारण कम कर दिया गया।

4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-

02- सामाजिक कल्याण-

102- बाल कल्याण-

05- भवनों का निर्माण-

मूल 120.00

115.00

..

(-)115.00

पुनर्वि० (-)5.00

₹ 115.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 19-(समाप्त)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना
मूल 53.00

..

पुनर्वि० (-)53.00

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 53.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति होने के कारण कम कर दिया गया।

104- वृद्ध अशक्त और निराश्रितों का कल्याण-

01- सुख आश्रय भवन का निर्माण-

पूरक 5,843.00

6,000.00 .. (-)6,000.00

पुनर्वि० 157.00

₹ 6,000.00 लाख के समस्त प्रावधान के अप्रयुक्त रहने की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 157.00 लाख का आवर्धन नई योजना के क्रियान्वयन के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

मार्च 2023 में अनुपूरक और पुनर्विनियोजन द्वारा प्राप्त ₹ 6,000.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

190- सार्वजनिक क्षेत्रों तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-

02- महिला विकास निगम-

मूल 99.00

..

पुनर्वि० (-)99.00

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 99.00 लाख के समस्त प्रावधान को अधिकृत पूंजी की हिस्सेदारी के प्रतिबंध के कारण कम कर दिया गया।

6225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए ऋण-

01- अनुसूचित जातियों का कल्याण-

190- सार्वजनिक क्षेत्रों तथा अन्य उपक्रमों को ऋण-

01- एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत

परिवारों के बच्चों का उच्च शिक्षा के लिए

ब्याज मुक्त ऋण-

मूल 1.00

..

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया गया।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 20 - ग्रामीण विकास

(शीर्ष 2216-आवास, 2230- श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास, 2501- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, 2505- ग्रामीण रोजगार, 2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	12,52,90,28			
		17,71,87,78	16,51,86,07	(-)1,20,01,71
पूरक	5,18,97,50			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
प्रभारित				
मूल	..			
		6,15	6,15	..
पूरक	6,15			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	14,85,00			
		15,16,44	15,51,18	(+)34,74
पूरक	31,44			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 34,74,140 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 12,001.71 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में प्राप्त ₹ 51,897.50 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ तथा वर्ष के दौरान विभाग द्वारा कोई राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (iii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 34.74 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2023 में प्राप्त ₹ 31.44 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 20 (क्रमशः)

राजस्व प्रवर्ग

(iv) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2501- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-			
02- सूखा ग्रस्त क्षेत्रों का विकास कार्यक्रम-			
101- लघु सिंचाई-			
01- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-			
मूल	164.00	164.00	136.53
			(-)27.47
₹ 27.47 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।			
06- स्वरोजगार कार्यक्रम-			
101- स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना-			
03- जिला ग्रामीण विकास अभिकरण-			
केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
मूल	1.00		
	
पुनर्वि०	(-)1.00		
मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को भारत सरकार द्वारा योजना को बन्द करने के कारण कम कर दिया गया।।			
05- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना-			
मूल	1,777.00		
		2,179.87	2,031.02
			(-)148.85
पूरक	402.87		
₹ 148.85 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)। जबकि ₹ 2,968.94 लाख का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ था।			
07- दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना-			
मूल	505.00		
		152.78	..
			(-)152.78
पुनर्वि०	(-)352.22		
₹ 152.78 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 352.22 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।			
₹ 152.78 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।			
केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
मूल	4,552.00		
		5,927.00	1,332.84
			(-)4,594.16
पूरक	1,375.00		

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 20 (क्रमशः)

₹ 4,594.16 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)। जबकि ₹ 320.11 लाख का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ था।

08- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन-

(i) मूल	263.00			
		183.11	183.11	..
पुनर्वि०	(-)79.89			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 79.89 लाख की कटौती भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई। जबकि ₹ 1,600.00 लाख का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ था।

13- ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम का आरम्भ-

(i) पूरक	13.96	13.96	2.74	(-)11.22
----------	-------	-------	------	----------

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) पूरक	125.57	125.57	24.64	(-)100.93
-----------	--------	--------	-------	-----------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 112.15 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

2505- ग्रामीण रोजगार-

01- राष्ट्रीय कार्यक्रम-

702- जवाहर ग्राम समृद्धि योजना-

06- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-

मूल	2,290.00	2,290.00	..	(-)2,290.00
-----	----------	----------	----	-------------

₹ 2,290.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

02- ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-

101- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-

01- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-

(i) मूल	20,269.00			
		42,067.32	41,267.32	(-)800.00
पूरक	21,798.32			

2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-

003- प्रशिक्षण-

01- पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र-

(ii) मूल	311.68			
		344.73	324.35	(-)20.38
पूरक	33.05			

101- पंचायती राज-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 20 (क्रमशः)

01-	पंचायती राज (विभाग)-				
(iii)	मूल	3,042.41			
			3,462.58	3,161.04	(-)301.54
	पूरक	420.17			
10-	पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत खनिजों पर				
	रॉयल्टी के बदले में सहायता अनुदान-				
(iv)	मूल	0.01			
			442.46	379.38	(-)63.08
	पूरक	442.45			
	उपरोक्त चार मामलों में ₹1,185.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)। जबकि भारत सरकार से ऊपरलिखित क्रम संख्या (i) पर ₹ 50,871.56 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।				
17-	मुख्यमंत्री जनसेवा योजना-				
	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
	₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
102-	सामुदायिक विकास-				
01-	ग्रामीण विकास विभाग-				
	मूल	10,123.87			
	पूरक	163.40	10,166.92	9,280.38	(-)886.54
	पुनर्वि०	(-)120.35			
	₹ 886.54 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 120.35 लाख की कमी विभाग द्वारा जन मंच कार्यक्रमों के कम आयोजन तथा यात्रियों पर कम व्यय कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 9,280.38 लाख के कुल व्यय में से ₹ 20.64 लाख का व्यय, वर्ष 2019-20 आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।				
	₹ 886.54 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
196-	जिला परिषदों को सहायता-				
04-	15वीं राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत जिला परिषदों को अनुदान-				
	मूल	15,091.51			
			21,826.58	19,339.71	(-)2,486.87
	पुनर्वि०	6,735.07			
	₹ 19,339.71 लाख के कुल व्यय में से ₹ 13.06 लाख का व्यय, वर्ष 2019-20 के आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ था।				
	₹ 2,486.87 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
08-	15वीं वित्त आयोग के अंतर्गत जिला परिषदों को स्वास्थ्य क्षेत्रों को अनुदान-				
	मूल	1,388.70	1,388.70	..	(-)1,388.70
	₹ 1,388.70 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 20 (क्रमशः)

197-	पंचायत समितियों को सहायता-				
04-	पंद्रहवीं राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत				
	पंचायत समितियों को अनुदान-				
	मूल	718.89			
			871.58	851.13	(-)20.45
	पूरक	152.69			
	₹ 20.45 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				

08-	15वीं वित्त आयोग के अंतर्गत जिला परिषदों को				
	स्वास्थ्य सेक्टर अनुदान-				
	मूल	1,388.70	1,388.70	..	(-)1,388.70
	₹ 1,388.70 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				

198-	ग्राम पंचायतों को सहायता-				
04-	पंद्रहवीं राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत				
	ग्राम पंचायतों को अनुदान-				
	मूल	10,522.72			
			11,134.96	11,053.74	(-)81.22
	पूरक	612.24			
	₹ 81.22 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				

07-	पंद्रहवीं वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को				
	स्वास्थ्य क्षेत्र को अनुदान-				
	मूल	6,480.60	6,480.60	..	(-)6,480.60
	₹ 6,480.60 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				

(v) उपरोक्त बचत मुख्यत निम्नवत शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	-----------------------

2216- आवास-

03-	ग्रामीण आवास-				
102-	भूमिहीनों के लिए आवास स्थल की व्यवस्था-				
07-	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)-				
	मूल	534.00			
			670.80	670.80	..
	पुनर्वि०	136.80			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 136.80 लाख का आवर्धन भारत सरकार द्वारा जारी निधियों के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने तथा राज्य सरकार की उदघोषणाओं के कार्यान्वयन पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 20 (क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	712.00			
पूरक	195.04	1,330.76	1,330.76	..
पुनर्वि०	423.72			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 423.72 लाख का आवर्धन भारत सरकार द्वारा जारी निधियों के अनुपात में राज्य के हिस्से को जारी करने के कारण हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 1,330.76 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

2505- ग्रामीण रोजगार-

02- ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-

101- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-

04- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत सामाजिक लेखापरीक्षा ईकाई का संचालन-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(i) पूरक 397.91 397.91 534.94 (+)137.03

2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-

102- सामुदायिक विकास-

16- कार्यालय भवन का निर्माण/नवीनीकरण/भंडार-

(ii) मूल 528.00 528.00 807.30 (+)279.30

196- जिला परिषदों को सहायता-

07- केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत जिला परिषद को सहबद्ध अनुदान-

(iii) मूल 2,798.05 2,798.05 4,146.04 (+)1,347.99

197- पंचायत समितियों को सहायता-

07- केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत पंचायत समितियों को अनुदान-

(iv) मूल 2,750.24 2,750.24 4,075.22 (+)1,324.98

198- ग्राम पंचायतों को सहायता-

06- वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को निष्पादन अनुदान-

(v) मूल 12,834.51 12,834.51 19,017.71 (+)6,183.20

उपरोक्त पाँच मामलों में ₹ 9,272.50 लाख के अंतिम आधिक्य का कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

क्रम संख्या (ii) पर ₹ 807.30 लाख के कुल व्यय में से ₹ 291.06 लाख का व्यय, वर्ष 2019-20 के आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ था। जबकि भारत सरकार से उपर क्रम संख्या (i) पर ₹ 50,871.56 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 20 (समाप्त)

पूँजीगत प्रवर्ग

(vi) दत्तमत अनुदान में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	-----------------------

4216- आवास पर पूँजीगत परिव्यय-

02- शहरी आवास-

800- अन्य व्यय-

01- जिला पंचायत अधिकारियों के आवास का निर्माण/प्रधान, प्रशिक्षण संस्थान/अन्य कर्मचारी-
पूरक 31.44

50.44

50.44

..

पुनर्वि० 19.00

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 19.00 लाख का आवर्धन आवासीय भवनों के निर्माण के कारण हुआ था।

4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-

103- ग्रामीण विकास-

02- मुख्यमंत्री लोक भवन-

मूल 49.00

30.00

65.00

(+35.00)

पुनर्वि० (-)19.00

₹ 35.00 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 19.00 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अनुचित सिद्ध हुई।

₹ 35.00 लाख के अंतिम आधिक्य का कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-21- सहकारिता

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2425-सहकारिता, 4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय तथा 6425-सहकारिता हेतु ऋण)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	36,74,49			
		45,40,34	45,33,83	(-)6,51
पूरक	8,65,85			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	1,99			
		1,99	5,27,23	(+)5,25,24
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

(i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 5,25,24,000 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।

राजस्व प्रवर्ग

(ii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2425- सहकारिता-			
107- ऋण सहकारी समिति को सहायता-			
08- प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का कम्प्यूटरीकरण-			
मूल	8.00		
	
पुनर्वि0	8.00		

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-21 (समाप्त)

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8.00 लाख के समस्त प्रावधान को हिस्सेदारी के स्वरूप में बदलाव के कारण कम कर दिया गया।

जबकि भारत सरकार से ₹ 956.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

108- सहकारी समितियों को सहायता-

01- विपणन सभाओं को प्रबन्धकीय उपदान
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
-----	------	------	----	---------

₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

पूँजीगत प्रवर्ग

(iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	-----------------------------------	-----------------------

6425- सहकारिता के लिए ऋण-

107- उधार सहकारिताओं को कर्ज-

02- उधार सहकारिताओं को ऋण-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	1.00	1.00	527.23	(+)526.23
-----	------	------	--------	------------

₹ 526.23 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या-22- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2236-पोषण, 2408- खाद्यान भंडारण तथा भांडागार, 3456-नागरिक आपूर्ति, 3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं, 4408- खाद्यान भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय तथा 5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	1,92,37,17		
		2,66,98,69	(+)65,07,85
पूरक	74,61,52		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			7,35
पूंजीगत प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	9,00		
		9,00	(-)1,00
पूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			1,00

टिप्पणियां तथा अभ्यक्तियां

- राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 65,07,85,490 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।
- राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 6,507.85 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2023 में प्राप्त 7,461.52 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ तथा ₹ 7.35 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- दत्तमत अनुदान में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2408- खाद्यान भंडारण और भांडागार-			
01- खाद्य-			
102- खाद्य उपदान-			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-22 (क्रमशः)

13- गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को गेहूं
और चावल पर उपदान-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 1.00

27.36

6,567.24

(+)6,539.88

पुनर्वि० 26.36

₹ 6,539.88 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 26.36 लाख का आवर्धन भारत सरकार से अधिक धनराशी प्राप्त होने के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 6,539.88 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

3456- नागरिक आपूर्ति-

001- निदेशन और प्रशासन-

01- निदेशालय-

मूल 414.28

पूरक 1,774.17

2,220.85

2,220.81

(-)0.04

पुनर्वि० 32.40

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 32.40 लाख का आवर्धन वेतनमानों के पुनर्निर्धारण के कारण हुआ।

(iv) उपरोक्त आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई बचत से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाखों में)	

2236- पोषण-

02- पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण-

101- विशेष पोषण कार्यक्रम-

06- अन्नपूर्णा योजना-

मूल 1.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)1.00

₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया गया।

2408- खाद्यान भंडारण और भांडागार-

01- खाद्य-

001- निदेशन और प्रशासन-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-22 (क्रमशः)

03- राज्य खाद्य-

मूल 94.90

पूरक 0.03

59.27

37.17

(-)22.10

पुनर्वि० (-)35.66

₹ 22.10 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 35.66 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि दैनिक वेतन भोगी की नियुक्तियों और बाह्य स्रोतों की सेवाओं पर अधिक व्यय होने के कारण हुये आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 22.10 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

3456- नागरिक आपूर्ति-

001- निदेशन और प्रशासन-

04- उपभोक्ता जागरूकता-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(i) मूल 13.00

..

..

..

पुनर्वि० 13.00

05- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल 1.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)1.00

06- मूल्य निगरानी सेल का सुदृढीकरण-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(iii) मूल 1.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)1.00

उपरोक्त तीन मामलों में में ₹ 15.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया गया।

पूँजीगत प्रवर्ग

(v) दत्तमत्त अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष

कुल अनुदान

वास्तविक

आधिक्य (+)

व्यय

बचत (-)

(₹ लाखों में)

4408- खाद्यान भंडारण और भांडागार पर पूँजीगत परिव्यय-

02- भंडारण और भांडागार-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-22 (समाप्त)

101- ग्रामीण गोदाम कार्यक्रम-

03- गोदामों का निर्माण-

मूल 1.00

पुनर्वि० (-)1.00

₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया; जिसके कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2023)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-23- विद्युत विकास

(शीर्ष 2045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क, 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, 2801-विद्युत, 4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा 6801-विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	3,38,14,81		
		7,35,47,42	(-)3,85,25
पूरक	3,97,32,61		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			20,60
पूंजीगत प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	1,09,73,00		
		1,09,73,00	(+)36,76,35
पूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 36,76,35,000 लाख के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 385.25 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में ₹ 39,732.61 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ तथा ₹ 20.60 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2045- वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क-			
103- संग्रहण शुल्क-विद्युत शुल्क-			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-23 (क्रमशः)

01-	विद्युत निरीक्षणालय-				
	मूल	214.46			
	पुरक	64.47	258.36	255.08	(-)3.28
	पुनर्वि०	(-)20.57			

मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 20.57 लाख की कमी मुख्यतः डिजिटलीकरण/अंकीकरण सेवाओं के पूरा न होने के कारण हुई।

2501- ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-

04- समेकित ग्रामीण ऊर्जा योजना कार्यक्रम-

105- परियोजना को पूरा करना-

01- कार्यक्रम अभिकरणों को सहायता अनुदान-

(i)	मूल	575.00	575.00	272.25	(-)302.75
-----	-----	--------	--------	--------	-----------

2801- विद्युत-

80- सामान्य-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

02- हिमाचल प्रदेश विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii)	पुरक	100.00	100.00	35.81	(-)64.19
------	------	--------	--------	-------	----------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 366.94 लाख के अंतिम सारभूत बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

पूंजीगत प्रवर्ग

(iv) दत्तमत अनुदान में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	-----------------------

6801- विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण-

190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को ऋण-

02- हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को ऋण-

मूल	3,421.00	3,421.00	9,645.94	(+)6,224.94
-----	----------	----------	----------	-------------

₹ 6,224.94 लाख के सारभूत अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

(v) उपरोक्त आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुई बचत से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	-----------------------

4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-23 (समाप्त)

01-	हाईडल उत्पादन-				
190-	सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-				
06-	हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में इक्विटी योगदान-				
(i)	मूल	3,554.00	3,554.00	2,781.65	(-)772.35
09-	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड में इक्विटी योगदान-				
(ii)	मूल	3,273.00	3,273.00	1,637.00	(-)1,636.00

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2,408.35 लाख के अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

6801- विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण-

190-	हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड को ऋण-				
01-	उर्जा परियोजनाओं के लिए के0 एफ0 डब्ल्यू0 शेयर-				
(i)	मूल	66.00	66.00	..	(-)66.00
05-	विश्व बैंक से ऋण-				
(ii)	मूल	66.00	66.00	..	(-)66.00

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 132.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-24- मुद्रण और लेखन सामग्री

(शीर्ष- 2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण, 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2216-आवास, 4058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	26,28,54			
		39,83,82	39,45,13	(-)38,69
पूरक	13,55,28			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				
				37,45
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	30,00			
		1,30,00	1,22,43	(-)7,57
पूरक	1,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				
				7,57

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 38.69 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से, मार्च 2023 में प्राप्त ₹ 1,355.28 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (ii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2058- लेखन सामग्री तथा मुद्रण-			
103- सरकारी मुद्रणालय-			
01- हिमाचली प्रदेश सरकारी मुद्रणालय			
(iii) मूल	1,636.30		
पूरक	724.56	2,332.10	2,330.87
पुनर्वि0	(-)28.76		(-)1.23

विनियोजन लेखे
अनुदान संख्या-24 (समाप्त)

मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 28.76 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

104- अन्य साधनों से मुद्रण की लागत-
02- अन्य सरकारी मुद्रणालय-
मूल 11.57

9.19 9.19 ..

पुनर्वि० (-)2.38

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.38 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

पूँजीगत प्रवर्ग

(iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिव्यय (+) बचत (-)
-------	------------	-----------------------------------	------------------------

4058- लेखन सामग्री तथा मुद्रण-

103- सरकारी प्रेस-
01- इमारतें-

मूल 30.30

पूरक 100.00

122.43

122.43

..

पुनर्वि० (-)7.57

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7.57 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या-25- सड़क और जल परिवहन

(शीर्ष- 2041-वाहनों पर कर, 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, 3055-सड़क परिवहन, 3056-अंतर्देशीय जल परिवहन, 3075-अन्य परिवहन सेवाएं, 5002-भारतीय रेल-वाणिज्यिक लाइनों पर पूंजीगत परिव्यय, 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय तथा 5075-अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	2,45,74,59		
		4,16,85,30	(+)15,00
पूरक	1,71,10,71		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
पूंजीगत प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	93,44,00		
		3,02,17,99	(+)61,36,55
पूरक	2,08,73,99		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 14,99,380 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 61,36,55,000 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।
- (iii) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 15.00 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2023 में प्राप्त ₹ 17,110.71 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (iv) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 6,136.55 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2023 में प्राप्त ₹ 20,873.99 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (v) दत्तमत अनुदान में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2041- वाहनों पर कर-			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-25- (क्रमशः)

001-	निदेशन तथा प्रशासन-				
01-	मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कर्मचारी वर्ग-				
	मूल	1,032.31			
	पूरक	17.29	898.72	1,837.77	(+)939.05
	पुनर्वि०	(-)150.88			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 150.88 लाख की कमी हिमाचल प्रदेश सड़क सुरक्षा गतिविधियों के लिए अलग शीर्ष खोलने के कारण हुई।

₹ 1,837.77 लाख के कुल व्यय में से ₹ 943.90 लाख का व्यय आपति पुस्तिका के उचंत के निष्पादन के कारण हुआ।

800-	अन्य व्यय-				
01-	सड़क सुरक्षा निधि -				
	पूरक	1,138.45			
			1,289.33	1,289.33	..
	पुनर्वि०	150.88			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 150.88 लाख का आवर्धन हिमाचल प्रदेश सड़क सुरक्षा गतिविधियों के लिए निधियां जारी करने के कारण हुई।

(vi) उपरोक्त आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई बचत से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	-----------------------

2235-	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-			
60-	अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-			
101-	गरीब परिवारों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना-			
04-	यात्रियों को अनुग्रह अनुदान अदायगी-			
	मूल	68.00	68.00	..
				(-)68.00

₹ 68.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा, जिसके कारण प्रतिक्षित थे (जुलाई 2023)।

200-	अन्य कार्यक्रम-			
28-	गैर बीमाकृत राज्य सरकार/बोर्ड/निगम वाहन की दुर्घटनाओं पर दावों के निपटान के लिए मुआवजा -			
	पूरक	799.98		
			800.00	57.74
	पुनर्वि०	0.02		(-)742.26

₹ 742.26 लाख के अंतिम सारभूत बचत के कारण प्रतिक्षित थे (जुलाई 2023)।

3056-	अंतर्देशीय जल परिवहन-
001-	निदेशन तथा प्रशासन-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-25- (क्रमशः)

01-	अंतर्देशीय जल परिवहन हेतु कर्मचारी वर्ग की व्यवस्था- मूल	7.24			
			2.31	2.18	(-)0.13
	पुनर्वि0	(-)4.93			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4.93 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

3075- अन्य परिवहन सेवाएं-

60-	अन्य-				
190-	सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता-				
01-	रोपवे और रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को सहायता				
	मूल	788.75	788.75	688.75	(-)100.00

₹ 100.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

पूंजीगत प्रवर्ग

(vii) दत्तमत अनुदान में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	-----------------------------------	-----------------------

5002- भारतीय रेल वाणिज्यक पर पूंजीगत परिव्यय-

03-	पूंजीगत परिव्यय-				
115-	नई लाईन -				
01-	रेलवे लाईनों का निर्माण -				
	मूल	1,848.00			
		12,871.00	14,871.00	21,165.55	(+)6,294.55
	पूरक	152.00			

₹ 6,294.55 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 152.00 लाख का आवर्धन रेलवे लाईनों के लिए राशि जारी करने के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 6,294.55 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

5055- सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-

050-	भूमि तथा भवन-				
07-	परिवहन नगर-				
(i)		263.00	(+)263.00
190-	सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश -				
03-	परिवहन विभाग -				
(ii)		104.00	(+)140.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-25- (समाप्त)

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 367.00 लाख की राशि का व्यय गत दो वर्षों क्रमशः 2019-20 और 2021 की आपति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

(viii) उपरोक्त आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई बचत से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
5055- सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-			
050- भूमि तथा भवन-			
03- क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के भवनों का निर्माण-			
(i) मूल	150.00
पुनर्वि०	(-)150.00
09- प्रशिक्षण संस्थान-			
(ii) मूल	1.00
पुनर्वि०	(-)1.00
(iii) मूल	1.00
पुनर्वि०	(-)1.00
उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2023 में ₹ 152.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।			
12- ड्राईविंग प्रशिक्षण ट्रेक का निर्माण-			
मूल	350.00	350.00	(-)350.00
₹ 350.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतिक्षित थे (जुलाई 2023)।			
5075- अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-			
60- अन्य-			
190- सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश -			
01- रोपवे और तीव्र परिवहन प्रणाली विकास निगम लिमिटेड में निवेश -			
मूल	200.00	200.00	100.00
₹ 100.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।			
02- राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अन्तर्गत रोपवे-			
मूल	75.00	75.00	(-)75.00
₹ 75.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतिक्षित थे (जुलाई 2023)।			

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या-26- पर्यटन और नागर विमानन

(शीर्ष 2059-लोक निर्माण-कार्य, 3053-नागर विमानन, 3452-पर्यटन, 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय तथा 5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत(-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	27,97,47			
		27,97,48	24,67,12	(-)3,30,36
पूरक	1			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				1,78,26
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	5,81,26,00			
		5,81,26,00	86,14,57	(-)4,95,11,43
पूरक	1			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				4,83,88,00
प्रभारित				
मूल	..			
		16,02	16,02	..
पूरक	16,02			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 330.36 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 178.26 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 49,511.43 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 48,388.00 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	-----------------------------------	-----------------------

3053- नागर विमानन-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-26 (क्रमशः)

02-	हवाई अड्डे-				
102-	विमान पट्टियां-				
02-	पुनर्वास और एयरपोर्ट्स/हेलीपोर्ट्स का रखरखाव-				
	मूल	700.00			
			100.00	0.39	(-)99.61

पुनर्वि० (-)600.00

₹ 99.61 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 600.00 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 99.61 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई, 2023)।

3452- पर्यटन-

80-	सामान्य-				
001-	निदेशन और प्रशासन-				
03-	पर्यटन के लिए बुनियादी ढांचा विकास निवेश कार्यक्रम-				
	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			

मार्च 2023 में ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम किया गया।

104-	संबर्धन तथा प्रचार-				
05-	पर्यटन अवसरंचना के लिए प्रोत्साहन-				
	मूल	15.00			
			10.00	6.49	(-)3.51
	पुनर्वि०	(-)5.00			

₹ 3.51 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5.00 लाख की कमी बैठकों/गोष्ठीयों के कम आयोजन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 3.51 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

(iv)	उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-			
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाखों में)	

3053- नागर विमानन-

02-	हवाई अड्डे-				
102-	विमान पट्टियां-				
01-	क्षेगीय संपर्क योजना उडे देश का आम नागरिक- -				
	मूल	200.00			
	पूरक	0.01	300.00	287.28	(-)12.72
	पुनर्वि०	(-)99.99			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-26 (क्रमशः)

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 99.99 लाख का आवर्धन लम्बित देनदारियों के निपटान के कारण हुआ।

3452- पर्यटन-

80- सामान्य-

001- निदेशन और प्रशासन-

01- निदेशालय-

मूल 245.54

514.65

509.15

(-)5.50

पुनर्वि० 269.11

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 269.11 लाख का आवर्धन मुख्यतः छठे वेतन आयोग तथा बकाया भुगतान के लिए अधिक निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

02- क्षेत्रीय कर्मचारी वर्ग-

मूल 547.81

597.79

570.55

(-)27.24

पुनर्वि० 49.98

₹ 27.24 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 49.98 लाख का आवर्धन बाह्य स्रोतों की सेवाओं, दैनिक वेतन भोगियों की नियुक्ति तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

पूंजीगत प्रवर्ग

(v) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिव्यय (+) बचत (-)
-------	------------	-----------------------------------	------------------------

5053- नागरिक विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-

02- हवाई अड्डे-

102- पट्टिया-

02- हवाई अड्डे/हेलीपोर्टों का विकास-

मूल 54,035.00

5,000.00

877.44

(-)4,122.56

पुनर्वि० (-)49,035.00

₹ 4,122.56 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 49,035.00 लाख की सारभूत कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 4,122.56 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई, 2023)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-26 (समाप्त)

(vi) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
5053- नागरिक विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-			
02- हवाई अड्डे-			
102- पट्टिया-			
02- हवाई अड्डे/ हवाई पट्टियों का निर्माण-			
मूल	600.00	600.00	1,025.18
			(+425.18)

₹ 1,025.18 लाख के कुल व्यय में से ₹ 500.00 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उंचत के समायोजन के कारण हुआ।

5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-

01- पर्यटन अवसंरचना-

101- पर्यटन केंद्र -

01- विभिन्न भवनों का निर्माण-

मूल
 200.00 || | 847.00 | 823.67 | (-)23.33 |
| पुनर्वि० | 647.00 | | |

₹ 23.33 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 647.00 लाख का आवर्धन एतिहासिक शहरी परिसर के उन्नयन और हैरिटेज सर्कट (विरासती परिसर) बनाने के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 23.33 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई, 2023)।

800- अन्य व्यय-

03- नई राहें नई मंजिलें-

मूल
 3,291.00 || | 3,291.00 | 5,888.29 | (+2,597.29) |

₹ 5,888.29 लाख के कुल व्यय में से ₹ 2,597.29 लाख का व्यय वर्ष 2020-21 की आपत्ति पुस्तिका के उंचत के समायोजन के कारण हुआ।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 27 - श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण

(शीर्ष- 2059- लोक निर्माण-कार्य, 2203- तकनीकी शिक्षा, 2216-आवास, 2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 2230- श्रम, रोजगार और कौशल विकास, 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4250- अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	3,25,56,41			
		4,44,12,25	4,23,87,34	(-)20,24,91
पूरक	1,18,55,84			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				
(31 मार्च 2023)				
				14,94
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	63,51,00			
		76,63,95	82,94,00	(+)6,30,05
पूरक	13,12,95			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				
				..

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 6,30,05,754 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 2,024.91 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में प्राप्त ₹ 11,855.84 लाख का अनूपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ तथा ₹ 14.94 लाख अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।
- (iii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 630.05 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से, मार्च 2023 में प्राप्त ₹ 1,312.95 लाख का अनूपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (iv) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-
- | शीर्ष | कुल अनुदान | वास्तविक
व्यय
(₹ लाखों में) | आधिक्य (+)
बचत (-) |
|-------|------------|-----------------------------------|-----------------------|
|-------|------------|-----------------------------------|-----------------------|

2203- तकनीकी शिक्षा-

105- बहुतकनीकी -

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 27 -(क्रमशः)

01-	राजकीय बहुतकनीकी-				
	मूल	5,751.08			
		959.27	6,686.78	6,661.79	(-)24.99
	पुनर्वि०	(-)23.57			

₹ 24.99 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से, मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 23.57 लाख की कमी सरकारी पालिटेक्निक से खरीद की कम मांग की प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 24.99 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई, 2023)।

₹ 6,661.79 लाख के कुल व्यय में से ₹ 2.45 लाख का व्यय वर्ष 2021-22 की आपत्ति पुस्तिका के उंचत के समायोजन के कारण हुआ।

04-	राजकीय बहुतकनीकी संस्थानों का उन्नयन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	2.00	2.00	..	(-)2.00
06-	नए बहुतकनीकी संस्थानों की स्थापना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	2.00	2.00	..	(-)2.00
112-	इजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय तथा संस्थान-				
03-	निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता अनुदान-				
(iii)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2023 में ₹ 5.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

2230- श्रम रोजगार एवं कौशल विकास-

01-	श्रम-				
112-	बंधुआ मजदुरों का पुर्नवास-				
01-	बंधुआ मजदुरों के पुर्नवास के लिए सहायता- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	19.00			
		
	पुनर्वि०	(-)19.00			

मार्च 2023 में ₹ 19.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

02-	रोजगार सेवाएं-				
101-	रोजगार सेवा-				
08-	दृष्टि पत्र योजना-				
	मूल	66.00			
		
	पुनर्वि०	(-)66.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 27 -(क्रमशः)

मार्च 2023 में ₹ 66.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा दिशानिर्देशों को अंतिम रूप न दिये जाने के कारण कम कर दिया गया।

03-	प्रशिक्षण-				
003-	दस्तकारों एवं पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण-				
09-	कौशल विकास भत्ता-				
	मूल	5,981.00			
			5,173.65	3,396.18	(-),1,777.47
	पुनर्वि०	(-)807.35			

₹ 1,777.47 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से, मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 807.35 लाख की कमी मुख्यतः योजना के अन्तर्गत आवेदनों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 1,777.47 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

10-	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का मॉडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के रूप में उन्नयन-				
	मूल	50.00			
		
	पुनर्वि०	(-)50.00			

मार्च 2023 में ₹ 50.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा सेमिनारों के आयोजन न होने के कारण कम किया गया।

14-	औद्योगिक कौशल विकास भत्ता-				
	मूल	600.00			
			230.00	135.94	(-)94.06
	पुनर्वि०	(-)370.00			

₹ 94.06 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से, मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 370.00 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत आवेदनों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 94.06 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

(v)	उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-			
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाखों में)	

2059-	लोक निर्माण कार्य-			
01-	कार्यालय भवन			
053-	रखरखाव तथा मुरम्मत-			
42-	श्रम एवं रोजगार विभाग का रखरखाव-			
	मूल	0.01		
			10.01	10.00
	पुनर्वि०	10.00		(-)0.01

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 27 -(क्रमशः)

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10.00 लाख का आवर्धन कार्यालय भवन की मुरम्मत पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

2203- तकनीकी शिक्षा-

105- बहुशिल्प विद्यालय-

05- केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत (बहुतकनीक के माध्यम से सामुदायिक विकास योजना) राजकीय (बहुतकनीकी संस्थान-केन्द्रीय प्रायोजित योजना

पूरक 2.00

40.00

40.00

..

पुनर्वि० 38.00

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 38.00 लाख का आवर्धन भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने के कारण हुआ।

112- इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान-

01- राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान-

मूल 2,324.87

2,555.84

2,530.16

(-)25.68

पुनर्वि० 230.97

₹ 25.68 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 230.97 लाख का आवर्धन बकाया राशि के भुगतान के कारण हुआ जोकि पेट्रोल और गाडियों के रखरखाव के कारण हुई कमी से अशतः प्रतिसंतुलित हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 25.68 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण-

03- पिछड़े वर्गों का कल्याण-

277- शिक्षा-

04- तकनीकी छात्रवृत्ति-

मूल 50.00

50.00

83.40

(+)33.42

₹ 83.40 लाख के कुल व्यय में से ₹ 33.42 लाख का व्यय वर्ष 2021-22 के आपति पुस्तिका के उंचत के समायोजन के कारण हुआ।

2230- श्रम रोजगार एवं कौशल विकास-

02- रोजगार सेवाएं-

101- रोजगार सेवाएं-

01- रोजगार सेवाओं का आवरण विस्तार -

मूल 1,111.93

1,190.28

1,184.05

(-)6.23

पुनर्वि० 78.35

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 27 -(क्रमशः)

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 78.35 लाख का आवर्धन वेतन पुनर्निधारण की बकाया राशि के भुगतान पर अधिक व्यय, लम्बित बिलों के भुगतान और बाह्य स्रोत सेवाओं की नियुक्ति के कारण हुआ।

03- प्रशिक्षण-

001- निदेशन और प्रशासन-

01- तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण निदेशालय के कर्मचारी -

मूल	10.93			
		19.59	19.54	(-)0.05
पुनर्वि०	9.19			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9.19 लाख का आवर्धन वेतन के पुनर्निधारण की बकाया राशि के भुगतान पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

003- दस्तकारों एवं पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण-

05- दस्तकारों एवं पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण-

मूल	8,991.11			
पूरक	1,817.15	10,860.26	10,815.26	(-)45.00
पुनर्वि०	52.00			

₹ 45.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से, मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान द्वारा ₹ 52.00 लाख का आवर्धन बाह्य स्रोत और दैनिक वेतनभागियों की नियुक्ति पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 45.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

11- विश्व बैंक सहायता प्राप्त औद्योगिक कौशल उपयोगिता

सबर्धन/ सशक्तिकरण परियोजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	1.00			
		290.19	290.19	..
पुनर्वि०	289.19			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 289.19 लाख का आवर्धन भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने के कारण हुआ।

800- अन्य व्यय-

01- हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम-

मूल	4,238.00			
पूरक	9,026.25	13,865.63	13,865.63	..
पुनर्वि०	601.38			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 601.38 लाख का आवर्धन पूंजीगत कार्यों के क्रियान्वयन पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 27 -(क्रमशः)

02- आजीविका प्रोत्साहन के लिए कौशल और जागरूकता अधिग्रहण योजना-

मूल 0.50

7.48

7.48

..

पुनर्वि0 6.98

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6.98 लाख का आवर्धन भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने के कारण हुआ।

पूंजीगत प्रवर्ग

(vi) दत्तमत अनुदान में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-			
02- तकनीकी शिक्षा-			
105- इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान-			
01- भवन-			
(i) मूल 2,450.00	2,798.45	3,058.75	(+260.30)
पुनर्वि0 348.45			
03- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण-			
(ii) मूल 1,796.00	3,654.62	4,026.38	(+371.76)
पूरक 1,312.95			
पुनर्वि0 545.67			

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 632.06 लाख की अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 894.12 लाख का आवर्धन निर्माण कार्य के निष्पादन पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अर्पयाप्त सिद्ध हुआ।

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 632.06 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

(vii) उपरोक्त आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	-----------------------

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-

02- तकनीकी शिक्षा-

104- बहुशिल्प-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 27 -(समाप्त)

01-	इमारत-				
	मूल	2,000.00			
			1,105.88	1,105.87	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)894.12			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 894.12 लाख की कमी निर्माण कार्यो पर कम व्यय के कारण हुई।				
02-	महिला छात्रावासों का निर्माण-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
03-	बहुतकनीकी संस्थानों को खोलना-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में ₹ 2.00 लाख प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतिक्रित थे (जुलाई 2023)।				

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 28- शहरी विकास, नगर और ग्राम योजना तथा आवास

(शीर्ष 2059- लोक निर्माण-कार्य, 2215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता, 2216-आवास, 2217- शहरी विकास, 4215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	5,95,60,33			
		7,58,18,49	8,33,59,62	(+)75,41,13
पूरक	1,62,58,16			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	1,81,85,00			
		2,39,07,00	1,73,51,31	(-)65,55,69
पूरक	57,22,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च, 2023)				70,78,64
प्रभारित				
मूल	..			
		1,62,19	1,62,19	..
पूरक	1,62,19			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 75,41,13,479 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।
- राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 7,541.13 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2023 में प्राप्त ₹ 16,258.16 लाख का अनूपुरक अनुदान अर्पयाप्त सिद्ध हुआ।
- पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 6,555.69 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में प्राप्त ₹ 5,722.00 लाख का अनूपुरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी सारभूत रूप से अर्पयुक्त रहा और ₹ 7,078.64 लाख का अभ्यर्पण अन्यायपूर्ण सिद्ध हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-28 (क्रमशः)

राजस्व प्रवर्ग

(iv) दत्तमत अनुदान में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत(-)
2217- शहरी विकास-			
80- सामान्य-			
191- स्थानीय निकाय निगम, शहरी विकास प्राधिकरणों, जिला सुधार बोर्ड, अन्य को सहायता-			
51- पार्किंग का निर्माण-			
मूल	200.00		
		385.16	410.16
			(+)25.00
पूरक	185.16		
₹ 410.16 लाख के कुल व्यय में से ₹ 25.00 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपति पुस्तिका के उंचत के समायोजन के कारण हुआ।			
52- बाल पार्को का विकास-			
	25.00
			(+)25.00
₹ 25.00 लाख का समस्त व्यय वर्ष 2019-20 के आपति पुस्तिका के उंचत के समायोजन के कारण हुआ।			
58- नगर निगम क्षेत्र की सडकों की मुरम्मत-			
मूल	125.00		
		312.61	1,312.61
			(+)1,000.00
पूरक	187.61		
₹ 1,000.00 लाख के सारभूत अंतिम आधिक्य के कारण प्रतिक्षित थे (जुलाई 2023)।			
63- स्मार्ट सिटी मिशन धर्मशाला -			
पूरक	0.01		
		374.00	374.00
			..
पुनर्वि0	373.99		
मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 373.99 लाख का आवर्धन भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने के कारण हुआ।			
केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
पूरक	8,619.58		
		13,614.43	18,466.00
			(+)4.851.57
पुनर्वि0	4,994.85		
₹ 4,851.57 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से, मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,994.85 लाख का आवर्धन भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने के कारण हुआ जोकि अर्पयाप्त सिद्ध हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 34,300.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।			
₹ 4.851.57 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतिक्षित थे (जुलाई 2023)।			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-28 (क्रमशः)

64- स्मार्ट सिटी मिशन शिमला -
पूरक 0.01

374.00 374.00 ..

पुनर्वि० 373.99

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 373.99 लाख का आवर्धन स्मार्ट सिटी के लिए अलग लेखा शीर्ष खोलने के कारण हुआ।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

पूरक 5,300.00

8,666.00 13,316.00 (+)4,650.00

पुनर्वि० 3,366.00

₹ 4,650.00 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,366.00 लाख का आवर्धन स्मार्ट सिटी के लिए अलग लेखा शीर्ष खोलने के कारण हुआ जोकि अर्पयाप्त सिद्ध हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 34,300.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

₹ 4,650.00 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतिक्षित थे (जुलाई 2023)।

192- नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता-

19- बाल पार्को का विकास-

.. .. 315.42 (+)315.42

₹ 315.42 लाख का समस्त व्यय वर्ष 2019-20 के आपति पुस्तिका के उंचत के समायोजन के कारण हुआ।

(v) उपरोक्त आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई बचत से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	-----------------------------------	-----------------------

2215- जलापूर्ति तथा सफाई-

02- मल जल तथा सफाई -

105- सफाई सेवाएं-

04- मुरम्मत और रखरखाव-

मूल	1,497.00	1,497.00	1,300.56	(-)196.44
-----	----------	----------	----------	-----------

₹ 196.44 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतिक्षित थे (जुलाई 2023)।

2217- शहरी विकास-

80- सामान्य-

001- निदेशन और प्रशासन-

02- नगर एवं ग्राम योजना संगठन का निदेशालय-

मूल	1,596.80			
पूरक	175.54	1,734.29	1,721.60	(-)12.69
पुनर्वि०	(-)38.05			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-28 (क्रमशः)

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 38.05 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

191-	स्थानीय निकाय निगम, शहरी विकास प्राधिकरणों, जिला सुधार बोर्ड, अन्य को सहायता-				
45-	केन्द्रीय वित्तियोग आवार्ड-				
	मूल	6,976.46	6,976.46	6,862.73	(-)113.73

₹ 113.73 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

49-	स्मार्ट सिटी मिशन -				
(i)	मूल	3,740.00			
	पुनर्वि०	(-)3,740.00
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	3,740.00			
	पुनर्वि०	(-)3,740.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,480.00 लाख का समस्त प्रावधान स्मार्ट सिटी के लिए अलग मुख्य लेखा शीर्ष खोलने के कारण कम कर दिया गया। जबकि भारत सरकार से ₹ 34,300.00 लाख का अनुदान क्रम संख्या (ii) में प्राप्त हुआ।

50-	प्रधानमंत्री आवास योजना सभी के लिए आवास (शहरी)				
(i)	मूल	55.00	55.00	41.65	(-)13.35
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	500.00	500.00	107.83	(-)392.17

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 405.52 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)। जबकि भारत सरकार से ₹ 747.73 लाख का अनुदान क्रम संख्या (ii) में प्राप्त हुआ।

55-	कूडा संवर्धन संयंत्र की स्थापना और भूमि भरण स्थल का विकास (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना)-				
	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान शहरी स्थानीय निकायों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण कम किया गया।

56-	विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित ग्रेटर शिमला जल आपूर्ति स्कीम-				
	मूल	11,226.00			
	पुनर्वि०	(-)1,429.40	9,796.60	9,796.60	..

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-28 (क्रमशः)

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,429.40 लाख की कमी ऊर्जा शुल्क, संचालन तथा रखरखाव शुल्क में कमी के कारण हुई।

57- अटल श्रेष्ठ शहर योजना-
मूल 280.00 280.00 10.58 (-)269.42

₹ 269.42 लाख के सारभूत अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

59- नगर निगम की विकास योजना तैयार करना-
मूल 20.00

पुनर्वि० (-)20.00

मार्च 2023 में ₹ 20.00 लाख का समस्त प्रावधान पुनर्विनियोजन द्वारा शहरी स्थानीय निकाय से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया गया।

62- पन्द्रहवें वित्त आयोग के अंतर्गत नगर निगमों को स्वास्थ्य क्षेत्र अनुदान-
मूल 243.30 243.30 .. (-)243.30

₹ 243.30 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

192- नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता-
14- केंद्रीय वित्तयोग का अवार्ड-
मूल 6,781.60 6,781.60 6,671.05 (-)110.55

₹ 110.55 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

16- स्वच्छ भारत मिशन हेतु सहायता अनुदान-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
मूल 200.00 200.00 .. (-)200.00

₹ 200.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

18- प्रधानमंत्री आवास योजना सभी के लिए आवास (शहरी)
मूल 1,100.00 1,100.00 495.00 (-)605.00

₹ 605.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

22- नगर पालिकाओं की विकास योजना तैयार करना-
मूल 65.00
पुनर्वि० (-)65.00

मार्च 2023 में ₹ 65.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा शहरी स्थानीय निकायों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया गया।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-28 (क्रमशः)

25-	विलय क्षेत्र की विशिष्ट योजनाओं के लिए नगरपालिकाओं को अनुदान-मूल	1.00				
	पुनर्वि०	(-)1.00				
	मार्च 2023 में ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा नए क्षेत्रों के नगर परिषदों में विलय न होने के कारण कम किया गया।					
27-	पंद्रहवें वित्त आयोग के अर्न्तगत नगरपालिकाओं को स्वास्थ्य क्षेत्र अनुदान-मूल	236.52	236.52	..		(-)236.52
	₹ 236.52 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।					
193-	नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य को सहायता-					
13-	केन्द्रीय वित्तयोग का अवार्ड-					
(i)	मूल	1,849.49	1,849.49	1,819.34		(-)30.15
14-	स्वच्छ भारत मिशन हेतु सहायता अनुदान-					
(ii)	मूल	11.00	11.00	6.77		(-)4.23
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
(iii)	मूल	100.00	100.00	63.89		(-)36.11
16-	प्रधानमंत्री आवास योजना सभी के लिए आवास (शहरी) -					
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
(iv)	मूल	756.00	756.00	1.71		(-)754.29
	उपरोक्त चार मामलों में ₹ 824.78 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)। जबकि भारत सरकार से ₹ 747.73 लाख का अनुदान क्रम संख्या (iv) में प्राप्त हुआ।					
21-	नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समिति की विकास योजना तैयार करना -					
	मूल	65.00				
	पुनर्वि०	(-)65.00				
	मार्च 2023 में ₹ 65.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा शहरी स्थानीय निकायों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण कम किया गया।					
24-	विलय क्षेत्र की विशिष्ट योजनाओं के लिए नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समिति को अनुदान -					
	मूल	1.00				
	पुनर्वि०	(-)1.00				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-28 (क्रमशः)

मार्च 2023 में ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा नये क्षेत्रों का नगर पंचायतों में विलय न होने के कारण कम किया गया।

26-	पंद्रहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत नगर पंचायतों/ अधिसूचित क्षेत्र समिति को स्वास्थ्य क्षेत्र अनुदान-				
(i)	मूल	64.52	64.52	..	(-)64.52
27-	पंद्रहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत छावनी बोर्डों को स्वास्थ्य क्षेत्र अनुदान-				
(ii)	मूल	20.66	20.66	..	(-)20.66

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 85.18 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतिक्षित थे (जुलाई 2023)।

पूंजीगत प्रवर्ग

(vi) दत्तमत्त अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
4215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय-			
02- मल/निकासी तथा सफाई			
106- जल मल निकासी सेवाएं-			
02- विभिन्न जिलों में जलोस्तर मल व्यवस्था योजना-			
मूल	13,466.00		
पूरक	1,224.00	7,673.65	5,727.19
पूरक	(-)7,014.35		(-)1,946.46

₹ 1,946.46 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से, मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7,014.35 लाख की कमी फ्रान्सीसी विकास एजेंसी की वित्त पोषण योजना से अधिक प्राप्ति के कारण हुई जोकि विभिन्न जिलों में सीवरेज योजना पर अधिक व्यय से अशतः प्रतिसंतुलित हुई तथा अर्पयाप्त सिद्ध हुई।

₹ 1,946.46 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-

03-	छोटे और मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-				
051-	निर्माण-				
05-	प्रारूप विकास योजना विस्तार-				
मूल	230.00				
		165.71	146.12		(-)19.59
पुनर्वि0	(-)64.29				

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 64.29 लाख की कमी हिमाचल प्रदेश विधानसभा के दौरान आर्दश आचारसंहिता के कारण कम व्यय के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-28 (समाप्त)

(vii) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-			
01- राज्य की राजधानी का विकास-			
190- सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश-			
01- शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड में इक्विटी/निवेश-			
मूल	4,489.00		
		8,989.00	(+),2,489.00
पूरक	4,500.00	11,478.00	

₹ 11,478.00 लाख के कुल व्यय में से ₹ 2,489.00 लाख का व्यय वर्ष 2020-21 की आपति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 29 -वित्त

(शीर्ष- 2047- अन्य वित्तीय सेवाएं, 2048- कर्ज से बचने के लिए विनियोग, 2049- ब्याज अदायगी, 2054- खजाना तथा लेखा प्रशासन, 2059- लोक निर्माण कार्य, 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2071- पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभ, 2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 3451- सचिवालय आर्थिक सेवायें, 3454- जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 6003- राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण, 6004- केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम तथा 7610- सरकारी कर्मचारी आदि को ऋण)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	79,12,58,69			
		91,98,87,64	94,00,76,83	(+)2,01,89,19
पूरक	12,86,28,95			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि ..				
प्रभारित				
मूल	51,04,64,01			
		51,04,64,12	48,28,69,15	(-)2,75,94,97
पूरक	11			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023) 3,19,89,53				
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	7,27,51			
		22,39,23	15,83,12	(-)6,56,11
पूरक	15,11,72			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि ..				
प्रभारित				
मूल	53,42,01,56			
		1,13,48,95,30	1,01,35,79,24	(-)12,13,16,06
पूरक	60,06,93,74			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि ..				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)
टिप्पणियां तथा अभ्यक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 2,01,89,18,637 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 20,189.19 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2023 में प्राप्त ₹ 1,28,628.95 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (iii) राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोग में ₹ 27,594.97 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में प्राप्त ₹ 31,989.53 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।
- (iv) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 656.11 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में प्राप्त ₹ 1,511.72 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ और विभाग द्वारा वर्ष के दौरान कोई भी राशी अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (v) पूंजीगत प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 1,21,316.06 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2023 में प्राप्त ₹ 6,00,693.74 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ और विभाग द्वारा वर्ष के दौरान कोई भी राशी अभ्यर्पित नहीं की गई।

राजस्व प्रवर्ग

- (vi) दत्तमत अनुदान में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2059- लोक निर्माण कार्य-			
01- कार्यालय भवनों-			
053- रखरखाव और मरम्मत-			
04- आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के रखरखाव पर व्यय-			
मूल	0.01		
		5.01	(-)0.01
पुनर्वि०	5.00		
मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5.00 लाख का आवर्धन रखरखाव के कार्यों पर अधिक व्यय के कारण हुआ।			
2071- पेंशन तथा अन्य सेवानिवृति लाभ-			
01- सिविल-			
101- अधिवार्षिकता तथा सेवानिवृति भत्ते-			
03- 1.11.1966 से अधिवार्षिकी-			
मूल	4,34,118.64		
पूरक	20,006.24	4,56,206.63	(+),9,995.41
पुनर्वि०	2,081.75		

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2081.75 लाख का आवर्धन पेंशन पुनर्निधारण की बकाया राशि के अधिक भुगतान के कारण हुआ।

₹ 9,995.41 लाख के अंतिम आधिक्य पेंशन में राहत की दर में वृद्धि के कारण हुआ।

102-	पेंशन का सारांशीकृत मूल्य-				
02-	1.11.1966 से देय राशि-				
(i)	मूल	33,372.87			
			65,716.41	68,787.49	(-)3,071.08
	पूरक	32,343.54			
104-	उपदान-				
02-	1.11.1966 से ग्रेच्युटी का भुगतान-				
(ii)	मूल	69,595.24			
			93,158.97	99,076.53	(+)5,917.56
	पूरक	23,563.73			
03-	विभिन्न ग्रेच्युटी अधिनियमों के तहत ग्रेच्युटी-				
(iii)	मूल	112.84			
			1,690.35	1,788.30	(+)97.95
	पूरक	1,577.51			
	उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 9,086.59 लाख की अंतिम आधिक्य अनुमान से अधिक मामलों की प्राप्ति के कारण हुआ।				
115-	अवकाश नकदीकरण लाभ-				
01-	अवकाश भुगतान-				
	मूल	56,442.14			
			60,856.70	65,288.91	(+)4,432.21
	पूरक	4,414.56			
	₹ 4,432.21 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
(vii)	उपरोक्त आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई बचत से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुआ:-				
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय		आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाखों में)		
2048-	कर्ज से बचने के लिए विनियोग-				
101-	ऋण चुकाने की निधि-				
01-	ऋण चुकाने की निधि में स्थानान्तरण-				
(i)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
200-	अन्य विनियोग-				
01-	गारंटी निधि में स्थानांतरण-				
(ii)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में ₹ 2.00 लाख के समस्त टोकन प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा कम किया गया; जिसके कारण सूचित नहीं किए गये थे (जुलाई 2023)।

2054- खजाना तथा लेखा प्रशासन-

095- लेखा एवं कोष निदेशालय-

01- मुख्यालय संगठन-

मूल 931.69

957.69

804.74

(-)152.95

पुनर्वि० 26.00

₹ 152.95 लाख की अंतिम बचत की दृष्टी से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 26.00 लाख का आवर्धन बाह्य स्रोत सेवाओं, पेट्रोल और वाहनों की मुरम्मत पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 152.95 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

04- विश्व बैंक सहायता प्राप्त एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली
(बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना)-

(i) मूल 1,185.00

3,678.91

3,457.55

(-)221.36

पूरक 2,493.91

05- मुख्यालय लेखा विंग-

(ii) मूल 20.31

73.04

60.18

(-)12.86

पूरक 52.73

097- खजाना स्थापना-

01- जिला स्थापना एवं उप कोषागार-

(iii) मूल 4,014.23

पूरक 9.53

4,024.28

3,719.77

(-)304.51

पुनर्वि० 0.52

098- स्थानीय निधि लेखा परीक्षा -

01- स्थानीय निधि लेखा परीक्षा संगठन-

(iv) मूल 1,055.02

पूरक 0.01

1,063.56

965.45

(-)98.11

पुनर्वि० 8.53

2059- लोक निर्माण कार्य-

01- कार्यालय भवन-

053- रखरखाव एवं मरम्मत-

05- कोष एवं लेखा विभाग को रखरखाव पर व्यय-

(v) मूल 0.01

8.01

0.58

(-)7.43

पूरक 8.00

उपरोक्त पाँच मामलों में ₹ 644.27 लाख के अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)

2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं-

105- विशेष जांच आयोग-

02- राज्य वित्त आयोग-

मूल 68.13

50.24

50.23

(-)0.01

पुनर्वि० (-)17.89

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 17.89 लाख की कमी रिक्त पदों के न भरने, मानदेय पर कम व्यय और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

2071- पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ-

01- सिविल-

105- पारिवारिक पेंशन-

01- 1.11.1966 से पूर्व देय राशि-

मूल 1,078.97

7.25

6.65

(-)0.60

पुनर्वि० (-)1,071.72

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,071.72 लाख की सारभूत कमी दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

02- 1.11.1966 से पश्चात देय राशि-

मूल 1,09,483.33

1,21,933.45

1,21,685.92

(-)247.53

पूरक 12,450.12

₹ 247.53 लाख के अंतिम बचत दावों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई।

111- विधायकों को पेंशन-

01- राज्य के विधायक-

मूल 3,194.13

2,184.10

2,227.94

(+)43.84

पुनर्वि० (-)1,010.03

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,010.03 लाख की कमी निधियों की कम आवश्यकता के कारण हुई।

₹ 43.84 लाख की अंतिम आधिक्य पेंशन के भुगतान के कारण हुई।

2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण-

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-

102- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अन्तर्गत पेंशन-

05- स्वालम्बन योजना के अन्तर्गत पेंशन हेतु योगदान-

(i) मूल 1,500.00

1,500.00

1,272.62

(-)227.38

3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएं-

091- सम्बद्ध कार्यालय-

01- वित्त और सार्वजनिक उद्यम संस्थागत निदेशालय-

(ii) मूल 2,000.00

2,000.00

210.06

(-)1,789.94

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)

3454-	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-				
02-	सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-				
111-	जन्म-मृत्यु सांख्यिकी-				
01-	मुख्यालय तथा जिला कर्मचारी वर्ग-				
(iii)	मूल	1,183.45			
			1,181.90	992.85	(-)189.05
	पुनर्वि०	(-)1.55			
02-	यांत्रिक सारणीकरण इकाइयों की स्थापना-				
(iv)	मूल	16.59	16.59	8.51	(-)8.08
04-	गुड गवर्नेस के लिए पुरस्कार-				
(v)	मूल	110.00	110.00	18.75	(-)91.25
	उपरोक्त पाँच मामलों में ₹ 2,305.70 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
(viii)	प्रभारित विनियोजन में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुई:-				
	शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
			(₹ लाखों में)		
2049-	ब्याज अदायगी-				
01-	आंतरिक ऋण पर ब्याज-				
101-	बाजार ऋणों पर ब्याज-				
89-	प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण (नए ऋण)-				
	मूल	37,000.00			
		
	पुनर्वि०	(-)37,000.00			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा विनियोजन में ₹ 37,000.00 लाख की कमी ऋण पर ब्याज के भुगतान के लिए निधियों की कम आवश्यकता और नये ऋणों में वृद्धि न होने के कारण हुई क्योंकि नये ऋणों पर ब्याज में भुगतान के लिए धन का बजट प्रावधान रखा गया था। ऐसा विनियोजन वर्ष 2010-2011 से रखा जा रहा है।				
200-	अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज-				
05-	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण-				
(i)	मूल	1,800.00			
			1,334.66	1,334.66	..
	पुनर्वि०	(-)465.34			
07-	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक-				
(ii)	मूल	14,000.00			
			12,131.95	12,131.95	..
	पुनर्वि०	(-)1,868.05			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा विनियोजन में ₹ 2,333.39 लाख की कमी ब्याज के भुगतान पर कम व्यय के कारण हुई।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)

03-	लघु बचत, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज-				
104-	राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज-				
01-	सामान्य भविष्य निधि-				
	मूल	1,28,000.00			
			1,15,000.00	1,18,865.10	(-)3,865.10
	पुनर्वि०	(-)13,000.00			
	मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा विनियोजन में ₹ 13,000.00 लाख की कमी अनुसूची के अनुसार ब्याज के भुगतान के लिए निधियों की कम आवश्यकता के कारण हुई।				
	₹ 3,865.10 लाख के अंतिम आधिक्य सामान्य भविष्य निधि के अंशदान में बढ़ोतरी के कारण हुआ।				
03-	अखिल भारतीय सेवाएं भविष्य निधि-				
	मूल	450.00			
			410.00	431.49	(+)21.49
	पुनर्वि०	(-)40.00			
	मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा विनियोजन में ₹ 40.00 लाख की कमी अनुसूची के अनुसार ब्याज के भुगतान के लिए निधियों की कम आवश्यकता के कारण हुई।				
	₹ 21.49 लाख के अंतिम आधिक्य अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को भविष्य निधि के रखे रखने की सुविधा के विस्तार के कारण हुई।				
05-	आरक्षित निधि पर ब्याज-				
105-	सामान्य और अन्य आरक्षित निधियों पर ब्याज-				
02-	कैम्पा फंड पर ब्याज-				
	मूल	5,500.00			
			5,468.05	5,387.17	(-)80.88
	पुनर्वि०	(-)31.95			
	₹ 80.88 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा विनियोजन में ₹ 31.95 लाख की कमी ब्याज के भुगतान पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 80.88 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
2071-	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ-				
01-	सिविल-				
104-	उपदान-				
03-	विभिन्न ग्रेच्युटी अधिनियमों के अन्तर्गत ग्रेच्युटी-				
	पूरक	0.01			
			11.58	..	(-)11.58
	पुनर्वि०	11.57			
	₹ 11.58 लाख के समस्त विनियोजन के अप्रयुक्त रहने की दृष्टि से मार्च 2023 में विनियोजन द्वारा ₹ 11.57 लाख का आर्वधन न्यायालय के आदेशों के अनुपालना के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)

₹ 11.58 लाख का समस्त विनियोजन अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

(ix) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अर्न्तगत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-				
शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)	
2049- ब्याज अदायगी-				
01- आंतरिक ऋण पर ब्याज-				
101- बाजार ऋणों पर ब्याज-				
18- 7.76 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण 2030-				
(i) पुनर्वि०	2,327.99	2,327.99	2,327.99	..
19- 7.82 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण 2032-				
(ii) पुनर्वि०	1,563.99	1,563.99	1,563.99	..
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में विनियोजन में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,891.98 लाख का आर्वधन ऋण पर ब्याज के भुगतान के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ। निधियों को मूल/अनूपूरक अनुदान अनुमानों द्वारा प्राप्त करना आवश्यक था। बजट प्रावधान के बिना पुनर्विनियोजन करना अनुचित है और हिमाचल प्रदेश के बजट में नियमावली के पैरा 12.5 का उल्लंघन था।				
J1- 7.57 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण 2031-				
(i) पूरक	0.01			
		1,514.00	1,514.00	..
	पुनर्वि० 1,513.99			
J2- 7.89 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण 2037-				
(ii) पूरक	0.01			
		1,972.50	1,972.50	..
	पुनर्वि० 1,972.49			
J3- 7.43 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण 2028-				
(iii) पूरक	0.01			
		2,229.00	2,229.00	..
	पुनर्वि० 2,228.99			
J4- 7.48 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण 2033-				
(iv) पूरक	0.01			
		1,870.00	1,870.00	..
	पुनर्वि० 1,869.99			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)

J5-	7.49 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण 2034-				
(v)	पूरक	0.01			
			1,872.50	1,872.50	..
	पुनर्वि०	1,872.49			
J6-	7.50 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण 2036-				
(vi)	पूरक	0.01			
			2,625.00	2,625.00	..
	पुनर्वि०	2,624.99			
J7-	7.50 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण 2037-				
(vii)	पूरक	0.01			
			3,000.00	3,000.00	..
	पुनर्वि०	2,999.99			
	उपरोक्त सात मामलों में मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 15,082.93 लाख का आवर्धन ऋण पर ब्याज के भुगतान के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ।				
115-	भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज-				
01-	भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम प्रभार पर ब्याज-				
	मूल	0.01			
			300.00	305.85	(+)5.85
	पुनर्वि०	299.99			
	₹ 5.85 लाख की अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 299.99 लाख का आवर्धन ऋण पर ब्याज के भुगतान के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।				
	₹ 5.85 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
02-	ओवरड्राफ्ट पर ब्याज-				
	मूल	0.01			
			175.00	160.04	(-)14.96
	पुनर्वि०	174.99			
	₹ 14.96 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 174.99 लाख का आवर्धन ऋण पर ब्याज के भुगतान के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।				
	₹ 14.96 लाख के अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
116-	14 दिन के खजाना बिलों पर ब्याज-				
01-	14 दिन के खजाना बिलों पर ब्याज -				
(i)	मूल	400.00	400.00	784.38	(+)384.38
305-	ऋण प्रबन्ध-				
01-	ऋण का प्रबन्ध-				
(ii)	मूल	800.00	800.00	1,002.10	(+)202.10

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 586.48 लाख की अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

03-	अल्प बचतो, भविष्य निधियो आदि पर ब्याज-				
108-	बीमा और पेंशन निधि पर ब्याज-				
01-	हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना-				
	मूल	2,200.00			
			2,320.00	2,343.42	(+)23.42
	पुनर्वि०	120.00			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 120.00 लाख का आर्वधन ब्याज के भुगतान के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ।

₹ 23.42 लाख के अंतिम आधिक्य मामलों की अधिक प्राप्तियों के कारण हुआ।

04-	केन्द्रीय सरकार से ऋणों तथा अग्रिमों पर ब्याज-				
101-	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत योजनाओं के लिए कर्जों पर ब्याज-				
01-	खण्ड विकास ऋण पर ब्याज-				
	मूल	6,541.64			
			7,370.50	7,370.50	..
	पुनर्वि०	828.86			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 828.86 लाख का आर्वधन ऋण पर ब्याज के भुगतान के लिए अधिक व्यय के कारण हुआ।

2054- खजाना तथा लेखा प्रशासन-

095-	लेखा एवं कोष निदेशालय-				
05-	मुख्यालय लेखा विंग-				
	मूल	0.01			
			5.50	5.13	(-)0.37
	पुनर्वि०	5.49			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 5.49 लाख का आर्वधन याचिकाकर्ता को बकाया वेतन के लिए अदालत के अनुपालन में धन की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ।

पूंजीगत प्रवर्ग

(x) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाखों में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-

- 01- कार्यालय भवन-
- 051- निर्माण-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 29 (क्रमशः)

34-	विश्व बैंक सहायता प्राप्त एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना के अन्तर्गत कोषागार-				
	मूल	1,500.00	1,500.00	1,322.84	(-)177.16

₹177.16 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

7610- सरकारी कर्मचारी आदि को ऋण-

201-	गृह निर्माण अग्रिम-				
01-	सरकारी कर्मचारियों को मकान के लिए अग्रिम-				
	मूल	600.00			
			308.22	137.63	(-)170.59
	पुनर्वि०	(-)291.78			

₹ 170.59 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 291.78 लाख की कमी कर्मचारियों से ऋण प्रकरणों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 170.59 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

03-	उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों/लोकायुक्तों/ प्रशासनिक न्यायाधिकरण के सदस्यों और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों को अग्रिम-				
	मूल	7.50	7.50	..	(-)7.50

₹ 7.50 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

202-	मोटर वाहन की खरीद के लिए अग्रिम-				
03-	मोटर कारों की खरीद के लिए मंत्रियों, उप मंत्रियों, पीठासीन अध्यक्षों को ऋण -				
	मूल	20.00	20.00	0.05	(-)19.95

₹ 19.95 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

800-	अन्य अग्रिम-				
04-	शिक्षा ऋण-				
	मूल	50.00			
			5.00	0.75	(-)4.25
	पुनर्वि०	(-)45.00			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 45.00 लाख की कमी लाभार्थियों से प्रकरणों/मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

(xi)	उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-			
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाखों में)	

4059-	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-
01-	कार्यालय भवन-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)

051-	निर्माण-				
08-	कोषागार संस्था-				
	पूरक	11.72			
			300.00	20.73	(-)279.27
	पुनर्वि०	288.28			

₹ 279.27 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 288.28 लाख का सारभूत आवर्धन निर्माण कार्यों पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 279.27 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

7610- सरकारी कर्मचारी आदि को ऋण-

201-	गृह निर्माण अग्रिम-				
02-	मंत्रियों/उपमंत्रियों और राज्य विधायकों तथा पीठासीन अध्यक्षों को अग्रिम-				
	मूल	50.00			
			98.50	101.11	(+)2.61
	पुनर्वि०	48.50			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 48.50 लाख आवर्धन गृह निर्माण अग्रिम पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

(xii)	प्रभारित विनियोजन में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अर्न्तगत हुईः--				
	शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
			(₹ लाखों में)		

6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण-

110-	भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम-				
01-	साधारण अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवर ड्राफ्ट अधिविकरण-				
(i)	मूल	2,00,000.00			
			5,00,000.00	4,04,299.00	(-)95,701.00
	पूरक	3,00,000.00			
03-	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ओवरड्राफ्ट और कमियाँ-				
(ii)	मूल	0.01			
	पूरक	2,99,999.99	2,99,999.71	2,74,384.70	(-)25,615.01
	पुनर्वि०	(-)0.29			

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 1,21,316.01 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

6004- केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम-

08-	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएँ-				
201-	भवन निर्माण अग्रिम-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 29 (समाप्त)

01- अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को गृह
निर्माण अग्रिम के लिए ऋण-
मूल 1.31

पुनर्वि० (-)1.31

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 1.31 लाख के समस्त प्रावधान को ऋणों के पुर्न भुगतान के लिए धन की आवश्यकता न होने के कारण कम कर दिया गया।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-30- विविध सामान्य सेवाएं

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2202- सामान्य शिक्षा, 2204- खेलकूद तथा युवा सेवाएं, 2205- कला एवं संस्कृति, 2220- सूचना तथा प्रचार, 2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण 2250- अन्य सामाजिक सेवाएं, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4220- सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	1,18,59,77		
		1,45,74,67	
पूरक	27,14,90		(+85,02
)
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			
			12,82
पूंजीगत प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	38,76,00		
		43,96,84	
पूरक	5,20,84		(+1,46,28
)
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			
			..

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 85,01,905 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,46,28,245 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।
- (iii) ₹ 85.02 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में मार्च 2023 में प्राप्त ₹ 2,714.90 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ तथा ₹ 12.82 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।
- (iv) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 146.28 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में प्राप्त ₹ 520.84 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-30 (क्रमशः)

राजस्व प्रवर्ग

(v) दत्तमत अनुदान में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	-----------------------

2059- लोक निर्माण कार्य-

01- कार्यालय भवन-

053- रखरखाव तथा मरम्मत-

24- हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासनिक संस्थान भवन पर रखरखाव व्यय-

मूल	10.24				
		15.24	15.24	..	
पुनर्वि०	5.00				

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5.00 लाख का आवर्धन रखरखाव कार्य के निष्पादन पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं-

003- प्रशिक्षण-

01- भारतीय प्रशासनिक सेवा परिक्षार्थियों का प्रशिक्षण व्यय-

मूल	171.16				
		205.41	202.43	(-)2.98	
पुनर्वि०	34.25				

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 34.25 लाख का आवर्धन पेशेवर और विशेष सेवाओं, टेलीफोन, बिजली, पानी के बिलों तथा बकाया भुगतान पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

2202- सामान्य शिक्षा-

05- भाषा विकास-

001- निदेशन और प्रशासन-

01- निदेशालय-

मूल	365.96				
पूरक	6.78	431.34	415.22	(-)16.12	
पुनर्वि०	58.60				

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 58.60 लाख का आवर्धन वेतनमान में संशोधन और बकाया भुगतान, किराया बिलों की अधिक प्राप्ति तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के कारण हुआ।

2204- खेलकूद तथा युवा सेवाएं-

104- खेलकूद तथा खेल-

01- पर्वतारोहण संस्थान एवं संबद्ध खेल मनाली-

मूल	406.65				
		421.72	464.84	(+)43.12	
पूरक	15.07				

₹ 43.12 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतिक्रित थे (जुलाई 2023)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-30 (क्रमशः)

2205- कला एवं संस्कृति-

103- पशुतत्व-

01- पुरावशेष एवं कला खजाना अधिनियम 1972 के संचालन पर व्यय-

मूल	299.00			
पूरक	200.00	457.80	732.65	(-)274.85
पुनर्वि०	(-)41.20			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 41.20 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

₹ 732.65 लाख के कुल व्यय में से ₹ 305.87 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपति पुस्तिका के उचंत के समाशोधन के कारण हुआ।

2220- सूचना तथा प्रचार-

01- चलचित्र-

001- निदेशन और प्रशासन-

01- निदेशालय-

मूल	682.50			
		705.68	705.38	(-)10.30
पुनर्वि०	23.18			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 23.18 लाख का आवर्धन वेतनमान में संशोधन, बकाया भुगतान तथा किराया बिलों पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

105- चलचित्र का निर्माण-

01- इलेक्टॉनिक प्रचार सामग्री का उत्पादन और प्रसार-

मूल	231.34			
		285.94	281.45	(-)4.44
पुनर्वि०	54.60			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 54.60 लाख का आवर्धन वेतनमान में संशोधन तथा बकाया भुगतान के कारण हुआ।

60- अन्य-

101- विज्ञापन और दृश्य प्रचार-

01- विज्ञापन और दृश्य प्रचार पर व्यय-

मूल	4,136.77			
पूरक	1,925.77	6,128.22	6,123.75	(-)4.44
पुनर्वि०	65.68			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 65.68 लाख का आवर्धन विज्ञापन, प्रचार, टेलीफोन, बिजली तथा पानी के बिलों पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

(vi) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाखों में)	

2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-30 (क्रमशः)

003-	प्रशिक्षण-				
02-	हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासनिक परिवाक्षार्थी संस्थान का प्रशिक्षण व्यय -				
	मूल	135.27			
			106.82	110.23	(+)3.41
	पुनर्वि०	(-)28.45			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 28.45 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि यात्रा पर अधिक व्यय तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।				
03-	हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासनिक संस्थान -				
	मूल	455.49			
			415.08	402.93	(-)12.15
	पुनर्वि०	(-)40.41			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 40.41 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि नये वाहन की खरीदारी तथा बाह्य स्रोत सेवाओं पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।				
04-	ग्रामीण विकास में प्रशिक्षण एवं अनुसंधान -				
	मूल	8.00			
			5.00	4.87	(-)0.13
	पुनर्वि०	(-)3.00			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
2204-	खेलकूद तथा युवा सेवाएं-				
001-	निदेशन और प्रशासन-				
01-	निदेशालय-				
(i)	मूल	1,491.24			
			1,553.23	1,461.46	(-)91.77
	पूरक	(-) 61.99			
101-	शारीरिक शिक्षा-				
01-	शारीरिक शिक्षा योजना-				
(ii)	मूल	67.60	67.60	44.98	(-)22.62
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 114.39 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतिक्षित थे (जुलाई 2023)।				
2205-	कला एवं संस्कृति-				
102-	कला तथा संस्कृति की तरक्की-				
04-	कला केन्द्र-				
(i)	मूल	34.73			
			14.26	13.02	(-)1.24
	पुनर्वि०	(-)20.47			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 20.47 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने तथा रखरखाव कार्यों के निष्पादन पर कम व्यय के कारण हुई।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-30 (समाप्त)

08-	आज पुरानी राहों से-				
(i)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
09-	देव भूमि दर्शन योजना-				
(ii)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा: जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

2220- सूचना तथा प्रचार-

01-	चलचित्र-				
001-	निदेशन और प्रशासन-				
02-	जिला स्थापना-				
(i)	मूल	957.37			
			859.75	854.17	(-)5.58
	पुनर्वि०	(-)97.62			

2250- अन्य सामाजिक सेवाएं-

103-	पवित्र स्थानों, मंदिरों आदि का रखरखाव-				
01-	मंदिरों का प्रबन्ध-				
(ii)	मूल	67.42			
			51.42	41.44	(-)9.98
	पुनर्वि०	(-)16.00			

उपरोक्त दो मामलों में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 113.62 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

पूँजीगत प्रवर्ग

(vii) दत्तमत अनुदान में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-			
03- खेलकूद तथा युवा सेवाएं-			
101- युवा छात्रावास-			
01- भवन -			
मूल	500.00	500.00	(+)150.98

₹ 150.98 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31-जनजातीय विकास

(शीर्ष -2014 - न्याय प्रशासन, 2015- निर्वाचन, 2029- भू-राजस्व, 2030- स्टॉम्प तथा पंजीकरण, 2045- वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क, 2047- अन्य राजकोषीय सेवाएं, 2053- जिला प्रशासन, 2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन, 2055- पुलिस, 2056- जेल, 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2062-सतर्कता, 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2202- सामान्य शिक्षा, 2203- तकनीकी शिक्षा, 2204-खेलकूद तथा युवा सेवाएं, 2205- कला एवं संस्कृति, 2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2211- परिवार कल्याण, 2215- जलापूर्ति तथा सफाई, 2216- आवास, 2217- शहरी विकास, 2220- सूचना तथा प्रचार, 2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 2230- श्रम रोजगार और कौशल विकास, 2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2236- पोषण, 2251- सचिवालय सामाजिक सेवाएं, 2401- फसल कृषि- कर्म, 2402- भू तथा जल संरक्षण, 2403- पशु पालन, 2404- दुग्ध विकास, 2405- मत्स्य पालन, 2406- वानिकी तथा वन्य जीवन, 2408- खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार, 2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 2425- सहकारिता, 2435- अन्य कृषि कार्यक्रम, 2501- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, 2505- ग्राम रोजगार, 2506- भूमि-सुधार, 2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 2702- लघु सिंचाई, 2801-विद्युत, 2851- ग्रामीण तथा लघु उद्योग, 2852- उद्योग, 2853- अलौह खनन तथा धातु उद्योग, 3054- सड़कों तथा सेतु, 3055- सड़क परिवहन, 3452- पर्यटन, 3454- जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 3456- नागरिक आपूर्ति, 3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं, 4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय, 4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4215-जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय, 4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय, 4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत व्यय, 4401- फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय, 4402- मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय, 4403- पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय, 4405-मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय, 4406- वानिकी तथा वन्य प्राणियों पर पूंजीगत परिव्यय, 4408-खाद्य, भण्डारण तथा भाण्डागार पर पूंजीगत परिव्यय, 4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय, 4515- अन्य ग्रसत विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय, 4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4705-कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय, 4711-बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय, 5002-भारतीय रेलवे वाणिज्यिक लाइनों पर पूंजी परिव्यय, 5053- नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय, 5054- सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय, 5055- सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय, 5075-अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय, 5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, तथा 6801- बिजली परियोजनाओं के लिए ऋण)

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

	कुल अनुदान/विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिव्यय (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	17,20,18,10		
		17,45,40,28	(-)2,06,93,43
पूरक	25,22,18		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			40,31,97
पूंजीगत प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	5,39,62,50		
		5,39,62,58	(-)1,53,12,85
पूरक	8		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			63,29,42

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 20,693.43 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में प्राप्त ₹ 2,522.18 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा तथा ₹ 4,031.97 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 15,312.85 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 6,329.42 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-
- | शीर्ष | कुल अनुदान | वास्तविक व्यय
(₹ लाखों में) | आधिव्यय (+)
बचत (-) |
|-------|------------|--------------------------------|------------------------|
|-------|------------|--------------------------------|------------------------|

2029- भू-राजस्व-
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

01-	जिला स्थापना पर व्यय-				
(i)	मूल	599.57			
			601.57	526.86	(-)74.71
	पुनर्वि०	2.00			

03-	प्राथमिक तथा पर्यवेक्षण भू-अभिलेख संस्थानों का सुदृढीकरण (जिला प्रभार)-				
(ii)	मूल	115.89	115.89	86.65	(-)29.24
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 103.95 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				

2030- स्टाम्प तथा पंजीकरण-

02-	स्टाम्प न्यायिकेतर-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	गैर-न्यायिक स्टाम्पों के विक्रय पर व्यय-				
	मूल	1.04			
		
	पुनर्वि०	(-)1.04			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.04 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण कम कर दिया गया।

2047- अन्य राजकोषीय सेवाएं-

796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	लघु बचत सस्थाओं पर व्यय-				
	मूल	15.31			
			11.31	8.30	(-)3.01
	पुनर्वि०	(-)4.00			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4.00 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

2053- जिला प्रशासन-

796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
02-	उपमण्डलों की स्थापना पर व्यय-				
	मूल	239.50			
			262.70	197.82	(-)64.88
	पुनर्वि०	23.20			

₹ 64.88 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 23.20 लाख का आवर्धन वेतन पुनर्निर्धारण और बकाया के भुगतान के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 64.88 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

2054- खजाना तथा लेखा प्रशासन-

796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
------	---------------------------	--	--	--	--

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

01-	जिला कोषागार एवं उप-कोषागार स्थापना पर व्यय-				
	मूल	434.78			
			440.53	408.87	(-)31.66

पुनर्वि० 5.75

₹ 31.66 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

02-	विश्व बैंक की सहायता से एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना)-				
	मूल	162.00	162.00	..	(-)162.00

₹ 162.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

2055- पुलिस-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- पुलिस संगठनों पर व्यय-

	मूल	5,931.73			
	पूरक	0.01	5,873.75	5,873.13	(-)0.62
	पुनर्वि०	(-)57.99			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 57.99 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अंशतः बाह्य स्रोत सेवाओं, पेट्रोल, तेल, स्नेहक और वाहनों की मरम्मत पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

03- जिला कार्यकारिणी फोर्स पर व्यय (जिला लाहौल स्पीति)-

	मूल	267.26			
			257.25	234.34	(-)22.91
	पुनर्वि०	(-)10.01			

₹ 22.91 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

2059- लोक निर्माण-कार्य-

01- कार्यालय भवन-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- सरकारी जिला राजस्व भवनों के रखरखाव एवं मरम्मत पर व्यय-

(i)	मूल	5.97			
			5.88	0.19	(-)5.69
	पुनर्वि०	(-)0.09			

05- नए औजारों तथा सयंत्रों की आपूर्ति के लिए व्यय-

(ii)	मूल	19.38			
			19.34	11.76	(-)7.58
	पुनर्वि०	(-)0.04			

07- उच्चत के अन्तर्गत व्यय (स्कन्ध)-

(iii)	मूल	1,000.00	1,000.00	377.62	(-)622.38
-------	-----	----------	----------	--------	-----------

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

08-	उच्चत के अन्तर्गत व्यय (स्कन्ध निर्माण)-				
(iv)	मूल	500.00	500.00	475.65	(-)24.35
09-	उच्चत के अन्तर्गत व्यय (विविध लोक निर्माण अग्रिम)-				
(v)	मूल	500.00	500.00	409.66	(-)90.34
	उपरोक्त पांच मामलों में ₹ 750.34 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
11-	वसूलियों के समायोजन हेतु रखरखाव का प्रावधान-				
	मूल	1,518.41			
			511.62	54.92	(-)456.70
	पुनर्वि०	(-)1,006.79			
	₹ 456.70 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,006.79 लाख की कमी वसूली के समायोजन के लिए रखरखाव पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 456.70 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
12-	उद्योग विभाग के भवनों की मरम्मत-				
(i)	मूल	3.15	3.15	1.50	(-)1.65
13-	स्वास्थ्य विभाग भवनों का रखरखाव-				
(ii)	मूल	44.00	44.00	31.38	(-)12.62
80-	सामान्य-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	भवन निर्माण कार्यक्रम सम्बन्धी स्थापना पर व्यय-				
(iii)	मूल	511.62	511.62	455.22	(-)56.40
	उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 70.67 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
02-	स्थाई स्थापना में परिवर्तित कार्य प्रभारी कर्मचारी वर्ग पर व्यय-				
	मूल	1,518.41			
			1,223.15	1,026.85	(-)196.30
	पुनर्वि०	(-)295.26			
	₹ 196.30 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 295.26 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 196.30 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
05-	प्राथमिक/माध्यमिक पाठशालाओं का रखरखाव-				
	मूल	204.75			
			105.26	101.76	(-)3.50
	पुनर्वि०	(-)99.49			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 99.49 लाख की कमी सरकारी भवनों के रखरखाव पर कम व्यय के कारण हुई।

2202- सामान्य शिक्षा-

01- प्रारंभिक शिक्षा-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

03- प्राथमिक पाठशालाओं पर व्यय-

मूल 10,763.83

10,067.84

10,102.77

(+)34.93

पुनर्वि० (-)695.99

₹ 34.93 लाख की अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 695.99 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, बिजली, दूरभाष एवं पानी के बिलों और संगोष्ठियों/कार्यशालाओं के आयोजन पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अत्याधिक सिद्ध हुई।

₹ 10,102.77 लाख के कुल व्यय में से ₹ 17.42 लाख का व्यय वर्ष 2020-21 की आपत्ति पुस्तिका के उच्चत के समायोजन के कारण हुआ।

₹ 34.93 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

11- गर्म पकाया हुआ भोजन-मध्याह्न भोजन-

मूल 572.00

513.78

513.78

..

पुनर्वि० (-)58.22

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 58.22 लाख की कमी मानदेय के भुगतान पर कम व्यय और भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई तथा इसलिए राज्य का हिस्सा भी अप्रयुक्त रहा।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 867.00

614.40

614.40

..

पुनर्वि० (-)252.60

मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 252.60 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 614.40 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

16- अटल वर्दी योजना

मूल 305.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)305.00

मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 305.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण कम कर दिया गया।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

17-	स्कूल प्रबंधन समिति को अनुदान-				
	मूल	472.50			
			444.35	444.33	(-)0.02
	पुनर्वि०	(-)28.15			
	मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 28.15 लाख की कमी स्कूल प्रबंधन समिति को कम अनुदान जारी करने के कारण हुई।				
18-	निजी विद्यालयों के कमजोर वर्ग के छात्रों के शुल्क की प्रतिपूर्ति (कक्षा 1 से 8)-				
	मूल	5.40			
		
	पुनर्वि०	(-)5.40			
	मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5.40 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण कम कर दिया गया।				
21-	समग्र शिक्षा अभियान-				
(i)	मूल	395.00			
			132.57	132.57	..
	पुनर्वि०	(-)262.43			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	3,561.00			
			1,193.03	1,193.03	..
	पुनर्वि०	(-)2,367.97			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,630.40 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण हुई और इसलिए राज्य का हिस्सा भी अप्रयुक्त रहा। जबकि भारत सरकार से क्रम संख्या (ii) पर ₹ 1,193.03 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।				
22-	स्वस्थ बचपन-				
	मूल	10.00			
		
	पुनर्वि०	(-)10.00			
	मार्च 2023 में ₹ 10.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा वस्तुओं की खरीद पर कम व्यय के कारण कम कर दिया गया।				
25-	डिजीटल शिक्षा-				
	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को संहितागत औपचारिकताओं के पुरा न होने के कारण कम कर दिया गया।

26- न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम-

(i) मूल	1.00			
पूरक	0.01	1.00	..	(-)1.00
पुनर्वि०	(-)0.01			

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल	1.00			
पूरक	0.01	1.00	..	(-)1.00
पुनर्वि०	(-)0.01			

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

02- माध्यमिक शिक्षा-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

15- अटल विद्यालय वर्दी योजना-

(i) मूल	135.00			
	
पुनर्वि०	(-)135.00			

32- स्वर्ण जयंती डिजिटल पहल विद्यार्थी अनुशिक्षण योजना-

(ii) मूल	45.00			
	
पुनर्वि०	(-)45.00			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में ₹ 180.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण कम कर दिया गया।

03- विश्व विद्यालय और उच्चतर शिक्षा-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

08- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान-

(i) मूल	19.00	19.00	..	(-)19.00
---------	-------	-------	----	----------

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल	170.00	170.00	..	(-)170.00
----------	--------	--------	----	-----------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 189.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)। जबकि भारत सरकार से क्रम संख्या (ii) पर ₹ 2,888.89 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

10- बैचलर ऑफ वेकेशनल प्रोग्राम-
मूल 1.00

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2023 में ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा सामग्री की खरीद पर व्यय न होने के कारण कम कर दिया गया।

12- अनुसूचित जनजाति के छात्रों को पोस्ट
मैट्रिक छात्रवृत्ति-

(i) मूल 75.00

पुनर्वि० (-)75.00

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल 675.00

पुनर्वि० (-)675.00

04- प्रौढ शिक्षा-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

03- पढ़ना लिखना अभियान-

(iii) मूल 1.00

पुनर्वि० (-)1.00

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(iv) मूल 1.00

पुनर्वि० (-)1.00

उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2023 में ₹ 752.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया और इसलिए राज्य का हिस्सा भी अप्रयुक्त रहा।

05- भाषा विकास

796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना-

01- हिन्दी के विकास पर व्यय-

मूल 22.77 22.77 15.91 (-)6.86

₹ 6.86 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

80- सामान्य-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

02- स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना-
मूल 45.00

पुनर्वि० (-)45.00

मार्च 2023 में ₹ 45.00 लाख के समस्त प्रावधान को अभ्यर्पण द्वारा सहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण कम कर दिया गया।

2203- तकनीकी शिक्षा-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

04- राजकीय बहुतकनीकी संस्थान-

(i) मूल 2.25 2.25 .. (-)2.25

₹ 2.25 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

2205- कला एवं संस्कृति-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- पुरातत्व कक्ष पर व्यय-

मूल 75.00

90.00

72.38

(-)17.62

पुनर्वि० 15.00

₹ 17.62 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 15.00 लाख का आवर्धन पुरातत्व कक्ष पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 17.62 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-

03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- जिला स्थापना पर व्यय-

मूल 288.51

283.61

259.94

(-)23.67

पुनर्वि० (-)4.90

₹ 23.67 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

04- क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम पर व्यय-

मूल 1.00

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2023 में ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम पर व्यय न होने के कारण कम कर दिया गया।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

08-	जनजातीय क्षेत्र के लिए टेलीमेडिसिन सेवा- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	मार्च 2023 में ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण कम कर दिया गया।				
05-	चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
04-	डॉ यशवंत सिंह परमार सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, नाहन-				
	मूल	68.00			
			35.00	34.71	(-)0.29
	पुनर्वि०	(-)33.00			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 33.00 लाख की कमी सामग्री की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई।				
06-	पंडित जवाहर लाल नेहरू सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय चंबा-				
	मूल	87.00	87.00	42.07	(-)44.93
	₹ 44.93 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
11-	कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम-				
(i)	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में ₹ 2.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा मुख्यतः संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण कम कर दिया गया।				
06-	लोक स्वास्थ्य-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	स्टॉफ पर व्यय-				
(i)	मूल	48.97	48.97	37.26	(-)11.71
03-	क्षय रोग सर्वेक्षण तथा आवासीय परिचर्चा पर व्यय-				
(ii)	मूल	15.31	15.31	4.58	(-)10.73
04-	यौन संक्रामक रोगों के नियंत्रण कार्यक्रम पर व्यय-				
(iii)	मूल	49.73	49.73	25.15	(-)24.58

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

05-	विस्तारित रोग प्रतिरक्षा कार्यक्रम पर व्यय-				
(iv)	मूल	145.29	145.29	116.65	(-)28.64
07-	कूष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम पर व्यय-				
(v)	मूल	6.34			
			6.82	5.44	(-)1.38
	पुनर्वि०	0.48			
09-	बहुदेशीय कार्यक्रम स्कीम पर व्यय-				
(vi)	मूल	400.52			
			389.52	220.29	(-)169.23
	पुनर्वि०	(-)11.00			
13-	दृष्टि/विहीनता नियंत्रण तथा बचाव कार्यक्रम तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर व्यय- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(vii)	मूल	16.00	16.00	10.58	(-)5.42
	उपरोक्त सात मामलों में ₹ 251.69 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)। जबकि क्रम संख्या (vii) पर ₹ 10.58 लाख का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ था।				
14-	एड्स नियंत्रण सोसायटी- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	मार्च 2023 में ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।				
15-	ट्रामा सेंटर-				
(i)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में ₹ 2.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया तथा इसलिए राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

18- सम्पूर्ण स्वास्थ्य योजना-
मूल 1.00

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2023 में ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण कम कर दिया गया।

19- मुख्यमंत्री क्षय रोग निवारण योजना-
मूल 24.00

पुनर्वि० (-)4.69

19.31 12.98 (-)6.33

₹ 6.33 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

20- मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना-
मूल 135.00

पुनर्वि० (-)133.00

2.00 .. (-)2.00

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 133.00 लाख की सारभूत कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

22- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष-
मूल 1.00

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2023 में ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2023)।

24- सम्मान योजना-
मूल 9.00

9.00 .. (-)9.00

₹ 9.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

25- राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम-
मूल 95.00

95.00 23.18 (-)71.82

₹ 71.82 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

2211- परिवार कल्याण-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

03- परिवार कल्याण कार्यक्रम पर व्यय-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 700.00

740.50

681.33

(-)59.17

पुनर्वि० 40.50

₹ 59.17 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 40.50 लाख का आवर्धन वेतन पुनर्निधारण और बकाया भुगतान के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 681.33 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

₹ 59.17 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

04- दुग्ध आपूर्ति योजनाओं पर व्यय-

मूल 15.00

14.00

4.00

(-)10.00

पुनर्वि० (-)1.00

₹ 10.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

05- इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना-

मूल 5.00

1.60

0.35

(-)1.25

पुनर्वि० (-)3.40

₹ 1.25 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3.40 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत कम व्यय होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 1.25 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

07- कन्या भ्रूण हत्या के सूचकों को प्रोत्साहन-

मूल 1.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना के अन्तर्गत प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

08- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 3,958.00

3,958.00

3,534.00

(-)424.00

₹ 424.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)। जबकि भारत सरकार से ₹ 159.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

09- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना पर व्यय-

मूल 1.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)1.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त टोकन प्रावधान कम कर दिया गया; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2023)।

10-	राष्ट्रीय एम्बुलेंस योजना-				
(i)	मूल	1.00	
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	1.00	
	पुनर्वि०	(-)1.00			
12-	राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन-				
(iii)	मूल	2.00	
	पुनर्वि०	(-)2.00			

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2023 में ₹ 4.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया और इसलिए राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	15.00				
		12.00	12.00		..
पुनर्वि०	(-)3.00				

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 3,534.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

2215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता-

01-	जलापूर्ति-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
04-	स्कन्ध-				
(i)	मूल	275.00	275.00	229.65	(-)45.35
05-	स्कन्ध मैनुफेक्चर-				
(ii)	मूल	100.00	100.00	3.75	(-)96.25
06-	विविध लोक निर्माण अग्रिम-				
(iii)	मूल	150.00	150.00	64.53	(-)85.47
09-	वसूलियों के समायोजन हेतु रखरखाव प्रावधान-				
(iv)	मूल	2,799.49	2,799.49	1,249.63	(-)1,549.86

उपरोक्त चार मामलों में ₹ 1,776.93 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

2216- आवास-

03- ग्रामीण आवास-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- गांधी कुटीर योजना/इंदिरा आवास योजना/प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत बेघर गरीबों के लिए मकानों का निर्माण-

मूल 73.00

51.90

51.90

..

पुनर्वि0 (-)21.10

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 21.10 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई और इसलिए राज्य का हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।

05- सामान्य पूल आवास-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- रखरखाव तथा मरम्मत पर व्यय-
का रखरखाव-

मूल 52.40

52.40

31.59

(-)20.81

₹ 20.81 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

03- सामान्य प्रशासनिक विभाग के सरकारी
आवासीय भवनों का रखरखाव-

मूल 28.35

28.35

..

(-)28.35

₹ 28.35 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

2217- शहरी विकास-

03- लघु और मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-

796- जन-जातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों को सहायता अनुदान-

(i) मूल 250.00

250.00

134.00

(-)116.00

03- दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी
आजीविका मिशन-

(ii) मूल 5.00

5.00

3.82

(-)1.18

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(iii) मूल 50.00

50.00

36.75

(-)13.25

**2225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा
अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण-**

02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

01-	जिला कर्मचारी वर्ग-				
(iv)	मूल	163.78			
			169.50	147.57	(-)21.93
	पुनर्वि०	5.72			
	उपरोक्त चार मामलों में ₹ 152.36 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)। जबकि क्रम संख्या (iii) पर भारत सरकार से ₹ 25.80 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।				
12-	कंप्यूटर अनुप्रयोग-				
	मूल	70.00			
			37.07	36.69	(-)0.38
	पुनर्वि०	(-)32.93			
	मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 32.93 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
13-	अल्पसंख्यकों के लिए बहुपक्षीय विकास कार्यक्रम-				
(i)	मूल	1.00			
			
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में ₹ 2.00 लाख के समस्त प्रावधान को अभ्यर्पण द्वारा भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया और इसलिए राज्य का हिस्सा भी अप्रयुक्त रहा।				
14-	अनुवर्ती कार्यक्रम-				
	मूल	9.40			
			1.94	1.93	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)7.46			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7.46 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
15-	प्रचार अभियान-				
	मूल	3.60			
			1.46	1.39	(-)0.07
	पुनर्वि०	(-)2.14			
	मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2.14 लाख की कमी प्रचार अभियान पर कम व्यय के कारण हुई।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

16-	नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम-				
	मूल	2.00	2.00	..	(-)2.00
	₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
17-	अत्याचार पीड़ित लोगों को मुआवजा-				
	मूल	5.00			
			1.50	1.50	..
	पुनर्वि०	(-)3.50			
	मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3.50 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
18-	अन्तर्जातीय विवाह-				
(i)	मूल	5.00			
			2.50	2.50	..
	पुनर्वि०	(-)2.50			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	5.00			
			2.50	2.50	..
	पुनर्वि०	(-)2.50			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई और इसलिए राज्य का हिस्सा भी अप्रयुक्त रहा।				
2230-	श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास-				
01-	श्रम-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	श्रम कानूनों के प्रवर्तन पर व्यय-				
	मूल	39.40			
			30.82	29.35	(-)1.47
	पुनर्वि०	(-)8.58			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8.58 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
02-	रोजगार सेवाएं-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
02-	बेरोजगारी भत्ता-				
	मूल	216.00			
			101.57	74.82	(-)26.75
	पुनर्वि०	(-)114.43			
	₹ 26.75 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 114.43 लाख की कमी मुख्यतः लंबित देनदारियों के कम निपटान के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 26.75 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

03-	दृष्टि पत्र योजना-				
	मूल	9.00			
	पुनर्वि०	(-)9.00			
	मार्च 2023 में ₹ 9.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा लंबित देनदारियों का भुगतान न होने के कारण कम कर दिया गया।				
04-	मॉडल कैरियर सेंटर-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना-				
	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	मार्च 2023 में ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा बिजली, दूरभाष और पानी के बिलों पर व्यय न होने के कारण कम कर दिया गया।				
03-	प्रशिक्षण-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
06-	कौशल विकास भत्ता-				
	मूल	900.00			
			55.60	47.39	(-)8.21
	पुनर्वि०	(-)844.40			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 844.40 लाख की कमी मुख्यतः कौशल विकास भत्ते पर कम व्यय के कारण हुई।				
2235-	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-				
02-	समाज कल्याण-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	सामाजिक कल्याण कार्यक्रम-				
	मूल	6.00			
			4.71	4.60	(-)0.11
	पुनर्वि०	(-)1.29			
	मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1.29 लाख की कमी मुख्यतः प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
03-	आंगनवाड़ी सेवा योजना-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	2,313.00			
			720.81	715.84	(-)4.97
	पुनर्वि०	(-)1,592.19			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,592.19 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, पानी, दूरभाष, बिजली बिल, सामग्री की खरीद पर, किराए पर, यात्रा पर कम व्यय और दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

05-	मुख्यमंत्री कन्यादान योजना-				
	मूल	378.00			
			24.14	18.20	(-)5.94
	पुनर्वि०	(-)353.86			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 353.86 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
06-	बाल/बालिका आश्रम के निवासियों को पुनर्वास अनुदान-				
	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
	₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
07-	मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना-				
(i)	मूल	90.00			
			29.24	28.19	(-)1.05
	पुनर्वि०	(-)60.76			
08-	विधवा पुनर्विवाह-				
(ii)	मूल	6.00			
			3.50	3.00	(-)0.50
	पुनर्वि०	(-)2.50			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 63.26 लाख की कमी निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
10-	विशेष महिला उत्थान योजना-				
	मूल	9.00	9.00	..	(-)9.00
	₹ 9.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा, जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
14-	महिला विकास निगम-				
	मूल	14.00			
		
	पुनर्वि०	(-)14.00			
	मार्च 2023 में ₹ 14.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा योजना पर कम व्यय के कारण कम कर दिया गया।				
20-	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना-				
	मूल	14.00	14.00	3.43	(-)10.57
	₹ 10.57 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	121.00			
		
	पुनर्वि०	(-)121.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

मार्च 2023 में प्रावधान में ₹ 121.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

21-	पोषण अभियान-				
(i)	मूल	9.00			
			9.85	1.51	(-)8.34

पुनर्वि० 0.85

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii)	मूल	89.00	89.00	16.15	(-)72.85
------	-----	-------	-------	-------	----------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 81.19 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

22- विकलांगों का उत्थान-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 1.00

..

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2023 में ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को अभ्यर्पण द्वारा भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

23- बलात्कार, बाल उत्पादन और ऑब्जेक्टिफिकेशन
पृष्ठभूमि की नाबलिंग पीड़ितों के पुनर्वास के लिए योजना-

मूल 20.00

13.68 9.23 (-)4.45

पुनर्वि० (-)6.32

₹ 4.45 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6.32 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 4.45 लाख का अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

26- सशक्त महिला योजना-

मूल 9.00

6.72 5.54 (-)1.18

पुनर्वि० (-)2.28

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.28 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

27- वो दिन-

मूल 41.00

9.32 7.41 (-)1.91

पुनर्वि० (-)31.68

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 31.68 लाख की कमी विज्ञापन पर कम व्यय के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

28-	सरकारी स्वामित्व वाले विभागीय भवनों का रखरखाव-			
(i)	मूल	1.00	1.00	.. (-)1.00
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
(ii)	मूल	5.00	5.00	.. (-)5.00
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 6.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।			
29-	मन्त्री बाल सुपोषण योजना-			
	मूल	0.02		
			125.95	.. (-)125.95
	पुनर्वि०	125.93		
	₹ 125.95 लाख के समस्त प्रावधान के अप्रयुक्त रहने की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 125.93 लाख का आवर्धन योजना पर अधिक व्यय तथा प्रस्तावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अनुचित सिद्ध हुआ।			
	₹ 125.95 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।			
30-	महिला हेल्पलाइन-			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
	मूल	0.03		
			3.00	.. (-)3.00
	पुनर्वि०	2.97		
31-	वन स्टॉप सेंटर-			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
	मूल	0.04		
			4.00	.. (-)4.00
	पुनर्वि०	3.96		
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 7.00 लाख के समस्त प्रावधान के अप्रयुक्त रहने की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6.93 लाख का आवर्धन बिजली, दूरभाष, पानी के बिल, किराया और वस्तुओं की खरीद पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अनुचित सिद्ध हुआ।			
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 7.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।			
32-	नारी अदालत-			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
	पूरक	0.01		
			1.00	.. (-)1.00
	पुनर्वि०	0.99		
	₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

60-	अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	सामाजिक कल्याण योजना के अंतर्गत वृद्धास्था पेंशन पर व्यय-				
	मूल	1,588.00			
			1,567.48	1,567.48	..
	पुनर्वि०	(-)20.52			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 20.52 लाख की कमी पेंशन के भुगतान पर सेवा शुल्क पर कम व्यय के कारण हुई।				
2236-	पोषण-				
02-	पोषाक और सुपेय का वितरण-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	विशेष पोषण कार्यक्रम-				
	मूल	71.00			
			48.89	11.37	(-)37.52
	पुनर्वि०	(-)22.11			
	₹ 37.52 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 22.11 लाख की कमी योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की कम कवरेज के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 37.52 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	640.00	640.00	102.37	(-)537.63
	₹ 537.63 लाख की सारभूत अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
2251-	सचिवालय-सामाजिक सेवाएं-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
03-	बुनियादी/अन्य सुविधाओं के लिए विकास निधि-				
	मूल	2,443 00			
			9.00	9.00	..
	पुनर्वि०	(-)2,434.00			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,434.00 लाख की कमी मुख्यतः औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण हुई।				
04-	जनजातीय क्षेत्रों के लिए हेलीकाप्टर सुविधा-				
	मूल	675.00			
		
	पुनर्वि०	(-)675.00			
	मार्च 2023 में ₹ 675.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा जनजातीय क्षेत्र के लिए हेलीकॉप्टर सेवा पर व्यय न होने के कारण कम कर दिया गया।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

07-	जनजातीय अनुसंधान संस्थान-				
	मूल	50.00			
			37.57	37.57	..
	पुनर्वि०	(-)12.43			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 12.43 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि लंबित देनदारियों के निपटान पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	मार्च 2023 में ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान का पुनर्विनियोजन द्वारा भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				
08-	जनजातीय उप योजनाओं हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता-				
	केन्द्रगत योजना				
	मूल	1,498.00			
			288.09	288.09	..
	पुनर्वि०	(-)1,209.91			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,209.91 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
09-	संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत अनुदान-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	1,500.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1,500.00			
	मार्च 2023 में ₹ 1,500.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				
2401-	फसल कृषि-कर्म-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
02-	कृषि विभाग की स्कीमों पर व्यय (सामान्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण के अतिरिक्त)-				
	मूल	271.55			
			160.86	148.79	(-)12.07
	पुनर्वि०	(-)110.69			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 110.69 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति, वस्तुओं की खरीद, शिविरों के आयोजन, कार्यालय भवनों की मरम्मत तथा मशीनरी और उपकरणों पर कम व्यय के कारण हुई।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

05-	उद्यान विकास-				
	मूल	852.41			
			783.41	770.96	(-)12.45
	पुनर्वि०	(-)69.00			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 69.00 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, दैनिक वेतनभोगियों की कम नियुक्ति, वस्तुओं की खरीद, बाह्य स्रोत वाहनों, पेट्रोल, तेल, स्नेहक, वाहनों की मरम्मत और लघु कार्यों पर कम व्यय के कारण हुई।				
06-	कृषि विभाग की स्कीमों पर विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत व्यय- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	2.00			
		
	पुनर्वि०	(-)2.00			
	मार्च 2023 में ₹ 2.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा लाभार्थियों से मांग की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				
08-	जनजातिय पाकेटस के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता पर व्यय- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
	₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
09-	उद्यान विभाग की स्कीमों पर विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत व्यय- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	2.00			
		
	पुनर्वि०	(-)2.00			
	मार्च 2023 में ₹ 2.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा योजना के अंतर्गत उपदान पर कम व्यय के कारण कम कर दिया गया।				
12-	एप्पल स्कैब पर व्यय उपदान-				
(i)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
21-	जनजातीय क्षेत्र के बाहर रह रहे जनजातियों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत स्कीमों पर व्यय- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-) 1.00			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में ₹ 2.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा लाभार्थियों से मांग की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

22-	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (कृषि)-				
(i)	मूल	25.00	25.00	..	(-)25.00
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	224.00	224.00	..	(-)224.00
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 249.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)। जबकि भारत सरकार से क्रम संख्या (ii) पर ₹ 102.06 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।				
28-	राजकीय उद्यानों तथा पौधशालाओं की स्थापना तथा रखरखाव-				
	मूल	14.85			
			10.85	10.44	(-)0.41
	पुनर्वि०	(-)4.00			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4.00 लाख की कमी मशीनों और पैकेजिंग सामग्री की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई।				
30-	मशीनरी तथा औजारों के वितरण पर व्यय-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	2.00			
		
	पुनर्वि०	(-)2.00			
	मार्च 2023 में ₹ 2.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा लाभार्थियों से मांग की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				
31-	पौध संरक्षण पर व्यय-				
	मूल	91.00			
			5.00	5.00	..
	पुनर्वि०	(-)86.00			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 86.00 लाख की सारभूत कमी उपदान के प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
40-	पौध संरक्षण पर व्यय (संशोधित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण)-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	मार्च 2022 में ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा लाभार्थियों से मांग की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				
45-	सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	27.00	27.00	11.40	(-)15.60

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

46-	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-				
(ii)	मूल	8.00	8.00	1.33	(-)6.67
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iii)	मूल	73.00	73.00	11.95	(-)61.05
	उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 83.32 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
48-	उद्यान एकीकृत विकास मिशन-				
(i)	मूल	48.00			
	पूरक	0.01	22.78	19.51	(-)3.27
	पुनर्वि०	(-)25.23			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	162.00			
			70.00	70.00	..
	पुनर्वि०	(-)92.00			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 117.23 लाख की कमी योजना के अंतर्गत उपदान पर कम व्यय के कारण हुई।				
50-	विस्तार एवं प्रोद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन-				
(i)	मूल	22.00	22.00	9.82	(-)12.18
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	175.00	175.00	88.36	(-)86.64
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 98.82 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
54-	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-				
(i)	मूल	3.00			
		
	पुनर्वि०	(-)3.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	30.00			
		
	पुनर्वि०	(-)30.00			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में ₹ 33.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा लाभार्थियों से प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				
56-	मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना-				
	मूल	360.00			
		
	पुनर्वि०	360.00			
	मार्च 2023 में ₹ 360.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा किसानों से मांग की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

57-	मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहार मजदूर जीवन सुरक्षा योजना-			
(i)	मूल	4.00	4.00	.. (-)4.00
58-	परम्परागत कृषि विकास योजना-			
(ii)	मूल	10.00	10.00	.. (-)10.00
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
(iii)	मूल	1.00	1.00	.. (-)1.00
	उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 15.00 लाख का समस्त प्रावधान अपयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।			
59-	मृदा की स्वास्थ्य एवं उर्वरता हेतु राष्ट्रीय परियोजना-			
(i)	मूल	2.00	2.00	0.23 (-)1.77
61-	कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन			
(ii)	मूल	59.00	59.00	11.10 (-)47.90
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 49.67 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।			
63-	कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन-			
(i)	मूल	12.00		
		
	पुनर्वि०	(-) 12.00		
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
(ii)	मूल	88.00		
		
	पुनर्वि०	(-) 88.00		
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में ₹ 100.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया और इसलिए राज्य का हिस्सा भी अप्रयुक्त रहा।			
66-	कृषि कोष-			
	मूल	45.00		
		
	पुनर्वि०	(-)45.00		
	मार्च 2023 में ₹ 45.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।			
67-	कृषि उत्पादन संरक्षण योजना (एंटी हेल नेट स्ट्रक्चर)-			
(i)	मूल	90.00		
		
	पुनर्वि०	(-)90.00		

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

69-	मुख्यमंत्री ग्रीन हाउस नवीनीकरण योजना-				
(ii)	मूल	9.00
	पुनर्वि०	(-)9.00			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में ₹ 99.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा किसानों से मांग की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				
70-	बीज वितरण-				
	मूल	62.00
	पुनर्वि०	(-)62.00			
	मार्च 2023 में ₹ 62.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा किसानों से मांग की प्राप्ति न होने, लंबित देनदारियों के भुगतान, सामग्री की खरीद, बिजली, दूरभाष, पानी के बिल, किराया, बाह्य स्रोत वाहन, पेट्रोल, तेल, स्नेहक, वाहन की मरम्मत, दुकानों का निर्माण, विज्ञापन और प्रचार पर व्यय न होने के कारण कम कर दिया गया।				
71-	उर्वरक वितरण-				
	मूल	8.00
	पुनर्वि०	(-)8.00			
	मार्च 2023 में ₹ 8.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा मरम्मत कार्य के निष्पादन, उर्वरक वितरण, बिजली, दूरभाष और पानी के बिलों पर व्यय न होने के कारण कम कर दिया गया।				
72-	मृदा और रसायन विज्ञान-				
	मूल	2.00
	पुनर्वि०	(-)2.00			
	मार्च 2023 में ₹ 2.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा लंबित देनदारियों के भुगतान पर व्यय न होने के कारण कम कर दिया गया।				
73-	पौध संरक्षण (कृषि)-				
	मूल	10.00
	पुनर्वि०	(-)10.00			
	मार्च 2023 में ₹ 10.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा मुख्यतः मशीनरी उपकरण और सामग्री की खरीद पर व्यय न होने के कारण कम कर दिया गया।				
74-	सामान्य विस्तार गतिविधियाँ-				
	मूल	31.00	28.20	22.55	(-)5.65
	पुनर्वि०	(-)2.80			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

₹ 5.65 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

75- सब्जी गुणन फार्म-

(i) मूल 9.00

..

पुनर्वि० (-)9.00

76- हिमाचल पुष्प क्रांति योजना (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक)

(ii) मूल 1.00

..

पुनर्वि० (-)1.00

77- एंटी कल नेट (उद्यान)-

(iii) मूल 145.00

..

पुनर्वि० (-)145.00

79- मुख्यमंत्री खुम्ब विकास योजना-

(iv) मूल 1.00

..

पुनर्वि० (-)1.00

82- महक योजना-

(v) मूल 1.00

..

पुनर्वि० (-)1.00

83- स्वर्ण जयंती समृद्ध बागवान-

(vi) मूल 2.00

..

पुनर्वि० (-)2.00

उपरोक्त छह मामलों में मार्च 2023 में ₹ 159.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण कम कर दिया गया।

2402- भू तथा जल संरक्षण-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- कृषि योग्य भूमि भू-संरक्षण-

मूल 132.84

94.15

81.91

(-)12.24

पुनर्वि० (-)38.69

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 38.69 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

02-	भू एवं जल संरक्षण कार्यक्रम (वन विभाग)-				
	मूल	550.00			
			646.33	522.51	(-)123.82
	पुनर्वि०	96.33			
	₹ 123.82 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 96.33 लाख का आवर्धन वेतन संशोधन और बकाया, मरम्मत कार्य, दूरभाष, बिजली और पानी के बिलों के भुगतान पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।				
	₹ 123.82 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
08-	जनजातीय क्षेत्र से बाहर रह रहे जनजातीय लोगों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत भू-संरक्षण पर व्यय (कृषि)- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	मार्च 2023 में ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				
11-	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-				
(i)	मूल	9.00			
	पूरक	0.01	12.00	7.00	(-)5.00
	पुनर्वि०	2.99			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	81.00			
	पूरक	0.01	144.00	63.00	(-)81.00
	पुनर्वि०	62.99			
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 86.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 65.98 लाख का आवर्धन भारत सरकार से अधिक निधियों की प्राप्ति के कारण हुआ और इसलिए समानुपातिक रूप से राज्य का हिस्सा भी जारी कर दिया गया जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ। जबकि उपरोक्त क्रम संख्या (ii) पर भारत सरकार से ₹ 316.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।				
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 86.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
2403-	पशु पालन-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	क्षेत्रीय स्थापना-				
(i)	मूल	259.70	259.70	218.39	(-)41.31
02-	अस्पताल और औषधालय-				
(ii)	मूल	2,746.45	2,746.45	2,650.43	(-)96.02

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 137.33 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

05- पशुपालन कार्यक्रम पर व्यय
(विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत)-

(i) मूल 1.00

..

पुनर्वि० (-)1.00

07- जनजातीय क्षेत्र से बाहर रहने वाले जनजातियों
लोगों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के
अन्तर्गत पशु पालन कार्यक्रम पर व्यय-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल 1.00

..

पुनर्वि० (-)1.00

08- चंबा एवं भटियात पाकेटस पर केन्द्रीय सहायता
के अन्तर्गत पशु पालन कार्यक्रम पर व्यय-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(iii) मूल 1.00

..

पुनर्वि० (-)1.00

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2023 में ₹ 3.00 लाख के समस्त प्रावधान को अभ्यर्पण द्वारा
लाभार्थियों से मांग की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

12- पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्य को सहायता-

(i) मूल 1.00

..

पुनर्वि० (-)1.00

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल 2.50

..

पुनर्वि० (-)2.50

16- पेस्टे डेस पेटिट्स रूमिनेंट्स-नियन्त्रण प्रोग्राम-

(iii) मूल 1.00

..

पुनर्वि० (-)1.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iv)	मूल	1.00
	पुनर्वि०	(-)1.00			
17-	राष्ट्रीय पशुधन मिशन-				
(v)	मूल	1.00
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(vi)	मूल	1.00
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	उपरोक्त छः मामलों में मार्च 2023 में ₹ 7.50 लाख के समस्त प्रावधान को अभ्यर्पण द्वारा भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया और इसलिए राज्य का हिस्सा भी अप्रयुक्त रहा।				
18-	उत्तम चारा उत्पादन योजना-				
	मूल	86.00
	पुनर्वि०	(-)86.00			
	मार्च 2023 में ₹ 86.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा किसानों से मांग की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				
20-	पशु चिकित्सा परिषद को अनुदान-				
(i)	मूल	2.00
	पुनर्वि०	(-)2.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	2.00
	पुनर्वि०	(-)2.00			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में ₹ 4.00 लाख के समस्त प्रावधान को अभ्यर्पण द्वारा भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया और इसलिए राज्य का हिस्सा भी अप्रयुक्त रहा।				
22-	हिम कुम्कुट पालन योजना-				
	मूल	45.00	31.68	31.68	..
	पुनर्वि०	(-)13.32			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 13.32 लाख की कमी हानि प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

2404- दुग्ध विकास-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

04- डेरी उद्यमी विकास योजना के अन्तर्गत उपदान-

मूल 1.00

..

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2023 में ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

2405- मत्स्य पालन-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

03- चंबा और भट्टियात पौकेटस में विशेष

केन्द्रीय सहायता पर व्यय-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 1.00

..

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2023 में ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को अभ्यर्पण द्वारा भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

04- विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत

मत्स्य पालन पर व्यय-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(i) मूल 1.00

..

पुनर्वि० (-)1.00

05- जनजातीय क्षेत्र से बाहर रह रहे लोगों के लिए

विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत मत्स्य पालन पर व्यय-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल 1.00

..

पुनर्वि० (-)1.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में ₹ 2.00 लाख के समस्त टोकन प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2023)।

2406- वानिकी तथा वन्य जीवन-

01- वानिकी-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

01-	कर्मचारी वर्ग पर व्यय-				
	मूल	1,542.87			
			1,452.02	1,350.90	(-)101.12
	पुनर्वि०	(-)90.85			
	₹ 101.12 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 90.85 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 101.12 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
02-	वानिकी कार्यक्रम-				
	मूल	491.25			
			515.84	384.34	(-)131.50
	पुनर्वि०	24.59			
	₹ 131.50 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 24.59 लाख का आवर्धन सामग्री एवं आपूर्ति पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।				
	₹ 131.50 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
03-	भवन कार्यक्रम-				
	मूल	18.46	18.46	10.80	(-)7.66
	₹ 7.66 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
22-	एकीकृत वन संरक्षण योजना-				
(i)	मूल	4.00			
		
	पुनर्वि०	(-)4.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	37.00			
		
	पुनर्वि०	(-)37.00			
23-	राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम-				
(iii)	मूल	4.00			
		
	पुनर्वि०	(-)4.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iv)	मूल	40.00			
		
	पुनर्वि०	(-)40.00			
	उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2023 में ₹ 85.00 लाख के समस्त प्रावधान को अभ्यर्पण द्वारा भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया और इसलिए राज्य का हिस्सा भी अप्रयुक्त रहा।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

24-	हिमाचल प्रदेश फोरेस्ट इको-सिस्टम क्लार्ईमेट पूफिंग परियोजना-				
	मूल	174.00			
			149.61	149.61	..
	पुनर्वि०	(-)24.39			
	मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 24.39 लाख की कमी वन पारिस्थितकी तंत्र जलवायु पर कम व्यय और संगोष्ठियों के कम आयोजन के कारण हुई।				
26-	सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन के अन्तर्गत कृषि वानिकी मिशन-				
(i)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	9.00			
		
	पुनर्वि०	(-)9.00			
38-	हरित भारत के लिए राष्ट्रीय अभियान				
(iii)	मूल	17.00			
		
	पुनर्वि०	(-)17.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iv)	मूल	154.00			
		
	पुनर्वि०	(-)154.00			
	उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2023 में ₹ 181.00 लाख के समस्त प्रावधान को अभ्यर्पण द्वारा भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया और इसलिए राज्य का हिस्सा भी अप्रयुक्त रहा।				
39-	समुदाय आधारित राज्य वानिकी कार्यक्रम-				
	मूल	241.00			
			117.34	109.75	(-)7.59
	पुनर्वि०	(-)123.66			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 123.66 लाख की कमी सामग्री खरीद पर कम व्यय, प्रस्तावों की कम प्राप्ति, अधिकारिक भवनों के रखरखाव तथा विज्ञापन और प्रचार पर कम व्यय के कारण हुई।				
41-	वन चकबन्दी तथा सीमांकन-				
	मूल	20.00			
		
	पुनर्वि०	(-)20.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

मार्च 2023 में ₹ 20.00 लाख के समस्त प्रावधान को अभ्यर्पण द्वारा लघु कार्यों, सामग्री और पूर्ती पर व्यय न होने के कारण कम कर दिया गया।

42-	वानिकी कार्यक्रम				
	मूल	407.00			
			362.69	361.66	(-)1.03
	पुनर्वि०	(-)44.31			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 44.31 लाख की कमी कार्यालय भवनों के निर्माण और वन वृक्षारोपण के रखरखाव पर कम व्यय के कारण हुई जोकि बिजली, दूरभाष और पानी के बिलों पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

43-	स्रोत स्थिरता तथा जलवा अनुकूल वर्षा पर आधारित परियोजना वर्षा पर आधारित कृषि के लिए एकीकृत विकास-				
	मूल	173.00			
		
	पुनर्वि०	(-)173.00			

मार्च 2023 में ₹ 173.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा लघु कार्यों, वस्तुओं की खरीद और रखरखाव कार्य पर व्यय न होने के कारण कम कर दिया गया।

02-	पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
04-	पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क के विकास पर व्यय-				
(i)	मूल	5.00			
			0.26	0.26	..
	पुनर्वि०	(-)4.74			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	8.00			
			2.34	2.34	..
	पुनर्वि०	(-)5.66			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 10.40 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई और इसलिए राज्य का हिस्सा भी अप्रयुक्त रहा।

07-	ठंडा रेगिस्तान बायोस्फियर रिजर्व के लिए प्रबंधन कार्य योजना पर व्यय-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

मार्च 2023 में ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को अभ्यर्पण द्वारा भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

10-	हिमालयन प्राणी उपवन विकास-				
	मूल	63.00			
			44.75	19.23	(-)25.52
	पुनर्वि०	(-)18.25			

₹ 25.52 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 18.25 लाख की कमी लघु कार्यों पर कम व्यय, सामान एवं सामग्री की खरीद और आपूर्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 25.52 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

2408- खाद्य भण्डार तथा भाण्डागार-

01- खाद्य-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

07- गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को गेहूँ और चावल पर उपदान-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
-----	------	------	----	---------

₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

2435- अन्य कृषि कार्यक्रम-

01- विपणन और गुणवत्ता नियंत्रण-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- विपणन बोर्ड को मार्केटिंग यार्ड के निर्माण हेतु सहायता अनुदान-

मूल	1.00			
	

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2023 में ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा विपणन यार्डों के निर्माण पर व्यय न होने के कारण कम कर दिया गया।

2501- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-

04- समकित ग्रामीण ऊर्जा योजना कार्यक्रम-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम पर व्यय-

मूल	350.00	350.00	245.00	(-)105.00
-----	--------	--------	--------	-----------

₹ 105.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

06- स्वरोजगार योजना -

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

05- जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन-

(i) मूल 1.00

पुनर्वि० (-)1.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
(ii)	मूल	1.00
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में ₹ 2.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया और इसलिए राज्य का हिस्सा भी अप्रयुक्त रहा।				
06-	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-				
	मूल	23.00			
			18.23	11.11	(-)7.12
	पुनर्वि०	(-)4.77			
	₹ 7.12 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4.77 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति और समतुल्य राज्यांश के अभ्यर्पण के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 7.12 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
07-	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना-				
(i)	मूल	69.00			
			133.16	62.83	(-)70.33
	पुनर्वि०	(-)64.16			
केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
(ii)	मूल	622.00			
			1,199.50	559.80	639.70
	पुनर्वि०	577.50			
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 710.03 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 641.66 लाख का आवर्धन भारत सरकार से अधिक निधियों की प्राप्ति होने और समतुल्य राज्यांश जारी होने के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ। जबकि उपरोक्त क्रम संख्या (ii) पर भारत सरकार से ₹ 27.42 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।				
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 710.03 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
08-	राष्ट्रीय ग्रामीण शहरी मिशन-				
(i)	मूल	36.00			
		
	पुनर्वि०	(-)36.00			
केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
(ii)	मूल	219.00			
		
	पुनर्वि०	(-)219.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में ₹ 255.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया और इसलिए राज्य का हिस्सा भी अप्रयुक्त रहा।

09-	मातृ शक्ति बीमा योजना				
(i)	मूल	27.00			
			4.00	2.00	(-)2.00
	पुनर्वि०	(-)23.00			

11-	बालिका गौरव पुरस्कार योजना-				
(ii)	मूल	14.00			
			10.00	10.00	..
	पुनर्वि०	(-)4.00			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 27.00 लाख की कमी योजनाओं के अंतर्गत दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

2505- ग्राम रोजगार-

01-	राष्ट्रीय कार्यक्रम-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
07-	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-				
	मूल	2,260.00			
	पूरक	0.01	810.00	810.00	..
	पुनर्वि०	(-)1,450.01			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,450.01 लाख की कमी मुख्यतः संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण हुई।

2506- भूमि सूधार-

796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	जिला कर्मचारियों पर व्यय-				
(i)	मूल	22.88	22.88	11.84	(-)11.04

₹ 105.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-

796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	पंचायती योजनाओं पर व्यय-				
(ii)	मूल	1,530.97			
			1,532.97	1,445.76	(-)87.21
	पुनर्वि०	2.00			

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 98.25 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

16-	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान-				
	मूल	19.00			
			60.00	..	(-)60.00
	पुनर्वि०	41.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

₹ 60.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 41.00 लाख का आवर्धन केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुई जोकि अनावश्यक सिद्ध हुई।

₹ 60.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(i)	मूल	174.00	174.00	..	(-)174.00
18-	महिला मंडल प्रोत्साहन योजना-				
(ii)	मूल	7.00	7.00	..	(-)7.00
27-	मुख्यमंत्री जन संवाद योजना-				
(iii)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 182.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

2702- लघु सिंचाई-

80- सामान्य-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- उठाऊ सिंचाई योजनाओं की मरम्मत पर व्यय (विशेष मरम्मत)-

मूल	56.10				
		31.58	34.76		(+)3.18

पुनर्वि० (-)24.52

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 24.52 लाख की कमी रखरखाव पर कम व्यय और दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई।

03- अन्य लघु सिंचाई स्कीमों का रखरखाव तथा मरम्मत पर व्यय-

(i)	मूल	269.21			
			245.74	240.34	(-)5.40

पुनर्वि० (-)23.47

04- अन्य लघु सिंचाई स्कीमों के रखरखाव तथा मरम्मत-

(ii)	मूल	310.05			
			278.23	264.40	(-)13.83

पुनर्वि० (-)31.82

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 55.29 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई।

06- स्थाई स्थापना में परिवर्तित कार्य प्रभारित कर्मचारी वर्ग-

मूल	776.48				
		791.48	730.59		(-)60.89

पुनर्वि० 15.00

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

₹ 60.89 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 15.00 लाख का आवर्धन चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुई।

₹ 60.89 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

09- स्कन्ध पर व्यय (स्टॉक मैन्यूफेक्चर)-

(i) मूल	75.00	75.00	24.61	(-)50.39
---------	-------	-------	-------	----------

10- उचंत पर व्यय (विविध लोक निर्माण अग्रिम)-

(ii) मूल	150.00	150.00	48.46	(-)101.54
----------	--------	--------	-------	-----------

11- वसूली के समायोजन के लिए रखरखाव का प्रावधान-

(iii) मूल	776.48	776.48	510.97	(-)265.51
-----------	--------	--------	--------	-----------

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 417.44 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

2851- ग्रामीण तथा लघु उद्योग-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

08- हथकरघा और हस्तकला के लिए

एकीकृत योजना-

मूल	1.00			
-----	------	--	--	--

पुनर्वि०	(-)1.00			
----------	---------	--	--	--

मार्च 2023 में ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया; जिसके कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2023)।

16- खादी एवं ग्रामोद्योग पर विशेष केन्द्रीय

सहायता के अन्तर्गत व्यय-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	1.00			
-----	------	--	--	--

पुनर्वि०	(-)1.00			
----------	---------	--	--	--

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना के अंतर्गत कम व्यय होने के कारण कम कर दिया गया।

17- हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योग के विकास-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	1.00			
-----	------	--	--	--

पुनर्वि०	(-)1.00			
----------	---------	--	--	--

मार्च 2023 में ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया; जिसके कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2023)।

21- खाद्य विद्यायन हेतु राज्य मिशन-

मूल	61.00			
-----	-------	--	--	--

पुनर्वि०	(-)61.00			
----------	----------	--	--	--

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

मार्च 2023 में ₹ 61.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा प्रस्तावों की प्रप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

29- सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम- आत्मनिर्भर भारत-

मूल	24.00	24.00	5.15	(-)18.85
-----	-------	-------	------	----------

₹ 18.85 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)। जबकि भारत सरकार से ₹ 4.32 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

2853- अलौह खनन तथा धातु उद्योग-

02- खानों का विनियमन तथा विकास-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- खनिज अन्वेषण स्टॉफ और अन्य कार्य-

मूल	72.71			
		58.04	54.92	(-)3.12

पुनर्वि० (-)14.67

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 14.67 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

3054- सड़कें तथा सेतू-

04- जिला तथा अन्य सड़कें-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

03- जिला सड़कों के रखरखाव एवं मरम्मत पर व्यय-

(i) मूल	2,639.45	2,639.45	2,380.59	(-)258.86
---------	----------	----------	----------	-----------

04- बाहरवें वित्तायोग के अन्तर्गत

जिला एवं अन्य सड़कों का रखरखाव-

(ii) मूल	1,935.09	1,935.09	1,605.78	(-)329.31
----------	----------	----------	----------	-----------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 588.17 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

05- वसूली के समायोजन हेतु रखरखाव प्रावधान-

मूल	11,326.73			
		10,879.68	84.32	(-)10,795.36

पुनर्वि० (-)447.05

₹ 10,795.36 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 447.05 लाख की कमी कार्यालय भवनों के रखरखाव पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 10,795.36 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

3456- नागरिक आपूर्ति-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

04- उपभोक्ता जागरूकता-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	2.00	2.00	..	(-)2.00
-----	------	------	----	---------

₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

(iv) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2015- निर्वाचन-			
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-			
01- मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं स्टाफ पर व्यय- मूल	145.29		
पुनर्वि०	40.83		
	186.12	168.65	(-)17.47
मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 40.83 लाख का आवर्धन मुख्यतः वेतन संशोधन और बकाया भुगतान के कारा हुआ।			
02- मतदाता सूचियों के निर्माण तथा मुद्रण पर व्यय-विधान सभा- मूल	31.19		
पुनर्वि०	4.54		
	35.73	46.15	(+)10.42
₹ 46.15 लाख के कुल व्यय में से ₹ 10.44 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।			
04- विधानसभा सभा चुनाव प्रभार- मूल	0.06		
पूरक	0.01	222.88	
पुनर्वि०	222.81	217.35	(-)5.53
मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 222.81 लाख का आवर्धन विधानसभा चुनाव, बाह्य स्रोत वाहनों,पेट्रोल, तेल, स्नेहक, वाहनों की मरम्मत, यात्रा, बिजली, पानी और दूरभाष के लंबित बिलों के भुगतान पर अधिक व्यय के कारण हुआ।			
05- संसद के चुनाव पर व्यय मूल	0.08		
पुनर्वि०	21.89		
	21.97	21.94	(-)0.03
मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 21.89 लाख का आवर्धन बाह्य स्रोत वाहनों, पेट्रोल, तेल, स्नेहक, वाहनों की मरम्मत, यात्रा और चुनाव ड्यूटी के लिए तैनात कर्मचारियों के वेतन के भुगतान पर अधिक व्यय के कारण हुआ।			
06- पंचायत/स्थानीय संस्थाओं के चुनाव प्रभार - मूल	3.44		
पुनर्वि०	17.96		
	21.40	18.95	(-)2.45

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

₹ 2.45 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 17.96 लाख का आवर्धन वस्तुओं की खरीद, बाह्य वाहनों, पेट्रोल, तेल, स्नेहक, वाहनों की मरम्मत, यात्रा पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 2.45 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

2053- जिला प्रशासन-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- जिला स्थापना पर व्यय-

मूल 1,166.59

पूरक 0.01 1,338.72 1,332.22 (-)6.50

पुनर्वि० 172.12

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 172.12 लाख का आवर्धन वेतन संशोधन और बकाया भुगतान, नए वाहनों की खरीद, दूरभाष, बिजली, पानी के बिल और बाह्य स्रोत किए गए वाहनों, पेट्रोल, तेल, स्नेहक और वाहनों की मरम्मत पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

03- अनुसूचित क्षेत्रों में एकीकृत जनजातीय

विकास परियोजना कार्यालय-

मूल 285.59

275.52 696.40 (+)420.88

पुनर्वि० (-)10.07

₹ 696.40 लाख के कुल व्यय में से ₹ 436.69 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

10- सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम-

मूल 150.00

206.56 206.56 ..

पुनर्वि० 56.56

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 56.56 लाख का आवर्धन केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुई।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 1,350.00

1,859.00 2,101.50 (+)242.50

पुनर्वि० 509.00

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 509.00 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति होने के कारण हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 2,101.50 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

₹ 2,101.50 लाख के कुल व्यय में से ₹ 242.50 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

11-	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना-				
	31.12	(+)	31.12
	₹ 31.12 लाख का समस्त व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।				
2055-	पुलिस-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
02-	विश्व बैंक सहायता प्राप्त एकीकृत वित्तिय प्रबंधन प्रणाली (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना)-				
	मूल	147.32			
			165.99		165.96
					(-)0.03
	पुनर्वि०	18.67			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 18.67 लाख का आवर्धन वेतन संशोधन और बकाया भुगतान के कारण हुआ।				
07-	सुरक्षा संबंधी व्यय-				
(i)	मूल	10.00			
			17.05		17.00
					(-)0.05
	पुनर्वि०	7.05			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	38.00			
			74.53		68.99
					(-)5.54
	पुनर्वि०	36.53			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 43.58 लाख का आवर्धन विशेष पुलिस अधिकारियों को बढ़े हुए मानदेय के भुगतान के कारण हुआ। जबकि क्रम संख्या (ii) पर भारत सरकार से ₹ 68.99 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।				
08-	पुलिस विभाग के साथ कानून एवं कानून व्यवस्था हेतु तैनात गृह रक्षकों पर व्यय-				
	मूल	620.90			
			676.48		676.30
					(-)0.18
	पुनर्वि०	55.58			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 55.58 लाख का आवर्धन मुख्यतः मजदूरी दरों में संशोधन के कारण हुआ।				
2062-	सतर्कता-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो-				
	मूल	197.81			
	पूरक	0.01	240.99		240.69
					(-)0.30
	पुनर्वि०	43.17			

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 43.17 लाख का आवर्धन मजदूरी दरों, वेतन संशोधन, बकाया भुगतान और बाह्य स्रोत सेवाओं पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- अग्नि शमन केन्द्रों पर व्यय-

मूल 149.15

पूरक 0.01

303.39

306.67

(+)3.28

पुनर्वि० 154.23

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 154.23 लाख का आवर्धन मुख्यतः मजदूरी दरों में संशोधन, वेतन संशोधन और बकाया भुगतान पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

03- जिला गृह रक्षक कर्मचारियों पर व्यय-

मूल 256.84

477.44

475.71

(-)1.73

पुनर्वि० 220.60

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 220.60 लाख का आवर्धन मजदूरी दरों में संशोधन, वेतन संशोधन, बकाया भुगतान और वस्तुओं की खरीद पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

2202- सामान्य शिक्षा-

01- प्रारम्भिक शिक्षा-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों और कर्मचारियों पर व्यय -

मूल 351.01

350.71

391.70

(+)40.99

पुनर्वि० (-)0.30

₹ 40.99 लाख की अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

23- राज्यों के लिए शिक्षण और परिणामों को

सुदृढ़ बनाना (स्टार्स परियोजना)-

मूल 1.00

177.00

114.80

(-)62.20

पुनर्वि० 176.00

₹ 62.20 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 176.00 लाख का आवर्धन केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुई जोकि अत्याधिक सिद्ध हुई। जबकि भारत सरकार ₹ 1,033.23 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

₹ 62.20 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	1.00				
		1,033.23	1,033.23	..	

पुनर्वि०	1,032.23				
----------	----------	--	--	--	--

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,032.23 का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ। जबकि भारत सरकार ₹ 1,033.23 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

02- माध्यमिक शिक्षा-**796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-****02- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत माध्यमिक पाठशालाओं पर व्यय-**

मूल	6,272.31				
		6,174.57	6,362.07	(+)	187.50
पुनर्वि०	(-)97.74				

₹ 187.50 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 97.74 लाख की कमी बिजली, दूरभाष और पानी के बिल, अन्य गतिविधियों पर कम व्यय, दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई जोकि अवास्तविक सिद्ध हुई।

₹ 6,362.07 लाख के कुल व्यय में से ₹ 20.67 लाख का व्यय वर्ष 2020-21 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ था।

₹ 187.50 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

03- उच्च विद्यालयों पर व्यय-

मूल	7,581.44				
		7,571.44	7,879.34	(+)	307.90
पुनर्वि०	(-)10.00				

₹ 7,879.34 लाख के कुल व्यय में से ₹ 15.90 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ था।

₹ 307.90 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

13- श्रीनिवास रामानुजन छात्र डिजिटल योजना-

मूल	225.00				
		225.00	450.00	(+)	225.00

₹ 450.00 लाख के कुल व्यय में से ₹ 225.00 लाख का व्यय वर्ष 2020-21 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ था।

14- स्कूल प्रबंधन समिति को सहायता अनुदान-

मूल	346.50				
		396.50	385.06	(-)	11.44
पुनर्वि०	50.00				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 50.00 लाख का आवर्धन विद्यालय प्रबंधन समिति को अनुदान सहायता पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

18-	अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	120.00			
			79.02	162.94	(+)83.92
	पुनर्वि०	(-)40.98			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 40.98 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

₹ 162.94 लाख के कुल व्यय में से ₹ 83.92 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ था।

26-	प्रचलित सूचना एवं संचार तकनीक प्रयोगशालाओं और अन्य प्रयोगशाला सुवाधाओं का उन्नयन/रखरखाव-				
	मूल	45.00	45.00	495.00	(+)450.00

₹ 495.00 लाख के कुल व्यय में से ₹ 450.00 लाख का व्यय वर्ष 2021-22 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ था।

28-	सा.वी. रमन वर्चुअल क्लास रूम-				
	मूल	6.00	6.00	29.13	(+)23.13

₹ 29.13 लाख के कुल व्यय में से ₹ 23.13 लाख का व्यय वर्ष 2021-22 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ था।

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-

03-	ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति -				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
02-	एलोपैथिक कार्यक्रम पर व्यय-				
	मूल	1,783.84			
	पूरक	0.01	2,193.30	1,972.84	(-)220.46
	पुनर्वि०	409.45			

₹ 220.46 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 409.45 लाख का आवर्धन वेतन संशोधन और बकाया भुगतान तथा बाह्य स्रोत सेवाओं पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 220.46 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

03-	न्यूनतम आवश्यकता (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र) पर व्यय-				
	मूल	2,155.37			
			2,428.87	2,248.27	(-)180.60
	पुनर्वि०	273.50			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

₹ 180.60 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 273.50 लाख का आवर्धन वेतन संशोधन और बकाया भुगतान के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 180.60 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

04-	ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं/अन्य चिकित्सा पद्धतियां-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
06-	आयुष				
	मूल	8.00			
			14.02	14.02	..
	पुनर्वि०	6.02			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6.02 लाख का आवर्धन केन्द्रीय हिस्से के अनुपात में राज्य का हिस्सा जारी होने के कारण हुआ।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

	मूल	69.00			
			165.14	126.14	(-)39.00
	पुनर्वि०	96.14			

₹ 39.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 96.14 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 351.51 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

₹ 39.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

05	चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
05-	डॉ० राधाकृष्णन सरकार चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर-				
	मूल	90.00	90.00	106.83	(+)16.83

₹ 106.83 लाख के कुल व्यय में से ₹ 30.70 लाख का व्यय वर्ष 2020-21 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ था।

10- सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

	मूल	1.00			
	पूरक	0.01	8.00	8.00	..
	पुनर्वि०	6.99			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6.99 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जबकि भारत सरकार से ₹ 8.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

06-	लोक स्वास्थ्य-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

21-	निःशुल्क दवा-				
	मूल	155.00			
			173.00	171.90	(-)1.10
	पुनर्वि०	18.00			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 18.00 लाख का आवर्धन निःशुल्क दवाएँ उपलब्ध कराने पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ।

2211- परिवार कल्याण-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

14- प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हैल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन-

(i)	पूरक	0.01			
			6.22	6.22	..
	पुनर्वि०	6.21			

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii)	पूरक	0.01			
			56.00	56.00	..
	पुनर्वि०	55.99			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 62.20 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति और आनुपातिक रूप से राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 2,133.16 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

2215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता-

01- जलापूर्ति-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- ग्रामीण जलापूर्ति योजना पर व्यय-

	मूल	617.03			
			657.35	697.02	(+)39.67
	पुनर्वि०	40.32			

₹ 39.67 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 40.32 लाख का आवर्धन दैनिक वेतन संशोधन और बकाया भुगतान के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 39.67 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

02- स्थाई स्थापना में परिवर्तित कार्य प्रभारी-

कर्मचारियों पर व्यय-

	मूल	2,799.49			
			3,611.59	3,514.23	(-)97.36
	पुनर्वि०	812.10			

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

₹ 97.36 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 812.10 लाख का आवर्धन वेतन संशोधन और बकाया भुगतान के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 97.36 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

2216- आवास-

03- ग्रामीण आवास-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर गरीबों को गांधी कुटीर योजना/

इंदिरा आवास योजना/प्रधानमंत्री आवास योजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 97.00

467.08

467.08

..

पुनर्वि० 370.08

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 370.08 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 467.08 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

2217- शहरी विकास-

03- छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

04- प्रधानमंत्री आवास योजना सभी के लिए आवास (शहरी)-

मूल 2.00

2.00

19.40

(+17.40

₹ 19.40 लाख के कुल व्यय में से ₹ 17.10 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ था।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 20.00

48.00

48.00

..

पुनर्वि० 28.00

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 28.00 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 15.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

2220- सूचना एवं प्रचार-

60- अन्य-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- प्रचार कार्यक्रम पर व्यय-

मूल 125.46

159.18

158.44

(-)0.74

पुनर्वि० 33.72

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 33.72 लाख का आवर्धन वेतन संशोधन, बकाया भुगतान और वाहनों की खरीद पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

2225- अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-

02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

10- स्वर्ण जयंती आश्रय योजना-

मूल 333.00

538.50

538.50

..

पुनर्वि० 205.50

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 205.50 लाख का आवर्धन लंबित देनदारियों के भुगतान पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

11- मध्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना-

..

..

10.00

(+)10.00

₹ 10.00 लाख का समस्त व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ था।

2230- श्रम, रोजगार और कौशल विकास-

02- रोजगार सेवाएँ-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- रोजगार सेवाओं का विस्तार-

मूल 55.48

71.61

64.42

(-)7.19

पुनर्वि० 16.13

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 16.13 लाख का आवर्धन वेतन संशोधन भुगतान के कारण हुआ।

03- प्रशिक्षण-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

03- कारगिरी और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण-

पूरक 0.01

20.76

24.14

(+)3.38

पुनर्वि० 20.75

₹ 3.38 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 20.75 लाख का आवर्धन वेतन संशोधन और बकाया भुगतान के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 3.38 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

04-	हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थान (तकनीकी शिक्षा) -				
	मूल	250.84			
	पूरक	0.01	289.84	278.78	(-)11.06
	पुनर्वि०	38.99			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 38.99 लाख का आवर्धन मशीनरी, उपकरण, बिजली, दूरभाष और पानी के बिलों पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

10-	औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल को मजबूत बनाना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	1.00			
			23.98	23.98	..
	पुनर्वि०	22.98			

11-	अजीविका प्रोत्साहन के लिए कौशल और जागरूकता अधिग्रहण योजना (संकल्प)-				
(ii)	पूरक	0.01			
			1.81	1.81	..
	पुनर्वि०	1.80			

12-	राष्ट्रीय शिक्षता प्रोत्साहन योजना केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iii)	पूरक	0.01			
			3.44	3.44	..
	पुनर्वि०	3.43			

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 28.21 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ और इसलिए आनुपातिक रूप से राज्य का हिस्सा भी जारी कर दिया गया।

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

02-	समाज कल्याण-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
03-	आंगनवाड़ी सेवा योजना-				
	मूल	550.00			
	पूरक	0.11	1,913.35	719.66	(-)1,193.69
	पुनर्वि०	1,363.24			

₹ 1,193.69 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,363.24 लाख का आवर्धन वेतन संशोधन और बकाया भुगतान, पानी, दूरभाष, बिजली बिल, किराया, यात्रा और दैनिक वेतनभोगियों की अधिक नियुक्ति के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 1,193.69 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

04-	बेटी है अनमोल योजना पर व्यय-				
	मूल	7.00			
			18.58	18.38	(-)0.20
	पुनर्वि०	11.58			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 11.58 लाख का आवर्धन लंबित देनदारियों के भुगतान पर अधिक व्यय के कारण हुआ।				
19-	बाल सुरक्षा सेवा-				
	मूल	17.00			
	पूरक	0.01	56.44	45.21	(-)11.23
	पुनर्वि०	39.43			
	₹ 11.23 लाख की अंतिम बचत के दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 39.43 लाख का आवर्धन केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।				
	₹ 11.23 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	170.00			
			278.03	278.03	..
	पुनर्वि०	108.03			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 108.03 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।				
36-	मातृत्व लाभ कार्यक्रम-				
	पूरक	0.01			
			1.68	1.68	..
	पुनर्वि०	1.67			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.67 लाख का आवर्धन वस्तुओं की खरीद पर अधिक व्यय के कारण हुआ।				
2401-	फसल कृषि कर्म-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	कृषि विभाग के जिला एवं अधीनस्त स्तर कार्यालय-				
	मूल	96.52	96.52	139.15	(+)42.63
	₹ 42.63 लाख की अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
04-	उद्यान विभाग के अंतर्गत जिला स्थापना पर व्यय-				
	मूल	49.56			
			63.56	62.70	(-)0.86
	पुनर्वि०	14.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 14.00 लाख का आवर्धन वेतन संशोधन और बकाया भुगतान के कारण हुआ।				
09-	योजनाओं पर विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत व्यय (उद्यान विभाग)-			
	मूल	1.00		
			129.00	123.12
				(-)5.88
	पुनर्वि०	128.00		
₹ 5.88 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 128.00 लाख का आवर्धन किसानों से मांग की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।				
₹ 5.88 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
59-	मृदा को स्वास्थ्य एवं उर्वरता हेतु राष्ट्रीय परियोजन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
(i)	मूल	1.00		
			2.06	2.06
				..
	पुनर्वि०	1.06		
60-	बीज और उपजाऊ सामग्री पर उपलाभ-			
(ii)	मूल	3.00		
			9.03	9.03
				..
	पुनर्वि०	6.03		
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
(iii)	मूल	1.00		
			82.23	82.23
				..
	पुनर्वि०	81.23		
61-	कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
(iv)	मूल	1.00		
			100.00	100.00
				..
	पुनर्वि०	99.00		
उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 187.32 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ और इसलिए राज्य का हिस्सा भी अनुपातिक रूप से जारी कर दिया गया।				
64-	जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एंजेसी द्वारा समर्पित फसल विविधीकरण परियोजना चरण-II-			
	मूल	180.00		
			480.00	480.00
				..
	पुनर्वि०	300.00		
मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 300.00 लाख का आवर्धन परियोजना पर अधिक व्यय के कारण हुआ।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

84-	मुख्यमंत्री कृषि संरक्षण योजना-				
	पूरक	0.04			
			222.00	209.99	(-)12.01
	पुनर्वि०	221.96			
	₹ 12.01 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 221.96 लाख का आवर्धन मुख्यतः उपदान पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।				
	₹ 12.01 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
85-	मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना-				
	पूरक	0.02			
			459.00	459.00	..
	पुनर्वि०	458.98			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 458.98 लाख का आवर्धन मुख्यतः उपदान पर अधिक व्यय के कारण हुआ।				
2402-	भू तथा जल संरक्षण-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
06-	लघु तथा सीमान्त किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु सहायता- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	1.00			
			..	25.00	(+)25.00
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	₹ 25.00 लाख के बिना प्रावधान के समस्त व्यय की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अनुचित सिद्ध हुई।				
	₹ 25.00 लाख का समस्त व्यय बिना प्रावधान के हुआ; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
15-	जल से कृषि को बल-				
	मूल	225.00			
			249.91	294.76	(-)0.15
	पुनर्वि०	69.91			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 69.91 लाख का आवर्धन किसानों से मांग की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।				
2403-	पशु पालन-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
14-	भेड़ एवं बकरी पालन को प्रोत्साहन-				
		12.40	(+)12.40

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

₹ 12.40 लाख का समस्त व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ था।

2404- दुग्ध विकास-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- दुग्ध संघ को अनुदान सहायता-

मूल 261.00

297.00

297.00

..

पुनर्वि० 36.00

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 36.00 लाख का आवर्धन प्रस्तावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

2405- मछली पालन

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

10- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना-

(i) मूल 11.00

26.31

25.30

(-)1.01

पुनर्वि० 15.31

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल 109.00

236.49

227.49

(-)9.00

पुनर्वि० 127.49

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 142.80 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ और इसलिए राज्य का हिस्सा भी अनुपातिक रूप से जारी कर दिया गया।

2406- वानिकी तथा वन्य जीवन-

01- वानिकी-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

36- वन अग्नि प्रबंधन योजना-

मूल 19.00

24.30

24.14

(-)0.16

पुनर्वि० 5.30

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5.30 लाख का आवर्धन भवनों के निर्माण एवं सामग्री क्रय पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

02- पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- वन प्राणी प्रबंधन तथा प्रकृतिक संरक्षण पर व्यय-

मूल 51.55

62.40

62.27

(-)0.13

पुनर्वि० 10.85

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10.85 लाख का आवर्धन वेतन संशोधन और बकाया भुगतान के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

08-	सुरक्षित हिमालय- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	20.00			
			74.94	74.94	..
	पुनर्वि०	54.54			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 54.54 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।				
2408-	खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार-				
01-	खाद्य-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	खाद्य संगठन पर व्यय-				
	मूल	145.04			
			163.65	153.32	(-)10.33
	पुनर्वि०	18.61			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 18.61 लाख का आवर्धन वेतन संशोधन और बकाया भुगतान, पेट्रोल, तेल, स्नेहक और वाहनों की मरम्मत पर अधिक व्यय के कारण हुआ।				
03-	विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत समितियों उपदान पर व्यय-				
	मूल	5.00			
			11.00	11.00	..
	पुनर्वि०	6.00			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6.00 लाख का आवर्धन प्रस्तावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।				
2501-	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-				
06-	स्वरोजगार योजना-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
03-	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-				
	मूल	27.00			
			126.27	110.82	(-)15.45
	पुनर्वि०	99.27			
	₹ 15.45 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 99.27 का आवर्धन केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य का हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।				
	₹ 15.45 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	243.00			
			997.35	997.35	..
	पुनर्वि०	754.35			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 754.35 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

06-	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना-				
	मूल	1.00			
			100.00	100.00	..
	पुनर्वि०	99.00			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 99.00 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 100.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।				
2515-	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
02-	समुदायिक विकास कार्यक्रम के विस्तार पर व्यय-				
	मूल	664.45			
			671.78	815.30	(+)143.52
	पुनर्वि०	7.33			
	₹ 815.30 लाख के कुल व्यय में से ₹ 224.00 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उद्यंत के समायोजन के कारण हुआ था।				
10-	सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान				
(i)	मूल	2.00			
			25.95	25.95	..
	पुनर्वि०	23.95			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	15.00			
			233.51	233.51	..
	पुनर्वि०	218.51			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 242.46 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ और इसलिए राज्य का हिस्सा भी अनुपातिक रूप से जारी कर दिया गया।				
21	केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत जिला परिषदों को बंधित अनुदान-				
(i)	मूल	162.14			
			241.46	241.46	..
	पुनर्वि०	79.32			
23-	केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत पंचायत समितियों को बन्धित अनुदान-				
(ii)	मूल	210.14			
			312.28	312.28	..
	पुनर्वि०	102.14			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

25- केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत पंचायतों
को निष्पादन अनुदान-

(iii) मूल	983.14			
		1,457.29	1,457.29	..
पुनर्वि०	474.15			

उपरोक्त तीन मामलों मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 655.61 लाख का आवर्धन पन्द्रहवें वित्त आयोग के अंतर्गत अनुदान की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

2702- लघु सिंचाई-

80- सामान्य-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

07- स्थापना पर व्यय-

मूल	445.05			
		497.04	471.82	(-)25.22
पुनर्वि०	51.99			

₹ 25.22 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 51.99 लाख का आवर्धन वेतन संशोधन और बकाया भुगतान के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 25.22 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

2801- विद्युत-

80- सामान्य-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- टैरिफ रोल बैंक पर अनुदान-

मूल	6,324.00			
पूरक	2,087.39	11,120.33	11,119.33	(-)1.00
पुनर्वि०	2,708.94			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,708.94 लाख का आवर्धन योजना के अंतर्गत अधिक व्यय के कारण हुआ।

2851- ग्रामीण तथा लघु उद्योग-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

26- ग्रामीण इंजीनियरिंग आधारित उद्योग केन्द्र-

(i) मूल	15.00			
		19.45	19.40	(-)0.05
पुनर्वि०	4.45			

30- मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना-

(ii) मूल	521.00			
		621.00	617.04	(-)3.96
पुनर्वि०	100.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 104.45 लाख का आवर्धन प्रस्तावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

3054- सड़क तथा सेतू-

04- जिला और अन्य सड़कें-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- ग्रामीण सड़क एवं पुल कार्यक्रम के अंतर्गत स्थापना पर व्यय-

मूल 1,501.80

1,531.39

1,763.90

(+)232.51

पुनर्वि० 29.59

₹ 232.51 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 29.59 लाख का आवर्धन मजदूरी दरों में संशोधन के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 232.51 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

02- अस्थाई स्थापना को स्थाई बनाने पर व्यय-

मूल 11,326.73

10,874.68

13,762.25

(+)2,887.57

पुनर्वि० (-)452.05

₹ 2,887.57 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 452.05 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अनुचित सिद्ध हुई।

₹ 2,887.57 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

3055- सड़क परिवहन-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- परिवहन सेवाओं को सहायता-

मूल 2,765.00

4,884.00

4,884.00

..

पुनर्वि० 2,119.00

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,119.00 लाख का आवर्धन लंबित देनदारियों के भुगतान पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

3452- पर्यटन

80- सामान्य-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- जनजातीय क्षेत्र पर्यटन, मेल, उत्सव और प्रचार का विकास-

मूल 100.00

529.73

522.20

(-)7.53

पुनर्वि० 429.73

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 429.73 लाख का आवर्धन प्रस्तावों की अधिक प्राप्ति और विविध मदों पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- किन्नौर, लाहौल और स्पीति जिलों में वजन

और भार तथा माप संगठन-

मूल 8.38

10.45

10.41

(-)0.04

पुनर्वि० 2.07

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.07 लाख का आवर्धन वेतन संशोधन और बकाया भुगतान पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

पूँजीगत प्रवर्ग

(v) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ लाखों में)			

4055- पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- पुलिस बल का आधुनिकीकरण-

मूल 11.00

..

10.29

(+10.29

पुनर्वि० (-)11.00

मार्च 2023 में ₹ 11.00 लाख के समस्त प्रावधान को अभ्यर्पण द्वारा कार्यों के निष्पादन न होने तथा समतुल्य राज्यांश के अभ्यर्पण के कारण कम कर दिया गया।

₹ 10.29 लाख का समस्त व्यय वर्ष 2020-21 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ था।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 97.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)97.00

मार्च 2023 में ₹ 97.00 लाख के समस्त प्रावधान को अभ्यर्पण द्वारा भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

02- पुलिस विभाग के आवासीय भवनों का निर्माण-

मूल 432.00

298.99

342.34

(+43.35

पुनर्वि० (-)133.01

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 133.01 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण हुई।

₹ 342.34 लाख के कुल व्यय में से ₹ 45.00 लाख का व्यय वर्ष 2021-22 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ था।

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-

01- कार्यालय भवन-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- अन्य प्रशासन पर व्यय-

केन्द्रगत योजना

मूल 2.00

..

पुनर्वि० (-)2.00

मार्च 2023 में प्रावधान में ₹ 2.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने और भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

05- न्यायालय पर व्यय-

(i) मूल 1.00

..

पुनर्वि० (-)1.00

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल 1.00

..

पुनर्वि० (-)1.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में ₹ 2.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया और इसलिए राज्य का हिस्सा भी अप्रयुक्त रहा।

11- राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय-

मूल 90.00 90.00 8.91 (-)81.09

₹ 81.09 लाख के अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

14- वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र-

मूल 2.00

..

पुनर्वि० (-)2.00

मार्च 2023 में ₹ 2.00 लाख के समस्त प्रावधान को अभ्यर्पण द्वारा संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण कम कर दिया गया।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

60-	अन्य भवन-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	द्वारका दिल्ली में हिमाचल भवन का निर्माण-				
	मूल	9.00	9.00	0.84	(-)8.16

₹ 8.16 लाख की सारभूत अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

4202-	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-				
01-	सामान्य शिक्षा-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
05-	महाविद्यालय भवन-				
	मूल	239.00			
			189.00	189.00	..
	पुनर्वि०	(-)50.00			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 50.00 लाख की कमी मुख्यतः चल रहे कार्यों के निष्पादन न होने के कारण हुई।

02-	तकनीकी शिक्षा-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
02-	पॉलिटेक्निक भवन-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
03-	खेल तथा युवा सेवाएं-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	भवन निर्माण-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	2.00	2.00	..	(-)2.00

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 3.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे।

4210-	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-				
02-	ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	भवन-				
(i)	मूल	780.00			
			578.00	577.85	(-)0.15
	पुनर्वि०	(-)202.00			

03-	चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

01-	भवन निर्माण-				
(ii)	मूल	285.50			
			232.93	232.93	..
	पुनर्वि०	(-)52.57			
	उपरोक्त दो मामलों में 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 254.57 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई।				
04-	डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में निर्माण कार्य-				
	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	मार्च 2023 में ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				
05-	मेडिकल कॉलेज, चम्बा				
	मूल	91.00			
			90.00	50.00	(-)40.00
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	₹ 40.00 लाख के अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)। केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	मार्च 2023 में ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को अभ्यर्पण द्वारा भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				
06-	मेडिकल कॉलेज, नाहन				
	मूल	91.00			
			90.00	67.28	(-)22.72
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	₹ 22.72 लाख के अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)। केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
08-	श्री लाल बहादुर शास्त्री सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, नेर चौक-				
(ii)	मूल	2.00			
		
	पुनर्वि०	(-)2.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में ₹ 3.00 लाख के समस्त प्रावधान को अभ्यर्पण द्वारा भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

4215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय-

01- जलापूर्ति-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- नलकूप लगाने-

मूल 18.00

22.70

15.05

(-)7.65

पुनर्वि० 4.70

₹ 7.65 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4.70 लाख का आवर्धन हैंडपंप पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 7.65 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

03- मल निकासी स्कीमें-

मूल 800.00

794.16

717.98

(-)76.18

पुनर्वि० (-)5.84

₹ 76.18 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

09- राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक/ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि के अन्तर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर व्यय-

मूल 2,000.00

180.00

72.79

(-)107.21

पुनर्वि० (-)1,820.00

₹ 107.21 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,820.00 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 107.21 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

14- जल जीवन मिशन-

मूल 675.00

675.00

538.42

(-)136.58

₹ 136.58 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

17- पुरानी ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं का पुनर्निर्माण/नवीनीकरण-

मूल 1.00

1.00

..

(-)1.00

₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय-

01- सरकारी आवासीय भवन-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

02-	भवनों का निर्माण-				
	मूल	498.00			
			486.00	293.46	(-)192.54
	पुनर्वि०	(-)12.00			
	₹ 192.54 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
09-	सामान्य प्रशासन विभाग के सरकारी आवासीय भवनों का निर्माण-				
	मूल	117.00			
		
	पुनर्वि०	(-)117.00			
	मार्च 2023 में प्रावधान में ₹ 117.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण कम कर दिया गया।				
4225-	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-				
02-	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास निगम को सहायता-				
	मूल	50.00			
		
	पुनर्वि०	(-)50.00			
	मार्च 2023 में ₹ 50.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण कम कर दिया गया।				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	मार्च 2023 में ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				
02-	विभागीय भवनों का निर्माण-				
(i)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
4235-	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-				
02-	समाज कल्याण-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

01-	विभागीय भवनों का निर्माण-				
(ii)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में ₹ 2.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया और इसलिए राज्य का हिस्सा भी अप्रयुक्त रहा।				
02-	महिला एवं बाल विकास विभाग के भवन-				
	मूल	16.00			
		
	पुनर्वि०	(-)16.00			
	मार्च 2023 में ₹ 16.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा चल रहे कार्यों के पूरा न होने के कारण कम कर दिया गया।				
4401-	फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना -				
01-	कृषि विभाग के भवन-				
	मूल	3.00			
		
	पुनर्वि०	(-)3.00			
	मार्च 2023 में ₹ 3.00 लाख के समस्त प्रावधान को अभ्यर्पण द्वारा संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने और भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				
4402-	मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना -				
01-	पॉली हाउस एवं सूक्ष्म सिंचाई योजना				
	ग्रामीण अवसरचर्चा विकास निधि-				
	मूल	391.00			
			218.26	218.26	..
	पुनर्वि०	(-)172.74			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 172.74 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई।				
4403-	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना -				
01-	भवन निर्माण कार्यक्रम-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	2.00			
		
	पुनर्वि०	(-)2.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

मार्च 2023 में ₹ 2.00 लाख के समस्त प्रावधान को संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने और भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

4515- अन्य ग्रसत विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- मुख्यमंत्री लोक भवन-

मूल 7.00

..

पुनर्वि० (-)7.00

मार्च 2023 में ₹ 7.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा चल रहे कार्यों का निष्पादन न होने के कारण समाप्त कर दिया गया।

02- सामुदायिक विकास कार्य-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 1.00

..

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2023 में ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

08- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (हर खेत को पानी)

के अन्तर्गत लघु सिंचाई योजनाएं-

(i) मूल 30.00 30.00 .. (-)30.00

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल 400.00 400.00 .. (-)400.00

10- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हर खेत को पानी

के अन्तर्गत डायवर्सन तथा प्रवाह सिंचाई योजना-

(iii) मूल 100.00 100.00 .. (-)100.00

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(iv) मूल 701.00 701.00 . (-)701.00

12- पर्वतधारा-

(v) मूल 1.00 1.00 . (-)1.00

उपरोक्त पांच मामलों में ₹ 1,232.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

4705- कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

01-	लघु सिंचाई के अन्तर्गत कमान क्षेत्र का विकास-				
	मूल	251.00			
			216.00	142.20	(-)73.80
	पुनर्वि	(-)35.00			

₹ 73.80 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 35.00 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 73.80 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
--	-----	------	------	----	---------

₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

4711- बाढ, नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-

01- बाढ नियंत्रण-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि/कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक के अन्तर्गत बाढ नियंत्रण कार्य-

	मूल	130.00			
			110.00	125.94	(+)15.94
	पुनर्वि0	(-)20.00			

₹ 15.94 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 20.00 लाख की कमी कार्य के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अत्यधिक सिद्ध हुई।

₹ 15.94 लाख की आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-

01- हाइडल उत्पादन-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

06- हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड में इक्विटी योगदान-

	मूल	2,880.00	2,880.00	2,258.00	(-)622.00
--	-----	----------	----------	----------	-----------

₹ 622.00 लाख के अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

07- हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड

लिमिटेड में इक्विटी योगदान-

	मूल	625.00			
			312.00	312.00	..
	पुनर्वि0	(-)313.00			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 313.00 लाख की कमी निवेश पर कम व्यय और योजना के अंतर्गत इक्विटी के कम योगदान के कारण हुई।

5002- भारतीय रेलवे वाणिज्यिक लाइनों पर पूंजी परिव्यय-

01- पूंजी वहन लाभांश दायित्व-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

01-	रेलवे लाइनों का निर्माण-				
	मूल	1,000.00			
	पुनर्वि०	(-)1,000.00			
	मार्च 2023 में ₹ 1,000.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण कम कर दिया गया।				
03-	पूँजीगत परिव्यय-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	रेलवे लाइनों का निर्माण-				
	पूरक	0.01			
			1,000.00	..	(-)1,000.00
	पुनर्वि०	999.99			
	₹ 1,000.00 लाख के समस्त प्रावधान के अप्रयुक्त रहने की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 999.99 लाख का आवर्धन रेलवे लाइन के निर्माण पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अनुचित सिद्ध हुआ।				
	₹ 1,000.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
5053-	नागरिक उडडयन पर पूँजीगत परिव्यय-				
80-	सामान्य-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
02-	हेलिपेडस और हवाई पट्टियों का निर्माण-				
	मूल	100.00			
			65.36	65.26	(-)0.10
	पुनर्वि०	(-)34.64			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 34.64 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई।				
03-	हेलिपोटर्स एवं हवाई अड्डों का विकास-				
	मूल	8,150.00			
	पुनर्वि०	(-)8,150.00			
	मार्च 2023 में ₹ 8,150.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया जिसके कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2023)।				
5054-	सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-				
04-	जिला तथा अन्य सड़कें-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
03-	ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि/राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर व्यय-				
	मूल	3,112.00			
			1,742.36	1,920.63	(+)178.27
	पुनर्वि०	(-)1,369.64			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

₹ 178.27 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,369.64 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अत्यधिक सिद्ध हुई।

₹ 178.27 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

07- मुख्य जिला सड़कें-
मूल 58.00 58.00 25.59 (-)31.41

₹ 31.41 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

08- केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत सड़को का निर्माण-
मूल 990.00

पुनर्वि० (-)990.00

मार्च 2023 में ₹ 990.00 लाख के समस्त प्रावधान को अभ्यर्पण द्वारा भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

10- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना निर्माण में वृद्धि-
मूल 90.00 90.00 45.00 (-)45.00

₹ 45.00 लाख के अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

11- ब्लैक स्पॉट में सुधार, सड़क सुरक्षा उपाय और
जियोमेट्रिक्स और राइडिंग गुणवत्ता में सुधार-
मूल 360.00

410.00 281.76 (-)128.24

पुनर्वि० 50.00

₹ 128.24 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 50.00 लाख का आवर्धन चल रहे कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुआ जोकि अवास्तविक सिद्ध हुआ।

₹ 128.24 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

12- मुख्यमंत्री सड़क योजना-
मूल 798.00 798.00 700.54 (-)97.46

₹ 97.46 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

13- सड़क किनारे सुविधा/वृक्षारोपण (बागवानी मंडल)-
मूल 72.00 72.00 .. (-)72.00

₹ 72.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

14- मध्यस्थता मामलों के लिए भुगतान (सड़के और पुल)-
मूल 50.00

178.82 .. (-)178.82

पुनर्वि० 128.82

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

₹ 178.82 लाख के समस्त प्रावधान के अप्रयुक्त रहने की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 128.82 लाख का आवर्धन किया गया जिसके कारण सूचित नहीं किए (जुलाई 2023)।

₹ 178.82 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

80-	सामान्य-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
05-	मुख्य पुलों के निर्माण पर व्यय-				
(i)	मूल	1,600.00			
			1,177.24	1,020.62	(-)156.62
	पुनर्वि०	(-)422.76			
06-	रोपवे और केबलवे पर व्यय-				
(ii)	मूल	200.00			
			176.12	126.35	(-)49.77
	पुनर्वि०	(-)23.88			
09-	ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि/राष्ट्रीय				
	कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अन्तर्गत				
	मुख्य पुलों के निर्माण पर व्यय-				
(iii)	मूल	2,000.00			
			715.99	459.32	(-)256.67
	पुनर्वि०	(-)1,284.01			

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 463.06 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,730.65 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 463.06 लाख के अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

5055-	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
08-	प्रशिक्षण संस्थान-				
(i)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में ₹ 2.00 लाख के समस्त टोकन प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2023)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

5075- अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-

60- अन्य-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम-

मूल	200.00	200.00	150.00	(-)50.00
-----	--------	--------	--------	----------

₹ 50.00 लाख के अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 1.00

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2023 में ₹ 1.00 लाख के समस्त टोकन प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2023)।

5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना-

मूल	610.00	610.00	541.36	(-)68.64
-----	--------	--------	--------	----------

₹ 68.64 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

6801- बिजली परियोजनाओं के लिए ऋण-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

10- हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड को ऋण-

(i) मूल 27.00 27.00 .. (-)27.00

11- हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को ऋण-

(ii) मूल 2,863.00 2,863.00 .. (-)2,863.00

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2,890.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

(vi) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाखों में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-

01- कार्यालय भवन-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- अन्य प्रशासन पर व्यय-

मूल	301.00			
		673.71	572.34	(-)101.37

पुनर्वि० 372.71

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

₹ 101.37 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 372.71 लाख का आवर्धन कार्यों के क्रियान्वय पर अधिक निष्पादन के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 101.37 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

12- कानूनगो/पटवार भवनों का निर्माण-

मूल	95.00				
		147.00	153.95	(+)	6.95
पुनर्वि०	52.00				

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 52.00 लाख का आवर्धन कार्यों के निष्पादन के कारण हुआ।

₹ 153.95 लाख के कुल व्यय में से ₹ 12.00 लाख का व्यय 2019-20 के लिए आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ था।

13- संयुक्त कार्यालय भवन एवं मिनी सचिवालय-

(i) मूल	92.00				
		319.54	319.54		..
पुनर्वि०	227.54				

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-

01- सामान्य शिक्षा-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- भवन-

(ii) मूल	292.00				
		871.17	871.17		..
पुनर्वि०	579.17				

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 806.71 लाख का आवर्धन कार्यों के निष्पादन पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	2.00				
		150.00	150.00		..
पुनर्वि०	148.00				

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 148.00 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

03- माध्यमिक पाठशाला भवनों का निर्माण-

(i) मूल	350.00				
		394.00	393.25	(-)	0.75
पुनर्वि०	44.00				

03- खेलकूद तथा युवा सेवाएं-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

01-	भवन निर्माण-				
(ii)	मूल	110.00			
			446.76	446.73	(-)0.03
	पुनर्वि०	336.76			
03-	पर्वतारोहण विभाग के भवनों पर व्यय-				
(iii)	मूल	5.00			
			6.50	6.50	..
	पुनर्वि०	1.50			
04-	कला एवं संस्कृति-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	भवनों का निर्माण-				
(iv)	मूल	225.00			
			306.00	305.80	(-)0.20
	पुनर्वि०	81.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(v)	मूल	0.01			
			625.00	625.00	..
	पुनर्वि०	624.99			
उपरोक्त पांच मामलों में मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,088.25 लाख का आवर्धन कार्यों के निष्पादन पर अधिक व्यय के कारण हुआ।					
4210-	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर				
	पूँजीगत परिव्यय-				
02-	ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	भवन निर्माण-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	2.00			
			350.00	350.00	..
	पुनर्वि०	348.00			
03-	चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
02-	आयुष संस्थानों का उन्नयन-				
(ii)	पूरक	0.01			
			12.22	12.22	..
	पुनर्वि०	12.21			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(iii)	पूरक	0.01			
			109.99	109.99	..

पुनर्वि० 109.98

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 470.19 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ और इसलिए आनुपातिक रूप से राज्य का हिस्सा भी जारी कर दिया गया।

04- डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में निर्माण कार्य-

	मूल	163.00			
			274.00	274.00	..

पुनर्वि० 111.00

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 111.00 लाख का आवर्धन मशीन क्रय पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

11- राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों का उन्नयन-

	पुनर्वि०	10.78	10.78	10.78	..
--	----------	-------	-------	-------	----

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10.78 लाख का आवर्धन समान राज्य की हिस्सेदारी जारी होने के कारण हुआ। निधियों को मूल/अनुपूरक बजट अनुमानों द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए था। बिना बजट के पुनर्विनियोजन अनुचित एवं हिमाचल प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा 12.5 का उल्लंघन है।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

	पूरक	0.02			
			97.00	97.00	..

पुनर्वि० 96.98

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 96.98 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

4215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय-

01- जलापूर्ति-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- विभिन्न जिलों में ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाएँ-

	मूल	501.00			
			986.68	722.10	(-)264.58

पुनर्वि० 485.68

₹ 264.58 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 485.68 लाख का आवर्धन कार्यों के निष्पादन पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 264.58 लाख के अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

4235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीव्यय-

02- समाज कल्याण-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- विभागीय भवन का निर्माण

केन्द्रीय प्रायोजित योजना-

मूल 7.00

पूरक 0.01

380.00

380.00

..

पुनर्वि० 372.99

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 372.99 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

4406- वानिकी तथा वन्य प्राणियों पर पूंजीगत परिव्यय-

01- वानिकी-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- सड़कों के निर्माण पर व्यय-

(i) मूल 175.00

427.20

427.15

(-)0.05

पुनर्वि० 252.20

02- भवनों के निर्माण पर व्यय-

(ii) मूल 225.00

246.85

244.69

(-)2.16

पुनर्वि० 21.85

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 274.05 लाख का आवर्धन चल रहे कार्यों के निष्पादन पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

4425- सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- सरकारी समितियों में निवेश-

मूल 2.00

4.50

4.50

..

पुनर्वि० 2.50

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.50 लाख का आवर्धन योजना के अंतर्गत अधिक व्यय के कारण हुआ।

4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- सामुदायिक विकास कार्य-

मूल 1,002.00

1,906.31

1,906.31

..

पुनर्वि० 904.31

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 904.31 लाख का आवर्धन सामुदायिक विकास बुनियादी ढांचे के निर्माण पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- विभिन्न जिलों में उठाऊ सिंचाई स्कीमें-

(i) मूल 150.00

237.05

204.87

(-)32.18

पुनर्वि० 87.05

02- विभिन्न जिलों में डायवर्सन एवं प्रवाह स्कीमें-

(ii) मूल 450.00

1,233.09

763.57

(-)469.52

पुनर्वि० 783.09

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 501.70 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 870.14 लाख का आवर्धन चल रहे कार्यों को पूरा करने पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 501.70 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

06- कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक-

(i) मूल 440.00

828.00

543.16

(-)284.84

पुनर्वि० 388.00

4711- बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-

01- बाढ़ नियन्त्रण क्षेत्र-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- बाढ़ नियन्त्रण कार्यों पर व्यय-

(ii) मूल 400.00

649.99

540.14

(-)109.85

पुनर्वि० 249.99

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 394.69 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 637.99 लाख का आवर्धन कार्यों के निष्पादन पर अधिक व्यय के कारण अत्यधिक सिद्ध हुआ।

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 394.69 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

4851- ग्राम और लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

03- औद्योगिक सहकारिताओं पर पूंजी निवेश-

मूल 0.50

4.50

4.50

..

पुनर्वि० 4.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4.00 लाख का आवर्धन पूंजी निवेश पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-

04- जिला तथा अन्य सड़कें-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर व्यय-

मूल 6,000.00

6,585.88

6,037.06

(-)548.82

पुनर्वि० 585.88

₹ 548.82 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 585.88 लाख का आवर्धन ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 548.82 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

09- सड़कों और पुलों का डिजाइन/विस्तार परियोजना रिपोर्ट के लिए परामर्श-

मूल 36.00

6.00

97.92

(+)91.92

पुनर्वि० (-)30.00

मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 30.00 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई।

₹ 91.92 लाख के कुल व्यय में से ₹ 80.86 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ था।

5055- सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- हिमाचल सड़क पर परिवहन निगम पर पूंजी निवेश-

मूल 630.00

1,670.00

1,670.00

..

पुनर्वि० 1,040.00

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,040.00 लाख का आवर्धन नई बसों की खरीद पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

02- बस अड्डों के निर्माण-

मूल 200.00

579.79

579.79

..

पुनर्वि० 379.79

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 379.79 लाख का आवर्धन बस स्टैंड/रेन शेल्टर्स के निर्माण पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-

01- पर्यटक अवसंरचना-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- नई राहें नई मंजिले-

मूल 450.00

530.00

567.75

(+)37.75

पुनर्वि0 80.00

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 80.00 लाख का आवर्धन चल रहे कार्यों के पूरा होने के कारण हुआ।

₹ 567.75 लाख के कुल व्यय में से ₹ 37.75 लाख का व्यय वर्ष 2021-22 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ था।

80- सामान्य-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- विभिन्न भवनों के निर्माण-

मूल 100.00

103.10

202.84

(+)99.74

पुनर्वि0 3.10

₹ 202.84 लाख के कुल व्यय में से ₹ 99.90 लाख का व्यय वर्ष 2020-21 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ था।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

पूरक 0.01

150.00

150.00

..

पुनर्वि0 149.99

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 149.99 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

(vii) उच्चत लेन-देन:-

- (i) उच्चत के अन्तर्गत लेखाबद्ध किए गए अनुदान के अन्तर्गत व्यय में ₹ 1,921.39 लाख (₹1,921.39 लाख राजस्व प्रवर्ग तथा ₹ 0.00 लाख पूंजीगत प्रवर्ग के अन्तर्गत) सम्मिलित हैं।
- (ii) उच्चत लेनदेन के स्वरूप का वर्णन अनुदान संख्या-10 लोक निर्माण कार्य- सड़कें, पुल तथा भवन के अन्तर्गत पैरा- (vii) में किया गया है।
- (iii) अथ तथा अंत शेषों सहित वर्ष 2022-23 में इस अनुदान में उच्चत लेनदेनों का विश्लेषण विभिन्न उपशीर्षों के अंतर्गत नीचे दिया गया है :-

शीर्ष	1 अप्रैल 2022 को प्रारम्भिक शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)	डैबिट (लाखों में)	क्रेडिट	31 मार्च 2023 को अन्त शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)
राजस्व प्रवर्ग				
2059- लोक निर्माण-कार्य-				
01- कार्यालय भवन-				
796- जन जातीय क्षेत्र उप-योजना-				
07- उच्चत के अन्तर्गत व्यय (स्कन्ध)-	(-)964.66	377.62	219.67	(-)806.71*
08- उच्चत के अन्तर्गत व्यय (स्टॉक विनिर्माण)	(+)165.22	475.65	289.30	(+)351.57
09- उच्चत के अन्तर्गत व्यय (विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम)-	(+)6,730.29	409.66	589.94	(+)6,550.01
कुल 2059-	(+)5,930.85	1,262.93	1,098.91	(+)6,094.87
2215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता-				
01- जलापूर्ति-				
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
04- स्कन्ध-	(-)261.84	229.65	121.20	(-)153.39*
05- स्कन्ध विनिर्माण-	(+)162.06	3.75	0.00	(+)165.81
06- विविध लोक निर्माण काय अग्रिम-	(+)142.01	64.53	41.95	(+)164.59
कुल 2215-	(+)42.23	297.93	163.15	(+)177.01

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 - (समाप्त)

शीर्ष	1 अप्रैल 2022 को प्रारम्भिक शेष डैबिट (+)क्रेडिट (-)	डैबिट (₹ लाखों में)	क्रेडिट	31 मार्च 2023 को अन्त शेष डैबिट (+)क्रेडिट (-)
2702- लघु सिंचाई-				
80- सामान्य-				
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
08- उच्चंत पर व्यय- (स्कन्ध)-	(-)328.73	287.46	480.16	(-)521.43*
09- उच्चंत पर व्यय- (स्कन्ध विनिर्माण)-	(+164.84	24.61	3.34	(+186.11
10- उच्चंत पर व्यय- (विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम)-	(+587.76	48.46	22.89	(+613.33
कुल-2702-	(+)423.87	360.53	506.39	(+)278.01
कुल राजस्व प्रवर्ग-	(+)6,396.95	1,921.39	1,768.45	(+)6,549.89
कुल मांग-	(+)6,396.95	1,921.39	1,768.45	(+)6,549.89

टिप्पणी:- *ऋणात्मक शेषों के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 32- अनुसूचित जाति उप-योजना

(शीर्ष- 2054- ट्रेजरी और लेखा प्रशासन, 2055- पुलिस, 2059- लोक निर्माण-कार्य, 2202- सामान्य शिक्षा, 2203- तकनीकी शिक्षा, 2204-खेलकूद तथा युवा सेवाएं, 2205-कला एवं संस्कृति, 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2211- परिवार कल्याण, 2215- जलापूर्ति तथा सफाई, 2216- आवास, 2217- शहरी विकास, 2220- सूचना तथा प्रचार, 2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, एवं अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण, 2230-श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2236- पोषण, 2401- फसल कृषि-कर्म, 2402- भू तथा जल संरक्षण, 2403- पशुपालन, 2404- दूध विकास, 2405- मछली पालन, 2406-वानिकी तथा वन्य जीवन, 2407-बागान, 2408- खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार, 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 2425-सहकारिता, 2435-अन्य कृषि कार्यक्रम, 2501- ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, 2505- ग्राम रोजगार, 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, 2801- ऊर्जा, 2851- ग्रामीण तथा लघु उद्योग, 2852- उद्योग, 3054- सड़कें तथा सेतु, 3055- सड़क परिवहन, 3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 3452- पर्यटन, 3456-नागरिक आपूर्ति, 4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय, 4058-मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4215-जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय, 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय, 4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय, 4220-सूचना और प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय, 4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, 4250- अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय, 4402- मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय, 4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय, 4406- वानिकी तथा वन्य प्राणियों पर पूंजीगत परिव्यय, 4408- खाद्य भण्डारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय, 4425- सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय, 4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय, 4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4705-कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय, 4711- बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4851- ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय, 5002-भारतीय रेल वाणिज्यिक लाईनो पर पूंजीगत परिव्यय, 5053- नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय, 5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, 5055- सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय, 5075- अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय, 6225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, एवं अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए ऋण तथा 6801-बिजली परियोजनाओं के लिए ऋण)

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	22,19,56,70			
		26,17,78,94	24,23,88,79	(-)1,93,90,15
पूरक	3,98,22,24			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				1,19,32,58
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	14,18,15,00			
		14,18,15,06	10,96,36,83	(-)3,21,78,23
पूरक	6			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				2,20,63,61

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 19,390.15 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में प्राप्त ₹ 39,822.24 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ तथा ₹ 11,932.58 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 32,178.23 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 22,063.61 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2054- खजाना और लेखा प्रशासन-			
789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-			
01- विश्व बैंक सहायता प्राप्त एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना)-			
मूल	453.00		
		61.98	42.00
पुनर्वि0	(-)391.02		(-)19.98

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 391.02 लाख की कमी सलाहकारों की नियुक्ति पर शून्य व्यय तथा बिजली, टेलीफोन और पानी के बिलों पर कम व्यय के कारण हुई।

2055- पुलिस-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- सुरक्षा सम्बन्धी व्यय-

मूल 29.00

..

पुनर्वि० (-)29.00

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 29.00 लाख का समस्त प्रावधान मानदेय के लिए निधियों की आवश्यकता न होने के कारण कम कर दिया गया।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 107.00

75.00 74.99 (-)0.01

पुनर्वि० (-)32.00

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 32.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

2059- लोक निर्माण कार्य-

01- कार्यालय भवन-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

04- सरकारी स्वामित्व वाले आंगनबाडी केन्द्रों का रखरखाव-

(i) मूल 2.00 2.00 .. (-)2.00

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल 13.00 13.00 .. (-)13.00

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 15.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

2202- सामान्य शिक्षा-

01- प्रारंभिक शिक्षा-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- राजकीय प्राथमिक पाठशालाओं पर व्यय-

मूल 824.73

717.20 712.91 (-)4.29

पुनर्वि० (-)107.53

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 107.53 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, कार्यालय सामग्री की खरीद, बिजली, टेलीफोन, पानी के बिलों पर कम व्यय तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

06- मध्याह्न आहार-

मूल	1,601.00			
		1,523.80	1,523.80	..
पुनर्वि०	(-)77.20			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 77.20 लाख की कमी योजना के अंतर्गत कुक-कम-सहायक की कम नियुक्ति तथा भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	2,426.00			
		2,154.84	2,177.89	(+)23.07
पुनर्वि०	(-)271.18			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 271.18 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 3,788.58 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

₹ 2,177.89 लाख के कुल व्यय में से ₹ 23.07 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 की आपत्ति पुस्तिका के उचंच के समायोजन के कारण हुआ।

08- साक्षर भारत योजना-

(i) मूल	1.00			
	
पुनर्वि०	(-)1.00			

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल	1.00			
	
पुनर्वि०	(-)1.00			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2.00 लाख का समस्त टोकन प्रावधान कम कर दिया गया; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2023)।

11- अभिभावक शिक्षक संघ को सहायता अनुदान पर व्यय-

मूल	50.00			
		31.22	31.18	(-)0.04
पुनर्वि०	(-)18.78			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 18.78 लाख की कमी शिक्षकों के नियमितीकरण के कारण हुई।

12- अटल वर्दी योजना-

मूल	853.00			
	
पुनर्वि०	(-)853.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 853.00 लाख का समस्त प्रावधान स्कूल वर्दी की खरीद न होने के कारण कम कर दिया गया।

13-	अनुसूचित जाति के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति- पूरक	0.01	6.65	..	(-)6.65
-----	--	------	------	----	---------

पुनर्वि० 6.64

₹ 6.65 लाख के समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहने की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6.64 लाख का आवर्धन प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए राज्यांश प्रदान करने के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 6.65 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	1.00			
पूरक	0.01	1.00	..	(-)1.00
पुनर्वि०	(-)0.01			

₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)। जबकि ₹ 10.00 लाख का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ था।

15-	विद्यालय प्रबंधक समिति को सहायता अनुदान- मूल	450.00	72.68	72.66	(-)0.02
	पुनर्वि०	(-)377.32			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 377.32 लाख की कमी विद्यालय प्रबंधन समिति के शिक्षकों के पारिश्रामिक भुगतान पर कम व्यय के कारण हुई।

16-	जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान- मूल	347.71	281.97	267.95	(-)14.02
	पुनर्वि०	(-)65.74			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 65.74 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा बिजली, टेलीफोन और पानी के बिलों पर कम व्यय के कारण हुई।

17-	प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों के भवनों की मरम्मत/रखरखाव- मूल	573.30	573.30	550.75	(-)22.55
	पुनर्वि०				

₹ 22.55 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

18-	उर्दू एवं पंजाबी शिक्षक- मूल	11.00
	पुनर्वि०	(-)11.00			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 11.00 लाख का समस्त प्रावधान उर्दू और पंजाबी शिक्षकों के नियमितीकरण के कारण कम कर दिया गया।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

19-	समग्र शिक्षा अभियान-				
(i)	मूल	1,106.00			
			489.03	489.03	..
	पुनर्वि०	(-)616.97			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	9,968.00			
			4,401.26	4,401.26	..
	पुनर्वि०	(-)5,566.74			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 6,183.71 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई तथा इसलिए केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी की गई। जबकि भारत सरकार से क्रम संख्या (ii) पर ₹ 2,888.89 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।				
22-	डिजिटल शिक्षा-				
	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त टोकन प्रावधान कम कर दिया गया जिसके कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2023)।				
23-	निजी विद्यालयों में कमजोर वर्ग के छात्रों की फीस की प्रतिपूर्ति-				
	मूल	30.00			
		
	पुनर्वि०	(-)30.00			
	मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 30.00 लाख का समस्त प्रावधान शूल्क प्रतिपूर्ति के प्रकरण प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया गया।				
24-	स्वस्थ बचपन-				
	मूल	80.00			
		
	पुनर्वि०	(-)80.00			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 80.00 लाख का समस्त प्रावधान इस योजना की फंडिंग में बदलाव के कारण कम कर दिया गया।				
26-	नव भारत साक्षरता कार्यक्रम-				
(i)	मूल	1.00			
	पूरक	0.01
	पुनर्वि०	(-)1.01			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	1.00		
	पूरक	0.01
	पुनर्वि०	(-)1.01		
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 2.02 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया तथा इसलिए राज्य की हिस्सेदारी का अभ्यर्पण किया गया।				
02-	माध्यमिक शिक्षा-			
789-	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-			
16-	अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए			
	पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति-			
केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	612.00		
	पूरक	0.01	236.00	168.00
	पुनर्वि०	(-)376.01		(-)68.00
₹ 68.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 376.01 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने तथा बंटवारे की पद्धति में बदलाव के कारण हुई।				
₹ 68.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
21-	अटल स्कूल वर्दी योजना-			
	मूल	378.00		
	पुनर्वि०	(-)378.00
मार्च 2023 में ₹ 378.00 लाख का समस्त प्रावधान स्कूल वर्दी क स्थान पर नकद धनराशि उपलब्ध कराने के कारण कम कर दिया गया।				
31-	स्वर्ण जयंती सूपर (100) योजना-			
	मूल	126.00		
	पुनर्वि०	(-)91.00	35.00	35.00
मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 91.00 लाख की कमी एशियाई विकास बैंक से हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा फंडिंग के कारण हुई।				
32-	स्वर्ण जयंती डिजिटल पहल/विद्यार्थी अनुशिक्षण योजना-			
	मूल	126.00		
	पुनर्वि०	(-)126.00
मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 126.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

03- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-					
789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-					
04- अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति-					
केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
मूल	2,640.00				
पूरक	32.01	2,672.00	32.00		(-),2,640.00
पुनर्वि०	(-)0.01				
₹ 2,640.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।					
05- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान-					
(i) मूल	53.00	53.00	..		(-)53.00
केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
(ii) मूल	476.00	476.00	..		(-)476.00
उपरोक्त दो मामलों में ₹ 529.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।					
06- राजकीय महाविद्यालयों पर व्यय-					
मूल	90.00				
		40.00	39.49		(-)0.51
पुनर्वि०	(-)50.00				
मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 50.00 लाख की कमी मशीनरी एवं उपकरणों की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई।					
08- व्यवसायिक स्नातक कार्यक्रम-					
मूल	1.00				
	
पुनर्वि०	(-)1.00				
मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान एशियाई विकास बैंक द्वारा हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा कार्यक्रम के फंडिंग के कारण कम कर दिया गया।					
04- प्रौढ़ शिक्षा-					
789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-					
01- पढ़ना लिखना अभियान-					
(i) मूल	1.00				
	
पुनर्वि०	(-)1.00				
केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
(ii) मूल	1.00				
	
पुनर्वि०	(-)1.00				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया तथा इसलिए राज्य की हिस्सेदारी का भी अभ्यर्पण किया गया।

2205- कला तथा संस्कृति-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

03- पुरावशेषों के संचालन पर व्यय और

कला खजाना अधिनियम 1972-

मूल 126.00

90.95

90.95

..

पुनर्वि० (-)35.05

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 35.05 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न करने के कारण हुई।

2210- चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य-

03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-पाश्चात्य

चिकित्सा पद्धति-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

01- ग्रामीण स्वास्थ्य-

मूल 1,674.08

पूरक 65.25

1,740.33

1,443.00

(-)297.33

पुनर्वि० 1.00

₹ 1,443.00 लाख के कुल व्यय में से ₹ 1.56 लाख का व्यय वर्ष 2021-22 की आपत्ति पुस्तिका के उद्यंत के समायोजन के कारण हुआ।

03- राष्ट्रीय सुरक्षा बीमा योजना-

मूल 1.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹1.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना का क्रियान्वयन न होने के कारण समाप्त कर दिया गया।

04- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य

चिकित्सा पद्धति-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

03- विद्यमान आयुष संस्थानों का उन्नयन-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(i) मूल 193.00

183.00

143.66

(-)39.34

पुनर्वि० (-)10.00

05- चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

03-	राजेन्द्र प्रसाद सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय में मशीनरी एवं उपकरणों का रखरखाव-				
(ii)	मूल	327.00	327.00	275.01	(-)51.99
05-	इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज का सुदृढीकरण-				
(iii)	मूल	428.00	428.00	393.98	(-)34.02
	उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 125.35 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)। जबकि भारत सरकार से क्रम संख्या (i) पर ₹ 441.49 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।				
06-	लाल बहादुर शास्त्री सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल नेरचौक-				
(i)	मूल	2.00			
		
	पुनर्वि०	(-)2.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	2.00			
		
	पुनर्वि०	(-)2.00			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया तथा इसलिए राज्य की हिस्सेदारी जारी नहीं की जा सकी।				
07-	डॉ० यशवंत सिंह परमार सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, नाहन-				
(i)	मूल	189.00	189.00	92.80	(-)96.20
09-	पंडित जवाहर लाल नेहरू सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय चम्बा-				
(ii)	मूल	244.00	244.00	101.03	(-)142.97
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 239.17 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
13-	कैंसर, मधुमेह, हृदय-संवहनी रोम तथा स्ट्रोक निवारण तथा नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम-				
(i)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
06-	<i>लोक स्वास्थ्य-</i>				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

01-	एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iii)	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-1.00)			
	उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3.00 लाख का समस्त टोकन प्रावधान कम कर दिया गया; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2023)।				
02-	ट्रामा सेंटर-				
(i)	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-1.00)			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-1.00)			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया तथा इसलिए राज्य का हिस्सेदारी जारी नहीं की जा सकी।				
05-	मुफ्त दवाएं-				
	मूल	378.00	378.00	305.59	(-72.41)
	₹ 72.41 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
09-	सम्पूर्ण स्वास्थ्य योजना-				
	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-1.00)			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।				
11-	सम्मान योजना-				
	मूल	25.00			
	पुनर्वि०	(-23.00)	2.00		(-2.00)
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 23.00 लाख की कमी विविध वस्तुओं पर कम व्यय के कारण हुई।				
2211-	परिवार कल्याण-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

02-	राष्ट्रीय एम्बूलेंस सेवा-				
(i)	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया तथा इसलिए राज्य को हिस्सेदारी जारी नहीं की जा सकी।				
04-	ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार कल्याण केन्द्र-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	523.00			
	पूरक	900.00	1,423.00	878.99	(-)544.01
05-	शहरी क्षेत्रों में परिवार कल्याण केन्द्र-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	52.00			
	पूरक	170.00	222.00	143.97	(-)78.03
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 622.04 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
07-	शहरी क्षेत्रों में परिवार कल्याण केन्द्र-				
(i)	मूल	4.00			
	पूरक	(-)4.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	35.00			
	पूरक	35.00			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 39.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना में विलय के कारण कम कर दिया गया। जबकि भारत सरकार से क्रम संख्या (ii) पर ₹ 15,585.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।				
08-	राष्ट्र स्वास्थ्य के अंतर्गत ढांचागत रख-रखाव मिशन-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	25.00			
	पूरक	(-)25.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 25.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया। जबकि भारत सरकार से ₹ 7,400.28 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

2215- जल आपूर्ति एवं स्वच्छता-

02- सीवरेज एवं स्वच्छता-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- सीवरेज योजनाओं का रखरखाव एवं मरम्मत-

(i)	मूल	503.00	503.00	436.76	(-)66.24
-----	-----	--------	--------	--------	----------

2216- आवास

05- सामान्य पूल आवास-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- सामान्य प्रशासनिक विभाग के पुलिस सरकारी आवासीय आवास का रखरखाव-

(ii)	मूल	79.80	79.80	39.31	(-)40.49
------	-----	-------	-------	-------	----------

₹ 436.76 लाख के कुल व्यय में से ₹ 2.04 लाख का व्यय क्रम संख्या (i) पर वर्ष 2020-21 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 106.73 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

2217- शहरी विकास-

80- सामान्य-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- स्मार्ट सिटी मिशन-

(i) मूल 1,260.00

..

पुनर्वि० (-)1,260.00

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल 1,260.00

..

पुनर्वि० (-)1,260.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,520.00 लाख का समस्त प्रावधान फंडिंग स्वरूप में बदलाव के कारण कम कर दिया गया।

04- प्रधानमंत्री आवास योजना-सभी के लिए आवास (शहरी)-

(i)	मूल	792.00	792.00	..	(-)792.00
-----	-----	--------	--------	----	-----------

05- अटल श्रेष्ठ शहर योजना-

(ii)	मूल	100.00	100.00	..	(-)100.00
------	-----	--------	--------	----	-----------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 892.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतक्षित थे (जुलाई 2023)। जबकि भारत सरकार द्वारा क्रम संख्या (i) पर ₹ 443.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

10-	नगरपालिकाओं की विकास योजना तैयार करना-				
	मूल	50.00			
	पुनर्वि०	(-)50.00			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 50.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने तथा स्थानीय शहरी निकायों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया गया।				
2225-	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण-				
01-	अनुसूचित जातियों का कल्याण-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
11-	अनुवर्ती कार्यक्रम-				
(i)	मूल	104.00			
			49.23	62.29	(+)13.06
	पुनर्वि०	(-)54.77			
13-	अत्याचार के पीड़ितों को मुआवजा-				
(ii)	मूल	150.00			
	पूरक	10.50	121.78	121.77	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)38.72			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iii)	मूल	150.00			
	पूरक	10.50	121.78	121.77	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)38.72			
	उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 132.21 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
	₹ 62.29 लाख के कुल व्यय में से ₹ 13.08 लाख का व्यय क्रम संख्या (i) पर वर्ष 2021-22 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।				
16-	विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएँ के लिए मिलान राज्य हिस्सेदारी-				
	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण हुआ।				
17-	हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग-				
	मूल	37.23			
	पूरक	4.59	32.93	32.90	(-)0.03
	पुनर्वि०	(-)8.89			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

मार्च 2023 में पुनर्विनियोज/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 8.89 लाख की कमी किराया, कर बिल, जागरूकता शिविरों का आयोजन, यात्रा, कार्यालय सामग्री खरीदने के कारण हुई जोकि विज्ञापन पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतःप्रतिसंतुलित हुई।

18- प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अश्युदय योजना-
केन्द्रीयगत योजना

मूल	1,964.00	1,964.00	..	(-)1,964.00
-----	----------	----------	----	-------------

₹ 1,964.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतक्षित थे (जुलाई 2023)।

2230- श्रम, रोजगार और कौशल विकास-

02- रोजगार सेवाएं-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- मोडल कैरियर सेंटर-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	1.00			
-----	------	--	--	--

पुनर्वि०	(-)1.00			
----------	---------	--	--	--

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त टोकन प्रावधान कम कर दिया गया; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2023)।

03- दृष्टि पत्र योजना

मूल	25.00			
-----	-------	--	--	--

पुनर्वि०	(-)25.00			
----------	----------	--	--	--

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 25.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना प्रारंभ न होने के कारण कम कर दिया गया।

03- प्रशिक्षण-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

06- कौशल विकास भत्ता-

मूल	2,519.00			
-----	----------	--	--	--

		2,508.00	1,387.54	(-)1,120.46
--	--	----------	----------	-------------

पुनर्वि०	(-)11.00			
----------	----------	--	--	--

₹ 1,120.46 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

02- सामाजिक कल्याण-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- एकीकृत बाल विकास योजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	6,474.00			
-----	----------	--	--	--

		4,477.99	4,477.96	(-)0.03
--	--	----------	----------	---------

पुनर्वि०	(-)1,996.01			
----------	-------------	--	--	--

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,996.01 लाख की कमी मुख्यतः एकल नोडल एजेंसी के कार्यान्वयन, अलग बजट लाइन तथा रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

04-	मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना-				
(i)	मूल	100.00			
			67.03	65.76	(-)1.27
	पुनर्वि०	(-)32.97			

06-	बेटी है अनमोल-				
(ii)	मूल	378.00			
			282.49	274.00	(-)8.49
	पुनर्वि०	(-)95.51			

उपरोक्त दो मामलो में मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 128.48 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

07-	मुख्यमंत्री कन्यादान योजना-				
	मूल	300.00			
			306.22	279.66	(-)26.56
	पुनर्वि०	6.22			

₹ 26.56 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

12-	महिला आयोग-				
	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00

₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

16-	महिला विकास निगम-				
	मूल	37.00			
		
	पुनर्वि०	(-)37.00			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 37.00 लाख का समस्त प्रावधान महिला विकास निगम में हिस्सेदारी के निवेश के कारण कम कर दिया गया तथा इसलिए इसकी हिस्सेदारी का अभ्यर्पण हुआ।

21-	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना-				
	मूल	38.00			
			21.18	30.23	(+)9.05
	पुनर्वि०	(-)16.82			

मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 16.82 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई तथा इसलिए राज्य का हिस्सा भी अप्रयुक्त रहा।

₹ 30.23 लाख के कुल व्यय में से ₹ 9.05 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंचत के समायोजन के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना-				
मूल	340.00	340.00	..	(-)340.00
₹ 340.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
23- विकलांगों का उत्थान-				
केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
मूल	1.00			
	
पुनर्वि०	(-)1.00			
मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण कम कर दिया गया।				
30- वो दिन-				
मूल	82.00			
		8.00	6.83	(-)1.17
पुनर्वि०	(-)74.00			
मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 74.00 लाख की कमी जागरूकता अभियान के कम आयोजन के कारण हुई।				
31- राष्ट्रीय शिशु सदन योजना-				
(i) मूल	5.00			
	
पुनर्वि०	(-)5.00			
केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii) मूल	41.00			
	
पुनर्वि०	(-)41.00			
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 46.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया तथा इसलिए राज्य की हिस्सेदारी जारी नहीं की जा सकी।				
32- लड़कियों को विवाह अनुदान-				
मूल	758.00	758.00	505.61	(-)252.39
₹ 252.39 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
33- मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना-				
पूरक	45.00			
	
पुनर्वि०	(-)45.00			
अनुपूरक अनुदान द्वारा प्राप्त ₹ 45.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

2401- फसल कृषि कर्म-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- वनस्पति गुणन फार्म-

(i) मूल 5.00

..

पुनर्वि0 (-)5.00

02- बिज का विवरण-

(ii) मूल 17.00

..

पुनर्वि0 (-)17.00

04- उर्वरकों का विवरण-

(iii) मूल 50.00

..

पुनर्वि0 (-)50.00

05- मृदा विज्ञान एवं रसायन विज्ञान-

(iv) मूल 25.00

..

पुनर्वि0 (-)25.00

07- पौध संरक्षण-

(v) मूल 10.00

..

पुनर्वि0 (-)10.00

उपरोक्त पांच मामलों में मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 107.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना को किसी अन्य योजना में विलय के कारण कम कर दिया गया।

13- पौध संरक्षण-

केन्द्रीय योजना

मूल 1.00

.. 0.26 (+)0.26

पुनर्वि0 (-)1.00

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान सब्सिडी प्रकरण प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया गया।

25- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (कृषि)-

(i) मूल 70.00

..

पुनर्वि0 (-)70.00

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल 628.00

..

पुनर्वि0 (-)628.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में अभ्यर्पण द्वारा मार्च 2023 में ₹ 698.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया तथा इसलिए राज्य की हिस्सेदारी जारी नहीं की जा सकी। जबकि भारत सरकार से क्रम संख्या (ii) पर ₹ 204.11 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

33- राष्ट्रीय विस्तार एवं प्रौद्योगिकी मिशन-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(i) मूल	564.00			
		516.60	516.60	..
पुनर्वि०	(-)47.40			

35- सतत कृषि राष्ट्रीय मिशन-

(ii) मूल	23.00			
		5.60	5.60	..
पुनर्वि०	(-)17.40			

36- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-

(iii) मूल	23.00			
		8.20	8.20	..
पुनर्वि०	(-)14.80			

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(iv) मूल	204.00			
		73.79	73.79	..
पुनर्वि०	(-)130.21			

उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 209.81 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई तथा इसलिए समतुल्य राज्य की हिस्सेदारी जारी नहीं की जा सकी।

38- उद्यान एकीकृत विकास मिशन-

मूल	234.00			
		55.01	48.61	(-)6.40
पुनर्वि०	(-)178.99			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 178.99 लाख की कमी सब्सिडी मामलों की कम प्राप्ति तथा भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई तथा इसलिए राज्य की हिस्सेदारी अपुपातिक रूप से जारी नहीं की जा सकी।

46- मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना-

मूल	1,008.00			
	
पुनर्वि०	(-)1,008.00			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,008.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना का किसी अन्य योजना में विलय के कारण कम कर दिया गया।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

47-	मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना-				
	मूल	10.00			
			1.00	1.00	..
	पुनर्वि०	(-)9.00			
	मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 9.00 लाख की कमी मुआवजों के दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।				
49-	कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन-				
	मूल	48.00			
			22.22	22.22	..
	पुनर्वि०	(-)25.78			
	मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 25.78 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई तथा इसलिए समतुल्य राज्य की हिस्सेदारी का भी अभ्यर्पण हुआ।				
50-	परम्परागत कृषि विकास योजना-				
	मूल	25.00			
		
	पुनर्वि०	(-)25.00			
	मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 25.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया तथा इसलिए राज्य की हिस्सेदारी का भी अभ्यर्पण हुआ।				
51-	मृदा की स्वास्थ्य एवं उर्वरकता हेतु राष्ट्रीय परियोजना-				
	मूल	6.00			
			0.46	0.46	..
	पुनर्वि०	(-)5.54			
	मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5.54 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण हुई तथा इसलिए समतुल्य राज्य की हिस्सेदारी का भी अभ्यर्पण हुआ।				
52-	राष्ट्रीय बांस मिशन-				
(i)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

54-	राष्ट्रीय बांस मिशन-				
(i)	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान कम कर दिया गया; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2023)।				
55-	कृषि मशीनीकरण पर उपमिशन-				
	मूल	33.00			
	पुनर्वि०	(-)33.00			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 33.00 लाख का समस्त प्रावधान सब्सिडी मामलों की प्राप्ति न होने तथा भारत सरकार द्वारा निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया जिसके कारण राज्य की हिस्सेदारी का अभ्यर्पण करना पड़ा।				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	247.00			
	पुनर्वि०	(-)247.00			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 247.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				
61-	एंटी हेल नेट संरचना-				
	मूल	159.00			
	पुनर्वि०	(-)159.00			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 159.00 लाख का समस्त प्रावधान मामलों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				
62-	वनस्पति रक्षण योजना-				
	मूल	254.00	45.00	44.01	(-)0.99
	पुनर्वि०	(-)209.00			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 209.00 लाख की कमी सब्सिडी मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

64-	कृषि कोष-				
	मूल	126.00			
	पुनर्वि०	(-)126.00			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 126.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना का क्रियान्वयन न होने के कारण समाप्त कर दिया गया।				
65-	कृषि उत्पादन संरक्षण योजना (एंटी हेल नेट)-				
(i)	मूल	252.00			
	पुनर्वि०	(-)252.00			
67-	मुख्यमंत्री ग्रीन हाउस नवीनीकरण योजना-				
(ii)	मूल	25.00			
	पुनर्वि०	(-)25.00			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 277.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना का किसी अन्य योजना में विलय के कारण कम कर दिया गया।				
69-	स्वर्ण जयंती समृद्ध बागवान-				
	मूल	125.00			
	पुनर्वि०	(-)125.00			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 125.00 लाख का समस्त प्रावधान सब्सिडी मामलों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				
2402-	भू तथा जल संरक्षण-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
02-	संरक्षण वनरोपण मृदा संरक्षण एवं प्रदर्शन (वन विभाग)-				
	मूल	800.00	767.80	757.52	(-)10.28
	पुनर्वि०	(-)32.20			
	मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 32.20 लाख की कमी योजना के प्रदर्शन पर कम व्यय के कारण हुई।				
03-	फार्म पर टैंक द्वारा जल का सिंचाई योजना द्वारा प्रबन्ध- केन्द्रीयगत योजना				
	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान कम कर दिया गया; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2023)।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

05-	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-				
(i)	मूल	25.00			
			7.17	7.17	..
	पुनर्वि०	(-)17.83			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	227.00			
			64.50	64.50	..
	पुनर्वि०	(-)162.50			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 180.33 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई तथा इसलिए समतुल्य राज्य की हिस्सेदारी का भी अभ्यर्पण हुआ। जबकि भारत सरकार द्वारा क्रम संख्या (ii) पर ₹ 419.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।				
2403-	पशु पालन-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
02-	पशु चिकित्सा सेवाएं एवं पशु स्वास्थ्य (अस्पताल तथा औषधालय)-				
	मूल	717.37			
			632.52	626.69	(-)5.83
	पुनर्वि०	(-)84.85			
	मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 84.85 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
11-	पशु बीमारी उन्मूलन हेतु राज्य सहायता-				
(i)	मूल	2.74			
		
	पुनर्वि०	2.74			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	22.00			
		
	पुनर्वि०	(-)22.00			
12-	पशुधन बीमारी उन्मूलन कार्यक्रम के राष्ट्रीय प्रोजेक्ट पर व्यय- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iii)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
14-	व्यावसायिक निपुणता विकास योजना के अन्तर्गत पशु चिकित्सा परिषद को सहायता अनुदान-				
(iv)	मूल	5.00			
		
	पुनर्वि०	(-)5.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(v)	मूल	5.00
	पुनर्वि०	(-)5.00			
15-	पशुधन गणना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(vi)	मूल	1.00
	पुनर्वि०	(-)1.00			
16-	पेस्ट डेस पेटिट्स रूमिनेट्स-कंट्रोल प्रोग्राम-				
(vii)	मूल	4.00
	पुनर्वि०	(-)4.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(viii)	मूल	1.00
	पुनर्वि०	(-)1.00			
20-	राष्ट्रीय पशुधन मिशन-				
(ix)	मूल	67.00
	पुनर्वि०	(-)67.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(x)	मूल	3.00
	पुनर्वि०	(-)3.00			
	उपरोक्त दस मामलों में मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 111.74 लाख का समस्त अभ्यर्पण भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया तथा इसलिए राज्य की हिस्सेदारी जारी नहीं की जा सकी।				
23-	उत्तम चारा उत्पादन योजना-				
	मूल	239.00
	पुनर्वि०	(-)239.00			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 239.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना के किसी अन्य योजना में विलय के कारण कम कर दिया गया।				
28-	चिक्स योजना-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	1.00
	पुनर्वि०	(-)1.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

2404-	दुग्ध विकास-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
03-	डेयरी उद्यमी विकास योजना के अंतर्गत उपदान-				
(ii)	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान कम कर दिया गया; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2023)।				
2405-	मत्स्य पालन-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
09-	ट्राउट पशुधन बीमा-				
	मूल	2.00			
			0.12	0.12	
	पुनर्वि०	(-)1.88			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.88 लाख की कमी सब्सिडी मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
2406-	वानिकी तथा वन्य जीवन-				
01-	वानिकी-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
07-	वन प्रबंधन की सघनता-				
(i)	मूल	11.00			
			1.91	1.91	
	पुनर्वि०	(-)9.09			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	104.00			
			13.17	13.17	
	पुनर्वि०	(-)90.83			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 99.92 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई तथा इसलिए राज्य की हिस्सेदारी अप्रयुक्त रही।				
08-	हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी प्रणाली जलवायु प्रूफिंग परियोजना (बाह्य सहायक परियोजना)-				
	मूल	1,385.00			
			269.58	266.75	
	पुनर्वि०	(-)1,115.42			
	मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,115.42 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

09-	राष्ट्रीय वनारोपण कार्यक्रम-				
(i)	मूल	114.00			
	पुनर्वि०	(-)114.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	12.00			
	पुनर्वि०	(-)12.00			
11-	स्थायी कृषि पर राष्ट्रीय मिशन के अन्तर्गत कृषि-वानिकी मिशन-				
(iii)	मूल	3.00			
	पुनर्वि०	(-)3.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iv)	मूल	25.00			
	पुनर्वि०	(-)25.00			
	उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 154.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति होने के कारण कम कर दिया गया तथा इसलिए राज्य की हिस्सेदारी जारी नहीं की जा सकी।				
17-	स्रोत स्थिरता तथा जलवायु अनुकूल वर्षा आधारित कृषि के लिए एकीकृत विकास योजना-				
	मूल	1,763.00	1,608.05	1,554.42	(-)53.63
	पुनर्वि०	(-)154.95			
	₹ 53.63 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 154.95 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण हुई जोकि कार्यों के निष्पादन पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 53.63 लाख के अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
20-	वन चकबंदी तथा सीमांकन-				
	मूल	57.00			
	पुनर्वि०	(-)45.12	11.88	11.83	(-)0.05
	मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 45.12 लाख की कमी निपटान कार्यों को पूरा न करने के कारण हुई।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

21-	प्रबन्धादि योजना संगठन-				
	मूल	25.00			
			2.37	2.36	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)22.63			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 22.63 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण हुई।				
22-	प्रायोगिक सिल्विकल्चर कटाई-				
(i)	मूल	149.00			
			6.07	6.07	..
	पुनर्वि०	(-)142.93			
23-	सहायक सिल्विकल्चर संचालन-				
(ii)	मूल	76.00			
			4.22	4.21	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)71.78			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 214.71 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई।				
25-	चिड़ की पत्तियों का जंगल से संग्रह तथा इस पर आधारित उद्योगों में निवेश हेतु उपदान-				
	मूल	63.00			
		
	पुनर्वि०	(-)63.00			
	मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 63.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।				
26-	हरित भारत के लिए राष्ट्रीय अभियान-				
(i)	मूल	48.00			
		
	पुनर्वि०	(-)48.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	430.00			
		
	पुनर्वि०	(-)430.00			
	उपरोक्त दो मामलों में अभ्यर्पण द्वारा मार्च 2023 में ₹ 478.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण कम कर दिया गया तथा इसलिए राज्य की हिस्सेदारी जारी नहीं की जा सकी।				
27-	राज्य वानिकी कार्यक्रम-				
(i)	मूल	1,253.00			
			1,227.38	1,221.10	(-)6.28
	पुनर्वि०	(-)25.62			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

28-	समुदाय आधारित राज्य वानिकी कार्यक्रम-				
(ii)	मूल	164.00			
			84.61	79.48	(-)5.13
	पुनर्वि०	(-)79.39			
02-	पर्यावरणीय वानिकी और वन्य जीवन-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01-	राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास-				
(iii)	मूल	176.00			
			128.51	128.48	(-)0.03
	पुनर्वि०	(-)47.49			
	उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 152.50 लाख की कमी संहितागत आपैचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई।				
03-	वन्य जीवन-				
(iv)	मूल	504.00			
			66.28	61.00	(-)5.28
	पुनर्वि०	(-)437.72			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 437.72 लाख की सारभूत कमी अन्य योजना से व्यय किए जाने के कारण हुई।				
2408-	खाद्य भंडारण और भांडागार-				
01-	खाद्य-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01-	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण कम कर दिया गया।				
2425-	सहकारिता-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01-	एकीकृत सहकारी विकास परियोजना-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

07-	प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का डिजिटलीकरण/ कम्प्यूटरीकरण				
(i)	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	2.00			
			2.01	..	(-)2.01
	पूरक	0.01			
(ii)	मूल	23.00			
			23.01	..	(-)23.01
	पूरक	0.01			

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 25.02 लाख समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

2435- अन्य कृषि कार्यक्रम-

01-	विपणन और गुणवत्ता नियंत्रण-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01-	विपणन बोर्ड को मार्केटिंग बोर्ड के निर्माण हेतु सहायता अनुदान-				
(i)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			

2501- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-

04-	एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा नियोजन कार्यक्रम-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
03-	ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत-				
(ii)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में ₹ 2.00 लाख समस्त प्रावधान कम कर दिया गया; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2023)।

06-	स्वरोजगार कार्यक्रम-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
04-	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन-				
(i)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया तथा इसलिए राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।

07- दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण
कौशल योजना-

(i) मूल	193.00			
		281.61	85.89	(-)195.72

पूरक 88.61

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल	1,742.00			
		2,539.50	773.04	(-)1,766.46

पूरक 797.50

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 1,962.18 लाख की सारभूत अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)। जबकि भारत सरकार से क्रम संख्या (ii) पर ₹ 112.43 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

08- राष्ट्रीय ग्रामीण शहरी मिशन-

(i) मूल	101.00			
	

पुनर्वि० (-)101.00

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल	612.00			
	

पुनर्वि० (-)612.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 713.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया तथा इसलिए राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।

2505- ग्राम रोजगार-

01- राष्ट्रीय कार्यक्रम-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- महात्मा गांधी राष्ट्रीय गांधीय रोजगार
गारंटी योजना-

मूल 1,260.00

..

पुनर्वि० (-)1,260.00

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1,260.00 लाख का समस्त प्रावधान मजादूरी दावों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

09-	महिला प्रोत्साहन योजना-				
	मूल	20.00	20.00	0.51	(-)19.49
	₹ 19.49 लाख की सारभूत अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
18-	मुख्यमंत्री जन संवाद योजना-				
	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
	₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
21-	राज्य वित्त आयाग (जिला परिषदें)-				
(i)	मूल	5,081.61	5,081.61	4,431.47	(-)650.14
23-	राज्य वित्त आयाग (ग्राम पंचायतें)-				
(ii)	मूल	3,543.20	3,543.20	3,337.10	(-)206.10
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 856.24 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
2851-	ग्रामीण तथा लघु उद्योग-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
15-	हथकरघा और हस्तशिल्प के लिए एकीकृत योजना-				
	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान लाभार्थियों से मांग प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया (जुलाई 2023)।				
25-	राष्ट्रीय हथकरघा विकास- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान सीधे लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरण करने के कारण समाप्त कर दिया गया।				
27-	हिमाचल राज्य व्यापी क्षेत्र नेटवर्क-				
	मूल	130.00			
	पुनर्वि०	(-)52.79	77.21	77.21	..
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 52.79 लाख की कमी संहितागत औपचारकताओं को पूरा न करने तथा हार्डवेयर के उन्मूलन न होने के कारण हुई।				
30-	खाद्य विधायन उद्योग हेतु राज्य मिशन-				
	मूल	175.00			
	पुनर्वि०	(-)155.00	20.00	..	(-)20.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

₹ 20.00 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 155.00 लाख की कमी लाभार्थियों से मांग की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 20.00 लाख की अंतिम बचत कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

32-	मुख्यमंत्री दस्तकार सहायता योजना-				
	मूल	40.00			
			31.67	31.48	(-)0.19
	पुनर्वि०	(-)8.33			
	मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 8.33 लाख की कमी लाभार्थियों से मांग की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
33-	राष्ट्रीय बॉस मिशन-				
(i)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।				
34-	मुख्यमंत्री स्टार्ट अप योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन-				
	मूल	91.00			
		
	पुनर्वि०	(-)91.00			
	मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 91.00 लाख का समस्त प्रावधान लाभार्थियों से मांग की कम प्राप्ति के कारण कम कर दिया गया।				
35-	सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिककरण-आत्मनिर्भर भारत-केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	68.00	68.00	43.11	(-)24.89
	₹ 24.89 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)। जबकि भारत सरकार से ₹ 18.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।				
37-	सूचना एवं प्रौद्योगिकी और ई-शासन-				
	मूल	550.00			
			514.23	490.08	(-)24.15
	पुनर्वि०	(-)35.77			
	₹ 24.15 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 35.77 लाख की कमी बाह्य स्रोत सेवाओं पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

₹ 24.15 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

3054- सड़कें और पुल-

04- जिला और अन्य सड़कें-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- अन्य रखरखाव पर व्यय सड़क निर्माण-

मूल	1,586.55	1,586.55	1,545.92	(-)40.63
-----	----------	----------	----------	----------

₹ 40.63 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

3425- अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान-

60- अन्य

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- जल प्रबंधन-

(i) मूल 30.00

		22.50	22.50	..
--	--	-------	-------	----

पुनर्वि० (-)7.50

04- हरित भवन प्रौद्योगिकी के प्रसार के लिए
अपयुक्त प्रौद्योगिकी केंद्रों का सुदृढीकरण-

(ii) मूल 30.00

		22.50	22.50	..
--	--	-------	-------	----

पुनर्वि० (-)7.50

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 15.00 लाख की कमी निधियों की कम आवश्यकता के कारण हुई।

3452- पर्यटन-

01- पर्यटन अवसंरचना-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

03- पर्यटन के लिए अवसंरचना विकास निवेश कार्यक्रम-

मूल 1.00

	
--	--	----	----	----

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।

3456- नागरिक आपूर्ति-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- उपभोक्ता जागरूकता-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 5.00

	
--	--	----	----	----

पुनर्वि० (-)5.00

मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 5.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

(iv) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2202- सामान्य शिक्षा-			
01- प्रारम्भिक शिक्षा-			
789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-			
03- माध्यमिक विद्यालय-			
मूल	1,135.05		
पूरक	22.14	1,258.99	1,260.32 (+)1.33
पुनर्वि०	101.80		
मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 101.80 लाख का आवर्धन वेतनमान में संशोधन तथा बकाया भुगतान के कारण हुआ।			
21- राज्य के लिए शिक्षण और परिणाम को सुदृढ़ बनाना (स्टार्स प्रोजेक्ट)-			
(i) मूल	2,766.00		
पूरक	599.36	4,644.29	4,644.29 ..
पुनर्वि०	1,278.93		
केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
(ii) मूल	307.33		
पूरक	106.99	516.04	516.04 ..
पुनर्वि०	101.72		
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,380.65 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति तथा केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ। जबकि भारत सरकार से क्रम संख्या पर (ii) ₹ 4,644.29 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।			
02- माध्यमिक शिक्षा-			
789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-			
02- उच्चतर पाठशालाएं-			
मूल	1,781.88		
पूरक	603.38	2,433.79	2,498.09 (+)64.30
पुनर्वि०	48.53		
₹ 64.30 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 48.53 लाख का आवर्धन निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदान करने के कारण हुआ जोकि उपदान प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।			
₹ 64.30 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

- 12- श्रीनिवास रामानुजन छात्र डिजिटल योजना-
- | | | | | | |
|-----|--------|--------|----------|-----|--------|
| मूल | 630.00 | 630.00 | 1,260.00 | (+) | 630.00 |
|-----|--------|--------|----------|-----|--------|
- ₹ 1,260.00 लाख के कुल व्यय में से ₹ 630.00 लाख का व्यय आपत्ति पुस्तिका के उंचत के समायोजन के कारण हुआ।
- 16- अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति-
- | | | | | | |
|----------|--------|--------|--------|-----|--------|
| पूरक | 68.00 | | | | |
| | | 253.00 | 917.31 | (+) | 664.31 |
| पुनर्वि० | 185.00 | | | | |
- मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 185.00 लाख का आवर्धन लंबित देनदारियों के समायोजन के कारण हुआ।
- ₹ 917.31 लाख के कुल व्यय में से ₹ 664.31 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उंचत के समायोजन के कारण हुआ।
- 25- मौजूदा सूचना संचार प्रौद्योगिकी तथा अन्य प्रयोगशाला सुविधाओं की उन्नयन/रखरखाव-
- | | | | | | |
|-----|--------|--------|----------|-----|----------|
| मूल | 126.00 | 126.00 | 1,386.00 | (+) | 1,260.00 |
|-----|--------|--------|----------|-----|----------|
- ₹ 1,386.00 लाख के कुल व्यय में से ₹ 1,260.00 लाख का व्यय वर्ष 2021-22 की आपत्ति पुस्तिका के उंचत के समायोजन के कारण हुआ।
- 26- खेल से स्वास्थ्य योजना-
- | | | | | | |
|-----|-------|-------|--------|-----|-------|
| मूल | 50.00 | 50.00 | 119.80 | (+) | 69.80 |
|-----|-------|-------|--------|-----|-------|
- ₹ 119.80 लाख के कुल व्यय में से ₹ 69.80 लाख का व्यय वर्ष 2020-21 की आपत्ति पुस्तिका के उंचत के समायोजन के कारण हुआ।
- 03- विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा-
- 789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-
- 04- अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति-
- | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|-----|----------|
| मूल | 1,760.00 | | | | |
| | | 3,354.00 | 4,354.00 | (+) | 1,000.00 |
| पुनर्वि० | 1,594.00 | | | | |
- मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,594.00 लाख का आवर्धन केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ।
- ₹ 4,354.00 लाख के कुल व्यय में से ₹ 1,000.00 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उंचत के समायोजन के कारण हुआ।
- 09- खेल से स्वास्थ्य योजना-
- | | | | | | |
|-----|-------|-------|-------|-----|-------|
| मूल | 19.00 | 19.00 | 48.60 | (+) | 29.60 |
|-----|-------|-------|-------|-----|-------|
- ₹ 48.60 लाख के कुल व्यय में से ₹ 29.60 लाख का व्यय वर्ष 2021-22 की आपत्ति पुस्तिका के उंचत के समायोजन के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

10-	सी.वी.रमन वर्चुअल क्लासरूप-				
	मूल	13.00	13.00	33.00	(+)20.00

₹ 33.00 लाख के कुल व्यय में से ₹ 20.00 लाख का व्यय वर्ष 2020-21 की आपत्ति पुस्तिका के उंचत के समायोजन के कारण हुआ।

2205- कला एवं संस्कृति-

789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
03-	सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन-				
	मूल	125.00	125.00	274.03	(+)149.03

₹ 274.03 लाख के कुल व्यय में से ₹ 150.00 लाख का व्यय वर्ष 2021-22 की आपत्ति पुस्तिका के उंचत के समायोजन के कारण हुआ।

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-

04-	ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
03-	मौजूदा आयुष संस्थानों का उन्नयन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	21.00			
	पूरक	46.52	77.52	77.52	..
	पुनर्वि0	10.00			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10.00 लाख का आवर्धन केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ।

05-	चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
02-	मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन-				
	मूल	1.00			
	पूरक	2.90	10.90	10.90	..
	पुनर्वि0	7.00			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7.00 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

2211- परिवार कल्याण-

789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
02-	निदेशन एवं प्रशासन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	93.00			
	पूरक	37.00	223.00	178.67	(-)44.33
	पुनर्वि0	93.00			

₹ 44.33 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 93.00 लाख का आवर्धन वेतनमान में संशोधन तथा बकाया भुगतान के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

₹ 44.33 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

2217- शहरी विकास-

80- सामान्य-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

04- प्रधानमंत्री आवास योजना-सभी के लिए आवास (शहरी)-

मूल 88.00

271.56

271.56

..

पुनर्वि0 183.56

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 183.56 लाख का आवर्धन केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ।

12- मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी -

मूल 100.00

220.00

220.00

..

पुनर्वि0 120.00

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 120.00 लाख का आवर्धन योजना के कार्यान्वयन के लिए निधियाँ उपलब्ध कराने के कारण हुआ।

17- स्मार्ट सिटी मिशन धर्मशाला-

(i) पूरक 0.01

126.00

126.00

..

पुनर्वि0 125.99

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) पूरक 0.01

1,134.00

1,134.00

..

पुनर्वि0 1,133.99

18- स्मार्ट सिटी मिशन शिमला-

(iii) पूरक 0.01

126.00

126.00

..

पुनर्वि0 125.99

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(iv) पूरक 258.53

1,134.00

1,134.00

..

पुनर्वि0 875.47

उपरोक्त चार मामलो में मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,261.44 लाख का आवर्धन योजना के शेयरिंग/फंडिंग स्वरूप में बदलाव के कारण हुआ।

2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण-

01- अनुसूचित जातियों का कल्याण-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- निदेशन एवं प्रशासन-

मूल 372.70

पूरक 8.50

पुनर्वि० (-)54.18

327.02

718.76

(+)391.74

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 54.18 लाख की कमी कार्यालय सामग्री, विज्ञापन, प्रचार पर कम व्यय तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

₹ 718.76 लाख के कुल व्यय में से ₹ 395.66 लाख का व्यय वर्ष 2021-22 की आपत्ति पुस्तिका के उंचत के समायोजन के कारण हुआ।

05- आवास-

मूल 6,625.00

6,625.00

6,696.50

(+)71.50

₹ 6,696.50 लाख के कुल व्यय में से ₹ 71.50 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उंचत के समायोजन के कारण हुआ।

08- प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 1.00

पूरक 8.50

पुनर्वि० 0.50

10.00

188.10

(+)178.10

₹ 188.10 लाख के कुल व्यय में से ₹ 178.10 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उंचत के समायोजन के कारण हुआ।

10- मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना -

मूल 1.00

..

1,144.00

(+)1,144.00

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त टोकन प्रावधान कम कर दिया गया; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

₹ 1,144.00 लाख का समस्त व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उंचत के समायोजन के कारण हुआ।

2230- श्रम, रोजगार और कौशल विकास-

03- प्रशिक्षण-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

04- विश्व बैंक सहायता प्राप्त औद्योगिक कौशल

उपयोगिता संवर्धन सशक्तिकरण परियोजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

पूरक 64.79

105.79

105.79

..

पुनर्वि० 41.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 41.00 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

02- समाज कल्याण -

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- एकीकृत बाल विकास योजना -

मूल 1,011.35

पूरक 72.40

पुनर्वि० 1,313.63

2,397.38

1,789.78

(-)607.60

₹ 607.60 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,313.63 लाख का आवर्धन एकल नोडल एजेंसी प्रणाली के कार्यान्वयन के कारण हुआ जोकि रिक्त पदों को न भरने, सामग्री और आपूर्ति पर कम व्यय के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 437.93 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

₹ 607.60 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

20- समेकित बाल संरक्षण योजना

(i) मूल 476.00

772.31

772.31

..

पुनर्वि० 296.31

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल 48.00

85.81

85.81

..

पुनर्वि० 37.81

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 334.12 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति तथा केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ।

28- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं को मानदेय-

मूल 2,418.00

पूरक 507.98

पुनर्वि० 850.02

3,776.00

3,478.91

(-)297.09

₹ 297.09 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 850.02 लाख का आवर्धन मानदेय की दर में वृद्धि के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 297.09 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

40- मातृत्व लाभ कार्यक्रम-

पूरक 7.08

10.37

10.37

..

पुनर्वि० 3.29

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3.29 लाख का आवर्धन समतुल्य राज्य हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ।

2401- फसल कृषि-कर्म-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

18- विपणन तथा गुणवत्ता नियंत्रण-

मूल	415.00			
पूरक	106.21	1,014.21	1,014.21	..
पुनर्वि०	493.00			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 493.00 लाख का आवर्धन सब्सिडी मामलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

44- फसल विविधीकरण (जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एंजेसी)

बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना चरण-II-

मूल	504.00			
		904.00	904.00	..
पुनर्वि०	400.00			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 400.00 लाख का आवर्धन अवसंरचना के विकास, पूर्व खेल गतिविधियों तथा परियोजना कर्मचारियों के वेतन के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ।

48- बीज और रोपण सामग्री पर उपमिशन-

(i) मूल	11.00			
		18.05	18.05	..
पुनर्वि०	7.05			

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल	78.01			
		162.44	162.44	..
पुनर्वि०	84.43			

49- कृषि मशीनीकरण पर उपमिशन-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(iii) मूल	128.45			
		200.00	200.00	..
पुनर्वि०	71.55			

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 163.03 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति तथा केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ।

51- मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरकता हेतु राष्ट्रीय परियोजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

पुनर्वि०	4.11	4.11	4.11	..
----------	------	------	------	----

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4.11 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ। मूल/पूरक बजट अनुमानों द्वारा निधियां प्राप्त करना आवश्यक था। बिना प्रावधान के पुनर्विनियोजन अनुचित था तथा हिमाचल प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा 12.5 का उल्लंघन था।

70- मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना-
पूरक 0.03
346.00 345.99 (-)0.01

पुनर्वि० 345.97

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 345.97 लाख का आवर्धन अन्य योजनाओं को इस योजना में विलय के कारण हुआ।

71- मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना-
पूरक 0.02
1,285.00 1,285.00 ..

पुनर्वि० 1,284.98

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,284.98 लाख का आवर्धन योजना के कार्यान्वयन के लिए निधियां उपलब्ध कराने के कारण हुआ।

2403- पशुपालन-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-
03- मवेशी और भैंस का विकास-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(i) 110.00 (+)110.00

21- भेड़ एवं बकरी पालना को बढ़ावा-
(ii) 25.00 (+)25.00

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 135.00 लाख का समस्त व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंचत के समायोजन के कारण हुआ।

2405- मछली पालन-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-
10- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना-

(i) मूल 35.00
56.47 45.46 (-)11.01

पुनर्वि० 21.47

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) पूरक 283.00
455.57 406.57 (-)49.00

पुनर्वि० 172.57

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 60.01 लाख की अंतिम बचत के दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 194.04 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति तथा समतुल्य राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 60.01 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

2501- ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-

06- स्वरोजगार कार्यक्रम-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

03- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 680.00

पूरक 606.13

2,002.15

2,002.15

..

पुनर्वि० 716.02

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 716.02 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति होने के कारण हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 2,014.83 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

07- कार्यालय भवनों/ग्राम सेवक हट का रखरखाव-

मूल 264.60

264.60

344.60

(+)80.00

₹ 344.60 लाख के कुल व्यय में से ₹ 80.00 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

10- पंचायती राज विभाग/संस्थाओं का उन्नयन-

..

..

19.70

(+)19.70

₹ 19.70 लाख का समस्त व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

13- स्वच्छ भारत मिशन-

मूल 5.00

148.95

148.94

(-)0.01

पुनर्वि० 143.95

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 143.95 लाख का आवर्धन केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 1,340.48 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

2851- ग्रामीण तथा लघु उद्योग-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

10- रेशम उत्पादन का विकास-

केन्द्रीयगत योजना

मूल 0.30

..

96.30

(+)96.30

पुनर्वि० (-)0.30

₹ 96.30 लाख का समस्त व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

19-	ग्रामीण अभियांत्रिकी आधारित उद्योग केन्द्र-				
	मूल	30.00			
			28.55	94.26	(+)65.71
	पुनर्वि०	(-)1.45			

₹ 94.26 लाख के कुल व्यय में से ₹ 70.00 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

केन्द्रीयगत योजना

	मूल	0.20			
			..	40.00	(+)40.00
	पुनर्वि०	(-)0.20			

₹ 40.00 लाख का समस्त प्रावधान वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

25-	राष्ट्रीय हथकरघा विकास-				
	मूल	1.00			
			21.00	21.00	..
	पुनर्वि०	20.00			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 20.00 लाख का आवर्धन केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ।

3425- अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान-

60-	अन्य-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
05-	अनुसंधान एवं विकास परियोजना तथा हिमाचल विज्ञान कांग्रेस का समर्थन-				
	मूल	47.00			
			62.00	62.00	..
	पुनर्वि०	15.00			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 15.00 लाख का आवर्धन इस योजना के अंतर्गत अधिक व्यय के कारण हुआ।

पूंजीगत प्रवर्ग

(v) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिव्यय (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	------------------------

4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय-

789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01-	पुलिस दल का आधुनिकीकरण-				
(i)	मूल	270.00			
			18.25	18.25	..
	पुनर्वि०	(-)251.75			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	30.00		
			2.03	2.03
	पुनर्वि०	(-)27.97		..
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 279.72 लाख की कमी कार्य योजना की अनुमति न मिलने तथा मशीनरी एवं उपकरणों की कम आवश्यकता के कारण हुई।				
03-	भवन (फोरेंसिक साइंस)-			
	मूल	300.00		
			125.00	125.00
	पुनर्वि०	(-)175.00		..
मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 175.00 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई।				
4058-	मुद्रण एवं लेखन सामग्री पर पूंजीगत परिव्यय-			
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-			
01-	भवनों का निर्माण-			
	मूल	12.00		
	पूरक	0.01	12.00	..
	पुनर्वि०	(-)0.01		(-)12.00
₹ 12.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
4059-	लोक निर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय-			
01-	कार्यालय भवन-			
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-			
01-	पूल किए गए गैस-आवासीय भवन-			
	मूल	948.00		
			728.60	542.83
	पुनर्वि०	(-)219.40		(-)185.77
₹ 185.77 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 219.40 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
₹ 185.77 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
02-	न्यायपालिका की अवसरंचना का उन्नयन-			
(i)	मूल	11.00		
		
	पुनर्वि०	(-)11.00		..

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	1.00
	पुनर्वि०	(-)1.00		
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 12.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने, भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने तथा राज्य की हिस्सेदारी जारी न करने के कारण कम कर दिया गया।			
04-	राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय-			
	मूल	250.00	250.00	44.93
				(-)205.07
	₹ 205.07 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।			
07-	जिला अटॉर्नी कार्यालयों का निर्माण-			
	मूल	112.00		
			58.01	58.01
	पुनर्वि०	(-)53.99		..
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 53.99 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई।			
11-	वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र-			
	मूल	5.00		
		
	पुनर्वि०	(-)5.00		..
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।			
60-	अन्य भवन-			
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-			
01-	द्वारका (दिल्ली) में हिमाचल भवन का निर्माण-			
	मूल	25.00	25.00	2.41
				(-)22.59
	₹ 22.59 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।			
4202-	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-			
02-	तकनीकी शिक्षा-			
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-			
01-	भवनों का निर्माण-			
	मूल	1,400.00		
			500.00	500.00
	पुनर्वि०	(-)900.00		..
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 900.00 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई।			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

04-	कला एवं संस्कृति-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01-	भवन/बहुउधेशीय सांस्कृतिक परिसर-				
	मूल	630.00			
			720.00	630.00	(-)90.00
	पुनर्वि०	90.00			
	₹ 90.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 90.00 लाख का आवर्धन कार्य के अधिक निष्पादन के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।				
	₹ 90.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
4210-	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-				
02-	ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01-	ग्रामीण स्वास्थ्य-				
(i)	मूल	1,562.00	1,562.00	1,439.00	(-)123.00
	₹ 123.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
03-	चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
02-	डॉ० राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज, टांडा- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				
03-	मेडिकल कॉलेज चम्बा-				
	मूल	253.00			
			252.00	211.89	(-)40.11
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	₹ 40.11 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
04-	मेडिकल कॉलेज नाहन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।

07- हिमाचल प्रदेश सरकार दंत चिकित्सा कॉलेज शिमला-
(i) मूल 18.00 18.00 1.13 (-)16.87

08- हिमाचल प्रदेश सरकार दंत चिकित्सा कॉलेज शिमला-
(ii) मूल 252.00 252.00 52.00 (-)200.00

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 216.87 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

04- लोक स्वास्थ्य-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- भवन-

मूल 412.00

311.15

311.15

..

पुनर्वि० (-)100.85

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 100.85 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई।

4215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय-

01- जलापूर्ति-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- विभिन्न जिलों में शहरी जलापूर्ति योजना-

मूल 1,134.00

1,134.00

859.89

(-)274.11

₹ 859.89 लाख के कुल व्यय में से ₹ 3.86 लाख का व्यय वर्ष 2020-21 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

₹ 274.11 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

02- विभिन्न जिलों में ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएं-

मूल 4,100.00

3,790.12

3,871.15

(+)81.03

पुनर्वि० (-)309.88

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 309.88 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई। ₹ 3,871.15 लाख के कुल व्यय में से ₹ 137.95 लाख का व्यय वर्ष 2020-21 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

03- हैंडपम्प-

मूल 50.00

50.00

36.89

(-)13.11

₹ 13.11 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

09- मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजना

बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना (राष्ट्रीय विकास बैंक)-

(i) मूल 1.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)1.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

10-	विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं के लिए ऊर्जा कुशल पंपो का स्थानांतरण-				
(ii)	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-1.00
11-	पुरानी जलापूर्ति योजनाओं का पुननिर्माण/नवीनीकरण-				
(iii)	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-1.00

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।

02-	मल निकासी तथा सफाई-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
02-	विभिन्न जिलों में जलस्तर तथा मल व्यवस्था योजनाएं-				
	मूल	4,535.00			
			1,966.14	2,171.47	(+)205.33
	पुनर्वि०	(-2,568.86			

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,568.86 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई।

₹ 2,171.47 लाख के कुल व्यय में से ₹ 270.00 लाख का व्यय वर्ष 2020-21 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

04-	ग्रामीण क्षेत्रों में मल निकासी योजनाएँ (ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि)-				
	मूल	250.00	250.00	44.83	(-)205.17

₹ 205.17 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय-

01-	सरकारी आवासीय भवन-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01-	सरकारी आवासीय भवन-				
	मूल	854.00			
			328.96	184.82	(-)144.14
	पुनर्वि०	(-525.04			

₹ 144.14 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 525.04 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 144.14 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

02-	सामान्य प्रशासन विभाग के सरकारी रिहायशी पूल आवासों का निर्माण-				
	मूल	327.00			
	पुनर्वि०	(-)327.00			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 327.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।				
03-	वन क्षेत्र के अंतर्गत निर्माण-				
(i)	मूल	400.00			
			221.19	215.23	(-)5.96
	पुनर्वि०	(-)178.81			
4220-	सूचना एवं प्रचार-प्रसार पर पूंजीगत परिव्यय-				
60-	सामान्य-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01-	कार्यालय भवनों का निर्माण-				
(ii)	मूल	20.00			
			2.00	2.00	
	पुनर्वि०	(-)18.00			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 196.81 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई।				
4225-	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-				
01-	अनुसूचित जाति का कल्याण-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01-	अनुसूचित जाति निगम में निवेश-				
(i)	मूल	200.00			
	पुनर्वि०	(-)200.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	200.00			
	पुनर्वि०	(-)200.00			
80-	सामान्य-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01-	कन्या छात्रावास के भवनों का निर्माण-				
(iii)	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iv)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
03-	बाबू जग जीवन राम कन्या छात्रावास- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(v)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
4235-	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-				
02-	<i>सामाजिक कल्याण-</i>				
789-	अनुसूचित जातियों विशेष घटक योजना-				
01-	बहुउद्देशीय सामुदायिक/आंगन बाड़ी केन्द्र- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(vi)	मूल	46.00			
		
	पुनर्वि०	(-)46.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(vii)	मूल	20.00			
		
	पुनर्वि०	(-)20.00			
	उपरोक्त सात मामलों में मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 469.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने, समतुल्य राज्य की हिस्सेदारी जारी करने तथा कार्य का निष्पादन न होने के कारण कम कर दिया गया।				
4402-	मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
02-	पोलीहाउस तथा सूक्ष्म सिंचाई योजना-				
(i)	मूल	554.00			
			316.05	316.04	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)237.95			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 237.95 लाख की कमी किसानों से मांग की कम प्राप्ति तथा संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई।				
4406-	वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय-				
01-	<i>वानिकी-</i>				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

02-	भवन-				
	मूल	1,000.00			
			547.42	508.10	(-)39.32
	पुनर्वि०	(-)452.58			
	₹ 39.32 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 452.58 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 39.32 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
4408-	खाद्य भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय-				
02-	भंडारण और भांडागार-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01-	गोदाम का निर्माण-				
	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त टोकन प्रावधान कम कर दिया गया; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2023)।				
4515-	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
03-	मुख्यमंत्री लोक भवन-				
	मूल	19.00			
		
	पुनर्वि०	(-)19.00			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 19.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया (जुलाई 2023)।				
4701-	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-				
01-	मध्यम सिंचाई पर व्यय-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
06-	कोंसिल झेरिया मंडप परियोजना पर व्यय-				
(i)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
08-	पर्चे खड्ड में वर्षा जल संचयन-				
(ii)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया तथा इसलिए राज्य की हिस्सेदारी अप्रयुक्त रही।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

20-	फिना सिंह परियोजना (गैर-वाणिज्यिक)-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
04-	फिना सिंह परियोजना-				
	मूल	779.00			
			778.00	503.64	(-274.36)
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	₹ 274.36 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	5.07			
		
	पुनर्वि०	(-)5.07			
	मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 5.07 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				
25-	मध्यम सिंचाई परियोजना (सक्काहार) (गैर-वाणिज्यिक)-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01-	कांगड़ा जिले में सुक्का हर परियोजना-				
	(त्वरित सिंचाई तथा कार्यक्रम)-				
(i)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
02-	मध्यम सिंचाई परियोजना प्रीणी, जिला कुल्लु-				
(ii)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
27-	मध्यम सिंचाई परियोजना ज्वालामुखी-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01-	मध्यम सिंचाई परियोजना ज्वालामुखी-				
(iii)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 3.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया तथा इसलिए राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।				
4702-	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
02-	विभिन्न जिलों में लिफ्ट सिंचाई योजना-				
(i)	मूल	233.00			
			352.88	231.34	(-121.54)
	पुनर्वि०	119.88			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

03-	विभिन्न जिलों में परिवर्तित योजना-				
(ii)	मूल	120.00			
			162.80	115.12	(-)47.68
	पुनर्वि0	42.80			
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 169.22 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 162.68 लाख का आवर्धन कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।				
	₹ 231.34 लाख के कुल व्यय में से ₹ 33.00 लाख का व्यय क्रम संख्या (i) पर तथा क्रम संख्या (ii) पर ₹ 115.12 लाख के कुल व्यय में से ₹ 6.38 लाख का व्यय वर्ष 2020-21 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।				
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 169.22 लाख अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
05-	विभिन्न जिलों में परिवर्तित योजना-				
(i)	मूल	500.00	500.00	473.00	(-)27.00
06-	कृषि एवं विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि बैंक के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में लिफ्ट सिंचाई योजना-				
(ii)	मूल	217.00	217.00	113.15	(-)103.85
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iii)	मूल	1,849.20	1,849.20	996.99	(-)852.21
	उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 983.06 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
	क्रम संख्या (ii) पर ₹ 113.15 लाख के कुल व्यय में से ₹ 2.90 लाख तथा क्रम संख्या (iii) पर ₹ 996.99 लाख के कुल व्यय में से ₹ 2.72 लाख का व्यय वर्ष 2020-21 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।				
07-	त्वरित सिंचाई लाभ के अंतर्गत विभिन्न जिलों में परिवर्तित प्रवाह सिंचाई योजना-				
(i)	मूल	145.00	145.00	..	(-)145.00
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	1,232.80	1,232.80	..	(-)1,232.80
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 1,377.80 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
08-	कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक के अंतर्गत विभिन्न जिलों में नलकूप योजना-				
(i)	मूल	615.00	615.00	521.70	(-)93.30
10-	वर्षा जल संचयन संरचनाएं-				
(ii)	मूल	625.00	625.00	136.39	(-)488.61

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 581.91 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।
क्रम संख्या (i) पर ₹ 521.70 लाख के कुल व्यय में से ₹ 24.93 लाख का व्यय वर्ष 2020-21 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

12- पर्वतधारा-
मूल 1.00 1.00 .. (-)1.00

₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

4705- कमांड क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- कमांड क्षेत्र विकास-

मूल 1,851.00 1,850.00 1,380.66 (-)469.34

पुनर्वि० (-)1.00

₹ 1,380.66 लाख के कुल व्यय में से ₹ 37.47 लाख का व्यय वर्ष 2020-21 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

₹ 469.34 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 1.00

..

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

4711- बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-

01- बाढ़ नियन्त्रण-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- स्टॉक-

मूल 300.00 372.20 286.87 (-)85.33

पुनर्वि० 72.20

₹ 85.33 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 72.20 लाख का आवर्धन कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 286.87 लाख के कुल व्यय में से ₹ 11.20 लाख का व्यय वर्ष 2020-21 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

₹ 85.33 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

04- ग्रामीण अवसरचनना विकास निधि-

मूल 297.00 297.00 250.45 (-)46.55

₹ 46.55 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

07-	मण्डी तथा हमीरपुर जिलों में सीर खड्ड				
	से बरछबाड़ से जाहू तक तटीयकरण-				
(i)	मूल	1.00
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	1.00
	पुनर्वि०	(-)1.00			
09-	बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत पंजाब सीमा				
	तक स्वां नदी का तटीयकरण (चरण-III)-				
(iii)	मूल	1.00
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iv)	मूल	1.00
	पुनर्वि०	(-)1.00			
12-	तहसील इन्दौरा में छौंछखड का बाढ़ नियन्त्रण				
	कार्य (बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम)-				
(v)	मूल	1.00
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(vi)	मूल	1.00
	पुनर्वि०	(-)1.00			
13-	त्वरितीकरण के अंतर्गत स्वां नदी का तटीयकरण-				
(vii)	मूल	1.00
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(viii)	मूल	1.00
	पुनर्वि०	(-)1.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

14-	ब्यास नदी और इसकी सहायक नदियाँ नादौन, हमीरपुर, ज्वालामुखी तथा रक्कड़ जिला हमीरपुर का तटीयकरण-				
(ix)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(x)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
15-	पब्वर नदी जिला शिमला का तटीयकरण-				
(xi)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(xii)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
16-	जिला कांगड़ा में जब्बर और गैरली खड्ड का तटीयकरण-				
(xiii)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(xiv)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
17-	जिला मंडी में सुकेती खड्ड तथा इसकी सहायक खड्डों हेतू बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम-				
(xv)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(xvi)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

उपरोक्त सोलह मामलों में मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 16.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया तथा इसलिए राज्य की हिस्सेदारी अप्रयुक्त रही।

4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-

789- अनुसूचित जातियों विशेष घटक योजना-
05- हिमाचल प्रदेश विद्युत परियोजनाओं में
न्यायसम्य योगदान-

(i)	मूल	2,166.00	2,166.00	1,695.35	(-)470.65
-----	-----	----------	----------	----------	-----------

01- जल विद्युत उत्पादन-

789- अनुसूचित जातियों विशेष घटक योजना-
03- हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड लिमिटेड में हिस्सेदारी-

(ii)	मूल	1,102.00	1,102.00	551.00	(-)551.00
------	-----	----------	----------	--------	-----------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 1,021.65 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

4851- ग्राम और लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-

789- अनुसूचित जातियों विशेष घटक योजना-
08- विभिन्न औद्योगिक पार्कों की स्थापना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
मूल 25.00

..

पुनर्वि० (-)25.00

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 25.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से कार्यान्वयन एजेंसी को केन्द्रीय हिस्सेदारी प्रदान करने के कारण कम कर दिया गया।

5053- नागरिक उड्डयन पर पूंजीगत परिव्यय-

02- हवाई बंदरगाह-
789- अनुसूचित जातियों विशेष घटक योजना-
01- हैलीपैड तथा हवाई पट्टी का निर्माण-

मूल	300.00	300.00	200.00	(-)100.00
-----	--------	--------	--------	-----------

₹ 100.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

02- एयरपोर्ट्स/हेलीपोर्ट्स का विकास-

मूल 27,865.00

..

पुनर्वि० (-)27,865.00

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 27,865.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण समाप्त कर दिया गया।

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-

04- जिला तथा अन्य सड़कें-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

789- अनुसूचित जातियों विशेष घटक योजना-

01- ग्रामीण सड़कों का निर्माण-

मूल 9,194.00

9,433.35

7,729.51

(-)1,703.84

पुनर्वि० 239.35

₹ 1,703.84 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 239.35 लाख का आवर्धन कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 7,729.51 लाख के कुल व्यय में से ₹ 2.01 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

₹ 1,703.84 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 1.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त टोकन प्रावधान कम कर दिया गया; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2023)।

03- प्रतिपूरक पौधोरोपण (वन विभाग के शुद्ध वर्तमान

मूल्य की लागत और भुगतान)-

मूल 504.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)504.00

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 504.00 लाख का समस्त प्रावधान मुआवजे के मामलों की कम प्राप्ति के कारण कम कर दिया गया।

04- पुलों का निर्माण-

मूल 1,914.00

2,129.10

1,817.36

(-)311.74

पुनर्वि० 215.10

₹ 311.74 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 215.10 लाख का आवर्धन कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 311.74 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

05- सड़क किनारे की सुविधा-

मूल 202.00

202.00

162.44

(-)39.56

₹ 39.56 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

09-	मुख्य जिला सड़कें-				
	मूल	318.00			
			291.70	182.65	(-)109.05
	पुनर्वि०	(-)26.30			
	₹ 109.05 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 26.30 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 109.05 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
13-	सड़कों और पुलों की डिजाइन/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के लिए परामर्श-				
	मूल	100.00			
			..	74.98	(+)74.98
	पुनर्वि०	(-)100.00			
	₹ 74.98 लाख के बिना प्रावधान के व्यय की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया जोकि अनुचित सिद्ध हुई।				
	₹ 74.98 लाख का व्यय बिना प्रावधान के किया गया; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
14-	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कार्य का विस्तार-				
	मूल	252.00	252.00	189.00	(-)63.00
	₹ 63.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
15-	ब्लैक स्पॉट में सुधार सड़क सुरक्षा उपाय और ज्यामिति तथा सवारी की गुणवत्ता में सुधार-				
	मूल	1,008.00			
			721.22	720.89	(-)0.33
	पुनर्वि०	(-)286.78			
	मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 286.78 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई।				
16-	मुख्यमंत्री सड़क योजना-				
	मूल	1,260.00			
			1,272.00	789.02	(-)473.98
	पुनर्वि०	(-)12.00			
	₹ 473.98 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।				
17-	मध्यस्था मामलों का भुगतान (सड़कें और पुल)-				
	मूल	100.00			
		
	पुनर्वि०	(-)100.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख का समस्त प्रावधान मुआवजा मामलों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

5055- सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- परिवहन विभाग के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय भवनों का निर्माण-

मूल 50.00

20.00.

10.03

(-)9.97

पुनर्वि० (-)30.00

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 30.00 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई।

06- प्रशिक्षण संस्थान-

(i) मूल 1.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)1.00

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल 1.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)1.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान कम कर दिया गया; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2023)।

11- ड्राइविंग प्रशिक्षण प्रशिक्षण ट्रेक का निर्माण-

मूल 150.00

150.00

..

(-)150.00

₹ 150.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

5075- अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-

60- अन्य-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- रोपवे तथा तीव्र परिवहन व्यवस्था-

मूल 100.00

100.00

50.00

(-)50.00

₹ 50.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

02- रोपवे तथा तीव्र परिवहन व्यवस्था (कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक) -

मूल 25.00

25.00

..

(-)25.00

₹ 25.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-

80- सामान्य-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- स्कूलों/कॉलेजों के खेल मैदानी का हैलीपैड
के रूप में प्रयोग करने हेतु निर्माण-

मूल 100.00

..

पुनर्वि० (-)100.00

मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 100.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।

6225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, एवं अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए ऋण-

01- अनुसूचित जातियों का कल्याण-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- एकीकृत ग्रामीण विकास परिवारों के बच्चों
को उच्च शिक्षा के लिए ब्याज मुक्त ऋण-

मूल 2.00

..

पुनर्वि० (-)2.00

मार्च 2023 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

6801- विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

03- हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम
को ऋण-

मूल 2,116.00 2,116.00 150.61 (-)1,965.39

₹ 1,965.39 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

04- विद्युत परियोजनाओं को के.एफ.डब्ल्यू की हिस्सेदारी-

(i) मूल 25.00 25.00 .. (-)25.00

05- फ्रांसीसी विकास एजेंसी से ऋण-

(ii) मूल 25.00 25.00 .. (-)25.00

06- विश्व बैंक से ऋण-

(iii) मूल 25.00 25.00 .. (-)25.00

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 75.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

(vi) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय-			
789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-			
04- पुलिस आवास-			
मूल	1,209.00	1,209.00	1,633.54
			(+)424.54
₹ 1,633.54 लाख के कुल व्यय में से ₹ 424.54 का व्यय वर्ष 2021-22 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।			
4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-			
01- कार्यालय भवन-			
789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-			
06- कानूनगो/पटवार भवनों का निर्माण-			
मूल	264.00	264.00	315.59
			(+)51.59
₹ 315.59 लाख के कुल व्यय में से ₹ 56.00 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।			
4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-			
01- सामान्य शिक्षा-			
789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-			
02- भवन (माध्यमिक शिक्षा)-			
मूल	819.00		
		1,082.76	1,082.76
			..
पुनर्वि०	263.76		
मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 263.76 लाख का आवर्धन कार्यो के अधिक निष्पादन के कारण हुआ।			
02- तकनीकी शिक्षा-			
789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-			
03- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण-			
मूल	604.00	604.00	821.00
			(+)217.00
₹ 821.00 लाख के कुल व्यय में से ₹ 217.00 लाख का व्यय वर्ष 2020-21 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।			
06- सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज-			
पूरक	0.01		
		900.00	953.28
			(+)53.28
पुनर्वि०	899.99		
मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 899.99 लाख का आवर्धन इंजीनियरिंग कॉलेजों के निर्माण के लिए प्रदान निधि के कारण हुआ।			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

₹ 953.28 लाख के कुल व्यय में से ₹ 53.28 लाख का व्यय वर्ष 2020-21 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

4210- चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-

03- चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

02- डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज, टोंडा-

मूल 454.00

778.00

834.55

(+)56.55

पुनर्वि० 324.00

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 324.00 लाख का आवर्धन मशीनरी तथा उपकरणों की खरीद पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

₹ 834.55 लाख के कुल व्यय में से ₹ 56.55 लाख का व्यय वर्ष 2021-22 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

09- सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन-

पूरक 0.02

161.10

161.10

..

पुनर्वि० 161.08

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 161.08 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

पुनर्वि० 17.90

17.90

17.90

..

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 17.90 लाख का आवर्धन केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ। मूल/पूरक बजट अनुमानों द्वारा निधियाँ प्राप्त करना आवश्यक था। बिना प्रावधान पुनर्विनियोजन अनुचित तथा हिमाचल प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा 12.5 का उल्लंघन था।

04- लोक स्वास्थ्य-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

02- मौजूदा आयुष संस्थानों का उन्नयन-

(i) पूरक 0.01

17.11

17.11

..

पुनर्वि० 17.10

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) पूरक 0.01

153.99

153.99

..

पुनर्वि० 153.98

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 171.08 लाख का आवर्धन भारत सरकार द्वारा निधियों की अधिक प्राप्ति तथा केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

4215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय-

01- जलापूर्ति-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

04- ग्रामीण संरचना विकास निधि/राष्ट्रीय कृषि एवं
ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक (नाबार्ड)-

मूल	5,200.00	5,200.00	5,648.57	(+448.57
-----	----------	----------	----------	----------

₹ 5,648.57 लाख के कुल व्यय में से ₹ 429.96 लाख का व्यय वर्ष 2020-21 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

₹ 448.57 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

08- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना-

मूल 1,889.00

8,073.60

8,073.60

..

पुनर्वि0 6,184.60

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6,184.60 लाख का आवर्धन केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य का हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ।

4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-

01- राज्य राजधानी विकास-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

01- शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड में
हिस्सेदारी/निवेश-

मूल	1,511.00	1,511.00	2,322.00	(+811.00
-----	----------	----------	----------	----------

₹ 2,322.00 लाख के कुल व्यय में से ₹ 811.00 लाख का व्यय वर्ष 2020-21 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-

01- अनुसूचित जातियों का कल्याण-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

02- अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए विभागीय/
अन्य भवनों का निर्माण-

मूल 1.00

700.77

500.77

(-)200.00

पुनर्वि0 699.77

₹ 200.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 699.77 लाख का आवर्धन कार्यों के निष्पादन पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 200.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

4401- फसल पालन पर पूंजीगत परिव्यय-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

01-	भवन (कृषि)-				
	मूल	290.00	290.00	306.00	(+)16.00

₹ 306.00 लाख के कुल व्यय में से ₹ 16.00 लाख का व्यय वर्ष 2020-21 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

4701- प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-

21-	नादौन क्षेत्र मध्यम सिंचाई परियोजना/ वाणिज्यिक या गैर-व्यावसायिक-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01-	अनुसूचित जाति उपयोजना-				
(i)	मूल	1.00			
			10.00	10.00	..
	पुनर्वि०	9.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	1.87			
			90.00	90.00	..
	पुनर्वि०	88.13			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 97.13 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ तथा इसलिए राज्य की हिस्सेदारी आनुपातिक रूप से जारी की गई।

4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-

789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
04-	विभिन्न जिलों में उठाऊसिंचाई योजना-				
	मूल	2,305.00	2,305.00	2,379.61	(+)74.61

₹ 2,379.61 लाख के कुल व्यय में से ₹ 61.33 लाख का व्यय वर्ष 2020-21 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

5054- सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय-

04-	जिला तथा अन्य सड़कें-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
10-	कृषि विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि बैंक के अंतर्गत सड़कों का निर्माण-				
	मूल	14,308.00	14,308.00	14,360.00	(+)52.00

₹ 14,360.00 लाख के कुल व्यय में से ₹ 42.34 लाख का व्यय वर्ष 2021-22 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (समाप्त)

12- केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत सड़कों
का निर्माण-

केन्द्रीय प्रायोजित याजना-

मूल 2,771.00

4,270.92

3,482.39

(-)788.53

पुनर्वि० 1,499.92

₹ 788.53 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,499.92 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 788.53 लाख के अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

5055- सड़क परिवहन पर पंजीगत परिव्यय-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- हिमाचल प्रदेश सड़क परिवहन निगम
में निवेश-

मूल 1,763.00

4,524.00

4,524.00

..

पुनर्वि० 2,761.00

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,761.00 लाख का आवर्धन योजना के अंतर्गत अधिक निवेश के कारण हुआ।

विनियोग लेखे

परिशिष्ट

(सभी दत्तमत)

(विनियोग लेखाओं के सारांश में सन्दर्भित)

वर्ष 2022-23 के लेखाओं में व्यय में कमी के रूप में समायोजित वसूलियों के अनुमानों और वास्तविकताओं के आँकड़ों का अनुदानवार विवरण

अनुदान संख्या व नाम	बजट अनुमान		वास्तविक आंकड़े		बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़ें वृद्धि (+)/ह्रास (-)	
	राजस्व	पूजीगत	राजस्व	पूजीगत	राजस्व	पूजीगत
1	2	3	4	5	6	7
			(₹ हजारों में)			
03-न्याय प्रशासन	1,70,00	(-)1,70,00	..
05-भू-राजस्व और जिला प्रशासन	8,62,00,01	..	6,22,41,58*	..	(-)2,39,58,43	..
10- लोक निर्माण कार्य- सड़कें, पुल तथा भवन-	13,43,25,62	..	9,38,24,52	..	(-)4,05,01,10	..
11- कृषि-	..	45,02,95	..	33,77,43	..	(-)11,25,52
12- उद्यान-	..	5,93,10	..	1,20,06	..	(-)4,73,04
13- सिंचाई, जलापूर्ति तथा स्वच्छता-	10,12,98,80	..	9,88,37,76	..	(-)24,61,04	..
14-पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मतस्य	37,40	(-)37.40	..
16- वन और वन्य जीवन-	1,40,01,50	..	97,01,40	..	(-)43,00,10	..
19-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	29,74,00	(-)29,74,00	..
31-जनजातीय विकास-	2,14,58,03	..	81,81,12	..	(-)1,32,76,91	..
32-अनुसूचित जाति उप-योजना	15,28,00	(-)15,28,00	..
सकल जोड़-	36,19,98,36	50,96,05	27,27,86,38	34,97,49	(-)8,92,06,98	(-)15,98,56

*वित्त लेखे की विवरणी संख्या 21 में दर्शाये गये ब्यौरे से राज्य आपदा प्रबंधन निधि में से प्रयुक्त राशि को घटाएं।

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
2023
www.cag.gov.in



<https://cag.gov.in/ae/himachal-pradesh/hi>